

**Web Resources
for
NSS/NCC/NYKS/UBA Volunteers
for Dissemination of Information
on
National Education Policy 2020**



सत्यमेव जयते

**Ministry of Education
Government of India
New Delhi**

Web Resources
for
NSS/NCC/NYKS/UBA Volunteers
for Dissemination of Information
on
National Education Policy (NEP) 2020



Ministry of Education
Government of India
New Delhi

© Ministry of Education
Government of India
New Delhi

September 2020

Published by : Ministry of Education
Government of India
New Delhi

Designed and Printed by : Chandu Press
D-97, Shakarpur, Delhi-110092
Ph. : +91 9810519841, 011-22526936
E-mail : chandupress@gmail.com

Table of Contents

Highlights of NEP from Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind's address at Governors Conference on 7.9.2020.....	5
Highlights of Hon'ble PM's address on NEP	8
Presentation on NEP 2020 – D/O School Education & Literacy (English)	16
Presentation on NEP 2020 – D/O Higher Education (English)	25
Presentation on NEP 2020 – D/O School Education & Literacy	32
Presentation on NEP 2020 – D/O Higher Education (Hindi)	41
Salient Features Of National Education Policy 2020	48
Salient Features of NEP 2020 -Hindi	68
Salient Features of NEP 2020 - Urdu	76
Salient Features of NEP 2020 - Assamese	84
Salient Features of NEP 2020 -Bengali.....	90
Salient Features of NEP 2020 -Gujarati.....	99
Salient Features of NEP 2020 - Kannada.....	105
Salient Features of NEP 2020 -Malayalam	110
Salient Features of NEP 2020 - Manipuri.....	116
Salient Features of NEP 2020 - Marathi.....	125
Salient Features of NEP 2020 - Odia.....	127
Salient Features of NEP 2020 -Punjabi	132
Salient Features of NEP 2020 - Tamil.....	137
Salient Features of NEP 2020 - Telugu.....	148
National Education Policy 2020 – Full Text in English.....	154
National Education Policy 2020 – Full Text in Hindi.....	218
Infographics on NEP 2020 110 PAGE	324
Link to Video Films on NEP 2020.....	

NOTE : MORE DETAILED RESOURCES ON VARIOUS THEMES OF NEP 2020 CAN BE ACCESSED FROM THE WEBSITE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AT THE LINK <https://www.mhrd.gov.in/shikshakparv/>

Highlights of NEP from Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind's address at Governors Conference on 7.9.2020

Formulation of NEP

The New Education Policy has been formulated after an unprecedented and extensive process of consultations. I have been told that in formulating this policy, more than two lakh suggestions received from two and a half lakh Gram Panchayats, more than twelve and a half thousand local bodies and about 675 districts have been taken into consideration. Due to such a nationwide and extensive participation, this Education Policy truly embodies national expectations and solutions.

Vision of NEP

This Education Policy will be able to take the countrymen, especially the youth forward in accordance with the needs and aspirations of the 21st century. It is not only a policy document, but a reflection of the aspirations of the learners and citizens of India.

Education is the most effective means of social justice and personal advancement. There is no better investment than that in education to improve the future of society. With the help of the Education Policy, we have to nurture students who are imbued with national pride as well as a sense of global well-being and can truly become global citizens. Through this policy, the nature of India's education system in the digital and globalized world has been clearly enunciated. Special emphasis has been laid on inclusion of people from socially and economically disadvantaged groups or SEDGs into the education system.

Foundational Literacy and Numeracy

The highest priority of this education system will be to provide foundational literacy and numeracy to all children at primary school level by the year 2025. The structure of higher education can stand only on this foundation. Teachers will have a central role in bringing about the fundamental changes being made in the education system. It has been made clear in this Education Policy that the most promising people should be selected for the teaching profession. Their decent livelihood, dignity and autonomy should be ensured.

To give a strong foundation to school education, it is targeted to create by the next year i.e. 2021, a new and comprehensive curriculum for teachers education based on this Education Policy. Teachers education is a part of higher education. Therefore, at the State level, all of you have to achieve the very important goals related to teachers education. In this context, there is a provision for starting sound, multi-disciplinary and integrated teachers education programs. By the year 2030, only high-quality institutions will remain functional in this area.

Vocational Education

In view of the global scenario, a new ambitious approach has been adopted in the area of Vocational Education. According to the 12th Five-Year Plan estimates, less than 5 percent of the workforce in India received formal vocational education. This number was 52 percent in the United States, 75 percent in Germany, and 96 percent in South Korea. Given the need to accelerate the spread of vocational education in India, it has been decided that at least 50 percent of the students in the school and higher education systems will be provided exposure to vocational education by the year 2025. This will help realise true potential of our demographic dividend. The Lok-Vidya evolved in the Indian tradition will be linked to vocational education by higher education institutions. It has

been made clear in this policy that vocational education will be considered as a part of mainstream education and such education will be given equal status. This will make our children and youth more skilled and also generate among them respect for the dignity of labour.

Three language formula

The Education Policy envisions an education system that derives inspiration from our rich tradition and is also modern and futuristic in outlook. From the view point of pedagogy and child psychology, it has been acknowledged that the mother tongue should be the medium of primary education. In line with this approach, the Education Policy adopts the spirit of the three language formula. The Policy puts emphasis on the Indian languages, arts and culture. This will develop creative potential in the students and further strengthen the Indian languages. It will be helpful in preserving the unity and integrity of our country characterised by great linguistic diversity.

Promotion of Indian languages

The promotion of Indian languages, arts and culture has been given special importance in the National Education Policy because they are important for India's identity as well as economy. One hundred tourist places will be identified to introduce to the students India's cultural richness and diversity. Students will be taken to those places on study tours by the institutions so that they understand the multifaceted civilization, culture, knowledge systems, science and literature of our country. All of you can get prepared good study material about such places in your respective 5 states. You can also give necessary directions for the development of tourist facilities at such places.

Multi-disciplinary Education

Drawing inspiration from ancient universities like Taxila, Nalanda, Vallabhi and Vikramashila, it has been recommended to establish large and multi-disciplinary universities and higher education institutions or clusters. Multi-disciplinary Education and Research Universities i.e. MERU will be set up with the aim of achieving world-class quality education. This will enable the development of qualified, versatile and creative youth in every part of the country. 17. Such efforts will increase the number of international students in India. India will emerge as a global study destination where excellent education will be available at affordable cost. High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries. Also, the worlds top universities will be allowed to come to India and impart education.

It is targeted to set up at least one large multi-disciplinary higher education institution in or around each district by 2030 to provide higher education in underserved regions. For this, several steps will have to be taken at the State level. Good higher education institutions are to be set up in Aspirational Districts and Special Education Zones. This will be an important step in the interest of 6 socially and economically disadvantaged groups. An effort will be made to make education accessible to all by leveraging technology for online and digital education.

Autonomy to Educational Institutions

Besides access, opportunity and quality, accountability has also been fixed in the Education Policy. This Policy also recommends giving greater autonomy to educational institutions and faculty. 20. It has been observed that the level of investment in research and innovation is 2.8 percent of GDP in the US, 4.2 percent in South Korea and 4.3 percent in Israel as compared to only 0.7 percent in India. To give impetus to a large and vibrant economy like India, it is necessary to encourage knowledge-creation and research. The Central and State governments will have to increase the percentage of investment in research and innovation.

Promoting Research

A National Research Foundation will be constituted to guide quality academic research in all fields. To promote a research-culture, all universities and higher education institutions will work with the National Research Foundation.

Use of technology

The use of technology and its integration will accelerate reforms in the learning process and lead to better results. For this, the National Educational Technology Forum NETF will be established. NETF will provide consultation to the state government agencies also. All aspects of the education system will be made simpler and more accessible with the help of technology. Research and technology-use will be encouraged in the context of Artificial Intelligence so that effective changes may be carried out in areas such as healthcare, agriculture and climate-change.

Implementation

After the announcement of the National Education Policy, discussions have started at various levels and areas. This policy has been welcomed by academics, parents, students and general public. It is being said that if changes are effectively brought about in accordance with this policy, India will emerge as an education superpower.

At present, more than two and a half crore students get education in more than 400 state universities and more than 40,000 colleges affiliated to them. State universities have a special responsibility from this point of view. Mostly, Governors are Chancellors of these universities. Governors need to contribute to the implementation of the Education Policy by establishing dialogue and coordination with universities, colleges, institutions and other stakeholders. I am told that some states have already started consultation in the direction of implementation of the Education Policy through virtual conferences etc. All such efforts are commendable.

I would like all the Governors to have a theme-based virtual conference with regard to implementation of the new Education Policy in their states. After carrying out extensive consultations on the various aspects of the Education Policy, you may like to send your important suggestions to the Union Ministry of Education so that they can be utilised in the entire country. All the Governors and Education Ministers have important responsibilities in the implementation of recommendations of the National Education Policy. I am sure that by contributing to the implementation of the NEP, all of you will be playing an important role in transforming India into a knowledge hub.

There are inter-state variations on the various parameters related to education. States have to adopt the measures recommended in the National Education Policy according to their local conditions, characteristics and expectations. In order to effectively implement this Education Policy, the Central and State governments will have to work relentlessly in coordination with all the stakeholders. In order to ensure timely implementation of the recommendations of this Policy in the sphere of higher education, it is necessary to appoint highly qualified and deserving persons to fill the vacancies of the Vice Chancellors and Faculty in the universities.

Highlights of Hon'ble PM's address on NEP

Comprehensive Deliberations

Friends! The National Education Policy has been approved after comprehensive deliberations and suggestions from lakhs of people spread over 3-4 years. It is being discussed in detail in the country. People from different regions and different ideologies have been reviewing the National Education Policy and giving their views. This is a healthy debate. The country's education system will benefit a lot through these debates. This is a matter of happiness that nobody from any region or strata said that it was a biased policy. This is an indicator that people are finally getting to see the changes that they wanted in the decades-old education system.

Work on the National Education Policy began 4-5 years ago. Lakhs of people from villages and cities across the country and the experienced people associated with the education sector had given their feedback and suggestions. More than two lakh people had also offered their suggestions on the different aspects of the draft education policy. That means parents, students, academicians, teachers, education managers, professionals, all have contributed in this regard. The National Education Policy is now being welcomed everywhere due to the nectar that has emerged after such profound, extensive and diversified discussions.

Shaping the resolve and competence of a self-reliant India

This policy will shape the resolve and competence of a self-reliant India. Naturally, our preparations and awareness should also be in sync with this enormous resolve. Most of you have studied the nuances of the National Education Policy. Therefore, it is equally important that there should be continuous discussion on the nuances and the purposes of the reform of this magnitude. The country will be able to successfully implement the National Education Policy after resolving all the doubts and questions.

NEP is people centric and future centric

The National Education Policy will lay the foundation of the new India, the 21st century India. The National Education Policy focuses on the education and skills needed for the youth of the 21st century India.

The new National Education Policy is also a powerful means of meeting the new aspirations and new requirements of a New India.

Focus on learning rather than studying

This education policy lays special emphasis to make India more powerful, to take it to new heights, to empower the Indian citizens and to make available maximum opportunities to them. Indian student will be able to play a constructive role in the nation building if he studies in a scientific way and according to the changing environment, whether he is in nursery or in college.

The new education policy focuses on learning rather than studying and emphasizes on critical thinking beyond the curriculum. There is a strong emphasis on passion, practicality and performance rather than the process. There is also focus on foundation learning and languages; learning outcomes and teacher training. Widespread reforms have been undertaken on access and assessment in this policy. It demonstrates a way to empower each student.

As children progress in classes, they should develop a spirit to learn more; children's minds, their brain should start thinking scientifically and logically. It is very important that they should develop mathematical thinking and scientific temperament. And mathematical thinking does not mean

that children solve only mathematics problems, but it is a way of thinking. These are the ways we have to teach them. The approach should be to understand every issue, the aspects of life mathematically and logically, so that the brain can analyse in different perspectives. This approach, the development of mind and brain is very important, and, therefore, the National Education Policy has given a lot of attention to its modalities. Many among you, many principals, may be thinking that we already do it in our school. But there are still many schools where it does not happen. It is also necessary to have a common perception. This is also a major reason why I am talking to you today in so much detail, and precisely.

When you learn, you get the wisdom to question. When you question, you get out-of-the-box methods to solve problems. When you do that, you grow. Due to your effort, our nation grows. Our planet prospers. Friends, India's National Education Policy reflects these spirits. We are shifting from: The burden of the school bag, which does not last beyond school - to the boon of learning which help for life; from simply memorizing to critical thinking. For years, the limitations of the system had an adverse effect on the lives of students. No longer! The National Education Policy reflects the aspirations of young India. It is not process centric; it is people centric and future centric.

We will have to promote similar easy and new practices. Our experiments should be the guiding principle of the New Age learning -- Engage, Explore, Experience, Express, and Excel. That is, students should engage in activities, events and projects according to their interests. They should explore it accordingly. He should learn these activities, events and projects from his own experience and with different perspectives. It can be their personal experience and collaborative experience as well. Then the children should learn to express themselves in a very constructive manner. This is a way to excel when all these things are combined. For example, we can take the children to hills, historical places, farms and safe manufacturing units.

Early Childhood Care & Education, 5+3+3+4 school curriculum

Friends, a new world order is emerging with a new look in the changing scenario. A new global standard is also getting readied. Therefore, it was necessary that India should effect changes in its education system. In order to change the school curriculum from 10+2 structure to 5+3+3+4 is a step in this direction. We have to make our students global citizens. Simultaneously, we also have to keep in mind that they stay connected to their roots. The format of this national education policy has been decided after encompassing all points from roots to the world, from man to mankind, from past to modernity.

The life of the future depends largely on childhood. Children's education, the environment they get, determines to a large extent, how they will become as a person in the future, what will be their personality. Therefore, the National Education Policy has placed a lot of emphasis on children's education. During pre-school, the child takes the first step to come out of the care of his parents and the relaxed home environment. This is the first stage when children begin to realize their senses, their skills in a much better way. This requires schools and teachers who can provide children the environment of fun learning, playful learning, activity-based learning and discovery-based learning.

Friends, the 5+3+3+4 system has been very carefully introduced in the National Education Policy in place of the old 10+2. The Early Childhood Care and Education has been included in it as a foundation. Today, we find that the pre-school playful education is confined to private schools in cities. It will now reach the villages, the houses of the poor, the rich, the villages, the cities. This will be available to children everywhere. The focus on fundamental education is the most important

aspect of this policy. Under the National Education Policy, the development of Foundational Literacy and Numeracy will be taken up as a national mission. Knowledge of elementary language, knowledge of numbers, development of the ability to read and understand general articles in children, this is very essential. Before a child reads to learn in future, it is important that he learns to read in the beginning. This development journey from Learn To Read to Read To Learn will be completed through Foundational Literacy and Numeracy.

Friends, when education is linked to the surroundings, it leaves an impact on the entire life of the student and the entire society as well.

Focus on Research and Innovation

The 21st century is the era of knowledge. This is the time to increase focus on: Learning, Research and Innovation. And, this is exactly what India's National Education Policy, 2020 does. This Policy wants to make your School, College and University experience: Fruitful, Broad-based; one that guides you to your natural passions.

Inter-disciplinary study

Among the most exciting things of the Policy is the emphasis on inter-disciplinary study. This concept has been gaining popularity; and rightly so. One size does not fit all. One subject does not define who you are. There are no limits to discovering something new. Human history has many examples of stalwarts who have excelled in diverse areas. Be it Aryabhata, Leonardo da Vinci, Helen Keller, Gurudev Tagore. Now, we have done away with some traditional boundaries between arts, science and commerce. If someone is interested, they can learn: Maths and Music together, or Coding and Chemistry together. This will ensure the focus is on what the student wants to learn rather than what the student is expected to, by society. Inter-disciplinary studies gives you control. In the process, it also makes you flexible.

When the children will be connected with their culture, language and traditions at the foundation stage, the education will not only become very effective and easy, but the children will also relate to it. Under the National Education Policy, the democratic values of learning without any pressure, paucity and influence have been made part of our education policy in a real sense. The pressure on the students regarding streams, have been done away with.

Now, our youths would be able to study according to their interest and aptitude. Earlier, the students used to choose a stream beyond their capability due to pressure. By the time they would realize this, it would be very late. The result was the student would either drop out or somehow complete his degree. I understand it, in fact, you know better than me that this has created so many problems in our country; this was the root of several problems. While there is a solution to these problems in the National Education Policy, the students will also greatly benefit from the academic bank of credit.

The previous education policy had also tied up options for our students. For example, a student who opted for Science could not study Arts or Commerce. For those with Arts-Commerce, it was assumed that they have opted for History, Geography, Accounts because they are poor in Science. But in reality, can all the work be done with the knowledge of only one field? In reality all subjects are related to each other. Every learning is inter-related. Students opt for one subject, but later they feel that they could do better in some other field. But the present system does not provide an opportunity for change or to connect with new possibilities. This has also been a major reason for the dropout of many students. Therefore, with the National Education Policy students are given freedom to choose any subject. I see this as a major improvement. Now our youth will not have to

fit in any one of the brackets of Science, Humanity or Commerce. Every student of the country and his talents will now receive every opportunity.

Holistic report card instead of a mark-sheet

National education policy also addresses another very major problem. There are very experienced and knowledgeable people present here, you must have felt that in our country, instead of learning driven education, marks and marks-sheet driven education dominates. Children also learn when they are playing, talking to the family, or going outside with you. But often parents do not ask the children what they have learned. But they too would ask about the marks. How much did you score in the test? Can a test or a mark-sheet be a parameter for children's learning and mental development? Today, the truth is that the marksheet has become a mental pressure sheet and the family's prestige sheet. Removing this stress from education is one of the main objectives of the National Education Policy.

The examination should be such, that it does not put unnecessary pressure on the students. And the attempt is not to evaluate the students only through an examination, but to evaluate various aspects of the development of the students by self-assessment and Peer-to-Peer assessment. Therefore, under the National Education Policy, emphasis has been laid on Holistic report card instead of a mark-sheet. Holistic report card will be a wide sheet of unique potential, aptitude, attitude, talent, skills, efficiency, competency and possibilities of students. A new National Assessment Center "Parakh" will also be established for the overall improvement of the evaluation system.

Focus on mother tongue

Friends, there is no dispute that children learn faster if they have the same language which they speak at home and the language which is taught in school. This is the main reason why a consensus has been arrived at to provide education to the children till Class 5 in their mother tongue, as far as possible. Not only will it make the children's foundation stronger, their base will also be strengthened while pursuing higher studies.

Language has always been a sensitive topic in our country. One of the major reasons for the same is that we have left the local languages to their own fate. They have very little chance to grow and thrive. Now with the changes brought in the education policy, the languages of India will progress, and develop further. These will not only increase the knowledge about India, but will also strengthen the unity of India. There are many rich compositions in our Indian languages. We have centuries of knowledge and experience; all of them will expand further. This will also introduce the world to the rich languages of India. And a huge benefit will be that the students will get to learn in their mother tongue in their formative years.

With this, there will be a lot of opportunity for them to grow and blossom their talent. They will be able to become comfortable and motivated to learn new things without pressure and will be able to connect with education. Anyway, if you look at the list of the top 20 countries of the world on the basis of GDP, you will see that most of the countries provide education in their mother tongue. These countries develop the thinking and understanding of the youth in their own language and also emphasize on other languages to communicate with the world. The same policy and strategy is going to be very useful for 21st century India as well. India has an amazing treasure of languages, one life is not enough to learn them and today the world too is eager for it.

Since the introduction of the National Education Policy, there has been a very strong discussion regarding the language of instruction/teaching for children? What changes are being made? Here, we need to understand it scientifically that language is the medium of education, language is not

complete education. Some people who are stuck solely in bookish knowledge forget this difference. Therefore, in whatever language a child can learn easily, the same should be the language of instruction.

Many of you would know that all of the countries with top ranking in 2018 Programme for International Student Assessment- PISA, such as Estonia, Ireland, Finland, Japan, South Korea, Poland, impart primary education in their respective mother tongues. It is natural that the learning will be faster in the language that the children listen to at home.

Therefore, under the National Education Policy, as far as possible, the local language, mother tongue, is stated as the medium of instruction for education up to at least grade five. I see that some people are confused about it. There is no restriction on learning or teaching languages other than mother tongue in the National Education Policy. It would be good if the children can read and learn all the foreign languages that are helpful on the international platform along with English. But at the same time, all Indian languages should also be promoted, so that our youth can get acquainted with the language of different states of the country and their culture. Every region will have a strong relationship with one another.

Focus on learning coding

The future is going to be quite different from our present-day world today. We can see and feel its requirements right now. In such a scenario, we have to equip our students with the skills of the 21st century. What will these 21st Century Skills be? These will be - Critical Thinking -Creativity -Collaboration -Curiosity and Communication. Our students must understand the sustainable future, sustainable science and think in that direction. This is the need of the hour! It is very important. Therefore, students should learn coding early in life, understand Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, Data Science and Robotics. We have to ensure all of this.

Higher Education

Multiple entry and exits options

In the National Education Policy, flexibility has been given great importance. There are provisions for multiple entry and exits. No one way street for a student. The Under-Graduate experience can either be a three or four year journey. Students will enjoy the advantages of an Academic Bank of Credit, which will store all the academic credits acquired. These can be transferred and counted in the final degree. Such flexibility was long needed in our education system. I am happy the National Education Policy has addressed this aspect.

Now, the students will also have the freedom to leave a particular course in between and take admission in another course if they wish to. For this, they can take a break from the first course for a certain period of time and join the second course. This is the thought behind getting higher education free of streams, providing multiple entry-exits, and Credit Bank. We are moving towards an era where a person will not stay in the same profession throughout his life. Change is inevitable. For this, the person will have to constantly re-skill and up-skill himself. This has also been taken into consideration in the National Education Policy.

Gross Enrolment Ratio to 50 per cent by 2035

National Education Policy is big on access to education starting from primary education. In Higher Education, the aim is to increase Gross Enrolment Ratio to 50 per cent by 2035. Other efforts be it Gender Inclusion Fund, Special Education Zones, options for Open and Distance Learning will also help.

Emphasis on creating job creators rather than job seekers

This education policy emphasizes on creating job creators rather than job seekers. That is, in a way it is an attempt to bring reform in our mindset, in our approach. The focus of this policy is to create a self-reliant youth who will be able to decide whether to do a job, take up a service or become an entrepreneur.

It is very essential for the youth to be skillful in order to make India self-reliant. Our youth will be better prepared for the future due to vocational exposure since childhood. Practical learning will not only increase employability of our young friends in the country, but their participation will also increase in the global job market. It is said in our country that आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः i.e., one should accept good ideas, no matter from which direction they come. India has been a global centre of knowledge from ancient times. We are striving to make India a knowledge economy in the 21st century. The new education policy is a big step in the direction of achieving this resolve.

Integration of Global with Local

The New Education Policy has another special feature. The focus is on integrating it with Global as much as the focus is on Local. While emphasis has been laid on giving a natural place to local folk arts and disciplines, classical art and knowledge, the Top Global Institutions are also invited to open campuses in India. With this, our youth will not only get World Class Exposure and Opportunities in India but will also be more prepared for the Global Competition. This will also help in building world-class institutions in India, making India a hub of global education.

Focus towards futuristic technology and research

Friends, the world expects a lot from the 21st century India. India bears the capability of providing Talent and Technology to the world. The National Education Policy addresses this responsibility that we bear towards the world. The solutions suggested by the National Education Policy aim to develop the mindset towards futuristic technology. Technology has given us a medium to reach the students of far-flung areas- at minimal expenditure, effectively and with a great amount of speed. We must make the most out of the Technology.

Through this education policy, we will get help in developing a better course and content which is based on technology. Whether it emphasizes on basic computing, coding or research oriented activities, this not only would change the education system but would also act as a medium to change the approach of the entire society. The concept of Virtual lab would carry forward the dreams of better education to my young friends, who could never study these subjects before as lab experiments were essential. The National Education Policy would play a big role in bridging the gap between Research and Education in our country.

In view of the rapidly changing times, comprehensive provisions have been made in the National Education Policy keeping in view the future. As technology is expanding to villages and is becoming accessible to the poorest of the poor in the country, the deprived, the backward and the tribal communities, their access to information and knowledge is also increasing.

Autonomy to Institutions

In the first approach, it shows mistrust towards the non-governmental organisations and on the other hand, the second approach treats autonomy as an entitlement. The path to good quality education lies in the midway of both the opinions. The institutions which strive for quality education must be rewarded with freedom. It helps in encouragement of building of quality and gives everyone an incentive to grow. Before the advent of National Education Policy, we have seen in the recent years, that how our government has started the initiative to give autonomy to institutions. I hope that

with the development of National Education Policy, the process of autonomisation of educational institutions would also gather speed.

Best international institution campuses in India for youths

The new National Education Policy has opened doors for establishment of the best international institution campuses in India for youths of ordinary families and to tackle brain drain. When the international level top campuses are established in the country, the tendency to go abroad for education will also reduce and our universities and colleges will also become more competitive. Online education is another aspect of it, which ends all the limitations regarding local or international schooling.

Implementation of NEP

There will be several questions and you are discussing them as well. Most of these questions relate to its implementation, like how the curriculum will be designed, how the syllabus and content will be prepared in local languages? Regarding libraries, regarding the digital and online content of education which has been proposed in the policy, how will these take place. Whether we will not miss our goals in the absence of resources? Naturally, there will be several questions regarding administration in your mind. All these questions are important also.

We all are working together to solve each question. There is a continuous dialogue taking place in the Ministry of Education. The views and feedback of each and every stakeholder in the states are also being heard with an open mind. Ultimately, we all have to sort out all the doubts and apprehensions. The way this policy has come about with flexibility of vision, similarly, we all will have to demonstrate maximum flexibility for its implementation.

The effort behind the concept of graded autonomy is to encourage healthy competition among every college and university and the institutions should be rewarded according to their performance. This is our collective responsibility that we implement the purpose of the National Education Policy (NEP-2020) in letter and spirit. This is my special request to all of you to organize more such virtual conferences in the universities of your states and Union Territories before September 25. The idea is to have the better understanding of the National Education Policy as we move ahead. Once again, I offer my gratitude to all of you for taking your time out.

Now, we have to implement the new National Education Policy in a very effective manner. And all of us will do it together. I know, many of you are having several questions in your mind after the announcement of the National Education Policy. What is this education policy? How is it different? What changes will it herald in the system of the schools and colleges? What is there for a teacher in this education policy? What is there for a student? And most importantly, what needs to be done for its successful implementation and how? These questions are legitimate and necessary also. And therefore, we have all gathered here in this programme so that we can discuss it and make a way forward. I am told that yesterday, all of you discussed these things for hours in a very detailed way.

Teachers participation in implementation of NEP

Teachers should prepare learning material according to themselves, children should create their own toy museums, there should be a community library at school to connect with parents, there should be a multilingual dictionary with pictures and there should be kitchen gardens in schools. Many of such topics have been discussed and new ideas given. I am happy that our principals and teachers are enthusiastically participating in this campaign to implement the National Education Policy.

A few days ago, the Ministry of Education had also sought suggestions from teachers across the country on the Mygov portal for implementation of the National Education Policy. More than 15 lakh suggestions have been received within a week. These suggestions will help in implementing the National Education Policy in a more effective manner. The Ministry of Education is organizing a number of programmes to create more awareness in this regard.

You all.. the teachers of the country, are the pioneers of this journey of National Education. Whether it is learning in a new way, or a new exam through 'Parakh', the teachers have to lead the students on this new journey. Because, no matter how advanced the plane is, it is flown by a Pilot. Therefore, all the teachers also have to learn a lot of new things, as well as unlearn a lot of old things. This is our collective responsibility that when we complete 75 years of independence in 2022, every student of India shall study as per the guidelines laid down under National Education Policy. I call upon all the teachers, administrators, voluntary organizations and parents to cooperate in this national mission. I am confident that with the support of all the teachers, the country will be able to implement the National Education Policy successfully.

I am sure, the teachers of my country will carry this forward as a mission, for the bright future of India and will do it diligently. Every child of the country is ready to accept your education, follow your ideals and reflect upon your intentions. He is ready to work hard day and night. Once the teacher says it, he is ready to accept everything. I think parents, teachers and government organizations, everyone will have to work together. I am sure, since 5th of September, people from all walks of life, are constantly working to carry forward this ongoing festival of knowledge. This effort will bring good results.. bring good results ahead of the time. And this will be achieved due to the spirit of collective duty.

National Curriculum Framework to be developed by 2022


The National Education Policy has been formulated in such a way so as to reduce the syllabus and focus on fundamental things. A National Curriculum Framework will be developed to make learning integrated, interdisciplinary, fun based with complete experience. It has also been decided that in 2022, when we celebrate 75 years of independence, our students will move towards a new future with this new curriculum. It will also be forward looking, future ready and a scientific-based curriculum. Suggestions will be taken from everyone for the same and everyone's recommendations and modern education systems will be included in it.

NATIONAL EDUCATION POLICY, 2020

For youth volunteers

Vision of the National Education Policy, 2020

“This National Education Policy aims at building a global best education system rooted in Indian ethos, and aligned with the principles enunciated above, thereby transforming India into a global knowledge superpower”



Role of Volunteers in the Implementation in the National Education Policy

“Efforts will be made to involve community and alumni in volunteer efforts for enhancing learning by providing at schools: one-on-one tutoring; the teaching of literacy and holding of extra-help sessions; teaching support and guidance for educators; career guidance and mentoring to students; etc.”

“Extensive field studies and analyses, both in India and across the world, clearly demonstrate that volunteerism and community involvement and mobilization are key success factors of adult literacy programmes.”

“Databases of literate volunteers, retired scientists/government/semi government employees, alumni, and educators will be created for this purpose”

- NEP, 2020



3

Play-based and activity-based teaching in Early childhood Care & Education (ECCE) for school readiness

85% of a child's brain develops before the age of **6**



- Prior to the age of 5 every child will move to a “Preparatory Class” or “Balavatika” which has an ECCE-qualified teacher
- ECCE ideally consists of flexible, multi-faceted, multi-level, **play-based, activity-based, and discovery-based learn**



- National Curriculum Framework for ECCE will be developed (NCFECE)
- Anganwadis centres will be strengthened
- ECCE training for Teachers will be designed

Benefits of Exposure to Quality ECCE

Children less likely to dropout of schools

Reduction in behavioral issues throughout school journey

Improvement in the social skills of the children

Improved enrollments in school

More likely to complete secondary education

Better learning outcomes in later grades

Larger attention span and overall better retention of information

4

Teachers to Shift to Competency-based Teaching, Learning & Assessment



Promoting **Critical and creative thinking** aligned to the 21st century in classrooms



Shifting traditional **assessments** to **competency focused**




Track **student progress** comprehensively and frequently



Design **tools and resources** to acquire Learning outcomes

Reducing curriculum to the core essentials to minimise rote-learning

Promoting Sport-integrated & Art-Integrated Learning in Classroom for Holistic Development



5


Teachers to encourage 21st century skills in the classroom



6

Transforming **assessments** & tracking student progress across school years

To track progress throughout the school years, and not just at the end of Grades 10 and 12 & planning improvements to schools and teaching-learning processes - **all students** will take school examinations in Grades 3, 5, and 8




Achievement of basic **learning outcomes**, through assessment of core concepts and knowledge from the national and local curricula, along with relevant higher-order skills and **application of knowledge** in real-life situations, rather than rote memorization.


Student progress cards will be redesigned to assess **Holistic development**

360 degrees Holistic Progress Cards

The holistic progress card will form an important link between home and school and will be accompanied by parent-teacher meetings in order to actively involve parents in their children's holistic education and development



Teaching learning will leverage the power of Multilingualism & Language learning



- **Mother-tongue**/Home language/local language as medium of instruction, wherever possible, until at least grade 5 (preferably till at least grade 8)
- **'The Languages of India'** a fun project/activity in schools to familiarize with the diversity of languages in the country
- All **classical languages** to be widely available in schools as options at all levels of school and higher education, including Sanskrit
- **Volunteers from community** who can assist in the use of home language/mother tongue in the oral domain in classrooms maybe identified by the Gram Panchayats
- **NYKS, NSS and NCC** maybe connected

9

Integrating Vocational Education at all levels in the classroom

No hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning;



Internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout **Grades 6-12**, including holiday periods

Every student will take a fun course, during **Grades 6-8**, that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational crafts, such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc.

Local community to help identify these.

Vocational courses to be offered through **Open and Distance Learning (ODL)** mode




10

NEP aims to support and nurture Teachers through all phases of their tenure



11

Reducing Teacher isolation and building a sense of community through School Complexes



The local community may facilitate the sharing of resources among school in school complexes

12

Create a joyful, safe and comfortable environment for Teachers

Overhauling the service environment and culture of schools to maximize the ability of teachers to do their jobs effectively, and to ensure that they are part of vibrant, caring, and inclusive communities of teachers, students, parents, principals, and other support staff, all of whom share a common goal: to ensure that our children are learning.

Local communities of volunteers/parents/Panchayati Raj Institutions/Urban Local Bodies, to facilitate this.




13

The highest priority of school education for **teachers, parents and community** will be “Universal acquisition of Foundational learning skills by Grade 3”

CHILDREN WHO FALL BEHIND, GET LEFT BEHIND

Grade 3 is the inflection point by which children are expected to “learn to read” so that they can “read to learn” after that.

- **National Mission:** for Foundational Learning shall be launched
- **For school readiness:** an interim 3-month play-based ‘school preparation module’ for all Grade 1 students to be developed by NCERT
- **Repository:** of high quality Teaching & Learning material on Foundational learning made available on DIKSHA
- **Goal:** Every child in Grade 3 is able to achieve following goals



The Education system aims to achieve Foundational Literacy and Numeracy by 2025, where, by Grade 3 every child can..



Read 30-35 words/minute with Comprehension



Write



Basic Mathematical Operations




Learn basic life skills

14

Role of Panchayats and Local Bodies

- Meetings of Zila Parishads, Panchayat Samitis, Gram Panchayats and Gram Sabhas to understand different provisions of NEP
- Village Education Committees in Gram Panchayats may undertake detailed discussions on the different provisions of the Policy specially those concerning the village schools and the role of the Panchayats and community in the following aspects:



Role of NYKS, NSS and NCC volunteers – in the short-term

- Disseminate National Education Policy, 2020, to Gram Panchayats, Urban Local Bodies, Students, Parents, Community
- Explain the role of teachers, parents and community
- Explain the role that gram panchayats can play in school education
- During pandemic - Volunteer for teaching young learners at places nearby their homes, by contacting concerned teachers and school heads and offering your assistance
- Assist at least one school teacher of your area: Help teachers reach learning material to the homes of children who do not have any digital devices for online learning, help school students with their studies as much as you can

15

16

Role of NYKS, NSS and NCC volunteers – in the long term

- Help achieve foundational literacy goal for every child by grade 3 – take up one on one tutoring to ensure that students studying in grade 3 are able to:
 - read 30-35 words per minute with comprehension, and
 - write
- Make 5-10 illiterate adults, literate every year. Use the Primer of Padhna Likhna Abhiyan
- Take responsibility of making literate all adult illiterate members of your family.
- Volunteer in schools for career guidance and mentoring to students

17

Thank you

“Every literate member of the community could commit to teaching one student/person how to read; it would change the country’s landscape very quickly.”

- Para 2.7 of NEP 2020



18

National Education Policy 2020

Transforming Higher Education

1

National Education Policy – Forward Looking Vision

National Education Policy is

Holistic, Futuristic, Flexible for Value based Quality Higher Education


For Promoting

Access, Equity, Affordability, Accountability, Quality

Aims at

Developing good, thoughtful, well-rounded, and creative individuals by enabling them to develop their character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, and spirit of service.

Good Human Being and Global Citizens



2

Evolution of Education Policy

National Policy on Education (NPE), 1986

NPE 1986 Modified in 1992
(Program of Action, 1992)

T.S.R. Subramaniam Committee Report
(27 May, 2016)

Dr. K. Kasturirangan Committee Report
(31 May, 2019)

National Education Policy 2020
(29th July, 2020)

NEP 2020 : Rashtra Ki Neeti – National Consultation Process

NEP 2020

Online Suggestions : www.MyGov.in (26.01.2015 – 31.10.2015)

Nearly 2.5 lakhs Gram Panchayats, 6600 Blocks, 6000 ULBs, 676 Districts
(May- Oct. 2015)

Draft NEP, 2019 Summary in 22 languages/Audio Book

Dialogue with MPs, Governors, State Education Ministers and
Members of Various Groups and Committees

More than 2 lakh suggestions on Draft NEP


Holistic and Multidisciplinary Education

- A broad based, multi-disciplinary, holistic education through:
 - Revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for experiential learning
 - Multiple Entry / Exit
 - UG Program - 3 or 4 year
 - PG Program – 1 or 2 year
 - Integrated 5 year Bachelor's / Master's
- Credit Transfer and Academic Bank of Credits




5

Increasing Access



Vocational Education, Social and Industry Connect



- Integration of vocational education to all HEIs across all current streams
- Establishing Skill Labs and Short-term certificate courses in various skills
- Credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, and value-based education.
- Opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions

7

Student Support and Counselling

- High-quality support centers, funds, academic supports, increasing hostel facilities etc. for providing requisite support to students from socio-economically disadvantaged and rural backgrounds
- Incentivizing the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs
- Availability of professional academic and career counselling
- The National Scholarship Portal
- Larger numbers of freeships and scholarships to students
- National Mission on Mentoring



8


Research and Innovation

- Establishment of National Research Foundation as an apex body for :
 - competitively funding research in all disciplines.
 - recognising successful research
 - fostering a strong research culture and building research capacity across higher education
- Improving focus on Research And Innovation in HEIs by setting up:
 - start-up incubation centres
 - technology development centres
 - centres in frontier areas of research
 - greater industry-academic linkages
 - interdisciplinary research including humanities and social sciences research.



9

Use of Technology



Use of Technology in

- Education Planning
- Teaching, Learning & Assessment
- Administration & Management
- Regulation - Self Disclosure & Minimum Human Interface

Divyang Friendly Education Software

e-Content in Regional Languages

Virtual Labs

National Educational Technology Forum (NETF)

Capacity Building

- Recruitment of Qualified Faculty
- Faculty Development
- Leadership Development
- Infrastructure Development



11

Indian Knowledge System

- Focus on Indian Languages
- Strengthening National Institutes for promotion of Classical Languages & Literature
- Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI)
- Cultural Awareness of our Indian Knowledge Systems
- Promoting Traditional Arts / Lok Vidya



12

Role of Volunteers

- Act as NEP Ambassadors
- Youth and Community engagement for promoting NEP 2020
- Creating awareness among youth/ students about the National Education Policy 2020
- Organize webinars / meetings among the youth
- Using and Sharing Resource Material for awareness
- Obtain feedback and ideas from the youth regarding the NEP 2020 and its implementation



13

આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ઢન્યવાદમ ઠઠી
ધન્યવાદ આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ નુનંનુરિ ઢન્યવાદાલુ
ઢન્યવાદ મ ઠઠી આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ
નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ધન્યવાદ ઢન્યવાદમ ઠઠી આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા
યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ઢન્યવાદમ ઠઠી આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ
ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ ધન્યવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ધન્યવાદ
ઢન્યવાદમ ઠઠી આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ
ઢન્યવાદમ ઠઠી ધન્યવાદ ઢન્યવાદમ ઠઠી આભાર શુક્રિય ધન્યવાદ તુરુગઝા
યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ઢન્યવાદમ ઠઠી આભાર ધન્યવાદ તુરુગઝા
યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ ધન્યવાદ તુરુગઝા યંનવાદ નુનંનુરિઢન્યવાદાલુ

ધન્યવાદ Uibol!zpv




स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

युवा स्वयंसेवकों के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का विजन

"इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय लोकाचार के अनुसार और निम्न सिद्धांतों के अनुरूप एक वैश्विक सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, , जिसे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदल सके "



राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्यान्वयन में स्वयंसेवकों की भूमिका

“स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी प्रयासों में सामुदायिक और पूर्व छात्रों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा: एक-पर-एक ट्यूशन; साक्षरता का शिक्षण और अतिरिक्त सहायता सत्रों का आयोजन; शिक्षकों के लिए शिक्षण समर्थन और मार्गदर्शन; छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन और सलाह; आदि।”

भारत और दुनिया भर में हुये व्यापक क्षेत्र-अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि स्वयंसेवकों और सामुदायिक भागीदारी और मोबालाइजेशन वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण सफलता कारक हैं।”

“साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों / सरकारी / अर्ध सरकारी कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों के डेटाबेस, इस उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा ”

- एनईपी, 2020



3

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में स्कूल हेतु तैयारी के लिए प्ले-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण

6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का 85% मस्तिष्क विकसित होता है



- 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक "प्रारंभिक कक्षा" या "बालवाटिका" में जायेगा, जिसमें एक ईसीसीई-योग्य शिक्षक होता है
- ईसीसीई में आदर्श रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित सीखना शामिल है



- ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की जाएगी (NCFECCE)
- आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाएगा
- शिक्षकों के लिए ईसीसीई प्रशिक्षण डिजाइन किया जाएगा

गुणवत्ता ईसीई एक्सपोजर के लाभ

बच्चों के स्कूल छोड़ने की संभावना कम है

स्कूली शिक्षा के दौरान व्यवहार संबंधी मुद्दों में कमी

बच्चों के सामाजिक कौशल में सुधार

स्कूल में बेहतर नामांकन

माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की अधिक संभावना है

बाद के ग्रेड में बेहतर शिक्षण परिणाम

छात्रों के ध्यान अवधि में सुधार और सूचना का बेहतर प्रतिधारण

4

शिक्षकों को योग्यता आधारित शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन के लिए तैयार करना



कक्षाओं में 21 वीं सदी से जुड़ी हुई तार्किक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना



पारंपरिक मूल्यांकन को योग्यता आधार पर केंद्रित करना




लगातार और व्यापक रूप से छात्र प्रगति को ट्रैक करना



अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और संसाधन डिजाइन करना,

रोट-लर्निंग को कम करने के लिए पाठ्यक्रम को मूल आवश्यक तक कम करना

समग्र विकास के लिए कक्षा में खेल-एकीकृत और कला-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना



5


शिक्षक कक्षा में 21 वीं सदी के कौशल को प्रोत्साहित करेंगे



6

स्कूल के वर्षों में मूल्यांकन और छात्र प्रगति की ट्रैकिंग को बदलना

पूरे स्कूल के वर्षों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए, और न केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में और स्कूलों और शिक्षण-सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार की योजना बनाना - सभी छात्र ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षाएं लेंगे।




रटने और संस्मरण के बजाय वास्तविक और जीवन स्थितियों में ज्ञान के प्रयोग और प्रासंगिक उच्च-क्रम के कौशल के साथ, राष्ट्रीय और स्थानीय पाठ्यक्रम से मूल अवधारणाओं और ज्ञान के आधार पर बुनियादी सीखने के परिणामों की उपलब्धि का मूल्यांकन

7

समग्र विकास का आकलन करने के लिए छात्र प्रगति कार्ड को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा

360 डिग्री समय प्रगति कार्ड

समय प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा और माता-पिता को बच्चों के समग्र शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए अभिभावक-शिक्षक मीटिंग्स में प्रयोग होगा।



8

शिक्षण अधिगम बहुभाषावाद और भाषा सीखने की शक्ति का लाभ उठाएगा



- **मातृभाषा / होम लैंग्वेज / स्थानीय भाषा** को शिक्षा के माध्यम के रूप में, जहाँ भी संभव हो, कम से कम 5 ग्रेड तक (अधिमानतः कम से कम ग्रेड 8 तक)
- **‘भारत की भाषाएं’** देश में भाषाओं की विविधता से परिचित कराने के लिए स्कूलों में एक आनंददायक परियोजना / गतिविधि,
- संस्कृत सहित **सभी शास्त्रीय भाषाएँ** स्कूलों में सभी स्तरों पर और उच्च शिक्षा में विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी
- **ग्राम पंचायतों द्वारा** कक्षाओं में मौखिक डोमेन में घरेलू भाषा / मातृभाषा के उपयोग में सहायता करने वाले समुदाय के स्वयंसेवकों की पहचान
- **एनवाईकेएस, एनएसएस और एनसीसी आदि का जुड़ाव**

9

कक्षा में सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण

हानिकारक पदानुक्रम को समाप्त करने के लिए, और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अलगाव को समाप्त करने के लिए कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, कोई विभेद नहीं किया जाएगा



व्यावसायिक विषयों को सीखने के लिए इंटरनशिप के अवसर ग्रेड 6-12 के छात्रों को अवकाश अवधि सहित वर्ष भर उपलब्ध कराए जायेंगे

ग्रेड 6-8 के दौरान प्रत्येक छात्र एक मनोरंजन पाठ्यक्रम लेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बर्दईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि का अवसर और हाथों से काम करने का अनुभव देता है।

स्थानीय समुदाय को इनकी पहचान करने में मदद करना है।

ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड के माध्यम व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत



10

एनईपी का उद्देश्य कार्यकाल के सभी चरणों में शिक्षकों का समर्थन और पोषण करना है



1

तैयारी

2

भर्ती
(तैनाती, स्थानांतरण)

3

कक्षा में

4

व्यावसायिक विकास

11

स्कूल परिसरों के माध्यम से शिक्षक अलगाव को कम करना और समुदाय की भावना का निर्माण करना




एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण और सुविधाओं जैसे संसाधन साझा करना



कला और विज्ञान प्रदर्शनियों, खेल से मिलने, क्विज़ और बहस और मेलों जैसी संयुक्त गतिविधियों को आयोजित करना



संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण-अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री विकास के माध्यम से शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय की भावना का निर्माण किया जाता है।



विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और समर्थन

कला, संगीत विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय, आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए परामर्शदाताओं / प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को साझा करना।

एक एकीकृत अर्ध-स्वायत्त इकाई जैसे स्कूलों के प्रत्येक समूह के भीतर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए शासन में सभी उत्कृष्ट निर्णय लेने में सुधार

स्थानीय समुदाय स्कूल परिसरों में स्कूल के बीच संसाधनों के बंटवारे की सुविधा दे सकता है

12

शिक्षकों के लिए एक खुशहाल, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाएं

स्कूलों की सेवा वातावरण और संस्कृति को ठीक करना, शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए, अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्राचार्यों और अन्य सहायक कर्मचारियों के जीवंत, देखभाल और समावेशी समुदायों का हिस्सा हैं, जिनमें से सभी एक साझा लक्ष्य रखते हैं जिससे यह सुनिश्चित हो कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं।

स्वयंसेवकों / अभिभावकों / पंचायती राज संस्थाओं / शहरी स्थानीय निकायों के स्थानीय समुदाय इसके लिए सहयोग करें .



13

शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के लिए स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता "ग्रेड 3 द्वारा मूलभूत शिक्षा कौशल का सार्वभौमिक अधिग्रहण" होगी।

जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, वे पीछे छूट जाते हैं


ग्रेड 3 एक विभक्ति बिंदु है जिसके द्वारा बच्चों से "पढ़ने के लिए सीखने" की उम्मीद की जाती है ताकि वे उसके बाद "पढ़ना सीख सकें"।

- राष्ट्रीय मिशन: फाउंडेशनल लर्निंग के लिए लॉन्च किया जाएगा
- स्कूल की तत्परता के लिए: सभी ग्रेड 1 के छात्रों के लिए एक अंतरिम 3 महीने का प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल ' NCERT द्वारा विकसित किया जाना है
- रिपोर्टिंग: उच्च गुणवत्ता शिक्षण और शिक्षण सामग्री पर मूलभूत शिक्षा DIKSHA पर उपलब्ध किया जाएगा
- लक्ष्य: ग्रेड 3 में प्रत्येक बच्चा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो

उच्च शिक्षा अधिगम

बेहतर सीखने के परिणाम

मूलभूत कौशल



शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य 2025 तक फाउंडेशनल लिटरसी और न्यूमैरिस हासिल करना है, जहां ग्रेड 3 के द्वारा हर बच्चा निम्न कर सकता है।



30-35 शब्द / मिनट के साथ पढ़ना और समझना



लिखना



बुनियादी गणितीय संचालन




मूल जीवन कौशल सीखना

14

पंचायतों और स्थानीय निकायों की भूमिका

- एनईपी के विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की बैठकें
- ग्राम पंचायतों में ग्राम शिक्षा समितियाँ नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विशेष रूप से चर्चा कर सकती हैं, जो विशेष रूप से गाँव के स्कूलों और पंचायतों और समुदाय की भूमिका के बारे में निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हैं:



एनवाईकेएस, एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवकों की भूमिका - लघु अवधि में

- ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, छात्रों, अभिभावकों, समुदाय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का प्रसार करना
- शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय की भूमिका स्पष्ट करना
- ग्राम पंचायतों की स्कूली शिक्षा में भूमिका स्पष्ट करना
- महामारी के दौरान - संबंधित शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों से संपर्क करके और उनको सहायता की पेशकश करके, अपने घरों के आस-पास के स्थानों पर युवा शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए मदद करना
- शिक्षकों को उन बच्चों के घर तक सीखने की सामग्री पहुँचाने में मदद करें जिनके पास ऑनलाइन सीखने के लिए कोई डिजिटल उपकरण नहीं है

- ग्रेड 3 द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना - यह सुनिश्चित करने के लिए वन ऑन वन ट्यूशन लें ताकि ग्रेड 3 में पढ़ने वाले छात्र निम्नलिखित में सक्षम हैं:

-30-35 शब्द प्रति मिनट पढ़ना और समझना, और

-लिखना

- 5-10 निरक्षर वयस्कों को हर साल साक्षर करें। पढ़ना लखना अभियान की सामाग्री का उपयोग करें
- अपने परिवार के सभी वयस्क निरक्षर सदस्यों को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी लें।
- स्कूलों में करियर मार्गदर्शन और छात्रों को सलाह देने के लिए वालंटियर

धन्यवाद

“समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र / व्यक्ति को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है; यह देश के परिदृश्य को बहुत जल्दी बदल देगा।”

- एनईपी 2020 का पैरा 2.7



राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

परिवर्तनकारी उच्चतर शिक्षा

1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – Forward Looking Vision

राष्ट्रीय शिक्षा नीति है

समग्र , अत्याधुनिक , मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए
लाचीली

प्रोत्साहन देने के लिए

पहुँच,इक्विटी, वहन करने में समर्थ,जवाबदेही, गुणवत्ता
लक्ष्य है

उनके चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक
स्वभाव, रचनात्मकता और सेवा की भावना को विकसित करने हेतु उन्हें सक्षम
बनाकर अच्छे, विचारशील, पूर्ण विकसित और रचनात्मक व्यक्ति तैयार करना।

अच्छे मानव और वैश्विक नागरिक



2

शिक्षा नीति का क्रमिक विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986

NPE 1986 जो 1992 में संशोधित हुआ
(कार्य योजना, 1992)

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट
(27 मई, 2016)

डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट
(31 मई, 2019)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
(29 जुलाई, 2020)

एन.ई.पी 2020 : राष्ट्र की नीति – राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया

एनईपी 2020

ऑनलाइन सुझाव : www.MyGov.in (26.01.2015 – 31.10.2015)

लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक, 6000 यू.एल.बी, 676 जिले
(मई- अक्टू. 2015)


एनीपी मसौदा, 2019, 22 भाषाओं/श्रव्य पुस्तक में सार

संसद सदस्यों, राज्यपालों, राज्य शिक्षा मंत्रियों और विभिन्न समूहों
एवं समितियों के सदस्यों के साथ संवाद

एन.ई.पी मसौदा, 2019 के बारे में 2 लाख से अधिक सुझाव


समग्र और बहु-विषयक शिक्षा

- निम्न के माध्यम से व्यापक आधारित, बहु-विषयक, समग्र शिक्षा :
 - पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और अनुभावात्मक ज्ञानार्जन के लिए छात्र सहायता में सुधार
 - विभिन्न प्रवेश / निकास
 - यू।जी कार्यक्रम - 3 अथवा 4 वर्ष
 - पी।जी कार्यक्रम - 1 अथवा 2 वर्ष
 - एकीकृत 5 वर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर
- क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट का अकादमिक बैंक




5

पहुंच



व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक और उद्योग संबंध



- सभी चालू शाखाओं में सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण
- विभिन्न कौशलों में कौशल लैब और अल्प-अवधि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम बनाना
- सामुदायिक कार्य और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं।
- स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ इंटर्नशिप और स्वयं अथवा अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों में इंटर्नशिप में संकाय तथा अनुसंधानकर्ताओं के साथ अनुसंधान इंटर्नशिप के अवसर

7

छात्र सहायता एवं परामर्श

- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित और सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए उच्च-गुणवत्तापूर्ण सहायता केंद्र, निधि, अकादमिक सहायता, हॉस्टल सुविधाओं में वृद्धि आदि
- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की मेरिट को प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
- छात्रों के लिए अधिक संख्या में शुल्क-मुक्ति और छात्रवृत्ति
- पेशेवर अकादमिक और कैरियर परामर्श की उपलब्धता
- राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन



8


अनुसंधान एवं नवाचार

निम्न के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना :

- सभी विषयों में प्रतिस्पर्धात्मक वित्त पोषण अनुसंधान
- सफल अनुसंधान को मान्यता प्रदान करना
- उच्चतर शिक्षा में सर्वत्र सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति को पोषित करने और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना।
- निम्न की स्थापना करके उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार पर अधिक ध्यान देना
- स्टार्ट-अप इंक्यूबेशन केन्द्रों की शुरुआत
- प्रौद्योगिकी विकास केंद्र
- अनुसंधान के फ्रंटियर क्षेत्रों में अनुसंधान
- वृहत्तर उद्योग-अकादमिक संपर्क
- मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर-विषयक



प्रौद्योगिकी का उपयोग



निम्न में प्रौद्योगिकी का उपयोग

- शिक्षा योजना
- शिक्षण, ज्ञानार्जन एवं मूल्यांकन
- प्रशासन एवं प्रबंधन
- विनियम-स्व-प्रकटीकरण एवं न्यूनतम मानव इंटरफेस

दिव्यांग के अनुकूल शिक्षा सॉफ्टवेयर

क्षेत्रीय भाषाओं में ई-विषय वस्तु

आभासी (वर्चुअल) लैब

राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फॉर्म (NETF)

क्षमता निर्माण

- योग्य संकाय की भर्ती
- संकाय विकास
- नेतृत्व विकास
- अवसंरचना विकास



11

भारतीय ज्ञान प्रणाली

- भारतीय भाषाओं पर ध्यान देना
- प्राचीन भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना।
- भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान (IITI)
- हमारी भारतीय ज्ञान प्रणालियों की सांस्कृतिक जागरूकता
- पारंपरिक कलाओं/लोक विद्या को बढ़ावा देना



12

स्वयंसेवी की भूमिका

- एन.ई. पी. राजदूत के रूप में कार्य करना
- एन. ई. पी.-2020 को बढ़ावा देने के लिए युवा और सामुदायिक सहभागिता
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में युवाओं/छात्रों में जागरूकता पैदा करना।
- युवाओं में वेबिनार/बैठकों का आयोजन करना।
- जागरूकता के लिए संसाधनों की सामग्री का उपयोग करना और साझा करना।
- एन. ई. पी.-2020 और इसके कार्यान्वयन के बारे में युवाओं से प्रतिक्रिया और विचार प्राप्त करना।



આભાર શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ ઢન્યુવદમ તહી
 ઢન્યુવદ આભાર શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ નુનંત્રી ઢન્યુવદાલુ
 ઢન્યુવદ મ તહી આભાર શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ
 નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ ઢન્યુવદ ઢન્યુવદમ તહી આભાર શુક્રવાદ
 તુરુડા યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ ઢન્યુવદમ તહી આભાર શુક્રવાદ
 ઢન્યુવદ શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ ઢન્યુવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ ઢન્યુવદ
 ઢન્યુવદમ તહી આભાર શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ
 ઢન્યુવદમ તહી ઢન્યુવદ ઢન્યુવદમ તહી આભાર શુક્રવાદ તુરુડા
 યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ ઢન્યુવદમ તહી આભાર શુક્રવાદ તુરુડા
 યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ શુક્રવાદ તુરુડા યંત્રવદ નુનંત્રીઢન્યુવદાલુ

धन्यवाद Uibol!zpv

SALIENT FEATURES OF NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

I. ABOUT THE POLICY

1. National Education Policy 2020 : A Policy Tied to the Aspirations of 21st century Youth
 - The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved the National Education Policy 2020 on 29.7.2020.
 - This policy has come after 34 years replacing National Policy on Education (NPE), 1986. Since then the world has changed phenomenally. There is a need to prepare today's youth for the kind of knowledge and skills that will be required in the 21st century and make them future ready.
 - The policy is built on the foundational pillars of Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability.
 - The policy aims to transform India into a vibrant knowledge society and global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to 21st century needs and aimed at bringing out the unique capabilities of each student.

Video Film No 6- #NEP2020 : The NEP focuses on providing a **creative, curiosity and commitment** driven life to individuals and to create an empowered society.

Video Film No 7- #NEP2020 : The NEP 2020 is a reflection of **aspirations of more than 130 crore Indians**. It aims to prepare the youth for the 21st century.

Video Film No 16- #NEP2020: NEP2020 is taking India to a new direction. The main focus of this policy is to keep our current and upcoming generation to be **future ready** and take India to the new heights.

Video Film No 17- #NEP2020: NEP focus on **learning and innovation** by a more intent and content based systematic reform.

Video Film No21 #NEP 2020 – Atmanirbhar Bharat – Job seekers to job creators

Note : These video films are made from selected speeches of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on the NEP 2020. The films are uploaded on the website of Ministry of Education. They can be accessed at the following link

<https://youtu.be/LEoKuhvNJOQ?list=PLdbquJSZ3AcR4Li40-M7A4ZApP-bq0aDC>

The films can also be accessed at <https://www.mhrd.gov.in/nep-new>

In this document we have given the Video No of the film that is relevant to the theme.

2. Formulated through Unprecedented Consultations
 - NEP 2020 has been formulated after an unprecedented process of consultation that involved nearly over 2 lakh suggestions from 2.5 lakhs Gram Panchayats, 6600 Blocks, 6000 ULBs, 676 Districts.
 - In May 2016, 'Committee for Evolution of the New Education Policy' under the Chairmanship of Late Shri T.S.R. Subramanian, Former Cabinet Secretary, submitted

its report. Based on this, the Ministry prepared ‘*Some Inputs for the Draft National Education Policy, 2016*’.

- In June 2017 a ‘*Committee for the Draft National Education Policy*’ was constituted under the Chairmanship of eminent scientist **Padma Vibhushan, Dr. K. Kasturirangan**, which submitted the Draft National Education Policy, 2019 to the Hon’ble Human Resource Development Minister on 31st May, 2019.
- The Draft National Education Policy 2019 was uploaded on MHRD’s website and at ‘MyGov Innovate’ portal eliciting views of stakeholders, including public.

Video Film No 12- #NEP2020: It took more than **three years and lakhs of suggestions** to formulate the National Education Policy 2020. Healthy debates were encouraged to make the policy more efficient.

II. OBJECTIVE OF THIS WEBINAR

- NEP 2020 is not just a policy document, it is tied to the aspirations of people.
- It is not the policy of any government, but the policy of people.
- It is necessary that people take ownership of the policy and come together for its implementation
- It is therefore necessary to understand the policy and disseminate to stakeholders.

Video Film No 5 - #NEP2020 : NEP2020 is a new reform where everyone’s **participation is equally required** to implement it. Political wing is 100% committed towards the implementation as well.

Video Film No 15- #NEP2020: In relation to NEP 2020, this conclave is highly significant. With this conclave, India’s educational world will be enlightened with various aspects of NEP in detail.

III. SALIENT FEATURES OF NEP 2020

A. SCHOOL EDUCATION

1. Universal Access at all levels with 100 % GER by 2030

- NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access to school education at all levels- pre school to secondary.
- Aim for 100 % GER in school education by 2030
- About 2 crore out of school children will be brought back into main stream under NEP 2020.
- Infrastructure support; innovative education centres to bring back dropouts into the mainstream; tracking of students and their learning levels; both formal and non-formal education modes; association of counselors or well-trained social workers with schools; open learning for classes 3,5 and 8 through NIOS and State Open Schools; secondary education programs equivalent to Grades 10 and 12; vocational courses; are some of the proposed ways for achieving this.

National Education Policy 2020

**Achieve 100% Gross Enrolment Ratio
in preschool to secondary level by 2030**



2. Early Childhood Care & Education with new Curricular and Pedagogical Structure

- NEP 2020 gives emphasis on Early Childhood Care and Education,
- The 10+2 structure of school curricula is to be replaced by a 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years respectively.
- This will bring the hitherto uncovered age group of 3-6 years under school curriculum,
- This has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child.
- The new system will have 12 years of schooling with three years of Anganwadi/ pre schooling.
- NCERT will develop a **National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE)** for children up to the age of 8 .
- ECCE will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions including Anganwadis and pre-schools that will have teachers and Anganwadi workers trained in the ECCE pedagogy and curriculum.
- The planning and implementation of ECCE will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs.

National Education Policy 2020

EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

Universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must be achieved by 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school ready



Video Film No 13- #NEP2020: NEP is now moving from **10 + 2 to 5 + 3 + 3+ 4**. We have to make our students global citizens along with taking care that they remain attached to the roots.


National Education Policy 2020

A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to the age of 8 will be developed by NCERT



3. Attaining Foundational Literacy and Numeracy

- Recognizing Foundational Literacy and Numeracy as an urgent and necessary prerequisite to learning, NEP 2020 calls for setting up of a **National Mission on Foundational Literacy and Numeracy**
- States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 by 2025.
- A **National Book Promotion Policy** is to be formulated.



4. Reforms in school curricula and pedagogy

- The school curricula and pedagogy will aim for holistic development of learners by equipping them with the key 21st century skills, reduction in curricular content to enhance essential learning and critical thinking and greater focus on experiential learning.
- Students will have increased flexibility and choice of subjects.
- There will be no rigid separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams.
- Vocational education will start in schools from the 6th grade, and will include internships.
- A new and comprehensive **National Curricular Framework for School Education**, NCFSE 2020-21, will be developed by the NCERT.

Video Film No 10 - #NEP2020 : The focus of NEP 2020 has enabled a shift from ‘**What to Think**’ to ‘**How to Think**’ ideology. NEP aims to encourage students to learn enquiry based, discovery based, discussion based and analysis based methods and techniques

Video Film No 11 - #NEP2020 : NEP focus on **learning and innovation** by a more intent and content based systematic reform.

Video Film No 19 - #NEP2020: New face of education

5. Multilingualism and the power of language

- The policy has emphasized mother tongue/local language/regional language as the medium of instruction at least till Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond as far as possible.
- Sanskrit to be offered at all levels of school and higher education as an option for students, including in the three-language formula.
- Other classical languages and literatures of India also to be available as options.
- No language will be imposed on any student.
- Students to participate in a fun project/activity on ‘The Languages of India’, sometime in Grades 6-8, such as, under the ‘*Ek Bharat Shrestha Bharat*’ initiative.
- Several foreign languages will also be offered at the secondary level. Indian Sign Language (ISL) will be standardized across the country, and National and State curriculum materials developed, for use by students with hearing impairment.





Video Film No 9- #NEP2020: PM Modi observes that children tend to **learn faster when taught in their mother tongue**. This is the main reason NEP 2020 recommends teaching children in their mother tongues till class 5.

Video Film No 18- #NEP2020: Giving boost to regional Languages

Video Film No22 #NEP 2020: Promoting Indian Values

6. Assessment Reforms

- NEP 2020 envisages a shift from summative assessment to regular and formative assessment, which is more competency-based, promotes learning and development, and tests higher-order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity.
- All students will take school examinations in Grades 3, 5, and 8 which will be conducted by the appropriate authority.
- Board exams for Grades 10 and 12 will be continued, but redesigned with holistic development as the aim.
- A new **National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development)**, will be set up as a standard-setting body .

7. Equitable and Inclusive Education


- NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background.
- Special emphasis will be given on Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) which include gender, socio-cultural, and geographical identities and disabilities.
- This includes setting up of **Gender Inclusion Fund** and also **Special Education Zones** for disadvantaged regions and groups.

- Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education, with support of educators with cross disability training, resource centres, accommodations, assistive devices, appropriate technology-based tools and other support mechanisms tailored to suit their needs.
- Every state/district will be encouraged to establish “**Bal Bhavans**” as a special daytime boarding school, to participate in art-related, career-related, and play-related activities. Free school infrastructure can be used as **Samajik Chetna Kendras**

National Education Policy 2020

**EQUITABLE AND INCLUSIVE EDUCATION:
LEARNING FOR ALL**

A 'Gender-Inclusion Fund' to be constituted by the Government of India to provide equitable quality education for all girls and transgender students



National Education Policy 2020

Achieve an Equitable and Inclusive Education System by 2030

Special Education Zones in Disadvantaged Regions

- Scholarships for Students from Disadvantaged groups
- Gender Inclusion Fund
- Availability and Capacity Development of Teachers



National Education Policy 2020

EQUITABLE AND INCLUSIVE EDUCATION

- Equal opportunities to Children With Special Needs (CWSN) or Divyang
- Separate strategies for focused attention on reducing the social category gaps in school education



Equitable and Inclusive Education


for Socially & Economically Disadvantaged Groups



National Education Policy 2020

8. Robust Teacher Recruitment and Career Path

- Teachers will be recruited through robust, transparent processes.
- Promotions will be merit-based, with a mechanism for multi-source periodic performance appraisals and available progression paths to become educational administrators or teacher educators.
- A common **National Professional Standards for Teachers (NPST)** will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022, in consultation with NCERT, SCERTs, teachers and expert organizations from across levels and regions.



9. School Governance

- Schools can be organized into complexes or clusters which will be the basic unit of governance and ensure availability of all resources including infrastructure, academic libraries and a strong professional teacher community.


10. Standard-setting and Accreditation for School Education

- NEP 2020 envisages clear, separate systems for policy making, regulation, operations and academic matters.
- States/UTs will set up independent **State School Standards Authority (SSSA)**.
- Transparent public self-disclosure of all the basic regulatory information, as laid down by the SSSA, will be used extensively for public oversight and accountability.
- The SCERT will develop a **School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF)** through consultations with all stakeholders.

B. HIGHER EDUCATION

1. More students will be enrolled in Higher Education

- NEP aims to increase Gross Enrolment Ratio in higher education (including vocational education) to 50 % by 2035
- GER is currently 26.3% (2018 figures)
- 3.5crore new seats will be added to Higher education institutions.



Video Film – No TVC 03 –

The goal of NEP is to give **access to education to all** at primary level and at higher education increase the gross enrolment ratio to 50% by 2035.

2. Emphasis on Choice of Students by bringing in Flexibility

- The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic Under Graduate education
- Curriculum will become flexible by allowing creative combinations of subjects (for example Maths with Music, History with Painting etc) and
- vocational education will be integrated with mainstream education
- multiple entry and exit will be allowed with appropriate certification. UG education

can be of 3 or 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example

- ✓ Certificate after 1 year, Advanced Diploma after 2 years, Bachelor's
- ✓ Degree after 3 years and Bachelor's with Research after 4 years.
- An **Academic Bank of Credit** is to be established for digitally storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned.
- There will be **flexibility in Masters Degree** for example –
 - ✓ 2 Years Masters after 3 Years UG, with 2nd year devoted to research
 - ✓ 1 year masters after 4 Years Bachelors
 - ✓ Integrated 5 years Bachelors plus Masters.

Holistic & Multidisciplinary Higher Education

Rigorous Specialization | Creative Combinations of Disciplines

Credit Transfer | Imaginative & Flexible Curricula



Global Citizenship Education

Rooted in Indian Ethos & Values

National Education Policy 2020

National Education Policy 2020



- **High-Quality Multidisciplinary Holistic Education**
- **Imaginative, Flexible Combinations**
- **Multiple Entry & Exit Options**

Under Graduation to be 3 to 4 years with Multiple Entry and Exit option

1 Year
Certificate

2 Years
Advance Diploma

3 Years
Bachelor's Degree

4 Years
Bachelor's Degree
with Research



National Education Policy 2020

Flexibility to offer Master's Programme

- 2 year Master's Degree after 3 year Bachelor's Degree - with 2nd year devoted to Research
- 1 year Master's Degree after 4 year Bachelor's Degree
- Integrated 5 year Bachelor's + Master's programme



Ph.D Degrees

4 year Bachelor's Degree (with Honours) eligible for Ph.D

Encouraging Inter disciplinary Research in Doctoral Programme

Ph.D candidate to take courses in Teaching & Communication

National Education Policy 2020

Video Film No 1 - #NEP2020 :Setting Up Interdisciplinary Studies

NEP 2020 focuses on **interdisciplinary studies**, which means there is no limit to discover something new. If someone is interested they can learn maths and music together or coding and chemistry together, so the focus is on what the student wants to learn.

Video Film No4 #NEP 2020: Multiple Entry-Exit Options in UG

Every student must be given an opportunity to follow or leave a course as per their convenience/passion. NEP will allow **multiple entries and exit** in Higher Education. Students will be encouraged to keep on aiming for reskill and upskill.

Video Film No8 #NEP 2020: Empowering Students with Multiple entry-Exit....Academic bank of Credit


3. Growth of Large Multidisciplinary Institutions

- Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement.
- The definition of university will allow a spectrum of institutions that range from **Research-intensive Universities** to **Teaching-intensive Universities** and **Autonomous degree-granting Colleges**.
- Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years

- a stage-wise mechanism will be established for granting **graded autonomy** to colleges.
- Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting college, or a constituent college of a university.
- There will be a single overarching umbrella body - Higher Education Commission of India(HECI) - for entire higher education, excluding medical and legal education. HECI will have four independent verticals - National Higher Education Regulatory Council (NHERC) for regulation, General Education Council (GEC) for standard setting, Higher Education Grants Council (HEGC) for funding, and National Accreditation Council(NAC) for accreditation.
- HECI will function through faceless intervention through technology, and
- will have powers to penalise HEIs not conforming to norms and standards.
- Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.

Culture of Empowerment & Autonomy

Academic | Financial | Administrative



- Phasing out Affiliation System
- University to mentor Colleges -> College to attain Accreditation
-> Accredited Colleges to achieve Graded Autonomy
- Accredited HEIs to have independent Board of Governors

National Education Policy 2020

Video Film No2 #NEP 2020: Bringing Major Reforms within Indian HEIs

The rapid implementation of NEP 2020 will itself ensure **reflection of the reforms in institutions and infrastructure**. It is time to empower higher education institutions and to create a new India.

4. Promoting a Culture of Research

- **The National Research Foundation** will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education.
- **Multidisciplinary Education and Research Universities** (MERUs), at par with IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.



Video Film No14 #NEP 2020: The new NEP promotes **critical and innovative thinking** amongst students. It takes a holistic approach in developing thinking capabilities.

Video Film No16 #NEP 2020: NEP 2020 is **preparing the youth for the future** and opening the doors of new developments. When Indian students will study according to the rapid changes and new technologies, then they will play constructive role in Nation building.

Video Film No24 #NEP 2020: NEP promotes **technology-based course and content**; basic computing, coding and research should be accessible to all by bridging the gap between research & education in our country.

5. Motivated, Energized and Capable Faculty

- NEP makes recommendations for motivating, energizing, and building capacity of faculty

- For this provisions will be made for clearly defined, independent, and transparent recruitment,
- Giving faculty freedom to design curricula/pedagogy, incentivize excellence,
- Facilitating movement of faculty into institutional leadership.
- Faculty not delivering on basic norms will be held accountable

6. Teacher Education

- A new and comprehensive **National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021**, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT.
- By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree .
- Stringent action will be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs).

7. Mentoring Mission

- A National Mission for Mentoring will be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty – including those with the ability to teach in Indian languages – who would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.

8. Financial support for students

- Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs).
- The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships.
- Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.

9. Open and Distance Learning

- This will be expanded to play a significant role in increasing GER.
- Measures such as online courses and digital repositories, funding for research, improved student services, credit-based recognition of MOOCs, etc., will be taken to ensure it is at par with the highest quality in-class programmes.


10. Online Education and Digital Education

- A comprehensive set of recommendations made for promoting online education in order to ensure preparedness with alternative modes of quality education where traditional and in-person modes of education are not possible.
- A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the Ministry to look after the e-education needs of both school and higher education.

11. Technology in Education

- An autonomous body, the **National Educational Technology Forum (NETF)**, will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to **enhance learning, assessment, planning, administration.**

- Appropriate integration of technology into all levels of education will be done to improve classroom processes, support teacher professional development, enhance educational access for disadvantaged groups and streamline educational planning, administration and management



Video Film No20 #NEP 2020: 21st century India will give **technology and talent solutions** to the world. NEP will ensure easy and cheaper education to the remotest of places in India using technology.

Promotion of Indian languages

- To ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages, NEP recommends setting an **Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI), National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit**, strengthening of Sanskrit and all language departments in HEIs,
- NEP also recommends use of mother tongue/local language as a medium of instruction in more HEI programmes .

Video Film No18 #NEP 2020: NEP ensures the promotion and **development of local Indian languages** to spread the knowledge and unity of India.

12. Internationalization of Education

- will be facilitated through both institutional collaborations, and student and faculty mobility
- allowing entry of top world ranked Universities to open campuses in our country.
- Encouraging top Indian universities to open campuses abroad



Ministry of Education
Government of India

INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION

- Foreign institutions can set up campuses in India, Indian institutions abroad
- Energizing Research Collaborations
- Allowing Credit Transfer
- On-campus support for foreign students



National Education Policy 2020

Video Film No23 #NEP 2020: NEP is focusing on Integrating **Indian local values and traditions**, language, arts with global educational standards.

13. Professional Education

- All professional education will be an integral part of the higher education system.
- Stand-alone technical universities, health science universities, legal and agricultural universities etc will aim to become multi-disciplinary institutions.

Salient Features of NEP 2020

Salient Features of NEP 2020 -Hindi

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी

नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य

एनईपी 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा

12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम

पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं; इंटरनेट के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू

कम से कम 5 वीं कक्षा तक मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई

समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना

उच्च शिक्षा में जीईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना; उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी

उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विवेधता होगी

उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच मेंनामांकन / निकासकी अनुमति होगी

ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें

स्कूली शिक्षा

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित करना

एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।

नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा

बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10 + 2 ढांचे की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।

एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल भी शामिल होंगे जिसमें इसीसीई शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। इसीसीई की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एचएफडब्ल्यू), और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए 'एनईपी 2020' में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है।

स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला में सुधार

स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारीयों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति एवं अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी।

स्कूलों में छोटे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटरनशिप शामिल होगी।

एक नई एवं व्यापक **स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा** 'एनसीएफएसई 2020-21' एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी।

बहुभाषावाद और भाषा की ताकत

नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय 'भारत की भाषाओं' पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएंगी।

आकलन में सुधार

'एनईपी 2020' में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता-आधारित है, सीखने के साथ-साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्चस्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन-मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते

हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

समान और समावेशी शिक्षा

'एनईपी 2020' का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्त या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं। इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा जिसमें शिक्षाविशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी-आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक राज्य/जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है।

प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग

शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी जिसमें कई स्रोतों से समय-समय पर कार्य-प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षाविशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (एनपीएसटी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा।

स्कूल प्रशासन

स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो प्रशासन (गवर्नेंस) की मूल इकाई होगा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक-समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारण एवं प्रत्यायन

एनईपी 2020 नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट, पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एसएसएसए) का गठन करेगा। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटन, जैसाकि एसएसएसए द्वारा वर्णित है, का उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के परामर्श के जरिये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एसक्यूएएफ) का विकास करेगा।

उच्चतर शिक्षा

2035 तक जीईआर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना

एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

समग्र बहुविषयक शिक्षा

नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एक्जिट बिन्दुओं के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक।

विभिन्न एचईआई से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जा सके।

देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के माडलों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) स्थापित किए जाएंगे

पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा।

विनियमन

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) का गठन किया जाएगा।

एचईसीआई के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे- विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी), मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी)। एचईसीआई प्रौद्योगिकी के जरिये चेहरारहित अंतःक्षेपों के माध्यम से कार्य करेगा और इसमें नियमों तथा मानकों का अनुपालन न करने वाले एचईआई को दंडित करने की शक्ति होगी। सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान विनियमन, प्रत्यायन एवं अकादमिक मानकों के उसी समूह द्वारा शासित होंगे।

विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध कराने के जरिये बड़े, साधन संपन्न, गतिशील बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय की परिभाषा में संस्थानों की एक विस्तृत श्रेणी होगी जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे।

महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक राज्य वार तंत्र की स्थापना की जाएगी। ऐसी परिकल्पना की जाती है कि कुछ समय के बाद प्रत्येक महाविद्यालय या तो एक स्वायत्तशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में विकसित हो जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय बन जाएंगे।

प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम संकाय

एनईपी सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी नियुक्ति, पाठ्यक्रम/अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने, संस्थागत नेतृत्व के जरिये प्रेरक, ऊर्जाशील एवं संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। इन मूलभूत नियमों का पालन न करने वाले संकायों को जबावदेह ठहराया जाएगा।

अध्यापक शिक्षण

एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफटीई 2021** तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ताविहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान (टीईओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परामर्श मिशन

एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा- जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे- जो कि विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे।

छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

खुली और दूरस्थ शिक्षा

जीईआर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपार्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हों।

ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा:

हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई-शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी

सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक **स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)** का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में, प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके, उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा

सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए **एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई), राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)** की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

शिक्षा के **अंतर्राष्ट्रीयकरण** को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

व्यावसायिक शिक्षा

सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। स्वचलित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।

प्रौढ़ शिक्षा

इस नीति का लक्ष्य, 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।

वित्तपोषण शिक्षा

शिक्षा पहले की तरह 'लाभ के लिए नहीं' व्यवहार पर आधारित होगी जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके।

अभूतपूर्व परामर्श

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 यूएलबी, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। एमएचआरडी द्वारा, जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में, *'नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति* ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री टी.एस. आर. सुब्रमण्यन, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर, मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में, **प्रख्यात वैज्ञानिक, पद्म विभूषण डॉ के कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई, 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास

मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा, एमएचआरडी की वेबसाइट पर और 'माईगव इनोवेट' पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों/सुझावों/टिप्पणियों को प्राप्त किया गया।

कृपया पीपीटी देखने के लिए यहां क्लिक करें

एसजी/एम/एके/आरकेएस/एएल/एसकेएस/केजे

(Release ID: 1642121) Visitor Counter : 798

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Urdu

انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت

کابینہ نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو منظوری دی، ملک میں اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے نظام میں تغیراتی تبدیلیوں کا راستہ ہموار کیا

نئی پالیسی کا مقصد 2030 تک اسکولی تعلیم میں 100 فیصد جی ای آر کے ساتھ ما قبل اسکول سے لے کر ثانوی سطح تک یکسانیت متعارف کرانا ہے

این ای پی 2020 اسکول چھوڑ چکے 2 کروڑ بچوں کو دوبارہ مرکزی دھارے میں لائے گی

نیا 4+3+3+5 اسکولی نصاب 12 سال کی اسکولنگ اور 3 سال کی آنگن واڑی، ما قبل اسکولنگ پر مشتمل ہوگا

بنیادی خواندگی اور حساب کتاب سیکھنے پر زور، تعلیمی شعبوں میں علیحدگی کا فرسودہ نظام رائج نہیں ہوگا، علاوہ تعلیم دیگر سرگرمیاں اور پیشہ ورانہ شعبے

میں اسکولوں میں متعارف کرائی جائیں گی، پیشہ ورانہ تعلیم درجہ 6 سے انٹرن شپ کے ساتھ شروع ہوگی

کم از کم گریڈ 5 تک کی تدریس مادری، علاقائی زبان میں ہوگی

ڈگری کے مجموعی پیش رفت کارڈ کے ساتھ احتساب 360 اصلاحات تدریس کے نتائج کے حصول کے لئے طالب علم کی پیش رفت پر نظر رکھی جائے گی

اعلیٰ تعلیم میں جی ای آر 2035 تک بڑھا کر 50 فیصد کیا جائے گا، اعلیٰ تعلیم میں 3.5 کروڑ نشستوں کا اضافہ ہوگا

اعلیٰ تعلیمی نصاب میں مضامین کے سلسلے میں لچیل پن ہوگا معقول اسناد بندی کے ساتھ کثیر النوع داخلہ ، انخلا کی اجازت ہوگی

قرض کے ٹرانسفر کے عمل کو

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Delhi

نئی دہلی، 29 جولائی، 2020، مرکزی کابینہ نے وزیراعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں آج قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ذریعے اسکول اور اعلیٰ تعلیم دونوں شعبوں میں بڑے پیمانے پر تغیراتی اصلاحات کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ یہ اکیسویں صدی کی پہلی تعلیمی پالیسی ہے اور اس نے 34 سالہ پرانی قومی پالیسی برائے تعلیم (این پی ای)، 1986 کی جگہ لی ہے۔ اس کی تعمیر یا تشکیل رسائی، مساوات، کوالٹی، لائق استطاعت ہونے اور احتساب کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ یہ پالیسی ہمہ گیر ترقیات کے 2030 کے ایجنڈے سے مربوط ہے اور اس کا مقصد بھارت کو ایک فعال مبنی بر علم معاشرہ اور اسکول اور کالج کی تعلیم، دونوں کو زیادہ سے زیادہ مجموعی اور جامع، لچیلی، کثیر النوع، جو 21 ویں صدی کی ضروریات کے مطابق کھری اترتی ہو، کے مطابق ڈھال کر بھارت کی تصویر کو یکسر بدلنا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر ایک طالب علم کے اندر مضر منفرد صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔

اہم جھلکیاں

اسکولی تعلیم

اسکولی تعلیم کی ہر سطح پر عام رسائی کو یقینی بنانا

این ای پی 2020 اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسکولی تعلیم ہر سطح پر یعنی ماقبل اسکول سے لے کر ثانوی درجے تک عام رسائی کی سہولت کی حامل ہو۔ بنیادی ڈھانچہ کے ذریعے تقویت بہم پہنچا کر، اختراع پر مبنی تعلیم کے مراکز قائم کر کے اسکول چھوڑنے والوں کو اہم دھارے میں لانا، طلبہ کے اندر مضر صلاحیتوں اور ان کی تدریس کی سطحوں کی شناخت، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے طریقوں کو استعمال کر کے تدریس کے مختلف النوع پہلوؤں کو اجاگر کرنا، مشیروں یا ماہر تربیت یافتہ سماجی کارکنان کو اسکولوں کے ساتھ مربوط کرنا، درجہ 3، درجہ 5 اور درجہ 8 کے درجات کے لئے اوپن لرننگ، جو این آئی او ایس اور ریاستی اوپن اسکولوں کے ذریعے فراہم کی جائے گی، ثانوی تعلیمی پروگرام 10 اور 12 گریڈس کے حامل ہوں گے، پیشہ ورانہ کورسز دستیاب ہوں گے، بالغ خواندگی اور زندگی کو مالا مال کرنے والے پروگرام جیسے چند پہلو اس مقصد کے حصول کے لئے شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اسکول چھوڑ چکے تقریباً 2 کروڑ بچوں کو این ای پی 2020 کے تحت واپس اہم دھارے میں لایا جائے گا۔

بچپن کی نگہداشت اور نصابی اور تعلیمی نفسیات ڈھانچے کے ساتھ نیا نصاب

بچپن کی نگہداشت اور تعلیم پر زور دیتے ہوئے 2+10 اسکولی نصاب کی جگہ 4+3+3+5 نصاب کا ڈھانچہ بالترتیب 3-8، 8-11، 11-14، اور 14-18 عمروں کے لئے متعارف کرایا جانا ہے۔ اس سے اب تک اسکولی نصاب کے تحت 3 سے 6 برس کے عمر کے گروپ پر جو احاطہ نہیں کیا گیا ہے، وہ زیر احاطہ لایا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ اس عمر کو ایک بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے عالمی پیمانے پر اہم مرحلہ تسلیم کیا گیا ہے۔ نیا نظام ایسا ہوگا، جس میں 12 سال کی اسکولی تعلیم کے ساتھ 3 سال کی آنگن واڑی، ماقبل اسکول تعلیم شامل ہوگی۔

این سی ای آر ٹی، بچپن کی نگہداشت اور تعلیم کے لئے ایک قومی نصاب اور تعلیمی نفسیات پر مبنی فریم ورک (این سی پی ایف ای سی سی ای)، تیار کرے گی، جو 8 برس کی عمر تک کے بچوں کے لئے ہوگا۔ ای سی ای کی بہم رسانی خاطر خواہ طور پر توسیع شدہ اور مستحکم نظام کے حامل اداروں کے ذریعے کی جائے گی، جس میں آنگن واڑی ادارے اور ماقبل اسکول کے ادارے شامل ہوں گے، جہاں ای سی ای تعلیمی نفسیات اور نصاب میں تربیت یافتہ آنگن واڑی کارکنان تعینات کئے جائیں گے۔ ای سی ای کی منصوبہ بندی اور نفاذ کا عمل انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت، خواتین اور اطفال ترقیات (ڈبلیو سی ڈی)، صحت اور کنبہ بہبود کی وزارت (ایچ ایف ڈبلیو) اور قبائلی امور کی وزارت کے ذریعے مشترکہ طور پر انجام دیا جائے گا۔

بنیادی خواندگی اور حساب کتاب سیکھنے کا عمل

تدریس کے شعبے میں بنیادی خواندگی اور حساب کتاب سیکھنے کے عمل کو فوری اور ضروری پیشگی شرط تسلیم کرتے ہوئے، این ای پی 2020 نے انسانی وسائل کی ترقی اور فروغ کی جانب سے ایک قومی مشن برائے بنیادی خواندگی اور حساب کتاب کی تشکیل کی ضرورت کا پہلو اجاگر کیا ہے۔ ریاستیں آفاقی بنیادی خواندگی اور حساب کتاب سکھانے کے لئے نفاذ کا ایک منصوبہ تمام پرائمری اسکولوں کے لئے سبھی زیر تدریس بچوں کے لئے تیار کریں گی اور اس میں 3 گریڈ ہوں گے اور یہ منصوبہ 2025 تک وضع کر لیا جائے گا۔ ایک قومی کتب فروغ پالیسی بھی وضع کی جانی ہے۔

اسکولی نصاب اور تعلیمی نفسیات میں اصلاحات

اسکولی نصاب اور تعلیمی نفسیات کا مقصد، زیر تدریس بچوں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں 21 ویں صدی کی کلیدی ہنرمندیوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ ضروری تدریس میں اضافے کے لئے نصابی مواد میں تخفیف کی جائے گی۔ ان کے اندر تنقیدی فکر کو فروغ دیا جائے گا اور تجرباتی تدریس پر افزوں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ طلبہ کے پاس مضامین کے انتخاب کے لئے افزوں متبادل دستیاب ہوں گے۔ آرٹس اور سائنسز کے شعبوں میں سخت علیحدگی یا تفریق نہیں ہوگی۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں اور پیشہ ورانہ اور تعلیمی اسٹریم میں بھی فرسودہ تفریق نہیں ہوگی۔

پیشہ ورانہ تعلیم اسکولوں میں درجہ 6 سے شروع ہو جائے گی اور اس میں انٹرن شپ بھی شامل ہوگی۔ ایک نیا اور جامع قومی نصابی فریم ورک برائے اسکولی تعلیم، این سی ایف ایس ای 2020-21، این سی آر ٹی کے ذریعے وضع کیا جائے گا۔

کثیر لسانی طریقہ کار کو اپنانا اور زبان کی قوت

پالیسی میں مادری زبان، مقامی زبان، علاقائی زبان کو کم از کم درجہ 5 تک تعلیم دینے کے نظام کے طور پر لازمی طور پر اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ترجیحاتی طور پر درجہ 8 تک اور اس کے بعد بھی اسے جاری رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ سنسکرت زبان اسکول اور اعلیٰ تعلیم کی ہر سطح پر طلبہ کے لئے متبادل کے طور پر دستیاب ہوگی۔ اس میں سہ لسانی فارمولہ شامل ہوگا۔ بھارت کی دیگر کلاسیکی زبانیں اور ادب بھی متبادل کے طور پر دستیاب ہوں گے۔ طلبہ بھارت کی زبانیں کے موضوع پر ایک تفریحی

پروجیکٹ ، سرگرمی میں شامل ہوں گے۔ کبھی کبھی درجہ 6 سے درجہ 8 کے دوران مثلاً ایک بھارت شریٹھ بھارت پہل قدمی کے تحت وہ ایسا کریں گے۔ متعدد غیر ملکی زبانیں بھی ثانوی سطح پر متعارف کرائی جائیں گی۔ بھارت کی علامتی زبان (آئی ایس ایل)، کو ملک بھر میں معیار بند کیا جائے گا اور قومی اور ریاستی نصابی مواد وضع کیاجائے گا تاکہ کمزور قوت سماعت والے طلبہ ان کا استعمال کر سکیں۔

احتساب سے متعلق اصلاحات

این ای پی 2020 میں کہا گیا ہے کہ مجموعی احتساب سے درگزر کرتے ہوئے باقاعدہ اور سلسلے وار تخلیقی احتساب پر زور دیا جائے گا، جو افزوں طور پر اثر انگیزی پر مبنی ہوگا اور تدریس اور ترقیات کو فروغ دیگا اور اعلیٰ سطح کی ہنرمندیوں کی جانچ کرے گا۔ ان میں تجزیہ، تنقیدی انداز فکر اور نظریات کی وضاحت شامل ہیں۔ تمام طلبہ اسکول کے امتحان درجہ 3، درجہ 5 اور درجہ 8 کے تحت دیں گے، جس کا اہتمام معقول اتھارٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔ 10 ویں اور 12 ویں درجات کے لئے بورڈ امتحانات جاری رکھے جائیں گے۔ تاہم مجموعی ترقیات کو ایک مقصد بنا کر انہیں ازسرنو ڈیزائن کیا جائے گا۔ ایک قومی احتساب مرکز، پی اے آر اے کے ایچ (کارکردگی کا تجزیہ، نظرثانی اور مجموعی ترقی کے لئے علم کا تجزیہ)، کا قیام معیاری سیٹنگ باڈی کے طور پر عمل میں لایا جائے گا۔

مساوی اور مبنی بر شمولیت تعلیم

این ای پی 2020 کا مقصد، اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی بچہ محض اپنے پیدائش یا پس منظر کے حالات کی وجہ سے علم حاصل کرنے یا اس میں عمدگی حاصل کرنے کے کسی بھی موقع سے محروم نہ رہے۔ سماجی اور اقتصادی طور پر محروم گروپوں (ایس ای ڈی جی، سماجی، ثقافتی اور جغرافیائی شناخت اور معذوری)، پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے تحت ایک صنفی شمولیت فنڈ تشکیل دیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ مراعات سے محروم خطوں اور گروپوں کے لئے خصوصی تعلیمی زون تشکیل دیئے جائیں گے۔ معذوری کے شکار بچوں کو بنیادی سطح سے اعلیٰ تعلیم کے تمام مراحل تک ریگولر اسکولنگ کے عمل میں شامل کرنے کے لئے اقدامات کئے جائیں گے اور انہیں ان کی معذوری پر قابو پانے کی تربیت ان کے اساتذہ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ وسائل کے مراکز، رہائش گاہیں، امدادی آلات، معقول ٹیکنالوجی پر مبنی آلات اور دیگر امدادی میکانزم اس انداز وضع کیا جائے گا اور فراہم کیا جائے گا، جو ان کی ضروریات کے عین مطابق ہو۔ ایک ریاست ، ضلعے کو حوصلہ افزائی فراہم کی جائے گی تاکہ وہ خصوصی دن بھر کے بورڈنگ اسکول کے طور پر بال بھون قائم کرے تاکہ آرٹ سے متعلق، کریئر سے متعلق اور کھیل کود سے متعلق سرگرمیوں میں شمولیت ہو۔ سماجک چیتنا کیندر کے طور پر اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو مفت استعمال کیا جا سکتا ہے۔

بڑے پیمانے پر اساتذہ کی بھرتی اور کریئر کا راستہ

اساتذہ کی بھرتی بڑے پیمانے پر شفاف عمل کے ذریعے کی جائے گی، ترقیاں کثیر ذرائع کے لئے مقررہ مدت میں کارکردگی کی تفصیلات کے ایک نظام کے ذریعے خصوصیات کی بنیاد پر، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹرس یا ٹیچر بننے کے لئے ترقی کے دستیاب راستوں کے ذریعے ہوگی۔ اساتذہ کے لئے پیشہ ورانہ قومی معیارات (این پی ایس ٹی) جو مشترکہ ہوگا، 2022 تک نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن کی طرف سے تیار کیا جائے گا۔ این پی ایس ٹی، این سی ای آر ٹی، ایس سی ای آر ٹی ٹیچروں اور ماہرین کی تنظیموں کے ساتھ ہر سطح اور خطے میں صلاح و مشورے کے بعد تیار کیا جائے گا۔

اسکول گورننس

اسکولوں کا انعقاد، کمپلیکس یا کلسٹر کی شکل میں کیا جاسکتا ہے، جو گورننس کی بنیادی اکائی ہوگا اور اس سے بنیادی ڈھانچے، تعلیمی لائبریریوں اور ایک مضبوط پیشہ ورانہ اساتذہ برادری سمیت تمام وسائل کی دستیابی کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔

اسکولی تعلیم کے لئے معیاری بندوبست اور منظوری

این ای پی - 2020 میں پالیسی سازی، ضابطہ بندی، کام کاج اور تعلیمی معاملات کے لئے واضح اور علیحدہ نظام کی بات کہی گئی ہے۔ ریاستیں، مرکز کے زیر انتظام علاقے، ریاستی اسکول اسٹینڈرڈس کی آزاد اتھارٹی (ایس ایس ایس اے) قائم کرے گی۔ سبھی بنیادی ضابطہ جاتی معلومات کا سرکاری طور پر شفاف طریقے سے خود انکشاف کا طریقہ اپنایا جائے گا، جو ایس ایس ایس اے نے تیار کیا ہے۔ یہ طریقہ لوگوں کے دیکھنے اور جواب دہی کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے گا۔ ایس سی ای آر ٹی، سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے ذریعے اسکول کی کوالٹی کے جائزے اور منظوری کا فریم ورک (ایس کیو اے اے ایف) تیار کرے گا۔

اعلیٰ تعلیم

جی ای آر میں 2035 تک 50 فیصد اضافہ کیا جائے

این ای پی 2020 کا مقصد اعلیٰ تعلیم میں بڑے پیمانے پر رجسٹریشن کے تناسب میں اضافہ کرنا ہے، جس میں 2035 تک پیشہ ورانہ تعلیم کو 26.3 فیصد (2018) سے 50 فیصد کرنا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 3.5 کروڑ نئی سیٹیں قائم کرنا ہے۔

مجموعی کثیر مضمون والی تعلیم

پالیسی میں وسیع بنیاد والی کثیر مضمون والی مجموعی لچک دار نصاب والی، مضمونوں کے تخلیقی امتزاج، پیشہ ورانہ تعلیم کے ارتباط، مناسب سرٹیفکٹ کے ساتھ داخلے اور نکاس کی کئی جگہوں کے ساتھ انڈر گریجویٹ تعلیم کی بات کہی گئی ہے۔ انڈر گریجویٹ تعلیم تین یا چار سال کی ہوسکتی ہے، جس میں نکاسی کے کئی متبادل اور اس مدت کے اندر اندر موزوں سرٹیفکیشن ہوسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سال کے بعد سرٹیفکٹ، دو سال کے بعد ایڈوانس ڈپلومہ، تین سال کے بعد بیچلرس ڈگری، 4 سال کے بعد تحقیق والا بیچلر۔

تعلیمی قرض دینے والا ایک بینک قائم کیا جائے گا، جو مختلف ایچ ای آئی سے حاصل کئے گئے تعلیمی قرضوں کے اعداد و شمار ڈیجیٹل طریقے سے اپنے پاس رکھے گا تاکہ انہیں فائلڈ ڈگری کے موقع پر منتقل کیا جاسکے اور ان کی گنتی کی جاسکے۔

کثیر مضامین کی تعلیم اور تحقیقی یونیورسٹیاں (ایم ای آر یو)، جو آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم کی سطح پر ہوں گی، قائم کی جائیں گی۔ یہ یونیورسٹیاں ملک میں عالمی معیارات کی کثیر مضامین والی بہترین تعلیم کی مثال ہوں گی۔

قومی تحقیق کی فاؤنڈیشن تشکیل دی جائے گی، جو تحقیق کا ایک مضبوط کلچر فروغ دینے اور اعلیٰ تعلیم میں تحقیق کی صلاحیت سازی کے لئے ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہوگا۔

ضابطہ بندی

بھارت کا اعلیٰ تعلیم سے متعلق کمیشن (ایچ ای سی آئی) طبی اور قانونی تعلیم کو چھوڑ کر تمام اعلیٰ تعلیم کے لئے ایک واحد مرکزی ادارے کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ ایچ ای سی آئی میں چار زمرے ہوں گے۔ ضابطہ بندی کے لئے اعلیٰ تعلیم سے متعلق قومی ضابطہ جاتی کونسل (این ایچ ای آر سی)، معیاری بندو

ہست کے لئے عام تعلیمی کونسل (جی ای سی)، فنڈنگ کے لئے اعلیٰ تعلیم کی امداد سے متعلق کونسل (ایچ ای جی سی) اور منظوری کے لئے قومی منظوری کونسل (این اے سی)۔ ایچ ای سی آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنا چہرہ دکھائے مداخلتی انداز میں کام کرے گا اور اس کے بعد ایسے ایچ ای آئی کو سزا دینے کے اختیارات ہوں گے، جو اصولوں اور معیارات پر عمل نہ کر رہے ہوں، سرکاری اور پرائیویٹ اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو ضابطہ بندی، منظوری اور تعلیمی معیارات کے لئے انہیں اصولوں کے ساتھ چلایا جائے گا۔

معقول بنایا گیا ادارہ جاتی آرکیٹچر

اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بڑے، وسائل سے مالا مال، فعال، کثیر مضامین والے اداروں میں تبدیل کیا جائے گا، جن کے تحت اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم، تحقیق اور عوام کی شمولیت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یونیورسٹی کی تعریف میں ایسے اداروں کو اجازت دی جائے گی جن کا تعلق زبردست طریقے سے کی جانے والی تحقیق کی یونیورسٹیوں سے لے کر زبردست طریقے سے ٹیچنگ کرنے والی یونیورسٹیوں تک اور ڈگری دینے والے خود مختار کالجوں سے ہوگا۔

کالجوں کی منظوری 15 سال کے عرصے میں مرحلے وار ختم کی جائے گی اور کالجوں کو بتدریج خود مختاری دینے کے لئے مرحلے وار طریقے سے ایک نظام قائم کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک خاص مدت میں ہر کالج کو یا تو ڈگری دینے والے ایک خود مختار کالج میں یا کسی یونیورسٹی کے ایک ضمنی کالج میں تبدیل کیا جائے گا۔

فعال، توانائی سے بھرپور اور اہل اساتذہ

این ای پی نے اساتذہ کو فعال بنانے، توانائی سے بھرپور بنانے اور ان کی صلاحیت سازی کے لئے سفارشات پیش کی ہیں۔ یہ کارکردگی واضح، آزاد، شفاف تقرر، نصاب تیار کرنے کی آزادی، مہارت کے لئے ترغیب دے کر انجام دی جائے گی۔ جو اساتذہ بنیادی ضابطوں پر عمل نہیں کریں گے، ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔

تعلیم اساتذہ

اساتذہ کی تعلیم کے لئے ایک نیا اور جامع قومی نصابی خاکہ این سی ایف ٹی ای 2021، این سی ای آر ٹی کے مشورے سے این سی ٹی ای تیار کرے گی۔ سال 2030 تک اساتذہ کے لئے کم از کم تعلیمی لیاقت 4 سال کی مربوط بی ایڈ ڈگری ہوگی۔ الگ تھلک کام کرنے والے گھٹیا معیار والے تعلیم اساتذہ کے اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

مینٹرنگ مشن

مینٹرنگ کے لئے ایک قومی مشن قائم کیا جائے گا جس میں نمایاں کارگزاری والے سینیئر/سبکدوش اساتذہ کے ایک بڑے پول کو لیا جائے گا جس میں ہندوستانی زبانوں کی تعلیم دینے کی صلاحیت رکھنے والے بھی شامل ہوں گے۔ اس میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو یونیورسٹی/کالج کے اساتذہ کو قلیل اور طویل مدتی مینٹرنگ مدد فراہم کرانے کے خواہش مند ہوں گے۔

طلباء کی مالی امداد

درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات اور دیگر ایس ای ڈی جی سے تعلق رکھنے والے طلباء کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لئے کوششیں کی جائیں گی۔ نیشنل اسکالرشپ پورٹل کو اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کی مدد کرنے، انہیں فروغ دینے اور ان کی ترقی کا پتہ لگانے کے

نے وسعت دی جائے گی۔ پرائیویٹ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی اپنے طلباء کو بڑی تعداد میں مفت تعلیم فراہم رانے اور اسکالرشپ دینے کے لئے حوصلہ افزائی کی جائیگی۔

ہلی اور فاصلاتی آموزش

سی ای آر میں اضافے کے لئے اہم رول ادا کرنے کے لئے اس کو وسعت دی جائیگی۔ اعلیٰ ترین معیار کے روگراموں کے برابر لانے کے لئے آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل ریپورٹری تحقیق کے لئے فنڈ فراہم کرانے ، للباء کے لئے بہتر خدمات فراہم کرانے ، ایم او اوسی کو کریڈٹ کی بنیاد پر تسلیم کرنے جیسے اقدامات کئے نائیں گے۔

ن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل تعلیم

نال ہی میں پیدا ہونے والی وباء اور عالمی وباء کی صورت حال کے پیش نظر جہاں کہیں روایتی اور ذاتی لور پر تعلیم و تدریس کے طریقے ممکن نہ ہوں وہاں پر معیاری تعلیم کے متبادل طریقوں کے لئے تیاری و یقینی بنانے کے مقصد سے آن لائن تعلیم کو فروغ دینے کے لئے جامع سفارشات کی گئی ہیں۔ اسکول و راعلیٰ تعلیم دونوں کی ای تعلیمی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لئے فروغ انسانی وسائل کی وزارت میں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ ، ڈیجیٹل مواد تیار کرنے اور صلاحیت سازی کے لئے ماحول تیار کرنے کے قصد سے ایک علیحدہ یونٹ تشکیل دی جائے گی۔

علیم میں ٹکنالوجی

موزش ، اندازہ قدر، منصوبہ بندی ، انتظام کو فروغ دینے کے لئے ٹکنالوجی کے استعمال سے متعلق نیالات کے آزادانہ تبادلے کے لئے پلیٹ فارم فراہم کرانے کے مقصد سے ایک خود مختار ادارے نیشنل جوکیشنل ٹکنالوجی فورم (این ای ٹی ایف) کی تشکیل کی جائے گی۔ کلاس روم کے عمل کو بہتر بنانے ، ساتذہ کے پروفیشنل فروغ ، معاشرے کے محروم گروپوں کے لئے تعلیمی رسائی میں اضافے اور تعلیمی نصوبہ بندی انتظام اور بندوبست کو معقول بنانے کے لئے تعلیم کی تمام سطحوں پر ٹکنالوجی کی مناسب مولیت کا کام کیا جائے گا۔

ندوستانی زبانوں کا فروغ

مام ہندوستانی زبانوں کے تحفظ ، ترقی اور پھلنے پھولنے کو یقینی بنانے کے لئے این ای پی نے انڈین نسٹی ٹیوٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپرائٹیشن (آئی آئی ٹی آئی) ، پالی زبان ، فارسی اور پراکرت کے لئے ومی ادارے (پاداروں) کے قیام ، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سنسکرت اور تمام زبانوں کے محکموں کو ضبوط بنانے ، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے پروگراموں میں تعلیمی ذریعہ کے طور پر مادری زبان / مقامی بان کے استعمال کی سفارش کی ہے۔

ارہ جاتی تعاون طلباء اور اساتذہ کو تحریک دیکر اور عالمی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیوں کو ہمارے ملک میں کھلے کیمپسوں میں داخل ہونے کی اجازت دیکر تعلیم کو بین الاقوامی بنانے کی آسانی فراہم کرائی نائیگی۔

روفیشنل تعلیم

مام طرح کی پروفیشنل تعلیم اعلیٰ تعلیمی نظام کا ایک لازمی حصہ ہوگی۔ منفرد ٹیکنیکل یونیورسٹیوں ، بلتھ سائنس یونیورسٹیوں ، قانونی اور زرعی یونیورسٹیوں وغیرہ کو کثیر مضامین والے اداروں میں تبدیل رنے کی کوشش کی جائیگی۔

علیم بالغان

اس پالیسی کا مقصد نوجوانوں کو بالغوں کی 100 فیصد خواندگی ہے۔

تعلیم کے لئے مالیاتی بندوبست

تعلیم کے شعبے میں جلد از جلد سرکاری سرمایہ کاری کو جی ڈی پی کے 6 فیصد تک پہنچانے کے لئے مرکز اور ریاستیں مل کر کام کریں گے۔

غیر معمولی مشاورت

2.5 لاکھ گرام پنچایتوں، 6600 بلاکوں، 6000 یو ایل بی، 676 اضلاع، سے موصولہ تقریباً 2 لاکھ تجاویز پر مشتمل مشاورت کے غیر معمولی عمل کے بعد این ای پی 2020 تیار کیا گیا ہے۔ فروغ انسانی وسائل کی وزارت نے جنوری، 2025 سے ایک غیر معمولی نوعیت کے تعاون والا، شمولیت والا اور بہت زیادہ شرکت والا مشاورت کا عمل شروع کیا تھا۔ نئی تعلیمی پالیسی تیار کرنے کے لئے کمیٹی سابق کابینہ سکریٹری آنجہانی ای ایس آرسبرامنین کی صدارت میں قائم کی گئی تھی جس نے مئی، 2016 میں اپنی رپورٹ جمع کرائی۔ اس کی بنیاد پر وزارت نے 'مسودہ قومی تعلیمی پالیسی 2016 کے لئے کچھ مداخلتیں' تیار کئے۔ جون 2017 میں 'کمیٹی برائے مسودہ قومی تعلیمی پالیسی' ممتاز سائنسدان پدم وبھوشن ڈاکٹر کے کستوری رنجن کی صدارت میں قائم کی گئی تھی۔ جس نے 31 مئی، 2019 کو فروغ انسانی وسائل کے وزیر کے پاس مسودہ قومی تعلیمی پالیسی، 2019 جمع کرایا۔ مسودہ قومی تعلیمی پالیسی۔ 2019 کو متعلقین اور عوام کے نظریات / تجاویز / تبصرے حاصل کرنے کے لئے فروغ انسانی کی ویب سائٹ اور MyGov Innovate مائی جی او وی انووٹ پورٹل پر اپ لوڈ کیا گیا تھا۔

(م ن ۔ اس ۔ اگ ق ۔ ک ۔ ا ۔ ع آ)

4214 U-

(Release ID: 1642085) Visitor Counter : 13

Read this release in: Punjabi , English , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Assamese

মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়

দেশৰ বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ
ৰূপান্তৰণ সম্ভৱকাৰী সংস্কাৰৰ বাটকটীয়া 'ৰাষ্ট্ৰীয়
শিক্ষা নীতি ২০২০'লৈ কেবিনেটৰ অনুমোদন

২০৩০চনৰ ভিতৰত বিদ্যালয় শিক্ষাত ১০০ শতাংশ
'জিইআৰ'-ৰে প্ৰাক-প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক
পৰ্যায়লৈ শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰণ
কৰিছে নতুন নীতিয়ে

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা
২কোটি শিশুক মূলসুঁতিলৈ ওভতাই আনিব

৩ বছৰ অংগণবাড়ী আৰু প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ
সৈতে ১২বছৰীয়া বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰে
৫+৩+৩+৪ বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা

বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাত বিশেষ গুৰুত্ব,
বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বৌদ্ধিক পাঠ্যক্ৰম, অন্যান্য
কৰ্মকুশলতাসুলভ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম অথবা বৃত্তিমূলক
পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত ধৰা-বন্ধা পৃথকীকৰণৰ ব্যৱস্থা
নাথাকিব, শিক্ষানবিচী ব্যৱস্থাসহ ষষ্ঠ মানৰ পৰা
বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব

কম পক্ষেও পঞ্চম মান পৰ্যন্ত শিক্ষা প্ৰদানৰ মাধ্যম
হ'ব মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা

কল্যাণকামী উত্তৰণ পত্ৰৰে উত্কৰ্ষতাৰ সমীক্ষা
পদ্ধতিৰ '৩৬০ডিগ্ৰী সংস্কাৰ'ৰ দিহা, শিক্ষণৰ সুফল
লাভৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি

অনুধাৰন কৰাৰ ব্যৱস্থা

২০৩৫চনৰ ভিতৰত উচ্চতৰ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ
'জিইআৰ' ৫০শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, উচ্চতৰ
শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ৩.৫ কোটি আসন সংযোজন কৰা
হ'ব

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Guwahati

দেশৰ বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ ব্যাপক ৰূপান্তৰণ সম্ভৱ কৰিব পৰা সংস্কাৰৰ বাটকটীয়া 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'লৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীনৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট সভাই আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন জনায়। একবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমখন শিক্ষানীতিয়ে ৩৪বছৰ আগতে প্ৰণিত ১৯৮৬চনৰ 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি'খনক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব। প্ৰৱেশ, সমতা, মান, ব্যয়সাপেক্ষতা আৰু দায়বদ্ধতাক স্তম্ভ কৰি বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰা এই নতুন নীতিক নিৰবিচ্ছিন্ন উন্নয়ণ আৰু উজ্জীৱিত বৌদ্ধিক সমাজ তথা জ্ঞানৰ গোলকীয় মহাশক্তি হিচাপে ভাৰতৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰাৰ কাৰ্যক্ৰমৰ সৈতে একাত্ম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

উল্লেখনীয় প্ৰসংগসমূহ:

বিদ্যালয় শিক্ষা:

বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সকলো পৰ্যায়তে সাৰ্বজনীন ভাবে প্ৰৱেশৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান

প্ৰাক-প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সকলো পৰ্যায়তে সাৰ্বজনীন ভাবে প্ৰৱেশ সুনিশ্চিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'য়ে। আন্তঃগাঁথনিগত সহযোগিতা,

উদ্বাৰনী শিক্ষা কেন্দ্ৰ আদিৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় এৰি যাবলগীয়া হোৱা শিশুসকলক মূলসুঁতলৈ ওভতাই অনা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষা আহৰণৰ পাৰদৰ্শিতাৰ অনুসন্ধান কৰা, তেওঁলোকৰ শিকাৰ সামৰ্থ্যৰ বিশ্লেষণ কৰা, আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাগ্ৰহণৰ বাবে উদ্বুদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম আদিৰ দৰে কাৰ্যক্ৰমসমূহৰ সহযোগত এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব। নতুন শিক্ষা নীতিয়ে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা ২কোটি শিশুমূলসুঁতলৈ ওভতাই আনিব।

প্ৰাক-শৈশৱৰ আপদাল আৰু নতুন পাঠ্যক্ৰমৰে শিক্ষা:

প্ৰাক-শৈশৱৰ আপদাল আৰু শিক্ষাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ১০+২বছৰীয়া আৰ্হিৰ বিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতিক আঁতৰাই ৩বছৰ অংগণবাড়ী আৰু প্ৰাক-প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৈতে ১২বছৰীয়া বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ আৰ্হিৰে ৫+৩+৩+৪ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম যুগুতোৱা হৈছে। ৩-৮, ৮-১১, ১১-১৪ আৰু ১৪-১৮বছৰৰ শিশুসকলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হ'ব।

ইয়াৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ' 'এনচিইআৰটি'য়ে পাঠ্যক্রম যুগু কৰিব।

বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ সামৰ্থ্য আহৰণ

শিক্ষা আহৰণৰ বাবে বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ সামৰ্থ্য আহৰণক বিশেষ আ তাত্ক্ষণিক পূৰ্ব চৰ্ত বুলি বিবেচনা কৰি 'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'য়ে মানৱ সম্প উন্নয়ণ মন্ত্ৰালয়ক এক 'ৰাষ্ট্ৰীয় বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা অভিযান' আৰ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যসমূহে সাৰ্বজনীন ৰূপত 'বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আ সাংখ্যিকতা' আহৰণৰ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনা যুগুতাই উলিয়াব। 'ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰ উত্তৰণ নীতি'ও যুগুতাই উলিওৱা হ'ব।

বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্রম আৰু গ্ৰন্থসূচীৰ সংস্কাৰ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণসাধনকাৰী, উন্নয়ণ সম্ভৱ হোৱাৰ লগতে ২১শতিকাৰ প্ৰয়োজনীয়ত পূৰণ কৰিব পৰা দক্ষতা, পাঠ্যক্রমৰ বিষয়বস্তুৰ পৰিমাণ হ্রাস কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰয়োজনী বিদ্যাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা উদ্ৰেককাৰী আৰু অভিজ্ঞতা আৰ্জিত শিক্ষণ উত্ৰসাহিত কৰিব পৰাকৈ পাঠ্যক্রম আৰু গ্ৰন্থসূচী যুগুতোৱা হ'ব। বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বৌদ্ধি পাঠ্যক্রম, অন্যান্য কৰ্মকুশলতাসুলভ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্রম অথবা বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমৰ মাজ ধৰা-বন্ধা পৃথকীকৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। শিক্ষানবিটী ব্যৱস্থাসহ ষষ্ঠ মানৰ পৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্রম আৰম্ভ কৰাহ'ব।

'এনচিইআৰটি'য়ে এক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ 'ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্রম বিধি-ব্যৱস্থা' বিকশিত কৰিব।

বহু ভাষিক ব্যৱস্থা আৰু ভাষাৰ শক্তি

কম পক্ষেও পঞ্চম মান পৰ্যন্ত শিক্ষা প্ৰদানৰ মাধ্যম মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষা/আঞ্চলিক ভাষা কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে। অৱশ্যে এই ব্যৱস্থা অষ্টম মান তথা তাৰো ওপৰলৈকে অব্যাহত ৰখাৰো পোষকতা কৰা হৈছে। সংস্কৃত ভাষাক এক বিকল্প বিষয় হিচাপে বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ শিক্ষাৰ সকলো পৰ্যায়তে পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ত্ৰিভাষিক-সূত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। ভাৰতৰ অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় ভাষাসমূহৰ বিকল্পকে উপলব্ধ কৰা হ'ব।

মূল্যায়ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সংস্কাৰ

'ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০'য়ে সামগ্ৰিক মূল্যায়ণৰ পৰিৱৰ্তে 'নিয়মীয়া' আৰু 'গঠনমূল মূল্যায়ণ'ৰ পোষকতা কৰিছে। এই ব্যৱস্থা অধিক পাৰদৰ্শিতা-ভিত্তিক, শিক্ষণ আৰু বিকাশ উদগনি দিব পৰা আৰু বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা আৰু ধাৰণাৰ স্পষ্টতাৰ দৰে উচ্চ স্তৰৰ দক্ষত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উপযোগী। যথোপযুক্ত এক প্ৰাধিকাৰীয়ে তৃতীয়, পঞ্চম আৰু অষ্ট মানত অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। দশম আ দ্বাদশ মানৰ পৰিষদীয় পৰীক্ষা ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব। অৱশ্যে কল্যাণকাৰী বিকা সাধন কৰিব পৰাকৈ এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ব। পৰক্ষ (পাৰফৰ্মে এছেছমেণ্ট, ৰিভিউ এণ্ড এনালাইছিছ অব নলেজ ফৰ হ'লিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট) শীৰ্ষক এ 'ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষা কেন্দ্ৰ' স্থাপন কৰা হ'ব।

সমতাসম্পন্ন আৰু সৰ্বাঙ্গক শিক্ষা

জন্ম অথবা পৰিস্থিতিগত কাৰণত যাতে কোনো শিশুৱেই শিক্ষা আহৰণ আৰু উত্তৰণৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিচপৰা গোট, য'ত লিংগ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আৰু ভৌগলিক পৰিচিতি আৰু প্ৰতিবন্ধকতাৰ দৰে প্ৰসংগসমূহকো সামৰি লোৱা হৈছে। এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবেই শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে 'লিংগ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ পুঁজি', পিচপৰা অঞ্চল/গোটৰ বাবে 'বিশেষ শিক্ষা মণ্ডল' গঠনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। সেইদৰে 'বাল ভৱন', 'সামাজিক চেতনা কেন্দ্ৰ' আদি স্থাপনৰ দৰে কাৰ্যক্ৰম ৰূপায়ণতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে।

শিক্ষকৰ নিয়োগ

সুস্থ-সবল আৰু স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ দিহা কৰা হ'ব। কৰ্ম সম্পাদনৰ দক্ষতাসন্দৰ্ভত বিভিন্ন উত্‍সৰ জৰিয়তে চলোৱা সমীক্ষা আৰু মেধাৰ ভিত্তিত পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। শিক্ষকৰ বাবে এক উমৈহতীয়া পেছাগত ৰাষ্ট্ৰীয় মান নিৰূপক ব্যৱস্থা বিকশিত কৰা হ'ব।

বিদ্যালয়ৰ শাসন প্ৰণালী

আন্তঃগাঁথনি, বৌদ্ধিক পুথিভঁড়াল আৰু এক শক্তিশালী পেছাদাৰী শিক্ষকমণ্ডলীৰ দৰে সমলসমূহৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয়সমূহৰ চৌহদ অথবা বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ একোটা গোটক একক হিচাপে সংগঠিত কৰিব পৰা যাব।

মানক ব্যৱস্থা স্থাপন আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ প্ৰমূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ

শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে নীতি নিৰ্দ্ধাৰণ, নিয়ন্ত্ৰণ, পৰিচালনা আৰু বৌদ্ধিক প্ৰসংগৰ বাবে স্পষ্ট আৰুপুথক পদ্ধতি বাহালৰ পোষকতা কৰিছে। সেই অনুসৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত ৰাজ্যিক বিদ্যালয় মানক প্ৰাধিকাৰী(এছএছএছএ) স্থাপন কৰিব। সংশ্লিষ্ট অংশিদাৰী পক্ষসমূহৰ সৈতে আলোচনাৰ আধাৰত এছচিআৰটিয়ে এক বিদ্যালয়ৰ মান সমীক্ষা আৰু মূল্যায়ণ বিধি-ব্যৱস্থা বিকশিত কৰিব।

উচ্চতৰ শিক্ষা :

২০৩৫ ৰ ভিতৰত মুঠ নামভৰ্তিৰ হাৰ ৫০শতাংশলৈ বৃদ্ধি

বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ধৰি উচ্চতৰ শিক্ষাখণ্ডত মুঠ নাম ভৰ্তিৰ হাৰ ২০১৮চনৰ ২৬.৩শতাংশৰ পৰা ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত ৫০শতাংশলৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিছে শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে। উচ্চতৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ৩.৫ কোটি নতুন আসনো সংলগ্ন কৰাৰ দিহা কৰা হ'ব।

কল্যাণকাৰী বহুমুখী শিক্ষা

উচ্চতৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা, বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ সংযুক্তকৰণ আৰু যথোপযুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰৰ আধাৰত বহুবাৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ অনুমোদনৰ ব্যৱস্থাসহ এক বহল ভিত্তিক, বহুমুখী, মংগলকামী শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতিয়ে।

বিভিন্ন উচ্চতৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহৰণ কৰা বিদ্যায়তনিক কৃতিত্বসমূহৰ মূল্যায়ণ দীক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ণৰে সংযুক্ত কৰি চূড়ান্ত মূল্যায়ণ সম্পন্ন কৰিব পৰাকৈ এক 'একাডেমিক ক্রেডিট বেংক' স্থাপন কৰা হ'ব।

দেশৰবহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আদৰ্শ হ'ব পৰা এক বিশ্বমানৰ তথা আইআইটি, আইআইএম সমকক্ষ পৰ্যায়ৰ এক 'বহুমুখী শিক্ষা আৰু গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন কৰা হ'ব।

দেশত এক শক্তিশালী গৱেষণা-সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ লগতে গৱেষণা ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থাৰ ৰূপত এক 'ৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা ফাউণ্ডেশ্বন' স্থাপন কৰা হ'ব।

নিয়ন্ত্ৰণ

চিকিত্সা আৰু আইন শিক্ষাৰ বাহিৰে সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ উচ্চতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নিয়ামক নিকায়ৰ ৰূপত 'ভাৰতৰ উচ্চতৰ শিক্ষা আয়োগ'(এইচইচিআই) গঠন কৰা হ'ব। 'এইচইচিআই'-ৰ অধীনত চাৰিটা স্বতন্ত্ৰ গোট যথা- নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা নিয়ামক পৰিষদ'(এনএইচইআৰটি), মান নিৰ্দ্ধাৰণৰ বাবে 'সাধাৰণ শিক্ষা পৰিষদ'(জিইচি), পুঁজিৰ অনুমোদনৰ বাবে 'উচ্চতৰ শিক্ষা অনুদান পৰিষদ'(এইচইজিচি) আৰু মূল্যায়ণৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ণ পৰিষদ'(এনএটি) স্থাপন কৰা হ'ব।

প্ৰতিষ্ঠানিক সজ্জাৰ সংস্কাৰসাধন

উচ্চতৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক বিশাল পৰিসৰৰ, সমল সমৃদ্ধ, উজ্জীৱিত বহুমুখী প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি উন্নত মানৰ শিক্ষা দান কৰাৰ লগতে গৱেষণা আৰু ৰাইজৰ সামূহিক অংশগ্ৰহণ সম্ভৱ কৰিব পৰা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ় দিয়া হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক গৱেষণা ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্ৰদায়ক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু স্বতন্ত্ৰ ডিগ্ৰী প্ৰদানকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰূপত শ্ৰেণীভুক্ত কৰি গঢ়ি তোলা হ'ব।

মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ 'গ্ৰেডেড' স্বতন্ত্ৰতাসহ ১৫বছৰত 'এফিলিয়েশ্বন' পদ্ধতি পৰ্যায়ভুক্ত কৰা হ'ব।

অনলাইন আৰু ডিজিটেল শিক্ষা

সমতাৰ আধাৰত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ সপক্ষে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০য়ে। শিক্ষাৰ পৰিসৰ, সমীক্ষা, পৰিকল্পনা, প্ৰশাসনৰ পৰিসৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰাকৈ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত চিন্তাৰ মুক্ত বিনিময় সম্ভৱ কৰাৰ বাবে 'ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি মঞ্চ'ৰ ৰূপত এক স্বতন্ত্ৰ নিকায় স্থাপন কৰা হ'ব।

ভাৰতীয় ভাষাৰ প্ৰসাৰ

‘ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০’য়ে বিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহু-ভাষিক ব্যৱস্থাক উত্‍সাহিত কৰিব।সেইদৰে পালি, প্ৰাকৃত আৰু পাৰ্চী ভাষাৰ লগতে সকলো ভাৰতীয় ভাষাৰ সংৰক্ষণ, বিকাশ, উজ্জীৱিতকৰণ নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ ‘ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অনুবাদ আৰু বিশ্লেষণ প্ৰতিষ্ঠান’, ‘ৰাষ্ট্ৰীয় পালী, প্ৰাকৃত আৰু পাৰ্চী ভাষাপ্ৰতিষ্ঠান’প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। সেইদৰে সংস্কৃত ভাষাৰ লগতে উচ্চতৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো ভাষা বিভাগকে শক্তিশালী কৰাৰ উপৰি উচ্চতৰ শিক্ষাৰ কাৰ্যক্ৰমত মাতৃভাষা তথা স্থানীয় ভাষাক অধিক হাৰত শিক্ষণৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত মনোনিৱেশ কৰাৰ পোষকতা কৰা হৈছে।

অভূতপূৰ্ব আলোচনা-পৰামৰ্শ গ্ৰহণ:

‘ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ২০২০’ যুগুতোৱাৰ বাবে আলোচনা-বিলোচনা আৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ এক অভূতপূৰ্ব প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ যাওতে ২.৫লাখ গাঁও পঞ্চায়ত, ৬৬০০উল্লয়ণ খণ্ড, ৬০০০ইউএলবি, ৬৭৬খন জিলাৰ ২লাখৰো অধিক পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ২০১৫চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উল্লয়ণ মন্ত্ৰালয়ে এই সম্পৰ্কীয় আলোচনা আৰু পৰামৰ্শগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। ২০১৭চনৰ জুন মাহত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পদ্ম বিভূষণ ড০ কে কস্তুৰীৰংগনৰ অধ্যক্ষতাত ‘ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ খচৰা সমিতি’ গঠিত হৈছিল। এই সমিতিয়ে দাখিল কৰা খচৰাখন ২০১৯চনত মানৱ সম্পদ উল্লয়ণ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজহুৱা পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ বাবে মন্ত্ৰালয়টোৰ ৱে’বছাইটত উপলব্ধ কৰিছিল।

Kindly click here to see PDF

VRRK/AK/KB

(Release ID: 1642239) Visitor Counter : 33

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 -Bengali

মানবসম্পদবিকাশমন্ত্রক

নতুন নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে বহুভাষিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, পালি, পার্শি ও প্রাকৃত ভাষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন গঠন করা হবে

নতুন শিক্ষানীতিতে প্রাক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১০০ শতাংশ জিইআর ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, ২ কোটি স্কুলছুট শিশুকে মূল ধারায় ফিরিয়ে আনবে

১২ বছরের পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪+ ব্যবস্থায় ৩ বছরের প্রাক বিদ্যালয়/অঙ্গনওয়াড়ী ব্যবস্থাপনা থাকবে

স্বাক্ষরতা এবং গণনা করার মূলশিক্ষার ওপর গুরুত্ব, শিক্ষাগত পাঠক্রম, পাঠক্রম বহিভূত কর্মকান্ড এবং কারিগরী শিক্ষায় কোন প্রভেদ থাকবে না, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষানবীশ ব্যবস্থা সহ কারিগরী শিক্ষা পদ্ধতি শুরু

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান

সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন, শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়নে সংস্কার যার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব

২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় জিইআর বা আসন

সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার
পরিকল্পনা, উচ্চশিক্ষায় ৩.৫ কোটি অতিরিক্ত
আসনের ব্যবস্থা

উচ্চশিক্ষা পাঠক্রমে বিষয় বাছাইয়ের প্রচুর সুযোগ
বহুস্তরীয় পদ্ধতিতে যোগদান অথবা যথাযথ শংসাপত্র
সহ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বের হওয়ার সুযোগ

ট্রান্সফার অফ ক্রেডিট ব্যবস্থাপনার জন্য
অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট গড়ে তোলা

গবেষণা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য জাতীয় রিসার্চ
ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হবে

উচ্চশিক্ষায় শিথিল কিন্তু কঠোর নিয়মনীতি, একটি
নিয়ন্ত্রকের আওতায় ৪টি বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা

কলেজগুলিকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্বশাসনের জন্য ১৫
বছর পর মূল্যায়নের ব্যবস্থা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সমদর্শীতার মধ্য দিয়ে
প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে, জাতীয় শিক্ষা
প্রযুক্তি ফোরাম গঠন করা হবে

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ জেল্ডার ইনকলুশন ফান্ড ও
স্পেশাল এডুকেশন জেনের মাধ্যমে পিছিয়ে পরা
অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীকে সুযোগ করে দেবে

নতুন নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে
বহুভাষিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, পালি, পার্শি ও

প্রাকৃত ভাষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন গঠন করা হবে

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Kolkata

নয়াদিল্লী, ২৯ জুলাই, ২০২০

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে ২০২০র জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন করা হয়েছে। এরফলে বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে বিপুলভাবে সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এটিই প্রথম শিক্ষানীতি, ৩৪ বছর আগে ১৯৮৬-র 'শিক্ষার ওপর জাতীয় নীতি'র পরিবর্তে এটি কার্যকর হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ, সমদর্শীতা, গুণমান, আয়ত্বের মধ্যে পঠন পাঠনের সুযোগ এবং দায়বদ্ধতা-এগুলির ওপর ভিত্তি করে এই নীতি তৈরি করা হয়েছে। ২০৩০ সালের জন্য স্থিতিশীল উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষানীতি কার্যকর হবে। এরফলে ভারত গতিশীল জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং সর্বাঙ্গীন, পরিবর্তনযোগ্য, বহুস্তরীয়, একবিংশ শতকের উপযোগী একটি বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা যাবে যার মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অনন্য ক্ষমতা গড়ে তোলা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

স্কুল শিক্ষা

স্কুল শিক্ষায় সর্বস্তরে সর্বজনীন প্রবেশ নিশ্চিত করা

২০২০র জাতীয় শিক্ষানীতি প্রাক স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তর- প্রতিটি স্তরে সর্বজনীন স্কুল শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পরিকাঠামোগত সমর্থন, উদ্ভাবনী শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মূল ধারায় নিয়ে আসা হবে। ছাত্রছাত্রীদের দিকে নজর রেখে তাদের শিক্ষালাভের মাত্রার মূল্যায়ণ, প্রথাগত এবং প্রথা বর্হিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, পরামর্শদাতা অথবা সুশিক্ষিত সমাজকর্মীদের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত-বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, তৃতীয়, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য এনআইওএস এবং রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর সমতুল পর্ষদ শিক্ষাসূচী, কারিগরি পাঠক্রম, বয়স্ক স্বাক্ষরতা এবং জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থাপনা এই শিক্ষানীতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০র মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি স্কুলছুট শিশুকে মূল ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

শৈশবের প্রথম পর্যায়ে যত্ন এবং নতুন পাঠক্রম ও শিক্ষানীতির ব্যবস্থা

শৈশবের শুরুতে শিশুদের প্রতি যত্ন নিয়ে শিক্ষাদানের জন্য ১০+২ শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। এরফলে ৩ থেকে ৮, ৮ থেকে ১১, ১১ থেকে ১৪, এবং ১৪ থেকে ১৮ বছর ধাপ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই ব্যবস্থায় ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের বিদ্যালয় ব্যবস্থায় নিয়ে আনা সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য এই সময়সীমাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন ব্যবস্থায় ১২ বছর বিদ্যালয় শিক্ষার আগে ৩ বছর অঙ্গনওয়াড়ী বা প্রাক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকছে।

এনসিইআরটি শৈশবের শুরুতে শিক্ষাদানের বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রম এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামোটি তৈরি করবে। ন্যাশনাল ক্যারিকুলার অ্যান্ড পেডাগোগিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনের মাধ্যমে ৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদানের পাঠক্রম তৈরি করা হবে। এই ব্যবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ী ও প্রাক বিদ্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করা হবে, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়াটি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক যৌথভাবে পরিচালনা করবে।

মূল স্বাক্ষরতা এবং গণনা বিদ্যা অর্জন

স্বাক্ষরতা এবং গণনা বিদ্যাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০র মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি ন্যাশনাল মিশন অন ফান্ডামেন্টাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউম্যারেসি গড়ে তুলবে। ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়া যাতে স্বাক্ষরতা এবং গণনা বিদ্যা অর্জন করতে পারে তার জন্য রাজ্যগুলি একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে। এছাড়া ন্যাশনাল বুক প্রমোশন পলিসিও তৈরি করা হবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

একবিংশ শতাব্দীর সময়োপযোগী করে তোলার জন্য পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বর্তমান পাঠক্রমকে হ্রাস করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীরা যেন শিখতে পারে ও জটিল বিষয় নিয়ে তারা যেন চিন্তাভাবনা করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হবে। এরজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতেকলমে বিভিন্ন বিষয় প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীরা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ পাবে- তাদের বিষয় পরিবর্তনের সুবিধা দেওয়া হবে। কলা ও বিজ্ঞান, পাঠক্রম এবং পাঠক্রম বর্হিভূত কর্মকান্ড, কারিগরি ও পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে দৃঢ়ভাবে কোন বিভেদ তৈরি করা হবেনা।

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে

এনসিইআরটি, একটি নতুন ও সর্বাঙ্গিক ন্যাশনাল কারিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন- এনসিএফএসই ২০২০-২০২১ তৈরি করবে।

বহুভাষিকতা এবং ভাষার শক্তি

এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা/স্থানীয় ভাষা/আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্ত এই ব্যবস্থা অষ্টম শ্রেণী বা তার পরও চালিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ত্রি-ভাষা সূত্র অনুযায়ী বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত নিয়ে বিদ্যাচর্চা করতে পারবে। ভারতের অন্যান্য প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) ভাষা এবং সাহিত্য নিয়েও পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'ভারতের ভাষা সমূহ'এর আওতায় একটি প্রকল্পে অংশ নেবে- 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগে এই প্রকল্প কার্যকর হবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর কোন ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবেনা। দেশজুড়ে ভারতীয় সংকেত ভাষার (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ) একটিই সংস্করণ তৈরি করা হবে। যেসমস্ত পড়ুয়াদের শুনতে সমস্যা হয় তাদের জন্য জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের পাঠক্রমে এটি কার্যকর করা হবে।

মূল্যায়নের সংস্কার

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুসারে সংকলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে গঠনমূলক মূল্যায়ন চালু করা হবে। এরফলে ছাত্রছাত্রীরা দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সামিল হবে। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ, জটিল বিষয়ে ভাবনাচিন্তা এবং নানা ঘটনায় স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করবে। ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয়, পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পর্ষদ পরীক্ষা নিলেও সেক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের দিক বিবেচনা করে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

ঘটানো হবে। পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট, রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ নলেজ ফর হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট বা পরখ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। জাতীয় মূল্যায়ণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও অধীত বিদ্যার মূল্যায়ণ করা হবে।

সমদর্শী ও সমন্বিত শিক্ষা

কোন শিশু যাতে তার জন্মগত বা সামাজিক কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তা নিশ্চিত করছে। সামাজিক ও আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে- এর মাধ্যমে লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক এবং ভৌগলিক পরিচিতির কারণে কেউ যেন বৈষম্যের শিকার না হয়, সেটি নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্যও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পিছিয়ে পরা অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীর জন্য জেডার ইনক্লুশন ফান্ড ও স্পেশাল এডুকেশন জোনস গঠন করা হবে। ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুরা বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। তাদের জন্য স্পেশাল এডুকেটর, রিসোর্স সেন্টার, সহায়ক যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় 'বাল ভবন' গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হবে। এখানে বিশেষ বোর্ডিং স্কুলে শিল্পকলা এবং খেলাধুলা ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা সামিল হতে পারবে। সামাজিক চেতনা কেন্দ্র গঠন করা হবে, সেগুলি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ব্যবহার করতে পারবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ সহ বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ উদ্যোগ

স্বচ্ছতার সঙ্গে বলিষ্ঠভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হবে। তাঁদের পদোন্নতি মেধার ভিত্তিতে করা হবে। এরজন্য তাঁদের পারফরমেন্স নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ণ করা হবে। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, শিক্ষকদের পেশাগত মান বজায় রাখার জন্য দেশজুড়ে একটি অভিন্ন ব্যবস্থাপনা ২০২২ সালের মধ্যে চালু করবে। এনসিইআরটি, এসসিইআরটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এই ব্যবস্থাপনার সূচনা করা হবে।

বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়গুলি যাতে পাঠাগার, শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকাঠামো সহ পেশাদার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধা পেতে পারে তারজন্য একটি ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। এই ক্লাস্টার একটি পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য মান নির্ধারণ ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা

স্পষ্ট এবং পৃথকভাবে নীতি নির্ধারণ, শিক্ষাগত বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্টেট স্কুল স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি গড়ে তুলবে। স্বাধীন এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য স্বচ্ছতার সঙ্গে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবে। যার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে। এসসিইআরটি-গুলি বিদ্যালয়ের মান নির্ধারণ এবং স্বীকৃত কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে।

উচ্চশিক্ষা

২০৩৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ জিইআর বৃদ্ধি

উচ্চশিক্ষায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (জিইআর) বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষাও অন্তর্গত। ২০১৮ সালে যেখানে এই অনুপাত ছিল ২৬.৩ শতাংশ, ২০৩৫ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ নতুন আসনের ব্যবস্থা করা হবে।

সর্বাঙ্গীন বহুস্তরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

এই শিক্ষানীতি, স্নাতক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃহত্তর, বহুস্তরীয়, সর্বাঙ্গীন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবর্তনযোগ্য পাঠক্রম, বিভিন্ন বিষয় বাছাই করার ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকেও যুক্ত করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা বহুস্তরীয় পদ্ধতিতে যেকোন পাঠক্রমে যুক্ত হতে পারবে আবার যথাযথ শংসাপত্র নিয়ে যেকোন পাঠক্রম থেকে বেরিয়েও যেতে পারবে। স্নাতক স্তরে তিন বা চার বছরের পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকছে- যেখানে ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ শংসাপত্র নিয়ে প্রয়োজনমতো বেরিয়ে যেতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এক বছর পড়াশোনার পর সার্টিফিকেট, দু বছর পড়াশোনার শেষে অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা, তিন বছর পড়াশোনার পর স্নাতক ডিগ্রি এবং চার বছর শেষে গবেষণা সহ স্নাতক ডিগ্রি পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগত ক্রেডিট, ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্জন করতে পারবে। এই ক্রেডিট একটি অ্যাকাডেমিক ব্যাল্সে জমা হবে। চূড়ান্ত ডিগ্রি অর্জনের সময় সমস্ত ক্রেডিট ওই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

বহুস্তরীয় শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, আইআইএম-এর মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বহুস্তরীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে গড়ে তোলা হবে।

দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহদানের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা ফাউন্ডেশন তৈরি করা হবে যার সাহায্যে উচ্চশিক্ষায় গবেষণা করার সুযোগ বাড়বে।

ব্যবস্থাপনা

সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (এইচইসিআই) গঠন করা হবে। তবে এই ব্যবস্থায় চিকিৎসাশিক্ষা এবং আইনশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্ত থাকবে না। এইচইসিআই-এর অধীনে ৪টি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান থাকবে। ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল, মান নির্ধারণের জন্য জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল, তহবিল যোগানের জন্য হায়ার এডুকেশন গ্রান্ডস কাউন্সিল এবং স্বীকৃতিদানের জন্য ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গড়ে তোলা হবে। এইচইসিআই প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিধি ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। বেসরকারী এবং সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই নিয়ম মেনে পরিচালিত হবে।

র্যাশনালাইজড ইন্সটিটিউশনাল আর্কিটেকচার

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বহু বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের গবেষণা ভিত্তিক পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। রিসার্চ ইনটেনশিভ ইউনিভার্সিটি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চরিত্র বদল হয়ে টিচিং ইনটেনশিভ ইউনিভার্সিটিজ এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজ হিসেবে কাজ করবে।

কলেজগুলির স্বীকৃতি প্রতি ১৫ বছর পর পর মূল্যায়ন করা হবে- সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে স্বশাসনের ব্যবস্থা করার জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করা হবে। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি কলেজ স্বশাসিত ডিগ্রি প্রদানকারী কলেজের মর্যাদা পাবে অথবা কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ হিসেবে থাকবে।

উৎসাহপ্রদানকারী দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা

উৎসাহপ্রদানকারী দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়, স্বাধীন ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ পেতে পারেন জাতীয় শিক্ষানীতিতে তারজন্য কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজস্ব পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধুমাত্র পাঠদানই করবেন না, তাঁদের দায়বদ্ধতার দিকটিও নিশ্চিত করা হয়েছে।

শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষা

ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর টিচারস এডুকেশন ২০২১ তৈরি করা হবে। এনসিইআরটি-র সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি নতুন ও সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ৪ বছরের ইন্টিগ্রেটেড বিএড ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করা হবে। যেসব শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান যথাযথ থাকবেনা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেন্টরিং মিশন

ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং তৈরি করা হবে। এই মিশনে প্রথিতযশা প্রবীন ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদরা যুক্ত থাকবেন। এঁরা ভারতীয় ভাষায় পাঠদান করতে পারবেন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন উদ্যোগে সাহায্য করবেন।

ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা

তপশীলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পরা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় স্কলারশিপ পোর্টালটিকে আরও কার্যকর করে তোলা হবে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত স্কলারশিপ পাবেন। বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনামূল্যে অথবা প্রচুর পরিমাণে স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

মুক্ত ও দূরশিক্ষা

এই ব্যবস্থা জিইআর বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনলাইনের মাধ্যমে পাঠক্রম, গবেষণার জন্য অর্থের সংস্থান, ছাত্রছাত্রীদের পরিষেবা বৃদ্ধি, ক্রেডিট ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চমানের শিক্ষাদান নিশ্চিত করা হবে।

অনলাইন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে। মহামারীর সময়ে যথাযথ গুণমানের শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের যেন দেওয়া যায় তার জন্য এই ব্যবস্থাপনা। যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সামনে পাঠদান সম্ভব নয় সেখানেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এরজন্য একটি ডিজিটাল পরিকাঠামো মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক গড়ে তুলবে যার সাহায্যে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা যাবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান, মূল্যায়ণ, পরিকল্পনা এবং পরিচালন ব্যবস্থাপনা চালানোর জন্য ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরাম নামে একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা তৈরি করা হবে। এরজন্য সর্বস্তরের শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তিকে যুক্ত করা হবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পিছিয়ে পরা গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা এর সাহায্যে গড়ে তোলা হবে।

ভারতীয় ভাষাগুলির বিষয়ে উৎসাহদান

সমস্ত ভারতীয় ভাষার যথাযথ সংরক্ষণ, মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট (অথবা ইন্সটিটিউটস) ফর পালি, পার্শিয়ান অ্যান্ড প্রাকৃত গঠন করার সুপারিশ করেছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত সহ সমস্ত ভাষা বিভাগকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাতৃভাষা এবং স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনে উৎসাহ দেওয়া হবে।

শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসতে পারেন এবং আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাতে বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বহু বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী যুবক-যুবতী এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের সকলকেই স্বাক্ষর করে তোলা হবে।

শিক্ষায় অর্থের সংস্থান

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি একযোগে কাজ করবে। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬ শতাংশ যাতে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায় সেটি নিশ্চিত করা হবে।

অভূতপূর্ব পরামর্শ গ্রহণ

প্রায় আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েত, ৬ হাজার ৬০০ টি ব্লক, ৬ হাজার পুরসভা ও ৬৭৬টি জেলা থেকে ২ লক্ষের বেশি পরামর্শ গ্রহণ করে এক অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ তৈরি করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ব্যাপক, সর্বাঙ্গিক এবং যত বেশি সম্ভব পরামর্শ নেওয়ার জন্য ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই কাজ শুরু করেছিল। প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব স্বর্গীয় টিএসআর সুস্মানিয়ানের নেতৃত্বে 'কমিটি ফর রিভলিউশন অফ দি নিউ এডুকেশন পলিসি' এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন ২০১৬র মে মাসে জমা দেয়। তার ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রক জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৬র খসড়া তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে ২০১৭-র জুন মাসে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পদ্মবিভূষণ ডঃ কে

কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটিও জাতীয় শিক্ষা নীতির খসড়া তৈরি করেছে। ২০১৯এর ৩১শে মে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে কমিটি তার প্রতিবেদন জমা দেয়। এরপর মন্ত্রকের ওয়েবসাইট ও মাই গভ ইনোভেট পোর্টালে সেই খসড়াটি আপলোড করা হয়েছিল। সেখানে শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বরা ছাড়াও জনসাধারণ এই খসড়া নীতির প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতিটি দেখতে চাইলে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন -

[http://pibcms.nic.in/WriteReadData/userfiles/2020729wqee233%20\(1\).pdf](http://pibcms.nic.in/WriteReadData/userfiles/2020729wqee233%20(1).pdf)

CG/CB/NS

(Release ID: 1642170) Visitor Counter : 29

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 -Gujarati

માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય

મંત્રીમંડળે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને મંજૂરી આપી,
દેશમાં શાળાઓ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ તંત્રમાં
પરિવર્તનકારી સુધારાનો માર્ગ મોકળો થયો

નવી નીતિનો ઉદ્દેશ 2030 સુધીમાં પ્રિ-સ્કૂલથી માંડીને
માધ્યમિક સ્તર સુધી શાળાઓમાં 100% GER સાથે
શિક્ષણનું સાર્વત્રિકરણ કરવાનો છે

શાળા છોડનારા 2 કરોડ વિદ્યાર્થીઓને NEP 2020
અંતર્ગત મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા લાવવામાં આવશે

12 વર્ષના શાળાકીય અભ્યાસ અને 3 વર્ષ આંગણવાડી/
પ્રિ-સ્કૂલિંગ સાથે નવો 5+3+3+4નો શાળાકીય
અભ્યાસક્રમ

પાયાની સાક્ષરતા અને સાંખ્યજ્ઞાન પર વિશેષ ભાર
મૂકવામાં આવ્યો, શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રવાહો અને
ઇતરપ્રવૃત્તિઓ, રોજગારલક્ષી પ્રવાહો વચ્ચે કોઇ કઠોર
તફાવત રહેશે નહીં; છઠ્ઠા ધોરણથી રોજગારલક્ષી શિક્ષણ
ઇન્ટર્નશીપ સાથે શરૂ થશે

ઓછામાં ઓછા પાંચમા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ
માતૃભાષા/ પ્રાદેશિક ભાષામાં રહેશે

અભ્યાસના પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે 360 અંશ સર્વાંગી
પ્રગતિપત્રક, વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ પર દેખરેખ સાથે
મૂલ્યાંકનમાં સુધારા

2035 સુધીમાં ઉચ્ચ અભ્યાસમાં GER 50% સુધી

વધારવામાં આવશે; 3.5 કરોડ બેઠકો ઉચ્ચ અભ્યાસમાં ઉમેરવામાં આવશે

ઉચ્ચ અભ્યાસના અભ્યાસક્રમમાં વિષયોની અનુકૂળતા રહેશે

યોગ્ય પ્રમાણીકરણ સાથે બહુવિધ એન્ટી/ એકઝીટને મંજૂરી આપવામાં આવશે

ક્રેડિટ ટ્રાન્સફરની સુવિધા માટે એ

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Ahmedabad

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે યોજાયેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે જેના કારણે મોટાપાયે, શાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પરિવર્તનકારી સુધારાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. 21મી સદીની આ પ્રથમ શિક્ષણ નીતિ છે અને દેશમાં અમલી 34 વર્ષ જુની રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NPE) 1986ના બદલે તેને અમલમાં મુકવામાં આવશે. પર્હોચ, સમાનતા, ગુણવત્તા, પરવડતા અને જવાબદારીના મૂળભૂત પાયા પર તૈયાર કરવામાં આવેલી આ નીતિ ટકાઉક્ષમ વિકાસના 2030 એજન્ડાને સુસંગત છે અને તેનો ઉદ્દેશ શાળા અને કોલેજ એમ બંને પ્રકારના શિક્ષણને વધુ સર્વગ્રાહી, અનુકૂળનશીલ, બહુ-વિષયક, 21મી સદીની જરૂરિયાતોને સુસંગત બનાવીને ભારતને ધબકતા જ્ઞાનના સમાજ અને વૈશ્વિક જ્ઞાન મહાશક્તિમાં પરિવર્તિત કરવાનો અને દરેક વિદ્યાર્થીની અનન્ય ક્ષમતાઓને બહાર લાવવાનો છે.

મહત્વપૂર્ણ મુખ્યઅંશો

શાળાકીય અભ્યાસ

શાળાકીય અભ્યાસમાં તમામ સ્તરે સાર્વત્રિક પર્હોચ સુનિશ્ચિત કરવી

NEP 2020માં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે, તમામ સ્તરે એટલે કે પ્રિ-સ્કૂલથી માંડીને માધ્યમિક સ્તર સુધી દરેકને શાળાકીય અભ્યાસની સાર્વત્રિક પર્હોચ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું જરૂરી છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહકાર, શાળા છોડનારા વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા લાવવા માટે નવીનતમ શૈક્ષણિક કેન્દ્રો, વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના અભ્યાસના સ્તરો પર દેખરેખ (ટ્રેકિંગ), ઔપચારિક અને અનૌપચારિક એમ બંને પ્રકારના શિક્ષણના માધ્યમો સામેલ કરવા માટે બહુવિધ રીતોથી સુવિધા, શાળાઓ દ્વારા ક્રોસલર્સ સાથે જોડાણ અથવા સારી રીતે તાલીમબદ્ધ સામાજિક કાર્યકરો સાથે જોડાણ, ધોરણ 3, 5 અને 8 માટે NIOS દ્વારા ઓપન લર્નિંગ, ધોરણ 10 અને 12ની સમકક્ષ માધ્યમિક શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, વચસ્ક વચ સંબંધિત સાક્ષરતા અને જીવન ઉત્કર્ષના કાર્યક્રમો વગેરે આ લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટેની કેટલીક પ્રસ્તાવિત રીતો છે. શાળા છોડી દેનારા અંદાજે બે કરોડ વિદ્યાર્થીઓને NEP 2020 અંતર્ગત પાછા મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવામાં આવશે.

નવા અભ્યાસક્રમ તેમજ શિક્ષણશાસ્ત્ર વિષયક માળખા સાથે પ્રારંભિક બાળપણ સંભાળ અને શિક્ષણ

પ્રારંભિક બાળપણ સંભાળ અને શિક્ષણ પર વિશેષ ભાર મૂકતા, 10+2 અભ્યાસક્રમ માળખાના બદલે 5+3+3+4 અભ્યાસક્રમ માળખું અનુક્રમે 3-8, 8-11, 11-14 અને 14-18 વયજૂથના વિદ્યાર્થીઓ માટે અપનાવવામાં આવ્યું છે. આનાથી, આજદિન સુધી શાળાકીય અભ્યાસક્રમમાં ના આવરી લેવાયેલા 3-6 વર્ષના સમૂહ, કે જેને વૈશ્વિક સ્તરે બાળકના માનસિક વિકાસ માટે મહત્વનો તબક્કો ગણવામાં આવે છે તેને પણ આવરી લેવામાં આવશે. નવી પ્રણાલીમાં 12 વર્ષ શાળાકીય અભ્યાસના અને ત્રણ વર્ષ આંગણવાડી/પ્રિ-સ્કૂલ અભ્યાસના રહેશે.

NCERT દ્વારા 8 વર્ષ સુધીના બાળકો માટે પ્રારંભિક બાળપણ સંભાળ અને શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણશાસ્ત્ર વિષયક માળખું (NCFECCE) તૈયાર કરવામાં આવશે. આંગણવાડી અને પ્રિ-સ્કૂલ સહિત સંસ્થાઓના નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વિસ્તરણ કરાયેલ અને મજબૂત બનાવવામાં આવેલા તંત્ર દ્વારા ECCE આપવામાં આવશે જેમાં શિક્ષકો અને આંગણવાડી કાર્યકરો ECCE શિક્ષણશાસ્ત્ર અને અભ્યાસક્રમમાં તાલીમબદ્ધ હશે. ECCEના આયોજન અને અમલીકરણની કામગીરી HRD મંત્રાલય અને મહિલા અને બાળક કલ્યાણ મંત્રાલય (WCD), આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય (HFW) અને આદિજાતિ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવશે.

પાયાની સાક્ષરતા અને સાંખ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું

પાયાની સાક્ષરતા અને સાંખ્યજ્ઞાનને અભ્યાસ માટે તાકીદની અને આવશ્યક પૂર્વ જરૂરિયાત તરીકે ધ્યાનમાં રાખીને, NEP 2020માં MHRD દ્વારા રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા અને સાંખ્યજ્ઞાન મિશન ઉભું કરવાનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 2025 સુધીમાં ત્રીજા ધોરણ સુધીમાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાર્વત્રિક પાયાની સાક્ષરતા અને સાંખ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તે માટેની અમલીકરણ યોજના રાજ્યો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે. એક રાષ્ટ્રીય પુસ્તક પ્રચાર નીતિ તૈયાર કરવામાં આવશે.

શાળાકીય અભ્યાસ અને શિક્ષણશાસ્ત્રમાં સુધારા

શાળાકીય અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ તમામ વિદ્યાર્થીઓને 21મી સદીના કૌશલ્યોથી સજ્જ કરીને તેમનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો, આવશ્યક અભ્યાસમાં વૃદ્ધિ માટે અભ્યાસક્રમ સામગ્રીમાં ઘટાડો કરવાનો અને મહત્વપૂર્ણ વિચારશૈલી તેમજ પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ પર મોટાપાયે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પાસે વિષયો પસંદ કરવાની વધુ અનુકૂળતા અને પસંદગીઓ રહેશે. કળા અને વિજ્ઞાન, અભ્યાસક્રમ અને ઇતરપ્રવૃત્તિઓ, રોજગારલક્ષી અને શૈક્ષણિક પ્રવાહો વચ્ચે કોઈ કઠોર ભિન્નતા રાખવામાં નહીં આવે.

રોજગારલક્ષી શિક્ષણ છઠ્ઠા ધોરણથી શરૂ થશે અને તેમાં ઇન્ટર્નશીપ સામેલ રહેશે.

NCERT દ્વારા નવું અને વ્યાપક શાળાકીય અભ્યાસ માટે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખું, NCFSE 2020-21 તૈયાર કરવામાં આવશે.

બહુ-ભાષાવાદ અને ભાષાની તાકાત

આ નીતિમાં ઓછામાં ઓછા ધોરણ-5 સુધીના અભ્યાસમાં સૂચનાઓ આપવાના માધ્યમ તરીકે માતૃભાષા/ સ્થાનિક ભાષા/ પ્રાદેશિક ભાષા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ધોરણ- 8 અને તેનાથી આગળ પણ ચાલુ રાખવાની પ્રાધાન્યતા ગણવામાં આવશે. સંસ્કૃતને ત્રણ ભાષાની ફોર્મ્યુલામાં સામેલ કરીને શાળાકીય અને ઉચ્ચ અભ્યાસમાં તમામ સ્તરે વિદ્યાર્થીઓને વિકલ્પ તરીકે આપવામાં આવશે. કોઈપણ વિદ્યાર્થી પર કોઈ ચોક્કસ ભાષાનું ફરજિયાત પાલન કરવામાં આવશે નહીં. ભારતની અન્ય શાસ્ત્રીય ભાષાઓ અને સાહિત્યો પણ વિકલ્પો તરીકે ઉપલબ્ધ રહેશે. 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત' જેવી પહેલ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓ 'ભારતની ભાષાઓ' પર મનોરંજક પ્રોજેક્ટ/ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશે, કેટલીક વખત ધોરણ 6-8ના વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે. માધ્યમિક સ્તરે કેટલીક વિદેશી ભાષાઓ શીખવવામાં આવશે. મૂકબધીર વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગમાં લેવા માટે સમગ્ર દેશમાં ભારતીય સાંકેતિક ભાષા (ISL)ને પ્રમાણિત કરવામાં આવશે અને રાષ્ટ્રીય તેમજ રાજ્ય અભ્યાસક્રમ સામગ્રી તૈયાર કરવામાં આવશે.

મૂલ્યાંકન સુધારા

NEP 2020માં સારાત્મક મૂલ્યાંકનમાંથી પરિવર્તન કરીને નિયમિત અને રચનાત્મક મૂલ્યાંકન અપનાવવાની પરિકલ્પના કરવામાં આવી છે, જે વધુ યોગ્યતા આધારિત છે, અભ્યાસ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે અને ઉચ્ચ ક્રમના કૌશલ્યો જેમકે વિશ્લેષણ, મહત્વપૂર્ણ વિચારશૈલી અને પરિકલ્પનાની સ્પષ્ટતાની કસોટી કરે છે. શાળામાં ધોરણ 3, 5 અને 8માં તમામ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા યોગ્ય સત્તામંડળ દ્વારા લેવામાં આવશે. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લેવાતી બોર્ડની પરીક્ષા યથાવત્ રહેશે પરંતુ, સર્વાંગી વિકાસના ઉદ્દેશને કેન્દ્રમાં રાખીને તેની રૂપરેખા ફરી તૈયાર કરવામાં આવશે. આદર્શ- આયોજન સંગઠન તરીકે નવા રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર, PARAKH (સર્વાંગી વિકાસ માટે પરફોર્મન્સ મૂલ્યાંકન, સમીક્ષા અને જ્ઞાનનું વિશ્લેષણ)ની રચના કરવામાં આવશે.

સમાન અને સમાવેશી શિક્ષણ

જન્મની પૃષ્ઠભૂમિના કારણે ઉભા થયેલા સંજોગોવસાત એકપણ વિદ્યાર્થી અભ્યાસમાં આગળ વધવાની અને નિપુણતા થવાની તક ગુમાવે નહીં તે સુનિશ્ચિત કરવાનો NEP 2020નો ઉદ્દેશ છે. સામાજિક અને આર્થિક વંચિત સમૂહો (SEDG) કે જેમાં જાતિ, સામાજિક-સાંસ્કૃતિક અને ભૌગોલિક ઓળખ અને દિવ્યાંગતા સામેલ છે તેના પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવશે. આમાં જાતિ સમાવેશિતા ભંડોળ સ્થાપવાનું તેમજ વંચિત પ્રદેશો અને સમૂહો માટે વિશેષ શિક્ષણ ઝોન ઉભા કરવાનું પણ સામેલ છે. દિવ્યાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને દિવ્યાંગતા સામેની તાલીમ પ્રાપ્ત પ્રશિક્ષકો, સંસાધન કેન્દ્રો, સવલતો, સહાયક ઉપકરણો, યોગ્ય ટેકનોલોજી આધારિત સાધનો અને તેમની જરૂરિયાતોને અનુકૂળ અન્ય વિશેષ તૈયાર કરવામાં આવેલા સહાયક તંત્રોની મદદથી પાયાના તબક્કેથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી નિયમિત શાળાકીય અભ્યાસની પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણપણે ભાગ લેવા માટે સમર્થ બનાવવામાં આવશે. દરેક રાજ્ય/ જિલ્લાને વિશેષ આખા દિવસની બોર્ડિંગ સ્કૂલ તરીકે "બાળ ભવન" સ્થાપવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે જેથી તેઓ કળા સંબંધિત, કારકિર્દી સંબંધિત અને રમત સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકે. સામાજિક ચેતના કેન્દ્રો તરીકે વિનામૂલ્યે શાળા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.

શિક્ષક ભરતી અને કારકિર્દી માર્ગ મજબૂત વ્યવસ્થા

શિક્ષકોની મજબૂત, પારદર્શી પ્રક્રિયા દ્વારા ભરતી કરવામાં આવશે. સમયાંતરે બહુ-સ્તરીય કામગીરી મૂલ્યાંકન વ્યવસ્થા દ્વારા લાયકાત-આધારિત પ્રમોશન આપવામાં આવશે અને તેમને શૈક્ષણિક સંચાલક અથવા શિક્ષક પ્રશિક્ષક બનવા માટે પ્રગતિના માર્ગો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. NCERT, SCERT, તમામ સ્તરો અને પ્રદેશોમાંથી શિક્ષકો અને નિષ્ણાત સંસ્થાઓ સાથે પરામર્શમાં 2022 સુધી રાષ્ટ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષક પરિષદ દ્વારા શિક્ષકો માટે સામાન્ય રાષ્ટ્રીય વ્યાવસાયિક માપદંડો (NPST) વિકસાવવામાં આવશે.

સ્કૂલ સંચાલન

શાળાઓને પરિસરો અથવા સમૂહોમાં આયોજિત કરી શકાશે જે સંચાલન માટેનું મૂળભૂત એકમ બનશે અને તે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શૈક્ષણિક પુસ્તકાલયો અને મજબૂત વ્યાવસાયિક શિક્ષક સમુદાયો સહિત તમામ સંશોધનોની ઉપલબ્ધી સુનિશ્ચિત કરશે.

શાળા શિક્ષણ માટે માપદંડ-નિર્ધારણ અને અધિકૃતતા

NEP 2020 નીતિ ઘડતર, નિયમન, કાર્યવાહી અને શૈક્ષણિક બાબતો માટે અલગ વ્યવસ્થાઓની સ્પષ્ટ જોગવાઈ કરે છે. રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સ્વતંત્ર રાજ્ય શાળા માપદંડ સત્તામંડળ (SSSA)ની સ્થાપના કરશે. SSSA દ્વારા નિર્ધારિત કરાયેલી તમામ મૂળભૂત નિયમન માહિતીનો પારદર્શી જાહેર સ્વૈચ્છિક ખુલાસાનો વિસ્તૃત ઉપયોગ જાહેર દેખરેખ અને જવાબદેહિતા માટે કરવામાં આવશે. SCERT તમામ હિતધારકો સાથે પરામર્શ સાધીને શાળા ગુણવત્તા મૂલ્યાંકન અને અધિકૃતતા માળખું (SQAAF) વિકસાવશે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ

2035 સુધીમાં GERમાં 50% સુધીનો વધારો

NEP 2020 વ્યાવસાયિક શિક્ષણ સહિત ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કુલ નામાંકન ગુણોત્તરમાં 26.3% (2018)થી 2035 સુધીમાં 50% સુધી વધારો કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 3.5 કરોડ નવી બેઠકો ઉમેરવામાં આવશે.

સર્વાંગી બહુવિષયક શિક્ષણ

NEP પરિવર્તનશીલ અભ્યાસક્રમ, વિષયોનું સર્જનાત્મક સંયોજન, વ્યાવસાયિક તાલીમનું સંકલન અને યોગ્ય પ્રમાણપત્ર સાથે બહુવિધ એન્ટ્રી અને એકઝીટ પોઇન્ટ દ્વારા વ્યાપક આધાર ધરાવતાં, બહુવિષયક, સર્વાંગી પૂર્વ-સ્નાતક શિક્ષણની કલ્પના કરે છે. પૂર્વ-સ્નાતક બહુવિધ એકઝીટ વિકલ્પો અને આ સમયગાળાની અંદર યોગ્ય પ્રમાણપત્રો સાથે કરી શકાશે. ઉદાહરણ તરીકે, એક વર્ષ પછી પ્રમાણપત્ર, 2 વર્ષ પછી એડવાન્સ ડિપ્લોમા, 3 વર્ષ પછી સ્નાતકની પદવી અને 4 વર્ષ પછી સંશોધન સાથે સ્નાતક.

વિવિધ HEI દ્વારા મેળવવામાં આવેલી શૈક્ષણિક ક્રેડિટનો ડિજિટલ રીતે સંગ્રહ કરવા માટે 'એકેડેમિક બેન્ક ઓફ ક્રેડિટ'ની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જેથી અંતિમ મેળવેલી ઉપાધી માટે તેનું હસ્તાંતર અને ગણતરી કરી શકાય.

IIT, IIMની જેમ જ, દેશમાં બહુવિષયક શૈક્ષણિક અને સંશોધન યુનિવર્સિટી (MERU)ની સ્થાપના વૈશ્વિક માપદંડો ધરાવતી શ્રેષ્ઠ બહુવિષયક શૈક્ષણિક સંસ્થાના મોડલ તરીકે કરવામાં આવશે.

મજબૂત સંશોધન સંસ્કૃતિના સંવર્ધન અને સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંશોધન ક્ષમતાના નિર્માણની સર્વોચ્ચ સંસ્થા તરીકે રાષ્ટ્રીય સંશોધન પ્રતિષ્ઠાનનું સર્જન કરવામાં આવશે.

નિયમનો

ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ આયોગ (HECI)ની સ્થાપના તબીબી અને કાનૂની શિક્ષણ સિવાય સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ ઉપર દેખરેખ રાખતી એકમાત્ર સંસ્થા તરીકે કરવામાં આવશે. HECI ચાર સ્વતંત્ર અંગો ધરાવશે – નિયમન માટે રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પરિષદ (NHERC), માપદંડ નિર્ધારિત કરવા માટે સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ (GEC), ભંડોળ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ અનુદાન પરિષદ (HEGC) અને માન્યતા માટે રાષ્ટ્રીય અધિકૃતતા પરિષદ (NA). HECI ટેકનોલોજી દ્વારા સંપર્કવિહિન હસ્તક્ષેપ દ્વારા કામગીરી કરશે અને નિયત નિયમો અને માપદંડોનું પાલન ન કરનાર HEIને દંડિત કરવાની સત્તા ધરાવતી હશે. જાહેર અને ખાનગી ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું નિયમનો, અધિકૃતતા અને શૈક્ષણિક માપદંડો માટે એક જ નિયમોના સમૂહો હેઠળ સંચાલન કરાશે.

તર્કસંગત સંસ્થાકીય માળખું

ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, સંશોધન અને સમુદાય સંકલન પૂરી પાડતી વિશાળ, વ્યાપક સંશોધનો ધરાવતી, ગતિશીલ બહુશિસ્ત સંસ્થાઓમાં તબદિલ કરવામાં આવશે. યુનિવર્સિટીઓની વ્યાખ્યામાં વિસ્તૃત શ્રેણીબદ્ધ સંસ્થાઓનો સમાવેશ કરાશે, જેમાં સંશોધન-લક્ષી યુનિવર્સિટીઓથી માંડીને શિક્ષણ-લક્ષી યુનિવર્સિટીઓ અને સ્વાયત્ત પદવી આપતી કોલેજો આવરી લેવામાં આવશે.

15 વર્ષોની અંદર તબક્કાવાર રીતે કોલેજોની સંલગ્નતા દૂર કરાશે અને કોલેજોને શ્રેણીબદ્ધ સ્વાયત્તતા આપવા માટે રાજ્ય-દીઠ વ્યવસ્થાતંત્રની સ્થાપના કરાશે. સમયાંતરે, તેવો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે કે દરેક કોલેજને પદવી-આપતી સ્વાયત્ત કોલેજ તરીકે અથવા યુનિવર્સિટીના ઘટક તરીકે વિકસાવવામાં આવશે.

પ્રોત્સાહિત, ઉર્જાવાન અને સક્ષમ અધ્યાપકો

NEPમાં સ્પષ્ટ રીતે નિર્ધારિત સ્વતંત્ર, પારદર્શી ભરતી, અભ્યાસક્રમ/ પ્રશિક્ષણ રચવાની સ્વતંત્રતા, ઉત્કૃષ્ટતાને પ્રોત્સાહન, સંસ્થાકીય નેતૃત્વની ગતિશિલતા મારફતે અધ્યાપકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા, ઉર્જાવાન બનાવવા અને તેમની ક્ષમતાના નિર્માણ માટે અનેક ભલામણો કરવામાં આવી છે. કેટલાક નિયત માપદંડો પરિપૂર્ણ નહીં કરનાર અધ્યાપકોને જવાબદેહિતા નક્કી કરાશે.

શિક્ષક પ્રશિક્ષણ

NCERT સાથે પરામર્શમાં NCTE દ્વારા શિક્ષક પ્રશિક્ષણ માટે નવા અને સર્વાંગી રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખું, NCFTE 2021 ઊભું કરવામાં આવશે. 2030 સુધીમાં, શિક્ષકો માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત 4 વર્ષની સંકલિત B.Ed. ડિગ્રી કરવામાં આવશે. નિમ્ન માપદંડો ધરાવતી એકલ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ (TEIs) સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

માર્ગદર્શન મિશન

યુનિવર્સિટી/ કોલેજના શિક્ષકોને ટૂંકા અને લાંબા-ગાળાનું માર્ગદર્શન/ વ્યાવસાયિક સહાયતા પૂરી પાડવાની ઇચ્છા ધરાવતા તેમજ ભારતીય ભાષાઓમાં ભણાવવાની ક્ષમતા ધરાવતાં ઉત્કૃષ્ટ વરિષ્ઠ/ નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપકોના વિશાળ સમૂહનું સર્જન કરીને રાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શન મિશનની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાયતા

SC, ST, OBC અને અન્ય SEDG શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓની ફરજિયાતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવશે. શિષ્યવૃત્તિઓ પ્રાપ્ત કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ ઉપર દેખરેખ રાખવા અને તેમની સહાયતા, સંવર્ધન માટે રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ પોર્ટલનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે.

મુક્ત અને દૂરસ્થ શિક્ષણ

GERમાં વધારો કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરવા માટે તેનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત વર્ગખંડ કાર્યક્રમોને સમકક્ષ બનાવવા માટે ઓનલાઇન અભ્યાસક્રમો જેવા પગલા અને ડિજિટલ ભંડારો, સંશોધન માટે ભંડોળ, વિદ્યાર્થી સેવાઓમાં સુધારો, MOOCની કેડિટ-આધારિત સ્વીકૃતિ જેવા પગલાઓ હાથ ધરવામાં આવશે.

ઓનલાઇન શિક્ષણ અને ડિજિટલ શિક્ષણ

જ્યારે પણ પરંપરાગત અને વ્યક્તિગત શિક્ષણ વ્યવસ્થા દ્વારા શિક્ષણ પૂરું પાડવું શક્ય ન હોય ત્યારે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના વૈકલ્પિક રીત તરીકે તૈયારીઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તથા તાજેતરમાં રોગચાળા અને મહામારીમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને ઓનલાઇન શિક્ષણને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે સર્વસમાવેશી ભલામણો કરવામાં આવી છે. બંને શાળાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણની ઇ-શિક્ષણની જરૂરિયાતોનો ખ્યાલ રાખવા માટે MHRDમાં ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ, ડિજિટલ સામગ્રી અને ક્ષમતા નિર્માણની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાના હેતુસર એક સમર્પિત એકમનું સર્જન કરવામાં આવશે.

શિક્ષણમાં ટેકનોલોજી

શિક્ષણ, મૂલ્યાંકન, આયોજન, વહીવટમાં વધારો કરવા માટે તકનિકના ઉપયોગ અંગેના વિચારોના મુક્ત આદાન-પ્રદાન માટેનું મંચ પૂરું પાડવા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ટેકનિકલ મંચ (NETF)ના નામથી એક સ્વાયત્ત સંસ્થાનું સર્જન કરવામાં આવશે. વર્ગખંડ પ્રક્રિયાઓમાં સુધારો કરવા, સહાયક શિક્ષક વ્યાવસાયિક વિકાસ, નબળા જૂથોની શૈક્ષણિક પહોંચ વધારવા અને શૈક્ષણિક આયોજન, વહીવટ અને સંચાલનને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે શિક્ષણના દરેક સ્તરો પર તકનિકનું યોગ્ય સમન્વયન કરવામાં આવશે.

ભારતીય ભાષાઓને પ્રોત્સાહન

તમામ ભારતીય ભાષાઓના સંરક્ષણ, વિકાસ અને જીવંતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, NEP દ્વારા અનુવાદ અને અર્થઘટનની રાષ્ટ્રીય સંસ્થા (IITI), પાલી, પરિયન અને પ્રાકૃત માટે રાષ્ટ્રીય સંસ્થા (અથવા સંસ્થાઓ), સંસ્કૃત ભાષાના સશક્તિકરણ અને HEIમાં તમામ ભાષા વિભાગો અને HEI મહત્તમ કાર્યક્રમોમાં માતૃભાષા / સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસના માધ્યમ તરીકે ઉપયોગની ભલામણો કરવામાં આવી છે.

શિક્ષણના આંતરરાષ્ટ્રીયકરણને બંને સંસ્થાકીય સંકલન અને વિદ્યાર્થી અને પ્રાધ્યાપક ગતિશિલતા દ્વારા દ્વારા સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે અને આપણા દેશમાં મુક્ત પરિસરોમાં વિશ્વની ટોચની શ્રેણીમાં સ્થાન પામતા યુનિવર્સિટીઓને પ્રવેશ માટે પરવાનગી અપાશે.

વ્યાવસાયિક શિક્ષણ

તમામ વ્યાવસાયિક શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો એક આંતરિક ભાગ હશે. એકલ ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીઓ, આરોગ્ય વિજ્ઞાન યુનિવર્સિટીઓ, કાયદા અને કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ વગેરે બહુવિધ વિદ્યાશાખાઓ ધરાવતી સંસ્થાઓ બનવાનો હેતુ ધરાવશે.

વયસ્ક શિક્ષણ

નીતિ 100% યુવા અને વયસ્ક સાક્ષરતા પ્રાપ્ત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.

શિક્ષણને નાણાકીય સહાયતા

વહેલામાં વહેલી તકે GDPનો 6% હિસ્સા સુધી પહોંચવા શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં જાહેર રોકાણ વધારવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યો સાથે મળીને કામ કરશે.

અભૂતપૂર્વ પરામર્શ

NEP 2020ની રચના 2.5 લાખ ગ્રામ પંચાયતો, 6,600 બ્લોક, 6,000 ULB, 676 જિલ્લાઓ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા 2 લાખ જેટલા સૂચનોનો સમાવેશ કરીને હાથ ધરવામાં આવેલી અભૂતપૂર્વ પ્રક્રિયા બાદ કરવામાં આવી છે. MHRD દ્વારા જાન્યુઆરી, 2015થી સર્વગ્રાહી, સમાવેશી અને વ્યાપક પ્રતિભાગીતા ધરાવતી અભૂતપૂર્વ પરામર્શ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. મે, 2016માં, ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ સચિવ, સ્વર્ગીય ટી.એસ.આર. સુબ્રમણ્યમની અધ્યક્ષતા હેઠળ ઘડાયેલી નવી શૈક્ષણિક નીતિ વિકસિત કરવા માટે સમિતિ'એ પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો હતો. આ અહેવાલના આધારે, મંત્રાલયે, 'રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક નીતિ, 2016ના ખરડા માટે કેટલાક સૂચનો' તૈયાર કર્યા હતા. જૂન, 2017માં ખ્યાતનામ વૈજ્ઞાનિક પદ્મ વિભૂષણ ડૉ.કે. કસ્તુરંગનની અધ્યક્ષતા હેઠળ 'રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક નીતિના ખરડા માટે સમિતિ'ની રચના કરવામાં આવી હતી, જેમના દ્વારા માનનીય માનવ સંશોધન વિકાસ મંત્રીને 31મી મે, 2019ના રોજ રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક નીતિ, 2019નો ખરડો સુપરત કરાયો હતો. જાહેર લોકો સહિત હિતધારકોના મંતવ્યો / સૂચનો / ટિપ્પણીઓ મેળવવા માટે રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક નીતિ, 2019નો ખરડો MHRDની વેબસાઇટ અને 'MyGov ઇનોવેટ' પોર્ટલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો.

SD/GP/BT

(Release ID: 1642087) Visitor Counter : 61

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Kannada

ಸಂಪುಟ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ

Posted On: 29 JUL 2020 5:20PM by PIB Bengaluru

ಹೊಸ ನೀತಿಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ (ಜಿಇಆರ್) ದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ 2 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ

ಹೊಸ 5 + 3 + 3 + 4 ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ/ ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಳಹದಿಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞತೆಗೆ ಒತ್ತು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪಠ್ಯೇತರ, ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ; 6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ

ಕನಿಷ್ಠ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ/ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಸೀಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತ

ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರವೇಶ/ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

ಬಲವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಘುವಾದ ಆದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ; ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಲಿಂಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಿಧಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ; ಪಾಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು

ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 1986 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್‌ಪಿಇ) ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2030ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನೀತಿಯು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ -ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ- ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ನಾವೀನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅಥವಾ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಹಯೋಗ, ಎನ್‌ಐಎಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ 3,5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಕಲಿಕೆ, 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಎನ್‌ಐಪಿ 2020 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.

ಹೊಸ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ

ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮದ 10 + 2 ರಚನೆಯನ್ನು 3-8, 8-11, 11-14 ಮತ್ತು 14- 18 ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ 5 + 3 + 3 + 4 ವ್ಯಾಸಂಗ ರಚನೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೇರಿದ 3-6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿದೆ, ಇದು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವೆಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ / ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (ಎನ್‌ಸಿಪಿಎಫ್‌ಐಸಿಇ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸಿಸಿಇ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸಿಸಿಇ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಸಿಸಿಇ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿಡಿ), ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ (ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು) ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ತಳಹದಿಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು

ತಳಹದಿಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞತೆಯು ಕಲಿಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಎನ್‌ಐಪಿ 2020 ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ತಳಹದಿಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 3 ರೊಳಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತಳಹದಿಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮವು ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿ 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಎನ್‌ಸಿಎಫ್‌ಎಸ್‌ಇ 2020-21 ಅನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಬಹುಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಶಕ್ತಿ

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಮಾತೃಭಾಷೆ / ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ / ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಗಳವರೆಗೆ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರಲಿದೆ. ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 'ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್' ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 6-8 ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳು' ಕುರಿತು ಒಂದು ಮೋಜಿನ ಯೋಜನೆ / ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ (ಐಎಸ್‌ಎಲ್) ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಎನ್‌ಐಪಿ 2020 ಸಾರಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ-ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3, 5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ PARAKH (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ) ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಶಿಕ್ಷಣ

ಜನನ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್‌ಇಪಿ 2020ರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ (ಎನ್‌ಇಡಿಜಿ) ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಲಿಂಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ತರಬೇತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಸತಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳು, ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿಕಲಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಶಾಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ-ಸಂಬಂಧಿ, ವೃತ್ತಿ-ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಆಟ-ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಹಗಲಿನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆ “ಬಾಲ ಭವನ”ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೇತನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ

ದೃಢವಾದ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬಡ್ಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧಕರಾಗಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು-ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಟಿ) 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ, ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆಡಳಿತದ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ

ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎನ್‌ಇಪಿ 2020 ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎ) ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು (ಎನ್‌ಕ್ಯೂಎಎಎಫ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಇಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇ.50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಎನ್‌ಇಪಿ 2020 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.26.3 (2018) ರಿಂದ ಶೇ.50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 3.5 ಕೋಟಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಮಗ್ರ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ನಮ್ಮತೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಆಧಾರಿತ, ಬಹು-ಶಿಸ್ತೀಯ, ಸಮಗ್ರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಷಯಗಳ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿಯು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವು 3 ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ.

ವಿವಿಧ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪದವಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಐಐಟಿಗಳು, ಐಐಎಂಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (ಎಂಇಆರ್‌ಯು) ದೇಶದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಬಲವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಾದ್ಯಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗವನ್ನು (ಎಚ್‌ಇಸಿಐ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಚ್‌ಇಸಿಐ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ - ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಇಆರ್‌ಸಿ), ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಜಿಇಸಿ), ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಧನಸಹಾಯ

ಮಂಡಳಿ (ಎಚ್‌ಇಜಿಸಿ) ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್‌ಎಸಿ). ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಖರಹಿತವಾಗಿ ಎಚ್‌ಇಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಸುಧಾರಣೆ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ರೋಮಾಂಚಕ ಬಹುಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹವರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಂತವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪದವಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೇರಿತ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ

ಸ್ವತಂತ್ರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬೋಧಕವರ್ಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಎನ್‌ಇಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪದ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಎನ್‌ಸಿಎಫ್‌ಟಿಇ 2021 ಅನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಇಟಿಇಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಎನ್‌ಸಿಟಿಇ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಬೋಧನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆಯು 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಟಿಇಇ) ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಿಷನ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ / ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ / ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿರಿಯ / ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಎನ್‌ಸಿ, ಎನ್‌ಟಿ, ಒಬಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ಎನ್‌ಇಡಿಜಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ದೂರಶಿಕ್ಷಣ

ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪೋಸಿಟರಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ, ಸುಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇವೆಗಳು, MOOC ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ:

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಮಗ್ರವಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಎಂಎಚ್‌ಆರ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಕಲಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಯೋಜನೆ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ (ಎನ್‌ಇಟಿಎಫ್) ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ತರಗತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಅನನುಕೂಲಕರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೂಕ್ತ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿಐ), ಪಾಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು), ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ / ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಎನ್‌ಇಪಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಶೇ.100 ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಯೋಗ, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು

2.5 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, 6600 ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, 6000 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 676 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಎನ್‌ಇಪಿ 2020 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 2015 ರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ, ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ 'ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿಕಸನ ಸಮಿತಿಯು, ಮೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ಕರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, 2016 ಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಡಾ.ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕರಡು ಸಮಿತಿ' ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಡು ನೀತಿ, 2019ನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ 2019ರ ಮೇ, 31 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಡು ನೀತಿ 2019ನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'MyGov Innovate' ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಾಲುದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು / ಸಲಹೆಗಳು / ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

(Release ID: 1642286) Visitor Counter : 78

Read this release in: Punjabi , Malayalam , English , Urdu , Hindi , Marathi , Bengali , Assamese , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 -Malayalam

മന്ത്രിസഭ

വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വഴി തെളിക്കുന്നു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020ന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

പുതിയ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 2030 ഓടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 100% ജിഇആറുമായി (GER) പ്രീ-സ്കൂൾ മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്

പുതിയ 5 + 3 + 3 + 4 സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് 12 വർഷത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും 3 വർഷത്തെ അങ്കണവാടി/പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും

ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുടക്കം

കുറഞ്ഞത് അഞ്ചാം തരം വരെ മാതൃഭാഷയിൽ/പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ അധ്യയനം

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി. സ്കൂൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വൻതോതിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് ഈ നയം. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണിത്. മുപ്പത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള, 1986ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ (എൻപിഇ) പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നയം. പ്രാപ്യമാകുന്നത്, നീതിയുക്തമായത്, ഗുണമേന്മയുള്ളത്, താങ്ങാനാകുന്നത്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് എന്നീ അടിസ്ഥാനസ്തംഭങ്ങളാൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഈ നയം 2030ലേയ്ക്കുള്ള സുസ്ഥിര വികസന അജൻഡയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അതുല്യമായ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനു ലക്ഷ്യമിട്ട്, സ്കൂൾ-കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമഗ്രവും ബഹുമുഖവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവും ആക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ഉൾസ്വലമായ വിജ്ഞാന സമൂഹമായും ആഗോളതലത്തിൽതന്നെ വിജ്ഞാനമേഖലയിലെ ശക്തികേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും പുതിയ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും സാർവത്രിക പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നു

പ്രീ-സ്കൂൾതലം മുതൽ സെക്കൻഡറിതലം വരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാർവത്രിക പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എൻഇപി 2020 ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിൽ സഹായം, കൊഴിഞ്ഞുപോയ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ പഠന നിലവാരത്തെയും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാൻ, ഔദ്യോഗികവും അനൗദ്യോഗികവുമായ പഠനപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അറിവിന്റെ ലോകത്തേയ്ക്ക് ഒന്നിലധികം പാതകൾ വെട്ടിത്തുറക്കാൻ, സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലർമാരുടെയും മികച്ച പരിശീലനം നേടിയ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെയും സഹകരണം, എൻഐഒഎസിലൂടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ സ്കൂളുകളിലൂടെയും 3,5,8 ക്ലാസുകൾക്കായുള്ള തുറന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, പത്താം തരത്തിനും പന്ത്രണ്ടാം തരത്തിനും തുല്യമായ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ, മുതിർന്നവരുടെ സാക്ഷരത, ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് ഇതിനായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗങ്ങൾ. എൻഇപി 2020 ഏകദേശം 2 കോടി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേയ്ക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരും.

പുത്തൻ പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനശാസ്ത്ര ഘടനയും ഉൾപ്പെടുന്ന ശിശു പരിപാലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും

ശിശുപരിപാലനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഊന്നൽനൽകി, സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിലവിലെ 10 + 2 ഘടന ഒഴിവാക്കി പകരം, യഥാക്രമം 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കായി 5 + 3 + 3 + 4 എന്ന രീതിയിൽ പാഠ്യപദ്ധതി ക്രമീകരിക്കണം. ഇത് ഇതുവരെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാത്ത 3-6 പ്രായപരിധിയിലുള്ള കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ഘട്ടമായി ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രായപരിധിയാണിത്. പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ 12 വർഷത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമെ മൂന്നുവർഷത്തെ അങ്കണവാടി/ പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

എട്ടുവയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി എൻസിഇആർടി, ശിശു പരിപാലനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനശാസ്ത്ര ചട്ടക്കൂടും (എൻസിപിഎഫ്ഇസിസിഇ) വികസിപ്പിക്കും. അങ്കണവാടികൾ, പ്രീ-സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലവും കരുത്താർജിച്ചതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഇസിസിഇ അവതരിപ്പിക്കും. കാലേക്കുട്ടിയുള്ള ശിശുപരിപാലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും (ഇസിസിഇ) എന്ന ബോധനശാസ്ത്രത്തിലും പാഠ്യപദ്ധതിയിലും പരിശീലനം നേടിയ അധ്യാപകരെയും അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരെയും സജ്ജമാക്കും. ഇസിസിഇയുടെ ആസൂത്രണവും നടപ്പാക്കലും എച്ച്ആർഡി, വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ (ഡബ്ല്യുസിഡി), ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ (എച്ച്എഫ്ജെഡ്), ഗിരിവർഗ്ഗകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും.

അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും മനസിലാക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപഠനം

സാക്ഷരരാകാനും സംഖ്യകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന പഠനം അടിയന്തിരവും അനിവാര്യവുമായ ഒന്നായി വിലയിരുത്തുന്ന എൻഇപി 2020, എംഎച്ച്ആർഡിയുടെ കീഴിൽ നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസിക്യൂ രൂപം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2025 ഓടെ മൂന്നാം തരം വരെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലും സാർവത്രികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ സാക്ഷരതയും സംഖ്യാബോധവും ലഭിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും. ദേശീയ പുസ്തക പ്രചാരണ നയത്തിനും രൂപം നൽകണം.

സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി-അധ്യയന പരിഷ്കരണങ്ങൾ

പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വിമർശനാത്മക ചിന്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുഭവപരിചയ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കുറവുവരുത്തി, 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിപുണതയിലേയ്ക്കു വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയും അധ്യയനവും ഒരുക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും അവസരമൊരുങ്ങും. കലയും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലും, പാഠ്യ- പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും, തൊഴിൽ-പഠന മേഖലകൾക്കിടയിലും വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കും; ഇന്റേൺഷിപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തും. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പുതിയതും സമഗ്രവുമായ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി, എൻസിഎഫ്എസ്ഇ 2020-21 എൻസിഇആർടി വികസിപ്പിക്കും.

ബഹുഭാഷാപ്രാവീണ്യവും ഭാഷയുടെ ശക്തിയും

കുറഞ്ഞത് അഞ്ചാം തരം വരെയെങ്കിലും അധ്യയന മാധ്യമമായി മാതൃഭാഷയ്ക്ക്/പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് ഉന്നത നൽകണം. എട്ടാം തരം വരെയും അതിനു മുകളിലേയ്ക്കും ഇക്കാര്യം അഭിലാഷണീയമാണ്. ത്രിഭാഷാ പഠനസംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ, സംസ്കൃതവും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയി വച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനസംവിധാനം സ്കൂൾ-ഉന്നതതല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനാകും. മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളും ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭ്യമാണ്. 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 'ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷകൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സമയം രസകരമായ പ്രോജക്റ്റിൽ / പ്രവർത്തനത്തിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്) പങ്കെടുക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നിരവധി വിദേശ ഭാഷകളും പഠിക്കാനാകും. ഇന്ത്യൻ ആംഗ്ലോഭാഷയെ (ഐഎസ്എൽ) രാജ്യത്തുടനീളം ഏകരൂപത്തിലാക്കും. കൂടാതെ ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും വിധത്തിൽ ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കും.

മൂല്യനിർണയ പരിഷ്കരണങ്ങൾ

സംഗ്രഹാത്മക വിലയിരുത്തലിൽ നിന്ന്, കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പതിവായ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറുന്നതിന് എൻഇപി 2020 വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പഠനത്തെയും വികസനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും, വിശകലനം, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, ആശയപരമായ വ്യക്തത എന്നിവ പോലുള്ള ഉന്നത കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമാണത്. 3, 5, 8 തരത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതത് അതോറിറ്റികൾ പരീക്ഷകൾ നടത്തും. 10, 12 തരത്തിലേക്കുള്ള ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ തുടരും. എന്നാൽ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇതിനു മാറ്റം വരുത്തും. പരാബ് (പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തൽ, അവലോകനം, സമഗ്രവികസനത്തിനായുള്ള അറിവിന്റെ വിശകലനം) എന്ന പേരിൽ പുതിയ ദേശീയ മൂല്യനിർണ്ണയ കേന്ദ്രം, മാനദണ്ഡ പരിപാലന സ്ഥാപനമായി സജ്ജമാക്കും.

തുല്യവും സമഗ്രവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

ജനനത്തിന്റേയോ പശ്ചാത്തലത്തിന്റേയോ സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഒരു കുട്ടിക്കും പഠിക്കാനും മികവ് തെളിയിക്കാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതും എൻഇപി 2020ന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ലിംഗം, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക, ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളും വൈകല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (എസ്.ഇ.ഡി.ജി) പ്രത്യേക ഉന്നത നൽകും. ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട്, പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങൾക്കും വിഭാഗങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ അടിസ്ഥാനതലം മുതൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള പതിവുസ്കൂൾ സംവിധാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പങ്കെടുക്കാൻ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രാപ്തമാക്കും. ഇതിനായി ക്രോസ് ഡിസെബിലിറ്റി ട്രെയിനിംഗ്, റിസോഴ്സ് സെന്ററുകൾ, താമസസൗകര്യങ്ങൾ, സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയൊരുക്കും. പ്രത്യേക പകൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും/ജില്ലയിലും 'ബാലഭവനുകൾ' സ്ഥാപിക്കാനും കലയും കളിയും കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും പ്രോത്സാഹനം നൽകും. സൗജന്യ സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ സാമാജിക് ചേതനാ കേന്ദ്രങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കാം.

കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലുള്ള അധ്യാപക നിയമനവും അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽ പാതയുടെ വിന്യാസവും

സുതാര്യമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കും. പൂർണ്ണമായും യോഗ്യത മാനദണ്ഡമാക്കി ബഹുമുഖവും കാലികവും ആയ പ്രകടന വിലയിരുത്തൽ രീതികൾ അവലംബിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഭരണകർത്താക്കളോട് അധ്യാപക പരിശീലനം നൽകുന്നവരോ ആയി മാറുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും അധ്യാപക തൊഴിൽ പാതയുടെ വിന്യാസം. അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ കൗൺസിൽ 2022 ഓടെ അധ്യാപകർക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ ഒരു പൊതു പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡം (എൻ.പി.എസ്.റ്റി.) വികസിപ്പിക്കും.

സ്കൂൾ ഭരണം

സ്കൂളുകളെ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളായ കോംപ്ലക്സുകളായോ ക്ലസ്റ്ററുകളായോ ക്രമീകരിക്കാം. ആവശ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ക്രമീകരണവും ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരവും

നയരൂപീകരണം, നിയന്ത്രണം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി വ്യക്തവും വേറിട്ടതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം -2020 വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി (എസ്.എസ്.എസ്.എ) സ്ഥാപിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് S.C.E.R.T ഒരു സ്കൂൾ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് (SQAAF) വികസിപ്പിക്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

2035 ഓടെ മൊത്ത എൻറോൾമെന്റ് അനുപാതം (GER) 50% ആക്കുക

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മൊത്ത എൻറോൾമെന്റ് അനുപാതം 2035 ഓടെ 26.3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനമായി ഉയർത്താനാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം-2020 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 3.5 കോടി പുതിയ സീറ്റുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിക്കും.

സമഗ്രമായ മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി വിദ്യാഭ്യാസം

ബഹുമുഖമായ പാഠ്യപദ്ധതി, വിഷയങ്ങളുടെ സഗ്ലാതകമായ ചേരുവകൾ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംയോജനം, ഉചിതമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള

സമഗ്രമായ മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി അണ്ടർ ഗ്രാജ്വേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. യു.ജി. വിദ്യാഭ്യാസം, 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1 വർഷത്തിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ, 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, 4 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗവേഷണത്തിനൊപ്പം ബിരുദം.

വിവിധ എച്ച്.ഇ.ഐ.കളിൽ (Higher Education Institutions) നിന്ന് നേടിയ അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റുകൾ ഡിജിറ്റലായി സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവസാന ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്യും.

രാജ്യത്തിന്റെ ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള മികച്ച മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകളായ ഐ.ഐ.ടി.കൾ, ഐ.ഐ.എമ്മുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായി മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ (M.E.R.U.) സ്ഥാപിക്കും.

ശക്തമായ ഗവേഷണ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലുടനീളം ഗവേഷണ ശേഷി വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മികച്ച സ്ഥാപനമായി നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ നിലവിൽ വരും.

നിയന്ത്രണം

മെഡിക്കൽ-നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും ഒരൊറ്റ കൂടക്കീഴിലാക്കി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എച്ച്.ഇ.സി.ഐ) രൂപീകരിക്കും.

നിയന്ത്രണത്തിനായി ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്ററി കൗൺസിൽ (എൻ.എച്ച്. ഇ.ആർ.സി.), നിലവാരത്തിന്റെ ക്രമീകരണത്തിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (ജി.ഇ.സി.), ധനസഹായത്തിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റ് കൗൺസിൽ (എച്ച്.ഇ.ജി.സി), അക്രഡിറ്റേഷനായി നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (എൻ.എ.സി.) എന്നിങ്ങനെ നാല് സ്വതന്ത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണമായും സാങ്കേതികവിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായി എച്ച്.ഇ.സി.ഐ. പ്രവർത്തിക്കും.

മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാത്ത എച്ച്.ഇ.ഐ.കൾക്ക് പിഴ ചുമത്താനുള്ള അധികാരങ്ങൾ എച്ച്.ഇ.സി.ഐ.ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതു-സ്വകാര്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ, അക്രഡിറ്റേഷൻ-അക്കാദമിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും.

യുക്തിസഹമായ സ്ഥാപന വ്യവസ്ഥ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള അധ്യാപനം, ഗവേഷണം, സാമൂഹിക ഇടപഴകൽ എന്നിവയുള്ള മികച്ച റിസോഴ്സ് അധിഷ്ഠിത, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റും. സർവകലാശാലയുടെ നിർവചനത്തിൽ ഗവേഷണ പ്രധാനമായതും അധ്യയന പ്രധാനമായതും ആയ സർവകലാശാലകൾ, ബിരുദം നൽകുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള കോളേജുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും.

കോളേജുകളുടെ അഫിലിയേഷൻ 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും കോളേജുകൾക്ക് ശ്രേണി അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുന്നതിന് ഘട്ടം തിരിച്ചുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, ഓരോ കോളേജും ഒന്നുകിൽ സ്വയംഭരണ ബിരുദം നൽകുന്ന കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ഘടക കോളേജ് ആയി വികസിക്കണമെന്നാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രചോദനകരം, ഉൗർജ്ജസ്വലം, യോഗ്യരായ ഫാക്കൽറ്റി

എൻഇപി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതും, സ്വതന്ത്രമായ, സുതാര്യമായ നിയമനം, പാഠ്യപദ്ധതി/ബോധനശാസ്ത്രം എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, മികവിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം, സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കാനുള്ള പാത തുറന്നുനൽകുക എന്നിവയാണ്.

അധ്യാപന വിദ്യാഭ്യാസം

അധ്യാപന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള നവീനവും സമഗ്രവുമായ ഒരു ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടായ എൻസിഎഫ്ടിഇ 2021, എൻസിഇആർടിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എൻസിടിഇ രൂപീകരിക്കും. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും അധ്യാപനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിഗ്രി യോഗ്യത 4 വർഷത്തെ സംയോജിത ബി എഡ് ഡിഗ്രിയാക്കും.

മെറ്ററിംഗ് മിഷൻ

മെറ്ററിംഗിനായി ഒരു ദേശീയ മിഷൻ സ്ഥാപിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി/കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് ഹ്രസ്വ-ദീർഘകാല മെറ്ററിംഗ്/പ്രൊഫഷണൽ പരിശീലനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരായ സീനിയർ/റിട്ടയേർഡ് ഫാക്കൽറ്റികളുടെ ഒരു പൂൾ സജ്ജമാക്കും.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ

എസ്സി, എസ്സി, ഒബിസി, മറ്റ് എസ്.ഇ.ഡി.ജികൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കും. സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കൽ, വികസനം, പുരോഗതി എന്നിവ കണ്ടെത്തി പരിശോധിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ വിപുലീകരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകാൻ സ്വകാര്യ എച്ച്ഇഐകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഓപ്പൺ, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം

ജീജ്ആർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഓപ്പൺ, വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ അത് വിപുലീകരിക്കും. ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങൾ, ഗവേഷണധനസഹായം, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സേവനങ്ങൾ, എംഒഒസികളുടെ- ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ക്ലാസ് പഠനങ്ങൾക്ക് തുല്യമാക്കാനായി സജ്ജമാക്കും

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസവും ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസവും

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ ശുപാർശകൾ. സ്കൂൾ തലത്തിലെയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെയും ഇ-എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ്, ശേഷി വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് എംഎച്ച്ആർഡിയിൽ സൃഷ്ടിക്കും.

സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ

ഒരു സ്വയംഭരണ സംവിധാനമായി നാഷണൽ എജ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഫോറം (എൻഇടിഎഫ്) രൂപീകരിക്കും. പഠനം, വിലയിരുത്തൽ, ആസൂത്രണം, ഭരണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായാണ് ഇത്

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ പ്രോൽസാഹനം

എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെയും സംരക്ഷണം, വികസനം, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രെട്ടേഷൻ (ഐഐടിഐ), നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ) പാലി, പേർഷ്യൻ, പ്രാക്യൂത് എന്നിവയ്ക്കായും സംസ്കൃതം ശാക്തീകരണത്തിനും എച്ച്ഇഐകളിലെ ഭാഷാ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായും എൻഇപി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കൂടുതൽ എച്ച്ഇഐ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മാതൃഭാഷ/പ്രാദേശിക ഭാഷ ഒരു ശിക്ഷണ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. സ്ഥാപന തല സഹകരണത്തിലൂടെയും,

വിദ്യാർത്ഥി-ഫാക്കൽറ്റി കൈമാറ്റം എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണം സുഗമമാക്കുകയും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാമ്പസുകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം

എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാക്കും.

യുവാക്കൾ-വയോജന സാക്ഷരത നൂറു ശതമാനം കൈവരിക്കാനാണ് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസ ധനനയം

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പൊതുമുൻപാലം ജിഡിപിയുടെ 6 ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

അഭ്യുത്പന്നമായ കുടിയാലോചന

2015 ജനുവരി മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഭ്യുത്പന്നമായ കുടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് എൻഇപി 2020 രൂപീകരിച്ചത്.

അന്തരിച്ച മുൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി എസ് ആർ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 2016 മെയ് മാസത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രാലയം കരട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2016 നായി ചില കുട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തി. 2017 ജൂണിൽ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പത്മവിഭൂഷൺ ഡോ. കെ. കണ്ണുരിരംഗന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കരട് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനായുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. കമ്മിറ്റി 2019 മെയ് 31 ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2019 ന്റെ കരട് മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

(Release ID: 1642068) Visitor Counter : 36

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Marathi , Bengali , Assamese , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada

Salient Features of NEP 2020 - Manipuri

হ্যামেন রিসোর্স চাউথৎ-থৌরাংগী মন্ত্রালয়

মন্ত্রী মন্দল মীফন্না নেম্মেল এজুকেশ্বেল পোলিসী
২০২০ অয়াবা পীদুনা লৈবাক অসিগী স্কুল অমসুং
হাইয়র এজুকেশ্বনগী সিস্তেমদা অহোংবা অমা
পুরকুবগী লম্বী যাংথে

অনৌবা পোলিসী অসিনা মই-মশীংগী লম্বু প্ৰি-
স্কুলদগী হৌদুনা সেকেন্দরী লেবেলদা ২০৩০ ফাওবদা
স্কুল এডজুকেশ্বন্দা জি.ই.আর. চাদা ১০০ ফংহনবগা
লোইননা য়ুনিবর্সেলাইজ তৌনবা পান্দম থম্মি

এন.ই.পি. ২০২০না মইদগী লাপথোকথ্বা অঙাং
কোতি ২ রোম মেন স্ত্রিমদা পুশিল্লক্কগনি

চহী ১২ স্কুল কাহনবা অমসুং অঙ্গনবাদি নত্ৰগা প্ৰি
স্কুলিংদা চহী ৩ তমহনবগা লোইননা অনৌবা
৫+৩+৩+৪ স্কুল করিক্যুলম

ফাউন্ডেশ্বনেল লিতরেসী অমসুং ন্যুমরেসীদা মীংয়েং
থমগনি, একাদেমিক স্ত্রিম, এক্সত্রাকরিক্যুলার,
ভোকেশ্বনেল স্ত্রিমশিং স্কুলদা খেন্নবা থম্মরোই; ক্লাস
৬তগী হৌদুনা ইন্তর্নশিপ পীবগা লোইননা
ভোকেশ্বনেল এজুকেশ্বন হৌদোক্কগনি
গ্রেদ ৫ ফাওবদা লাইরিক তাকপীবদা মমা লোলদা/
রিজনেল লোলদা তাক্কনি

৩৬০ দিগ্রী হোলিস্তিক প্রোগ্রেস কার্দকা লোইননা
এসেস্মেত্তা শেমদোক শাদোকপা, মইরোইশিংগী
প্রোগ্রেস য়েংদুনা তাকপীরিবদু কান্নরিব্রা য়েংবা

হাইয়র এজুকেশনগী জি.ই.আর.সু ২০৩৫ ফাওবদা চাদা ৫০দা হেনগংলগনি; হাইয়র এদজুকেশনদা সিং কোতি ৩.৫ হাপকংলগনি

হাইয়র এজুকেশনগী করিক্যুলমদা সবজেক্তশিং ফ্লেক্সিবল ওইহল্লগনি

মতীক চাবা সর্তিফিকেং পীবগা লোইননা মশীং অকরুবা ল

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Imphal

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ময়াই তাংবল লৌদুনা ওসি ফমখিবা কেন্দ্রগী মন্ত্রী মন্দল মীফম্মা নেন্মেল এজুকেশন পোলিসী ২০২০ অয়াবা পীখিবগা লোইননা স্কুল অমসুং হাইয়র এদজুকেশনেল সেক্তরদা চাউনা অহোংবা অমা পুররুবা লম্বী যাংখ্রো। মসিনা ২১শুবা চহী চাগী ওইনা অহানবা এজুকেশনগী মতাংদা শেম্বা পোলিসী ওইগদৌরি অমসুং মসিনা চহী কুনথামরি শুরবা নেন্মেল এদজুকেশনেল পোলিসী (এন.পি.ই.), ১৯৮৬কী মল্হ শিল্লগনি। এক্সেস, ইক্বিটী, ক্বালিটী, এফোর্দেবিলিটী অমসুং একাউন্টেবিলিটী হায়বা যুস্মীশিং অসিদা শেল্লদুনা, হায়রিবা পোলিসী অসি তুং কোইনা চংকদবা চাউখং যৌরাং ২০৩০গী এজেন্দাগসু মান্না চৎমিন্নরি অমসুং মসিনা স্কুল অমসুং কোলেজ এজুকেশনবু হেন্না হোলিস্তিক, ফ্লেক্সিবল, মলতিদিসিপ্লিনরী ওইহন্দুনা ২১শুবা চহী চাগা চান্নহন্দুনা ভারতপু রাখল লৌশিং চাউবা খুন্মাই অমা অমসুং নোলেজগী সুপারপারর ওইহন্নবা হোংনরি অমসুং মসিনা মইরোই খুদিংমক্তা যাওরিবা তোঙান-তোঙানবা হৈশিংবশিংবু পুথোরুবা হোংনরগনি।

মরুওইবা মশকশিং

স্কুল এজুকেশন

এন.ই.পি. ২০২০না স্কুল এজুকেশনবু তাংকক খুদিংমক্তা ফংহন্নবা হোংনরি – প্তি স্কুলদগীনা সেকেন্দরী ফাওবা। ইনফ্রাস্ত্রাকচরগী ওইবা মতেং, অনৌবা মইগী লোইশঙনা স্কুল কাবা লেপখবশিংবু নৌনা অমুক পুশিনবীরক্কগনি, মইরোইশিংবু থিদোকপা অমসুং মখোয়গী থাক খঙদোকপীনবা হোংনরগনি, ফোর্মেল অমসুং নন-ফোর্মেল এজুকেশনগী মওং মতৌ যাওবা তোঙান-তোঙানবা মই তম্বগী লম্বীশিং পীবা, কাউন্সেলর নত্ৰুগা মতীক চানা ত্রেনিং ফংলবা সোসিএল বার্করশিংনা স্কুলশিংগা মরী লৈনহনবা, ক্লাস ৩,৫ অমসুং ৮পু এন.আই.আই.ও.এস. অমসুং স্তেং ওপন স্কুলগী মখাদা ওপন লর্নিং ওইহনবা, গ্রেড ১০ অমসুং ১২গা মান্নবা সেকেন্দরী এজুকেশন প্রোগ্রাম, ভোকেশনেল কোর্সশিং, এদল লিতরেসী অমসুং লাইফ এনরিচমেস্ত প্রোগ্রামশিংনা হায়রিবসিবু ফংহন্নবা হোংনবদা মতেং পাংলগনি। মই তমদ্রবা অঙাং কোতি ২রোম্বুসু মেন স্ত্রিমদা এন.ই.পি.গী মখাদা মইলোইশঙদা পুশিনবীরক্কগনি।

অনৌবা করিক্যুলার অমসুং পেদাগোজিকেল স্ককচরগা লোইননা অর্লী চাইন্দহুদ কেয়র অমসুং এজুকেসন

অর্লী চাইন্দহুদ কেয়র অমসুং এদজুকেসন্দা মীংয়েং থম্বগা লোইননা, ১০+২ গী স্ককচর ওইরবা স্কুলগী করিক্যুলা অসি ৫+৩+৩+৪ করিক্যুলার স্ককচরদা মথংশিংনা চহী ৩-৮, ৮-১১, ১১-১৪, অমসুং ১৪-১৮দা হোংদোক্লগনি। মসিনা মালেম পুশনা অঙাং অমগী পুশিদা রাখল লৌশিং শাগৎপদা খ্বাইদগী মরুওইবা মতমি হায়না পানরিবা চহী ৩-৬ ফাওবগী কাংলুপ অসিবু স্কুলগী করিক্যুলমদা পুশিনলগনি। অনৌবা সিস্তেম অসিনা স্কুলদা চহী ১২ লৈরগনি অমসুং অঙ্গনরাদীদা চহী অহম লৈহল্লগনি।

এন.সি.ই.আর.তি.না নেমেল করিক্যুলার অমসুং পেদাগোজিকেল ফ্রেমরার্ক অমা অর্লি চাইন্দহুদ কেয়র অমসুং এজুকেসন হায়বসিদা চহী ৮ ফাওবগী অঙাংশিংগীদমক শেস্বীরগনি। ই.সি.সি.ই. অসি মশক থোক্লা পাকথোক চাউথোক্লবা অমসুং মপাঙ্গল লৈহল্লবা ইন্সতিতুসনেল সিস্তেম অসিদা অঙ্গনরাদী অমসুং প্ৰি স্কুলদা ই.সি.সি.ই. পেদাগোজী অমসুং করিক্যুলম প্রোগ্রামদা শুরু য়ারবা ওজা অমসুং অঙ্গনরাদী রার্করশিং লৈহনগনি। ই.সি.সি.ই. গী প্লান তৌবা অমসুং থবক ওইনা পায়খৎপা হায়বসি এচ.আর.দি. মন্ত্রালয়, নুপী অঙাং চাউখং হৌরাং, হকশেল অমসুং য়াইফ-য়ুম্বাল, অমসুং ব্রাইবেল এফিয়র্স মন্ত্রালয়না খুৎশম্বদুনা পায়খৎকনি।

ফাউন্ডেসনেল লিতরেসী অমসুং ন্যুমরেসী ফংহনবা

মহৈ তম্বীবা মতমদা ফাউন্ডেসনেল লিতরেসী অমসুং ন্যুমরেসী ফংহনবা হায়ববু খ্বাইদগী অথুবা অমসুং তঙাইফদবা হীরমি হায়না লৌরদুনা এন.ই.পি. ২০২০না **নেমেল মিসন ওন ফাউন্ডেসনেল লিতরেসী অমসুং ন্যুমরেসী** অমা এম.এচ.আর.দি.না শেমগৎনবা খঙহনখ্ৰে। ২০২৫ ফাওবদা প্রাইমরী স্কুলশিংদা গ্রেদ ৩ ফাওবগী লর্নরশিংগীদমক ফাউন্ডেসনেল লিতরেসী অমসুং ন্যুমরেসীগী থবক ওইনা পায়খৎনবা প্লানগীদমক রাজ্যশিংনা শেম-শাগনি। **নেমেল বুক প্রোমোসন পোলিসীসু** শেঙ্গগনি।

স্কুল করিক্যুলা অমসুং পেদাগোজীদা শেমদোক শাদোকপা

স্কুল করিক্যুলা অমসুং পেদাগোজীনা মহৈ তম্বীবা খদিংমত্তা ২১শুবা চহী চাগী হৈশিংবশিং পুশমক পীবিবা, তঙাইফদবা হীরমশিংদা তমশিনবগী মতম ফংনবা অমসুং অরুবা মতাংদা রাখল খনবা তমশিনবা অমসুং হৈশিং হেনগদবা হীরমশিংদা মীংয়েং থম্ববগীদমক করিক্যুলার কন্তেত্তশিং হস্থহন্দুনা অপুনবা ওইনা চাউখৎপা পুরকপদা পান্দম থম্বি। মহৈরোইশিংদা কোম্বোকপা হেনহল্লগনি অমসুং অপাম্বা পরা তম্বা ফংজরগনি। আর্তস অমসুং সাইন্স, করিক্যুলার অমসুং এক্সত্রা করিক্যুলার এক্তিবিতী, ভোকেসনেল অমসুং একাদেমিক প্ৰিমশিংগী মরত্তা তংখাই খাইদোক্লনা থম্বিবসি লৌথোক্লগনি।

গ্রেদ ৬তগী হৌদুনা ভোকেসনেল এজুকেসন পীরগনি অমসুং মসিদা ইন্তনশিপসু হাপ্লগনি।

অনৌবা অমসুং মপুং ফারবা **নেমেল করিক্যুলার ফ্রেমরার্ক ফোর স্কুল এজুকেসন, এন.সি.এফ.এস.ই. ২০২০-২১** অসি এন.সি.ই.আর.তি.না শেমগনি।

মলতিলিঙ্গুরেলিজম অমসুং লোলগী শক্তি

পোলিসী অসিনা মমা লোল/লমদমদুগী লোল/রিজনেলগী লোলবু গ্রেদ ৫ ফাওবদগী গ্রেদ ৮ ফয়াবা য়ারবদি তাকপী তম্বীবদা শীজিন্নবা খঙহল্লি। সফ্ৎসু স্কুলগী থাক অমসুং হাইয়র এজুকেসনগী থাক খুদিংমত্তা মইরোইশিংগী ওপসন অমা ওইনা লোল অহ্মগী ফোর্মুলাগা লোইননা তম্বীগনি। অতোপ্লা ভারতকী ক্লাসিকেল লোল অমসুং খোরিলোলসু ওপসন অমা ওইনা হাপকনি। মইরোই অমত্তা লোল অমত্তা নমদনা তমহল্লোই। মইরোইশিংনা নুংঙাইবা প্রোজেক্ত ওইনা 'ভারতকী লোলশিং' হায়বা খৌরম অসিদা শরুক য়াহনগনি, মরক মরত্তা গ্রেদ ৬-৮ ফাওবদা 'এক ভারত শ্রেষ্ঠা ভারত'কী মখাদা শরুক য়াহনগনি। তোঙান-তোঙানবা ফোরেনগী লোলশিংসু সেকেন্দরী লেবেলদা পীগনি। তাবগী পাস্কল লৈএবা মইরোইশিংনা শীজিন্নবা ইন্দিয়ন সাইন লেঙ্গুরেজ (আই.এস.এল.)সু লৈবাক শীনবা থুনা চৎনহনগনি, অমসুং জাতি অমসুং রাজ্যগী করিক্যুলমসু ফগৎহনলগনি।

এসেস্মেত্ত রিফোর্মশিং

এন.ই.পি. ২০২০না সন্মতিব এসেস্মেত্তকী মছত্তা হেন্না কম্পিতেন্সীদা যুফ্ফম ওইবা, তম্বা অমসুং চাউখৎপদা হেন্না মীৎয়েং চঙবা, অমসুং নৈনবা, হেন্না মনুং হঞ্জিন্না খনবা অমসুং হায়রিবদু খঙনবা হোৎনগদবা হাইয়র ওর্দর স্কিলগুন্মদা মীৎয়েং থম্বা রিগুন্মদা নত্তুগা ফোরমেতিব এসেস্মেত্ততা ওস্তোরগনি। মইরোই খুদিংমত্তা চুন্নবা ওথোরিতী অমনা লৌবা পরিখাদা গ্রেদ ৩,৫, অমসুং ৮দা থাগনি। গ্রেদ ১০ অমসুং ১২কী বোর্দ একজামদি মখা চখাখিগনি অদুবু অপুনবা ওইনা চাউখৎপা পুরকুবগী পান্দমদা শেমদোক্লগা। অনৌবা **নেম্মেল এসেস্মেত্ত সেত্তর, পারখ (পারফোর্মেন্স এসেস্মেত্ত, রিভ্যু, অমসুং এনালাইসিস ওব নোলেজ ফোর হোলিষ্টিক দিবেলপমেত্ত)** সু স্তেন্দার্দ সেত্তিং বোদী ওইনা শেমগৎলগনি।

ইক্বিটেবল অমসুং ইনক্লুসিব এজুকেসন

এন.ই.পি. ২০২০না অঙাং অমত্তা পোক্লকপদা নত্তুগা লেপ্পীনবা লৈতবনা মই হেন্না অমসুং মীকোক থোংবা ওইনবগী খুদোংচাবা অমত্তা মাংহন্দনবা হোৎনরি। জেন্দর, সোসিও-কলচরেল, অমসুং জিওগ্রাফিকেল আইদেত্তিতীশিং অমসুং দিসএবিলিটীশিং য়াওনা সোসিএল্লী অমসুং ইকোনোমিকেল্লী দিসএদবাস্তেজ গ্রুপ (এস.ই.দি.জি.)শিংদা অখনবা মীৎয়েং থল্লি। মসিদা খুদোংচাবা ফংদ্রবা মফমশিং অমসুং কাংবুশিংগীদমক **জেন্দর ইনক্লুজন ফন্দ অমসুং স্পিসিএল এজুকেসন জোনশিং** শেমগৎপা য়াওরি। নাম্ম শোইরবা অঙাংশিংবু মহৌশাগী স্কুলগী পথাপশিংদা মপুং ফানা ফাউন্ডেসনেল স্তেজদগী হাইয়র এজুকেসন ফাওবা ক্রেস দিসএবিলিটী ব্রেনিং য়াওরবা এদজুকেতর, রিসোর্স সেত্তরশিং, একোমোদেসনশিং, এসিস্তিব দিবাইস, চুন্নবা খুৎলাই অমসুং অতোপ্লা মখোয়গা চান্ননবা শেল্লাবা মেকানিজমশিং শীজিন্নদুনা শরুক য়াহনগনি। রাজ্য/জিল্লা খুদিংমকপু নুংখিলগী মতমগী বোর্দিং স্কুল ওইনা কলা, কেরিয়র, শান্ন-খোৎনবগা মরী লৈনবা থবকশিংগী **"বাল ভাবন"** অমা হাংদোক্লবা পুক্ৰিং খৌগৎকনি। শেল তিংদবা স্কুল ইনফ্রাস্ত্রাকচরবুসু **সমাজিক চেৎনা কেন্দ্রশিং** ওইনা শীজিন্নবা য়াগনি।

মশীং য়াল্লাবা ওজা কয়া থবক লৌবা অমসুং কেরিয়রগী লম্বী পীবা

ওজা লৌবগী থবক অসি মপাঙ্গল লৈহনবগা লোইননা মনুং মপান ফাওনা উহন্দুনা পাঙথোক্কনি। ফম কাবগী থবকসু সোসাঁ য়াম্বা চয়োলগী ওইনা পারফোৰ্মেসতা য়েংদুনা হৈবগী চাংদা য়েংদুনা অমসুং অৰৈবা এদজুকেসনেল এদমিনিষ্ট্ৰেতর নত্ৰুগা তিচর এদজুকেতর ওইনা পীবা য়াবা ফমদা পীগনি। কস্মন ওইবা **নেম্মেল প্রোফেসনেল স্তেন্দার্দ ফোর তিচরস (এন.পি.এস.তি.)**সু নেম্মেল কাউন্সিল ফোর তিচর এদজুকেসনা ২০২২ ফাওবগী মনুংদা এন.সি.ই.আর.তি., এস.সি.ই.আর.তি., ওজাশিং, অমসুং তোঙান-তোঙানবা থাক অমসুং মফমশিংদা লৈবা এক্সপৰ্ত ওর্গনাইজেসনশিংগা তান্দুনা শেমগনি।

স্কুল গবর্নাৰ্স

স্কুলশিং অসি কমপ্লেক্স নত্ৰুগা ক্লস্টর ওইনা গবর্নাৰ্স তৌবদা খুইদগী তঙাইফদবা য়ুনিং ওইনা অমসুং ইনফ্রাষ্ট্ৰাকচর, একাদেমিক লাইব্রারী অমসুং মতীক চারবা ওজাশিংগী কম্যুনিটী লৈহনবগীদমক শেমগনি।

স্কুল এজুকেসনগী স্তেন্দার্দ সেতিং অমসুং এক্ৰিদিতেসন

এন.ই.পি. ২০২০না রিগুলেসন, ওপরেসন অমসুং একাদেমিকী ওইবা হীরমশিংগী ময়েক শেংবা, পোলিসী শেম্বগী তোখাইবা সিস্তেম অমগী মংলান শাগৎলি। রাজ্য/য়ু.তি.শিংনা ইন্ডিপেন্দেস্ত ওইবা **স্টেং স্কুল স্তেন্দার্দ ওখোরিতী (এস.এস.এস.এ.)** শেমগৎচগনি। এস.এস.এস.এ.না শেম্বা ব্রান্সপরেস্ত পব্লিক সেল্ফ দিস্কোজরবু মীয়ামা ভাপ তানবগীদমক অমসুং খাজবা হেনগৎনবগীদমক হীরম খুদিংমত্তা শীজিন্গনি। এস সি.ই.আর.তি.না স্তেকহোল্ডর খুদিংমক্কা তান্দুনা স্কুল এসেসুস্ত এন্ড এক্ৰিদিতেসন ফ্রেমৱার্ক শেমগনি।

হাইয়র এজুকেসন

ইং ২০৩৫ ফাওবগী মনুংদা জি.ই.আর. ৫০%দা হেনগৎহনবা

এন.ই.পি. ২০২০না বোকেম্মেল এজুকেসন য়াওনা গ্রোস এনরোলমেস্ত রেসিও অসি ২৬.৩% (২০১৮)দগী ২০৩৫ ফাওবদা ৫০% হেনগৎনবা পান্দম থম্মি। হাইয়র এজুকেসন ইম্পতিতুসনশিংদা অনৌবা সিং কোতি ৩.৫ হাপ্পগনি।

হোলিস্তিক মলতিদিসিপ্লিনরী এজুকেসন

পোলিসী অসিনা গ্রেজুএং এজুকেসনগী মখাদা তানবা নুংঙাইবা করিকুলা, অনৌবা মওংদা সবজেক্তশিং পুস্বিন্গবা, বোকেম্মেল এজুকেসন য়াওহনবা অমসুং মতীক চাবা শকখঙবগা লোয়ননা মলতিপল এস্ত্রী অমসুং এগজিৎ পোইস্ত লৈহনবগা লোয়ননা এজুকেসনগী পথাপ অসিবু পাকথোকপা, মলতি-দিসিপ্লিনরী অমসুং হোলিস্তিক ওইহনবা পান্দম থম্মি। য়ু.জি. এজুকেসন অসি এগজিৎ তৌবগী অপাম্বা কয়া লৈহন্দুনা চহি ৩ নত্ৰুগা ৪গী ওইবা য়াই অমসুং মতম অসিগী মনুংদা মতি চাবা সর্তিফিকেসন পীগনি। খুদম ওইনা হায়রবদা, চহি ১গী মতুংদা সর্তিফিকেৎ, চহি ২গী মতুংদা এদবান্দ দিপ্লোমা, চহি ৩গী মতুংদা বেচলরগী দিগ্রী অমসুং চহি ৪গী মতুংদা রিসর্চকা লোয়নবা বেচলরগী দিগ্রীনি।

একাদমিক বেঞ্চ ওফ ক্রেডিং অমসু তোঙানব তোঙানবা ঐচ.ই.আই.শিংদগী ফংলকপা একাদমিক ক্রেডিংশিং অসি দিজিভেলগী মওংদা থমদুনা অরোয়বা দিগ্রী ফংনবগীদমত্তা থাদোক খাজিন তৌবা অমসুং মশিং শীনবা শেমথ্রে।

আই.আই.তি.শিং, আই.আই.এম.শিংগা থাক মান্নবা **মলতিদিসিপ্লিনরী এজুকেসন অমসুং রিসর্চ য়ুনিবর্সিটী (এম.ই.আর.য়ু.)**সু লৈবাক অসিগী খাইদগী ফবা অমসুং মালেমগী খাত্তা লৈবগী মতিক চেনবা মগুনশিংগী মওংদা শেমগৎকনি।

হাইয়র এজুকেসনগী মখল খুদিংদা পাঙ্গল লৈবা রিসর্চকী চৎনবী লৈহন্নবা **নেম্বেল রিসর্চ ফাউন্ডেসন** অসি মকোক থোংবা বোদী অমা ওইনা শেল্লগনি।

রীণ্ড্যুলেসন

হাইয়র এজুকেসন কম্বিসন ওফ ইন্দিয়া (ঐচ.ই.সি.আই.) অসি মেদিকেল অমসুং লীগেল এজুকেসন যাওদনা অতোপ্পা হাইয়র এজুকেসনশিং য়েংশিনবা অমত্তা ঙাইবা বোদী ওইনা শেল্লগনি। ঐচ.ই.সি.আই.না নিং-খা তম্মা লৈবা মশা মরি লৈগনি- রেণ্ড্যুলেসনগীদমত্তা নেম্বেল হাইয়র এজুকেসন রীণ্ড্যুলেতরী কাউন্সিল, স্টেন্দর্দ সেতিংগীদমত্তা জেনেৰেল এজুকেসন কাউন্সিল (জি.ই.সি.), ফন্দিংগীদমত্তা হাইয়র এজুকেসন গ্রান্ডস কাউন্সিল (ঐচ.ই.জি.সি.) অমসুং এক্রেডিভেসনগীদমত্তা নেম্বেল এক্রেডিভেসন কাউন্সিল (এন.এ.সি.)।ঐচ.ই.সি.আই.না তেক্রোলোজীগী খুখাংদা শক উহন্দনা য়েংশিনগনি অমসুং কাংলোনশিং অমসুং চৎনবী ইন্দবা ঐচ.ই.সি.আই.শিং চৈরাক পীবগী মতিক লৈগনি। সরকারগী অমসুং লনাইগী ইন্সতিতুসনশিং খুদিংমক মান্নবা রীণ্ড্যুলেসন, এক্রেডিভেসন অমসুং একাদমিক স্টেন্দর্দকী কাংলোনগী মতুং ইন্না য়েংশিনগনি।

নেম্বেলাইজদ ইন্সতিতুসনেল আর্কিভেকচর

হাইয়র এজুকেসন ইন্সতিতুসনশিং অসি অচৌবা, রিসোর্স য়াম্মা লৈবা, অ রাংবা থাক্কী মইহে তম্মীবা, রিসর্চ অমসুং খুন্নাইবু শরুক য়াহনবা ভাইব্ৰেস্ত ওইবা মলতিদিসিপ্লিনরী ইন্সতিতুসন্দা ওহোঙ্কগনি। য়ুনিবর্সিটীগী রাহহোঙ্ক অসিদা রিসর্চতা হেন্না পুঙ্কিং চাংবদগী তাকপীবদা হেন্না পুঙ্কিং চংবা অমসুং মশাগী ওইবা দিগ্রী পীবা য়ুনিবর্সিটী মখল কয়া অমসু য়াওহল্লগনি।

কোলেজ অমগী এফিলিএসন অসি চহি ১৫গী মতুংদা লোয়গনি অমসুং কোলেজশিংগী থাক খায়বা ওতোনোমী পীনবা রাজ্যগী ওইবা হৌওং অমসু শেমগনি। মতম খরগী মতুংদা কোলেজ খুদিংমক মশাগী দিগ্রী পীজবা কোলেজ নত্ৰুগা য়ুনিবর্সিটী অমগী মপুং ওইবা কোলেজ ওইরগনি।

ইথিল লৈবা, থরাই য়াওবা অমসুং মতিক লৈবা ফেকলতী

এন.ই.পি.না নিংখিনা খঙহল্লবা, নিং-খা তম্মা, ময়েক লাবা থবক খনবগী হৌওং, মইহে তম্মীবগী মওং শেমদোকপদা অনিংবা তৌবা য়াৰা, থবক নিংখিনা পাংথোকপগী ইন্সেন্টিব পীবা হৌওংগী খুখাংদা ফকলতীশিংবু ইথিল পীবা, থরাই য়াওহনবা অমসুং তৌবগী ওম্বগী মতিক ফগৎহন্দুনা ইন্সতিতুসনশিংগী

মকোক ওইহনবা রাফম কয়া থল্লি। চৎনগদবা কাংলোনশিং ইন্দবা ফেকলতীশিং অসি মরাল লৈ হায়না লৌগনি।

তিচর এজুকেসন

এন.সি.তি.ই.না এন.সি.ই.আর.তি.গা তানরবা মতুংদা অনৌবা অমসুং পাক চাউবা নেম্বেল করিকলম ফ্ৰেমরক ফোর তিচর এজুকেসন, এন.সি.এফ.তি.ই., ২০২১ শেপ্লগনি। ইং ২০৩০ ফাওবগী মনুংদা ওজা ওইবগী চংদ্রবা যাদ্রবা মইগী থাক অসি চহি ৪গী বি.ই.দি.গী দিগ্রী ওইরগনি। যানবা থাকী মখাদা লৈবা তিচর এজুকেসন ইম্পতিতুৎ (তি.ই.আই.)শিংগী মায়োক্তা অকনবা থবক লৌখৎলগনি।

মিসন য়েংশিনবা

হীরমশিং অসি য়েংশিনবা নেম্বেল মিসন অমা শেমগনি অমসুং মসিদা মমিং লৈবা অহল ওইরবা অমসুং থবক্তগী পোখারবা ভারতকী লোলশিংদা তাকপী তম্বীবা ওম্বা অমসুং যুনিবর্সিটী অমসুং কোলেজগী ওজাশিংদা অতেনবা অমসুং অশাংবা মতমগী ওক্লে পীবা ওমগদবা ফেকলতীশিং যাওগনি।

মইরোয়শিংদা শেলগী তেংবাং পীবা

এস.সি., এস.তি., ও.বি.সি. অমসুং অতোপ্লা এস.ই.দি.জি.শিংগী মনুং চনবা মইরোয়শিংগী হৈ-শিংবু পুক্রিং হৌগৎনবা ইম্পেত্তিব পীবগী থবক হৌরো। নেম্বেল স্কোলার্শিপ পোৰ্তেল অসি স্কোলার্শিপ ফংবা মইরোয়শিং অসিদা ওক্লে পীবা অমসুং মখোয়গী ফিভম ফগৎপগী চাং য়েংশিনবা ওম্বা পাক চাউথোক্লগনি। লনাইগী ঐচ.ই.আই.শিংনসু মখোয়গী মইরোয়শিংদা স্কোলার্শিপ অমসুং লেমা পীবা তেংবাং কয়া পীনবা পুক্রিং হৌগৎলগনি।

ওপন অমসুং দিষ্টেন্স লর্নিং

হায়রিবা অসি জি.ই.আর. হেনগৎহনবদা মরু ওইবা হৌদাং লৌনবগীদমত্তা পাকথোক চাউথোক্লগনি। ওনলাইন কোর্স অমসুং দিজিভেল রিপোজিটরী, রিসর্চকীদমত্তা শেল থাদবা, মইরোয়দা পীবা সেবা ফগৎহনবা, ক্রেদিত্তা যুস্ফম ওইদুনা এম.ও.ও.সি.নচিংবা হৌদাং কয়া কয়া অমা ক্লাসরুমদা তম্বীবা মইগী মগুনগা মান্না লৈনবা খোঙথাং কয়া অমা পায়খৎলগনি।

ওপন অমসুং দিষ্টেন্স লর্নিং

হায়রিবসি জি.ই.আর. হেনগৎনবা হোৎনবদা অচৌবা হৌদাং অমা লৌনবগীদমক পাকথোক চাউথোকহ্লগনি। ওনলাইন কোর্স অমসুং দিজিভেল রিপোজিটরীশিং, রিসর্চকীদমক শেল থাদবা, মইরোইশিংগী সর্বিস হেনগৎহনবা, এম.ও.ও.সি.শিং খঙবীবদা ক্রেদিত্তা যুস্ফম ওইবা অসিনচিংবশিং অসি খ্বাইদগী রাংবা ক্লাস মনুঞ্চে প্রোগ্রামশিংগা মান্না থাত্তা পায়খৎকনি।

ওনলাইন এজুকেসন অমসুং দিজিভেল এজুকেসনঃ

হৌজিক মতমদা অতৎ অখম লৈতনা তোইনা লাইচৎ কয়া শন্দোক্লিক্কা ফিবম অসি য়েংলগা শক্কা শক্কা উন্নদুনা মইহে তাকপী তম্বীবা ওইথোক্লোইদবা মীকুপশিংদা অতোপ্পা উপাই অমা শীজিন্দুনা মইহে তম্বীবা লেপতনবগীদমক ওনলাইন এজুকেসন পীবা য়ানবগীদমক রিকমেন্দেসনশিং য়াওখো। দিজিতেল ইনফ্রাপ্রকচর, দিজিতেল কন্সেপ্ত, অমসুং কেপাসিতি বিল্ডিংশিং শেমগৎনবগীদমক অখনবা য়ুনিং অমা ই-এজুকেসনগীদমক স্কুল অমসুং হাইয়র এজুকেসনগী সেক্তরদা য়েংশিন্ণবগীদমক এম.এচ.আর.দি.দা শেমগৎলগনি।

এজুকেসন্দা তেক্লোলোজী

নেম্বেল এজুকেসনেল তেক্লোলোজী ফোরম কৌবা ওতোনোমস বোদী অমা তেক্লোলোজী শীজিন্দুনা রাখল্লোন লৌশিং য়েহ্বেত্তুনা লর্নিং, এসেসোম্ভ, প্লানিং, এদমিনিপ্ৰেসন হেনগৎহন্নবগীদমক শেমগৎলগনি। তেক্লোলোজীবু চুন্নবা মওংদা পুনশিন্দুনা ক্লাসরুম প্রোসেস ফগৎহনবা, ওজাগী প্রোফেসনেল দিবেলপমেস্ততা মতেং পাংবা, খুদোংচাদ্রবা কাংবুদা মইহে-মশিংগী থবকশিং ফগৎহনবা অমসুং এজুকেসনেল প্লানিং, এদমিনিপ্ৰেসন অমসুং মেনেজমেস্তশিং প্লিন্ণাইন তোবা।

ভারতকী লোলশিং শকখঙহনবা

ভারতকী লোল খুদিংমকপু লীদুনা থম্বা, চাউখৎহনবা, অমসুং মশক থোকহন্নবগীদমক, এন.ই.পি.না ইন্দিয়ন ইন্সতিতুয়ৎ ওব ট্রান্সলেসন এন্ড ইন্সপিরিভেসন (আই.আই.তি.আই.), নেম্বেল ইন্সতিতুয়ৎ ফোর পালি, পর্সিয়ান, অমসুং প্রাকৃৎ, লিংখত্তুনা সংস্কৃৎ অমসুং অতোপ্পা লোলশিংগী দিপার্তমেস্তশিং ঐচ.ই.এস.শিংদা মপাঙ্গল কলহনবা, অমসুং ঐচ.ই.আই.গী প্রোগ্রামশিংদা মমা লোলশিং শীজিন্ণহনবনি।

এজুকেসনবু ইন্টারনেসনেলাইজ তোবসি ইন্সতিতুয়সনেল কোলাবোরেসন অমসুং মইহেরোই অমসুং ফেকলতী মোবিলিটী অনীমক্কা অমসুং মালেমগী মকোক থংবা য়ুনিবর্সিটীশিংনা ঐখোয়গী লৈবাক্কী য়ুনিবর্সিটীশিংদা কেম্পস হাংদোকহন্দুনা ফংহনগনি।

প্রোফেসনেল এজুকেসন

প্রোফেসনেল এজুকেসন খুদিংমক হাইয়র এজুকেসন সিস্তেমগী মরুওইবা শরুক অমা ওইরগনি। স্তেন্দ অলোন তেক্লিকেল য়ুনিবর্সিটী, হেলথ সাইন্স য়ুনিবর্সিটী, লিগেল এন্ড এগ্রিকলচরেল য়ুনিবর্সিটী অসিনচিংবশিং অসি দিসিপ্লিন কয়া য়াওবা য়ুনিবর্সিটী ওইহন্নবা পান্দম থম্বি।

এদল এজুকেসন

পোলিসী অসিনা নহা অমসুং অহল চান্দা ১০০ লাইরিক ময়েক চংহন্নবা পান্দম থম্বি।

ফাইন্যান্সিং এজুকেসন

কেন্দ্র অমসুং রাজ্যশিংনা অপুনবা ওইনা হোৎনমিন্দুনা এজুকেসন সেক্তরদা পল্লিক ইনভেস্টমেস্ত হেনগৎহন্দুনা জি.দি.পি. চাদা ৬ হেনগৎহন্নবা হোৎনগনি।

অনপ্ৰিসিদ্ভেদ কল্পলতেসন

এন.ই.পি. ২০২০ অসি গ্ৰাম পঞ্চায়ৎ লাখ ২.৫, ব্লোক ৬৬০০, যু.এল.বি. ৬০০০, জিল্লা ৬৭৬কা তাল্লৰবা মতুংদা শেমখিবনি। এম.এচ.আৰ.দি.না জনুৱাৰী ২০১৫দগী হৌদুনা অৱাংবা থাত্তা শৰুক যাবা কয়াগা তাল্লদুনা লাঙ্কি। মে ২০১৬দা, লৈখিদ্ৰবা তি.এস.আৰ. সুব্ৰমনিয়ন, ফোৰ্মৰ কেবিনেং সেক্ৰেতৰীগী মখাদা 'কম্মিতী ফোৰ ইভোলুসন ওব দি ন্যু এজুকেসন পোলিসী'না মখোয়গী ৱিপোৰ্ত পীশিনখি। মসিগী ৱিপোৰ্ত অসিদা যুফ্ৰম ওইদুনা, মন্ত্ৰালয় অসিনা 'সম ইনপুৎসফোৰ দি ড্ৰাফ নেম্বেল এজুকেসন পোলিসী, ২০১৬' শেমখি। জুন ২০১৭দা মমিং লৈৰবা সাইন্তিস্ত, পদ্ম বিভূশন, দা. কে. কস্তুৱিৱৰ্জননা মীৎয়েং মখাদা 'কম্মিতী ফোৰ দি ড্ৰাফ নেম্বেল এজুকেসন পোলিসী' শেমদুনা ড্ৰাফ নেম্বেল এজুকেসন পোলিসী ২০১৯ ইকাই খুমনিংঙাই ওইৰিবা হ্যুমেন ৱিসোৰ্চ দিবেলপমেস্ত মন্ত্ৰীদা মে ৩১, ২০১৯দা পীখৎখি। ড্ৰাফ নেম্বেল এজুকেসন পোলিসী ২০১৯ অসি এম.এচ.আৰ.দি.গী ৱেবসাইত্তা অমসুং 'মাই গোব ইনোবেৎ'কী পোৰ্তেলদা মীয়াম যাওনা স্তেকহোল্দ্ৰশিংগী মীৎয়েং/সজেসন/কম্মেস্তশিং কৌদুনা থাগৎখি।

(Release ID: 1642154) Visitor Counter : 4

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Marathi

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजूरी

Posted On: 29 JUL 2020 5:34PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली/मुंबई, 29 जुलै 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजूरी दिली. हे नवे धोरण 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा घेणार आहे.

वैशिष्ट्ये:

शालेय शिक्षण

- 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 % जीईआर सह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे 2 कोटी शाळा बाह्य मुले मुख्य प्रवाहात परततील
- किमान पाचवीपर्यंतचे शिक्षण **मातृभाषा/ प्रादेशिक भाषेत** . कुठल्याही विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही
- समग्र प्रगती पुस्तकासह मूल्यांकन सुधारणा, शिक्षणाचे फलित साध्य करण्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार
- 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता 5+3+3+4 **अभ्यासक्रम** आराखडा अनुक्रमे 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 वयोगटासाठी राहिल. यामुळे 3-6 वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/शाळा पूर्वसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.
- पायाभूत साक्षरता आणि सांख्यिकी यावर भर, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही, शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6 वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटरनॅशनल समावेश असेल.
- एनसीईआरटीद्वारे एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा -एनसीएफएसई 2020-21 विकसित केली जाईल.

उच्च शिक्षण

- 2035 पर्यंत जीईआर 50% पर्यंत वाढवणे ; उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.
- या धोरणात व्यापक आधारभूत, बहु-शाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक पदवी शिक्षण अभ्यासक्रम , विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मिकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना केली आहे. **पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू** शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण असू शकतात.
- **अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट**ची स्थापना केली जाईल जेणेकरून हस्तांतरित करता येईल.
- बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (एमईआरयू), आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीचे देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशाखीय शिक्षणासाठी आदर्शित म्हणून स्थापित केले जातील.
- **नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची** स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धीगत करण्यात येईल.

- **भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची** (एचईसीआय) स्थापना करण्यात येईल. वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था असेल. एचईसीआयचे चार स्वतंत्र घटक असतील - नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्था याच नियम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वारे संचालित केल्या जातील.

इतर

- महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने तयार केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना पातळी-आधारीत यंत्रणेच्या माध्यमातून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतराने अशी कल्पना केली जाते की प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.
- नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (एनइटीएफ) म्हणजेच 'राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच' या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात येणार असून याद्वारे विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ- मंच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मंचाद्वारे शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येवू शकतो, यासाठी स्वतंत्रपणे विचारांचे आदान-प्रदान केले जाणार आहे.
- नवीन धोरणामध्ये बहुभाषितकेतला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूट्स) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना करण्यात येणार
- शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रित काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक **जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत** पोहोचवी, असा उद्देश यामागे आहे.

अभूतपूर्व विचारविनिमय- सल्ले

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 निश्चित करताना सर्व स्तरामधून आलेल्या शिफारसी, सल्ले यांच्याविषयी विचारविनिमय करण्यात आले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये जवळपास दोन लाखांपेक्षा जास्त सल्ल्यांचा विचार करण्यात आला. हे सल्ले 676 जिल्ह्यांतल्या 2.5 लाख ग्रामपंचायती, 6600 ब्लॉक्स, 6000 यूएलबीकडून आले होते. हे धोरण तयार करताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आलेल्या शिफारशींविषयी सल्ला मसलत, चर्चा करून सर्व समावेशक प्रक्रिया सुरू केली. या अभूतपूर्व विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेला जानेवारी 2015 पासून प्रारंभ झाला.

मे 2016 मध्ये माजी मंत्रिमंडळ सचिव कै. टी.एस.आर सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या "नवीन शैक्षणिक धोरण उक्तांती समिती"ने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा, 2016 तयार करण्यासाठी काही माहिती सादर केली.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली जून 2017 मध्ये 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा समिती' नियुक्त करण्यात आली. या समितीने 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा, 2019' मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना 31 मे, 2019 रोजी सादर केला. हा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर आणि 'मायगव्ह इनोव्हेट' या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला होता. त्यावर या क्षेत्रांतल्या लोकांनी, संबंधितांनी, भागीदारांनी आपली मते नोंदवावीत, सूचना, टिप्पण्या नोंदवाव्यात, यासाठी हा मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

PIB Del – RRV / Mum – MDes/ Sonal

(Release ID: 1642064) अभ्यागत कक्ष : 105

Read this release in: English

Salient Features of NEP 2020 - Odia

ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

- ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020କୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି
- ଦେଶର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଣୟ
 - ନୂଆ ନୀତିରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶତପ୍ରତିଶତ ଜିଇଆର ସହିତ ପ୍ରାକ୍-ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
 - ଦୁଇ କୋଟି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆଣିବ ଏନଇପି 2020
 - 12 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି/ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ନୂଆ 5+3+3+4 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟସଂସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
 - ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ, ପାଠ୍ୟବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଧ୍ୟାନମୂଳକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୃଥକୀକରଣ ନାହିଁ; ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧ୍ୟାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା
 - ମାତୃଭାଷା/ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅତିକମରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ
 - 360 ଡିଗ୍ରୀ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତି କାର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆକଳନ ସଂସ୍କାର, ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଆକଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
 - 2035 ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଜିଇଆର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.5 କୋଟି ଆସନ ଯୋଡ଼ାଯିବ
 - ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା
 - ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରବେଶ/ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
 - କ୍ରେଡିଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ସୁବି

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Bhubaneswar

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 (ଏନଇପି-2020)କୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏହା ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ । ଏହା ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯାହା 34 ବର୍ଷ ପୂରୁଣା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (ଏନଇପି), 1986 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନୂଆ ନୀତିର ମୂଳସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପଢ଼ିବା, ସମାଜତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁଲଭତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା । 2030 ସ୍ଥାନୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି

ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉତ୍କଳ ଜ୍ଞାନ ସମାଜ ଏବଂ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ନୀତି ଦେଶର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସାମଗ୍ରିକ, ନମନୀୟ, ବହୁବିଷୟକ କରିବା ସହିତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିନବ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସାମଗ୍ରିକ ପହଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା

ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନ ପହଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଏନଇପି 2020ରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଡିଭୁମି ସହାୟତା, ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ତରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଔପଚାରିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନର ବହୁମୁଖୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏନଆଇଓଏସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସମାନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧର୍ମାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପୌଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି କେତେକ ପ୍ରସାବିତ ମାର୍ଗକୁ ଏହି ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏନଇପି 2020 ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଅଣାଯିବ ।

ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା

ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୁଣା 10+2 ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥାନରେ 5+3+3+4 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 3-8, 8-11, 11-14 ଏବଂ 14-18 ରଖାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ 3-6 ବର୍ଷ ବୟସ ଶିଶୁର ମେଧାଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହେବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୟସବର୍ଗର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଏହି ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 12 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ତିନି ବର୍ଷର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି/ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା (ଏନସିପିଇଇସିସିଇ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ଦିଆଯାଇଛି । 8 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରାକ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲସିସିଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲସିସିଇ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାଠ୍ୟସୂଚୀର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଲସିସିଇର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ।

ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲ

ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ହାସଲକୁ ଏକ ଜରୁରି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରାକ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଏନଇପି 2020ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତୀୟ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏକ ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୋସ୍ତାହନ ନୀତି ଗଠନ କରାଯିବ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ପାଠ୍ୟବିଷୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ସହିତ ଜରୁରି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ନମନୀୟତା ରହିବ । କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟବହିର୍ଭୂତ ବିଷୟ, ଧର୍ମାତ୍ମକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୃଥକୀକରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲଂଚର୍ଣ୍ଣସିପକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ଢାଞ୍ଚା, ଏନସିଏଫଏସଇ 2020-21 ଏନସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯିବ ।

ବହୁଭାଷିତା ଏବଂ ଭାଷାର ଶକ୍ତି

ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମାତୃଭାଷା/ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା/ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଅତିକମରେ ପଞ୍ଚମଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଏହା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଭାଷାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ । ତିନୋଟି ଭାଷା ସୂତ୍ର ସମେତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ । ସେହିପରି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲଦି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ‘ଭାରତୀୟ ଭାଷା’ ଉପରେ ଏକ କୌତୁକ ପ୍ରକଳ୍ପ/କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ

କରିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଛାନ୍ତା ବୋଲି ଦିଆଯିବ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ । ବଧୂର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଯୋଗ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ମାନକୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।

ସଂସ୍କାର ଆକଳନ

ଏନଇପି 2020ରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକଳନ ବଦଳରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆକଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଧାରିତ ହେବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଏବଂ ବିଷୟଗତ ସ୍ୱସ୍ୱତା ଭଳି ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦକ୍ଷତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ । ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କରିବେ । ପୂର୍ବପରି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏହାକୁ ପୁନଃବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ । ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଆକଳନ କେନ୍ଦ୍ର, ‘ପରଖ’ (ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକଳନ, ସମୀକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ) ନାମକ ଏକ ମାନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

ସମାନତା ଓ ସମାବେଶୀ ଶିକ୍ଷା

ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାରଣରୁ ଯେପରି କୌଣସି ପିଲା ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗର ବଞ୍ଚିତ ନହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍ଗ, ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭୌଗଳିକ ପରିଚୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ବଞ୍ଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗ ସମାବେଶନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଗି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର, ରହିବା ସୁବିଧା, ସହାୟତା ଉପକରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । କଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, କ୍ୟାରିଅର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ଖେଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିବସ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ “ବାଲ ଭବନ” ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।

ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାରିଅର ବିକାଶ ମାର୍ଗ

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ମଝି ମଝିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଶାରଦ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜାତୀୟ ପେସାଦାର ମାନକ (ଏନପିଏସଟି) ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 2022 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏନସିଇଆରଟି, ଏସସିଇଆରଟି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଓ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବା କୁଷ୍ଠରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ମୂଳ ଯୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଠାଗାର ଓ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଶିକ୍ଷକ ସମୁଦାୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ

ଏନଇପି 2020ରେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ, ନିୟାମକ, ପ୍ରଚଳନ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱସ୍ତ, ପୃଥକ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱ ଅଧିନିତ (ଏସଏସଏସଏ) ଗଠନ କରିବେ । ଏସଏସଏସଏ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ନିୟାମକ ସୂଚନାକୁ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ । ଏସସିଇଆରଟି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଢାଞ୍ଚା (ଏସକ୍ୟୁଏଏଏଫ) ବିକଶିତ କରିବ ।

ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା

2035 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାଆରକ୍ତ ବଢ଼ାଇ 50% କରିବା

ଏନଇପି 2020ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାରେ ସକଳ ନାମାଙ୍କନ ଅନୁପାତ(ଜିଲ୍ଲାଆର)କୁ 26.3 ପ୍ରତିଶତ (2018)ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2035 ସୁଦ୍ଧା 50 ପ୍ରତିଶତ କରିବା । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 3.5 କୋଟି ନୂଆ ସିଟ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।

ସାମଗ୍ରିକ ବହୁବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା

ନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମଗଣୀଳ ସଂଯୋଜନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକରଣ ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାପକ, ବହୁବିଷୟକ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାର ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ । ତିନି କିମ୍ବା 4 ବର୍ଷର ଅବଧି ସହିତ ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା, 3 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଗବେଷଣା ସହିତ ସ୍ନାତକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

ବିଭିନ୍ନ ଏତଲାଆଇନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଏକାଡେମିକ କ୍ରେଡିଟ ଲାଗି ଏକ ଏକାଡେମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କ୍ରେଡିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତିମ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ସମୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ।

ଦେଶରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହୁବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ ରୂପରେ ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ ସମକକ୍ଷ ବହୁବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏମଇଆଇୟୁ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଗବେଷଣା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଗବେଷଣା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଶିର୍ଷ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପରେ ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରାଉଣ୍ଡେସନର ଗଠନ କରାଯିବ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଏକକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପରେ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ (ଏଚଇସିଆଇ) ଗଠନ କରାଯିବ ।

ଏତଲାସିଆଇର ଚାରିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିବ- ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନିୟାମକୀୟ ପରିଷଦ (ଏନଏଚଆଇସି), ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ଜିଇସି), ଅର୍ଥଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଦାନ ପରିଷଦ (ଏଚଇସିସି) ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପରିଷଦ (ଏନଏସି) । ଏତଲାସିଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜରିଆରେ ଫେସଲେସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ନିକଟରେ ନିୟମ ତଥା ମାନକର ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ ମାନକର ଏହି ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ ।

ନ୍ୟାୟସଂଗତ ସଂସ୍ଥାନତ ଢାଂଚା

ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକ ଭାଗିଦାରୀ ଉପଲକ୍ଷ କରାଇବା ଜରିଆରେ ବଡ଼, ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନ, ଗତିଶୀଳ ବହୁ ବିଷୟକ ସଂସ୍ଥାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଭାଷାରେ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା 15 ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟବନ୍ଧ ଢଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମିକ ସ୍ୱାୟତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଘଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ ।

ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏନଇପି ସୁକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପରିଭାଷିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପାରଦର୍ଶୀ ନିୟୁକ୍ତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ/ଅଧ୍ୟାପନ କଳା ଡିଜାଇନର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଉକ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସଂସ୍ଥାନତ ନେତୃତ୍ୱ ଜରିଆରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଉର୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ମୌଳିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ ।

ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଏନସିଆଇଆରଟିର ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଏନସିଟିଇ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଂଚା, ଏନସିଏଫଟିଇ 2021 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅତିକମରେ ଯୋଗ୍ୟତା 4 ବର୍ଷର ଇଂଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ ଡିଗ୍ରୀ ରଖାଯିବ । ଗୁଣବତ୍ତା ବିହୀନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ (ଟିଇଓ) ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ପରାମର୍ଶ ମିଶନ

ଏକ ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉକ୍ତୁଷ୍ଟତା ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ/ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପୁଲ ରହିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ରହିବେ । ଏମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ/ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳିନ ପରାମର୍ଶ/ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

ଏସସି, ଏସଟି, ଓସିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାରଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।

ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୂର ଶିକ୍ଷା

କିଲିଆରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସଂଗ୍ରହ, ଗବେଷଣା ଲାଗି ଅର୍ଥଯୋଗାଣ, ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରସେବା, ଏମଓଓସି ଦ୍ୱାରା କ୍ରେଡିଟ ଆଧାରିତ ମାନ୍ୟତା ଆଦି ଭଳି ଉପାୟକୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ-କ୍ଲାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ ।

ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା:

ସମ୍ପ୍ରତି ମହାମାରୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ସୁପାରିସର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସେଟକୁ କଭର କରାଯିବ । ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବିକଳ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ଇ-ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲ ଭିଡିଓ, ଡିଜିଟାଲ କଂଟେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଯୁନିଟ ଗଠନ କରାଯିବ ।

ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି

ଶିଖିବା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାୟତ ଯୁନିଟ, ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଞ୍ଚ (ଏନଇଟିଏଫ) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା, ଏହାର ଉପଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ପେସାଦାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ଲାଗି କରାଯିବ ।

ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ, ବିକାଶ ଓ ସକ୍ରିୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏନଇପି ଦ୍ୱାରା ପାଲି, ପାର୍ସୀ ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଅନୁବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇଆଇଟିଆଇ), ରୂପରେ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ସହିତ ମାତୃଭାଷା/ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ଉପଯୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ଲାଗି ସୁପାରିସ କରାଯାଇଛି ।

ସଂସ୍କାରଣ ଭାବେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣକୁ ସୁଗମ କରାଯିବ । ଶୀର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଯାକିଙ୍ଗ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା

ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭିନ ଅଙ୍ଗ କରାଯିବ । ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇନ ଏବଂ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁବିଷୟକ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ।

ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା

ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶତପ୍ରତିଶତ ଯୁବକ ଓ ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଜିଡିପିରେ ଏହାର ଯୋଗଦାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର 6% ହୋଇପାରିବ ।

ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶ

ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଚାରଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏନଇପି 2020କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ, 6000 ବ୍ଲକ, 6000 ସହରାଂଚଳ ପ୍ରଶାସନ, 676ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2015 ପରଠାରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମେ 2016ରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଟିଏସଆର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଗଠିତ “ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବିକାଶ ସମିତି” ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ “ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, 2016ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ କେତେକ ଇନପୁଟ ଦେଇଥିଲା । ଜୁନ 2017ରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଡ. କେ. କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏହି ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମିତି 31 ମେ, 2019ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2019ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଖେବସାଇଟ ଏବଂ ‘ମାଉ ଗଭ ଇନୋଭେଟ’ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା/ମତାମତ/ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ।

ପିଡିଏଫ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

(Release ID: 1642180) Visitor Counter : 17

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 -Punjabi

ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 100% ਜੀਈਆਰ ਨਾਲ ਪੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀਕਰਣ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗੀ

12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਗਨਵਾੜੀ/ਪੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 5+3+3+4 ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ: ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਏਆਰ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ; ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿ

Posted On: 29 JUL 2020 5:26PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਪੀਈ), 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਇਕੁਇਟੀ, ਮਿਆਰ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੂਹਕ, ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜੀਵ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਮਾਤ 3,5 ਤੇ 8 ਲਈ ਐਨਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਓਪਨ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਮਾਤ 10 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ 10+2 ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 + 3 + 3 + 4 ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3-8, 8-11, 11-14 ਅਤੇ 14-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 3-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੌਰਵ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਗਨਵਾੜੀ / ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਨਸੀਪੀਐੱਫਈਸੀਸੀਈ – NCPFECCE) ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈਸੀਸੀਈ – ECCE) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸੀਸੀਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅੰਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਈਸੀਸੀਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (ਐੱਚਐੱਫ਼ਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨਦਿਆਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ) ਦੁਆਰਾ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਐੱਨਸੀਐੱਫ਼ਸੀਈ 2020-21' ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 6-8 ਗ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ (ਆਈਐੱਸਐੱਲ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਵਿੱਚ ਯੋਗਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਨ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੇਡ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੇਡ 10 ਅਤੇ 12 ਲਈ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 'ਪਰਖ (ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ)' ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ-ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ

'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਈਡੀਜੀ – SEDG) ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ-ਬਾਲਿਕਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਛਾਣ ਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 'ਬਾਲਕ-ਬਾਲਿਕਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ' ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ, ਆਵਾਸ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਚਿਤ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਬੰਧੀ, ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਬਾਲ ਭਵਨ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਾਰਗ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਐੱਨਪੀਐੱਸਟੀ – NPST) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਸਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ 2020 ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਚਾਲਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਸਐਸਐਸਐ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਐਸਐਸਐ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਢਾਂਚਾ' (ਐਸਕਿਊਏਏਐਫ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

2035 ਤੱਕ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਐਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2018) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਯੋਜਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਕਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਦੂਕਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ।

ਵਿਭਿੰਨ ਐਂਚਈਆਈ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਐਮਈਆਰਯੂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪੂਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਚਐੱਚਈਆਰਸੀ), ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਈਸੀ), ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਚਈਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਏਸੀ)। ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚਈਆਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਠਿਤ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਰਿਤ, ਉਰਜਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਫੈਕਲਟੀ

ਐਨਈਪੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ, ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਰਕ, ਉਰਜਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ, ਐਨਸੀਐਫਟੀਈ 2021 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 4 ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਬੀਐੱਫ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਸਵੈਚਾਲਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਟੀਈਓ) ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਲਾਹ ਮਿਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੋਵੇਗਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ- ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਲਾਹ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਮਓਓਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।

ਐਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ :

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਰਚਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਸਿੱਖਣ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਚ (ਐਨਈਟੀਐੱਫ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵੱਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਈਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਟੀਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ' ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਲਾਹ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 6,600 ਬਲਾਕਾਂ, 6,000 ਯੂਐਲਬੀ, 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2016 ਲਈ ਕੁਝ ਇਨਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ 'ਆਈਗੋਵ ਇਨੋਵੇਟ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੁਝਾਵਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਪੀਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Kindly click here to see PPT

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਏਕੇ

(Release ID: 1642137) Visitor Counter : 4

Read this release in: English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Tamil

மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகம்

நாட்டின் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி முறையில் பெரும் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-க்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் 2030-க்குள் பள்ளிக் கல்வியில் 100 சதவீத ஓட்டுமொத்த சேர்க்கை வீதத்துடன் மழலையர் கல்வி முதல் இடைநிலைக் கல்வி வரை ஒரே மாதிரியான கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்த புதிய கொள்கை வழிவகுக்கிறது.

பள்ளிக்குச் செல்லாத 2 கோடி குழந்தைகளை, மீண்டும் கல்வி நிரோட்டத்திற்குக் கொண்டுவர தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 உதவும்.

புதிய 5+3+3+4 பள்ளிப் பாடத்திட்டம் 12 ஆண்டுகள் பள்ளிப் படிப்பு மற்றும் 3 ஆண்டு அங்கன்வாடி/ மழலையர் பள்ளிப் படிப்பைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும்

கணக்கறிவுடன், கடுமையான
பிரிவினை இல்லாத பாடமுறை,
பாடத்திட்டம் சாரா அம்சங்கள்,
பள்ளி அளவிலேயே தொழிற்கல்வி
பயிற்றுவித்தலுக்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்படும; தொழிற்பாடங்கள்
6-ம் வகுப்பிலிருந்தே
தொடங்குவதுடன், உள்ளூறை
பயிற்சியும் அளிக்கப்படும.

குறைந்தபட்சம் 5-ஆம் நிலை
வரையிலாவது தாய்மொழி /
பிராந்திய மொழியில்
பயிற்றுவித்தல்.

மதிப்பீட்டு முறையில், மதிப்பெண்
அடடை, கற்றல் விளைவுகளை
அடைய ஏதுவாக, மாணவர்களின்
முன்னேற்றத்தைக்
கண்காணித்தல் உள்ளிட்ட 360 டிகிரி
ஒட்டுமொத்த சீர்திருத்தங்கள்
மேற்கொள்ளப்படும.

2035-க்

பிரதமர் திரு.நரேந்திரமோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி முறையில், பெருமளவிலான மாற்றத்தக்க சீர்திருத்தங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 21-ஆம் நூற்றாண்டின் இந்த முதலாவது கல்விக் கொள்கை, 34 ஆண்டுகள் பழமையான தேசிய கல்விக் கொள்கை, 1986-க்கு மாற்றாக அமையும். அணுகுதல், சமவாய்ப்பு, தரம், குறைந்த கட்டணம் மற்றும் பொறுப்புணர்வுடன் கூடிய அடித்தூண்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை, 2030-க்குள் நீடித்த வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கான செயல்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கேற்ப உருவாக்கப்பட்டிருப்பதுடன், இந்தியாவை வலிமையான அறிவாற்றல்மிக்க சமுதாயம் மற்றும் உலகளவில் அறிவாற்றலில் சிறந்த சக்தியாக மாற்றும் நோக்குடன், பள்ளிக் கல்வி மற்றும் கல்லூரிக் கல்வியை மேலும் முழுமையான, நெகிழுந்தன்மையுடைய, பலதரப்படாதாக, 21-ஆம் நூற்றாண்டின் தேவைகளுக்கேற்ப மாற்றியமைப்பதுடன், ஒவ்வொரு மாணவரின் தனித்தன்மையை வெளிக்கொணரும் வகையிலும் இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய அம்சங்கள்

பள்ளிக்கல்வி

பள்ளிக்கல்வியின் அனைத்து மட்டத்திலும் உலகளாவிய அணுகுமுறையை உறுதி செய்தல்

மழலையர் கல்வி முதல் இடைநிலைக் கல்வி வரை, அனைத்து மட்டத்திலும் பள்ளிக் கல்விக்கு உலகளாவிய அணுகுமுறையை உறுதி செய்வதை, தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 வலியுறுத்துகிறது. கட்டமைப்பு வசதி, ஆராய்ச்சிக்கான கல்வி மையங்கள் போன்றவை பள்ளிப்படிப்பை பாதியில் கைவிட்ட மாணவர்களை, மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க உதவுவதுடன், மாணவர்களையும், அவர்களது படிப்புத் திறனையும் தொடர்ந்து கண்காணித்ததல், முறைசார்ந்த மற்றும் முறைசாரா கல்வி முறைகளை உள்ளடக்கிய கல்விக்கான பலதரப்பட்ட வழிகளை ஏற்படுத்தித் தருதல், ஆலோசகர்களின் ஒத்துழைப்பு அல்லது நன்கு பயிற்சிபெற்ற சமூகப் பணியாளர்களை பள்ளிகளிலேயே ஏற்படுத்தித் தருவது, 3, 5 மற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு, தேசிய திறந்தவெளிப் பள்ளி மற்றும் மாநில திறந்தவெளிப் பள்ளிகள் வாயிலாக கல்வி புகட்டுதல், 10 மற்றும் 12ஆம் நிலைகளுக்கு இணையான இடைநிலைக் கல்வி பாடத் திட்டங்கள், தொழிற்கல்விப் பாடங்கள், முதியோர் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை மேம்பாட்டிற்கான திட்டங்கள் ஆகியவையும் இலக்கினை அடைவதற்கான யோசனைகளாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிப் படிப்பை பாதியிலேயே கைவிட்ட சுமார் 2 கோடி குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்கவும் தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-இல் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன் குழந்தைப்பருவ கவனிப்பு, புதிய பாடத்திட்டக் கல்வி மற்றும் கற்பித்தல் கட்டமைப்பு

முன்குழந்தைப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வியை வலியுறுத்தும் வகையில், தற்போதுள்ள 10 + 2 பாடத்திட்ட முறை மாற்றப்பட்டு, முறையே 3-8, 8-11, 11-14 மற்றும் 14-18 வயதுக்கேற்ற 5 + 3 + 3 + 4 ஆண்டு பாடத்திட்ட முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதுவரை பள்ளிக்கு வராத 3 - 6 வயது வரையிலானவர்கள் பள்ளிப் பாடம் படிப்பதற்கு இந்த புதிய முறை உதவும். குழந்தைகளின் மனநிலைக்கேற்ற ஆசிரியர்களை உருவாக்க, இந்த காலகட்டம் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக உள்ளது. புதிய கல்வி முறை, 3ஆண்டு அங்கன்வாடி / மழலையர் கல்வியுடன், 12 பள்ளிக்கூடப் படிப்பைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

8 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு முன் குழந்தைப்பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்விக்கான தேசியப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் கட்டமைப்பை (National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education - NCFECCE) தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் (NCERT) உருவாக்கும். முன்குழந்தைப் பருவ கவனிப்பு, கற்பித்தல் மற்றும் பாடத்திட்டத்தில் நன்கு பயிற்சிபெற்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களைக் கொண்ட, விரிவுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் அங்கன்வாடி, மழலையர் பள்ளிகள் போன்ற வலுப்படுத்தப்பட்ட மையங்கள் மூலம் முன்குழந்தைப் பருவ கவனிப்பு வழங்கப்படும். முன்குழந்தைப் பருவ கவனிப்பு மற்றும் கல்வி முறையை, மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை, மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை, மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைகள் மூலம் கூட்டாக மேற்கொள்ளப்படும்.

அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவை அடைதல்

அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு ஆகியவை கல்வி பயில்வதற்கான இன்றியமையாத உடனடித் தேவையாக இருப்பதால் அவற்றை முன் தகுதியாக அங்கீகரிக்கும் வகையில், மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையால், தேசிய அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு இயக்கம் ஒன்றைத் தொடங்க தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020இல் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தொடக்கப் பள்ளிகளிலும் 2025-க்குள் 3-ஆம் நிலை வரை அனைவரும் பயில ஏதுவாக, உலகளாவிய அடிப்படை எழுத்தறிவு மற்றும் எண் அறிவு பெறுவதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்த மாநில அரசுகள் தயாராக வேண்டும். தேசிய புத்தக மேம்பாட்டுக் கொள்கை ஒன்றும் வகுக்கப்பட வேண்டும்.

பள்ளிக்கூடப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் சீர்திருத்தங்கள்

பள்ளிக்கூடப் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தலில், கற்போரின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அவர்களிடம் 21-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற முக்கியமான திறமைகளை ஏற்படுத்துவதோடு, அவசியமானவற்றைக் கற்கும் திறனை மேம்படுத்துவதற்கேற்ப பாடத்திட்டத்தைக் குறைப்பதுடன், சோதனை அடிப்படையிலான கல்வி மற்றும் சிந்தனைக்கு பெருமளவு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். பாடப்பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்க மாணவர்களுக்கு உரிய வாய்ப்பு வழங்கப்படும். கலை மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுகளில் வலுக்கட்டாயமாக பிரிக்கப்பட மாட்டார்கள்,

பாடத்திட்டம் மற்றும் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவற்றையும் கற்பதற்கும், தொழிற்கல்வி மற்றும் வழக்கமான கல்வி முறைக்கும் பெரும் வித்தியாசம் இருக்காது.

பள்ளிக்கூடங்களிலேயே 6-ஆம் நிலை முதற்கொண்டே தொழிற்கல்வி பயிற்றுவிக்கப்படுவதோடு, உள்ளூறை பயிற்சிமுறையைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.

புதிய மற்றும் விரிவான பள்ளிக் கல்விக்கான தேசியப் பாடத்திட்டக் கட்டமைப்பு 2020-21 (National Curricular Framework for School Education, NCFSE) தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் ஏற்படுத்தப்படும்.

பன்மொழி மற்றும் மொழியின் ஆற்றல்

குறைந்தபட்சம் 5-ஆம் வகுப்பு வரையிலும் , ஆனால் 8-ஆம் வகுப்பு மற்றும் அதற்கு மேலும் முன்னுரிமை அடிப்படையிலும் , தாய்மொழி/ உள்ளூர் மொழி/ பிராந்திய மொழி , பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் என கொள்கை வலியுறுத்துகிறது. மும்மொழித் திட்டம் உள்பட அனைத்து மட்டத்திலான பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வியில் சமஸ்கிருதம் மாணவர்களின் விருப்பமாக இருக்கும் வகையில் வழங்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் இதர செம்மொழிகள் மற்றும் இலக்கியங்களும் விருப்பப் பாடங்களாக இருக்கும். எந்த மாணவர் மீதும் எந்த மொழியும் திணிக்கப்படமாட்டாது. 'ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம்' முன்முயற்சியின் கீழ், 6 முதல் 8 வரையான வகுப்புகளில் ' இந்திய மொழிகள் ' குறித்து மாணவர்கள் வேடிக்கை செயல் திட்டம்/ நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கலாம். இடைநிலைக் கல்வி மட்டத்தில், பல்வேறு வெளிநாட்டு மொழிகளும் கற்பிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் இந்திய அடையாள மொழி தரப்படுத்தப்படும். செவித்திறன் குறைபாடு உள்ள மாணவர்களின் பயன்பாட்டுக்காக, தேசிய, மாநில பாடத்திட்டப் பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

மதிப்பீட்டு சீர்திருத்தங்கள்

புதிய கல்வி கொள்கை 2020 , சுருக்கமான மதிப்பீட்டிலிருந்து , வழக்கமான , முறையான மதிப்பீட்டுக்கு மாறுவதை எதிர்நோக்குகிறது. இது ஆய்வுகள், விமர்சன சிந்தனை, கருத்தியல் தெளிவு போன்ற உயர் திறன்களுக்கு ஏற்ற வகையில் திறன் அடிப்படையிலான , கற்றல் மற்றும் மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. 3,5,8-ஆம் வகுப்புகளில் அனைத்து மாணவர்களும் , உரிய ஆணையம் நடத்தும் பள்ளித் தேர்வுகளை எழுதுவார்கள். 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் தொடரும். அதேசமயம் , முழுமையான மேம்பாட்டை நோக்கமாகக் கொண்டு, திருத்தியமைக்கப்படும். புதிய தேசிய மதிப்பீட்டு மையம், பராக் - திறன் மதிப்பீடு, மறுஆய்வு மற்றும் முழுமையான மேம்பாட்டுக்கான அறிவுப் பகுப்பாய்வு) (PARAKH - Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) நிலையான அமைப்பு ஒன்றால், உருவாக்கப்படும்.

சமமான மற்றும் உள்ளடக்கிய கல்வி

புதிய கல்வி கொள்கை 2020, எந்தக் குழந்தையும் பிறந்த சூழ்நிலை காரணமாகவோ அல்லது பின்புலம் காரணமாகவோ கற்பதுடன் சிறந்து விளங்கும், எந்த வாய்ப்பையும் இழந்துவிடக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பாலினம், சமூக-கலாச்சாரம், புவியியல் அடையாளங்கள், உடல் குறைபாடுகள் உள்பட சமூக, பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். பின்தங்கிய பகுதிகள் மற்றும் குழுக்களுக்காக பாலின உள்ளடக்க நிதி, சிறப்புக் கல்வி மண்டலங்கள் அமைப்பதும் இதில் அடங்கும். உடல் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள், வழக்கமான பள்ளிப்படிப்பை அடிப்படையிலிருந்து உயர் கல்வி வரை முழுமையாக மேற்கொள்ள இது வழிவகுக்கும். முழுமையான உடல் குறைபாட்டுப் பயிற்சி, ஆதார மையங்கள், வசதிகள், உதவிகரமான கருவிகள், பொருத்தமான தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான உபகரணங்கள், அவர்களது தேவைக்குப் பொருத்தமான இதர பொறிமுறை ஆதரவு ஆகியவற்றுடன் கல்வி கற்பிப்போரின் உதவியும் இதில் இருக்கும். ஒவ்வொரு மாநிலமும்/ மாவட்டமும், பகல் நேர உறைவிடப் பள்ளியாக" பால பவன்கள்"ஐ அமைக்க ஊக்குவிக்கப்படும். கலை தொடர்பான, தொழில் தொடர்பான, விளையாட்டு தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கும் வகையில் இது செயல்படும். இலவசப் பள்ளிக் கட்டமைப்பு, சமூக சேத்னா மையங்களாகப்பயன்படுத்தப்படும்.

வலுவான ஆசிரியர் சேர்க்கை மற்றும் தொழில் பாதை

ஆசிரியர்கள், வலுவான, வெளிப்படையான நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். தகுதி அடிப்படையிலும், பல ஆதார, கால அளவிலான செயல்திறன் மதிப்பீடு, கல்வியியல் நிர்வாகிகள் அல்லது ஆசிரிய கற்பிப்பாளர்களாக உயரும் வகையிலான முன்னேற்ற வழிமுறைகளின்படியும், பதவி உயர்வு இருக்கும். தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் (NCERT), மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் (SCERT) ஆகிய அமைப்புகள் எல்லா பிராந்தியங்கள் மற்றும் மட்டத்திலுமான ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிபுண அமைப்புகளுடன் கலந்தாலோசித்து, ஆசிரியர்களுக்கான தேசிய தொழில்முறைத் தரம் என்ற ஒரு பொதுவான அமைப்பு உருவாக்கப்படும்.

பள்ளி நிர்வாகம்

பள்ளிகள் வளாகங்களாகவோ, தொகுப்புகளாகவோ அமைக்கப்படும். உள்கட்டமைப்பு, கல்வி நூலகங்கள், வலுவான தொழில்முறை ஆசிரியர் சமூகம் உள்ளிட்ட அனைத்து வளங்களும் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் விதத்தில், நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அலகாக அது இருக்கும்.

பள்ளிக் கல்விக்கான நிலையான அமைப்பு மற்றும் அங்கீகாரம்

புதிய கல்வி கொள்கை 2020, கல்வி தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் கொள்கை வகுத்தல், முறைப்படுத்துதல், இயக்குதல் ஆகியவற்றுக்கு தெளிவான, தனி நடைமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது. மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்கள், சுதந்திரமான மாநில கல்வித் தர ஆணையத்தை (SSSA) அமைத்துக் கொள்ளும். அனைத்து அடிப்படை ஒழுங்குமுறைத்

தகவல்களையும் வெளிப்படையாகவும், பொது சுய- அறிவிப்பு வழியாகவும், மாநில கல்வித் தர ஆணையத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அளிக்க வேண்டும். அது விரிவான பொது மேற்பார்வை மற்றும் பொறுப்புடைமையாக விரிவாகப் பயன்படுத்தப்படும். மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் குழுமம் (SCERT) , பள்ளி தர மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார வரைமுறையை , தொடர்புடைய அனைவருடனும் கலந்தாலோசித்து உருவாக்கும்.

உயர் கல்வி

2035 வாக்கில் மொத்த பதிவு விகிதம் 50 சதவீதமாக ஆக உயர்த்தப்படும்

புதிய கல்விக் கொள்கை 2020 , உயர் கல்வியில் மொத்தப் பதிவு விகிதத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. தொழில் கல்வி விகிதத்தை 26.3 சதவீதத்திலிருந்து (2018) , 2035-ஆம் ஆண்டு வாக்கில் 50 சதவீதமாக உயர்த்துவது இதில் அடங்கும். உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் 3.5 கோடி புதிய இடங்கள் சேர்க்கப்படும்.

முழுமையான பன்முகக் கல்வி

நெகிழ்வான பாடத்திட்டங்கள், பாடங்களில் படைப்புச் சேர்க்கைகள், ஒருங்கிணைந்த தொழில் கல்வி மற்றும் உரிய சான்றிதழ்களுடன் பல்முனை நுழைவு, வெளியேறுதல் ஆகியவற்றுடன், விரிவான அடிப்படையிலான , பன்முக, முழுமையான இளநிலைப் பட்டப் படிப்பை கல்விக் கொள்கை முன்னெடுக்கிறது. இளநிலை பட்டக் கல்வி , பன்னோக்கு வாய்ப்புகளுடன் 3 அல்லது 4 ஆண்டு கால படிப்பாக இருக்கலாம். இந்தக் காலத்திற்குள் பொருத்தமான சான்றிதழ் பெற வேண்டும். உதாரணமாக, ஓராண்டுக்குப் பின்னர் சான்றிதழ், 2 ஆண்டுக்குப் பின்னர் மேம்பட்ட டிப்ளமோ , 3 ஆண்டுக்குப் பின்னர் இளநிலைப் பட்டம், 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பட்டத்துடன் ஆராய்ச்சி சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

பல்வேறு உயர் கல்வி நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கல்வி மதிப்பெண்களை டிஜிட்டல் முறையில் சேகரித்து வைக்க , அகாடமிக் கிரெடிட் வங்கி உருவாக்கப்படும். இது கடைசியாக பட்டம் வழங்கப்படும் போது சேர்ப்பதற்கு வாய்ப்பாக அமையும்.

நாட்டில் உலக தரத்துக்கு இணையாக சிறந்த பன்னோக்கு கல்வி வழங்கும் மாதிரி அமைப்பாக, ஐஐடிக்கள், ஐஐஎம்கள் ஆகியவற்றுக்கு இணையாக, பன்னோக்குக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பல்கலைக்கழகங்கள் அமைக்கப்படும்.

உயர் கல்வியில், ஆராய்ச்சித் திறனைக் கட்டமைக்கவும், வலுவான ஆராய்ச்சிக் கலாச்சாரத்தை வளர்க்கவும், ஒரு உயர் அமைப்பாக, தேசிய ஆராய்ச்சி பவுண்டேசன் உருவாக்கப்படும்.

ஒழுங்குமுறை

மருத்துவ மற்றும் சட்டப் படிப்புகளைத் தவிர ஒட்டுமொத்த உயர் கல்விக்கும் ஒரே முதன்மை அமைப்பாக இந்திய உயர் கல்வி ஆணையம் அமைக்கப்படும். இந்திய உயர் கல்வி ஆணையம் நான்கு பிரிவுகளைக் கொண்டிருக்கும். ஒழுங்குமுறைக்காக தேசிய உயர் கல்வி ஒழுங்குமுறைக் குழு, தர நிர்ணயித்தலுக்காக பொதுக் கல்விக் குழு,

நிதியுதவிக்காக உயர் கல்வி மானியக் குழு மற்றும் அங்கீகாரத்துக்காக தேசிய அங்கீகாரக் குழு. தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் முகமில்லா இடையீடு மூலமாக செயல்படும் இந்திய உயர் கல்வி ஆணையம், விதிகள் மற்றும் தரங்களைப் பின்பற்றாத உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும். ஒழுங்குமுறை, அங்கீகாரம் மற்றும் கல்வித் தரத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் ஒரே மாதிரியான விதிகளின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும்.

நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனக் கட்டமைப்பு

உயர்தரக் கற்றல், ஆய்வு மற்றும் சமூகத் தொடர்பை வழங்கும் மிகப்பெரிய, நல்ல வளங்களையுடைய, துடிப்பான பல்துறை நிறுவனங்களாக உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மாற்றியமைக்கப்படும். ஆய்வில் அதிக கவனம் செலுத்தும் பல்கலைக்கழகங்கள், கற்பித்தலில் அதிக கவனம் செலுத்தும் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தன்னாட்சி பெற்ற பட்டம் வழங்கும் கல்லூரிகள் என பல்கலைக்கழகத்துக்கான விளக்கம் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.

கல்லூரிகளுக்கான இணைப்பு அனுமதி 15 வருடங்களில் காலாவதி ஆகும் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு தன்னாட்சியை கட்டம் கட்டமாக படிப்படியாக வழங்குவதற்காக பல படிநிலைகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படும். சில காலத்துக்கு பிறகு, ஒவ்வொரு கல்லூரியையும் தன்னாட்சியுடைய பட்டங்களை வழங்கும் கல்லூரியாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரியாகவோ மேம்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊக்கம் நிறைந்த, உற்சாகமுள்ள மற்றும் திறன் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள்

ஊக்கம் நிறைந்த, உற்சாகமுள்ள ஆசிரியர்களை தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட, சுதந்திரமான, வெளிப்படையான முறையில் பணியமர்த்தவும், பாடத்திட்டங்களை வடிவமைக்க சுதந்திரம் அளிக்கவும், திறமைக்கு ஊக்கமளிக்கவும், கல்வி நிறுவனத் தலைமையை நோக்கி முன்னேறவும் தேசியக் கல்விக் கொள்கை பரிந்துரைக்கிறது. அடிப்படை விதிகளை பின்பற்றாத ஆசிரியர்கள் அதற்கு பொறுப்பேற்க வைக்கப்படுவார்கள்.

ஆசிரியர் கல்வி

தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் குழுவின் ஆலோசித்து புதிய மற்றும் விரிவான தேசிய ஆசிரியர் கல்வித் திட்டக் கட்டமைப்பு, 2021, தேசிய கல்வி மற்றும் பயிற்சிக் குழுவால் வடிவமைக்கப்படும். 2030-க்குள் கற்பித்தலுக்கான குறைந்தபட்ச பட்டத் தகுதி நான்கு வருட பி எட் பட்டமாக இருக்கும். தரம் குறைந்த ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கற்பித்தல் இயக்கம்

இந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கும் திறன் வாய்ந்த மற்றும் பல்கலைக்கழக/கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால கற்றல்/தொழில்முறை ஆதரவை அளிக்க விரும்பும் திறன்வாய்ந்த மூத்த/ஓய்வு

பெற்ற ஆசிரியர்களைக் கொண்ட தேசிய கற்பித்தல் இயக்கம் அமைக்கப்படும்.

மாணவர்களுக்கு நிதி உதவி

எஸ் சி, எஸ் டி, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இதர மாணவ தொழில்முனைவோர் வளர்ச்சிப் பிரிவுகளை சார்ந்த நன்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அளிக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். கல்வி உதவித்தொகையைப் பெறும் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை ஆதரித்து, மேம்படுத்தி மற்றும் கண்காணிக்க தேசிய கல்வி உதவித்தொகை தளம் விரிவுபடுத்தப்படும். தங்களது மாணவர்களுக்கு அதிக அளவில் இலவச கல்வி மற்றும் கல்வி உதவித்தொகையை அளிக்க தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும்.

திறந்தவெளி மற்றும் தொலைதூரக் கல்வி

கல்விபெறும் ஒட்டுமொத்த விகிதத்தை அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றும் விதத்தில் இது விரிவுப்படுத்தப்படும். இணைய வழி படிப்புகள், டிஜிட்டல் சேமிப்புத் தளங்கள், ஆராய்ச்சிக்கு நிதியுதவி, மேம்படுத்தப்பட்ட மாணவர் சேவைகள், திறந்தவெளி இணைய வழிப் படிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குதல் ஆகியவற்றுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு, வகுப்புகளில் கற்பிக்கப்படும் கல்வியின் உச்சபட்ச தரத்துக்கு இணையாக இது திகழ்வது உறுதி செய்யப்படும்..

இணையவழிக் கல்வி மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வி

தொற்று நோய்கள் மற்றும் பெருந்தொற்று சமயங்களில், சமீபத்திய நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு, பாரம்பரியமான மற்றும் நேரடிக் கல்வி எங்கெல்லாம் சாத்தியமில்லையோ அங்கெல்லாம் இணைய வழிக் கற்றலை ஊக்குவிக்க, தரமான மாற்றுக் கல்வியை வழங்குவதற்கான தயார் நிலையை உறுதி செய்ய விரிவான பரிந்துரைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, டிஜிட்டல் பாடங்கள் மற்றும் திறன் வளர்த்தல் ஆகியவற்றைக் கட்டமைக்க மனித வள மேம்பாடு அமைச்சகத்தில் ஒரு பிரத்யேகப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு, கல்வி மற்றும் உயர்கல்வியின் மின்-கற்றல் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும்.

கல்வியில் தொழில்நுட்பம்

கல்வி, மதிப்பிடுதல், திட்டமிடுதல் மற்றும் நிர்வாகத்தில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதில் யோசனைகளைத் தடையின்றி பகிர்ந்து கொள்ள தேசிய கல்வி தொழில்நுட்பப் பேரவை என்னும் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு உருவாக்கப்படும். வகுப்பறை செயல்முறைகள், ஆசிரியர் தொழில்முறை மேம்பாட்டுக்கு ஆதரவு, வசதி குறைந்த பிரிவினருக்கு கல்விக்கான அணுகுதலை அதிகரித்தல் மற்றும் கல்வித் திட்டமிடுதல், நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை ஆகியவற்றுக்கு அனைத்து மட்டங்களிலும் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்பு தேவையான அளவில் செய்யப்படும்.

இந்திய மொழிகளை ஊக்கப்படுத்துதல்

அனைத்து இந்திய மொழிகளின் பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் துடிப்புடன் இயங்கும் தன்மையை உறுதி செய்ய, இந்திய மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் விளக்க நிறுவனம், பாலி, பெர்சிய மற்றும் பிராக்ரித்துக்கான தேசிய நிறுவனம் (அல்லது நிறுவனங்கள்), உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சமஸ்கிருதம் மற்றும் இதர மொழித் துறைகள் மற்றும் அதிக உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் தாய்மொழி/உள்ளூர் மொழியில் கற்பித்தலை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றை தேசியக் கல்விக் கொள்கை பரிந்துரைக்கிறது.

கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையேயான கூட்டுச் செயல்பாடு, மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் போக்குவரத்து மற்றும் உலகத் தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களை நமது நாட்டில் வளாகங்கள் அமைக்கச் செய்வது ஆகியவற்றின் மூலம் கல்வியின் சர்வதேசமயமாக்கலுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொழில்முறைக் கல்வி

அனைத்து தொழில்முறை படிப்புகளும் உயர் கல்வி அமைப்பின் இன்றியமையாத அங்கமாக இருக்கும். தனிப்பட்ட தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகங்கள், சுகாதார அறிவியல் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியவை பல்நோக்கு நிறுவனங்களாக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யும்.

வயது வந்தோருக்கான கல்வி

இளைஞர் மற்றும் வயது வந்தோருக்கான கல்வியை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய கொள்கை எண்ணுகிறது.

கல்விக்கு நிதியுதவி

கல்வித் துறையில் பொதுமுதலீடு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 6 சதவீதத்தை விரைவில் எட்ட மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து பணியாற்றும்.

இதுவரை இல்லாத அளவில் ஆலோசனைகள்

2.5 லட்சம் கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், 6600 வட்டங்கள், 6000 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள், 676 மாவட்டங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஆலோசனைகளைப் பெற்று முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான ஆலோசனை செயல்முறையுடன் தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஒருங்கிணைந்த, உள்ளடக்கிய மற்றும் அதிகம் பேர் பங்குபெறக்கூடிய ஆலோசனை செயல்முறையை ஜனவரி 2015-இல் இருந்து மனித வள மேம்பாடு அமைச்சகம் தொடங்கியது. காலம் சென்ற முன்னாள் அமைச்சரவைச் செயலாளரான திரு. டி. எஸ். ஆர். சுப்பிரமணியனின் தலைமையிலான 'புதிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கக் குழு', மே 2016-இல் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி, பத்ம விபூஷன், டாக்டர். கே. கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையிலான 'தேசிய கல்வி வரைவுக் கொள்கைக்கான குழு' ஜூன் 2017-இல் அமைக்கப்பட்டு, தேசிய கல்வி வரைவுக் கொள்கை, 2019-ஐ மாண்புமிகு மனிதவள மேம்பாடு அமைச்சரிடம் 31 மே, 2019 அன்று சமர்ப்பித்தது. மனிதவள மேம்பாடு அமைச்சகத்தின் இணையதளத்திலும்,

"MyGov Innovate" தளத்திலும் தேசிய கல்வி வரைவுக் கொள்கை பதிவேற்றப்பட்டு, பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பங்குதாரர்களிடம் இருந்து பார்வைகள்/ஆலோசனைகள்/ கருத்துகள் வரவேற்கப்பட்டன.

(Release ID: 1642078) Visitor Counter : 64

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Telugu

Salient Features of NEP 2020 - Telugu

మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ

- జాతీయ విద్యా విధానం 2020 కు ఆమోదం
తెలిపిన కేంద్ర కేబినెట్
- దీనితో దేశంలో పాఠశాల, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో
పరివర్తనతో కూడిన సంస్కరణలకు వీలు.
- 2030 నాటికి పాఠశాల విద్యలో 100% జిఇఆర్ తో
ప్రీ-స్కూల్ నుండి సెకండరీ స్థాయి వరకు విద్యను
సార్వజనీనం చేయడం నూతన విధానం లక్ష్యం
 - ఎన్.ఇ.పి 2020, పాఠశాల వెలుపల ఉన్న 2 కోట్ల
మందిని తిరిగి ప్రధాన స్రవంతిలోకి
తీసుకురానుంది.
 - 6 వ తరగతి నుంచే ఇంటర్నల్ షిప్ తో కూడిన
వృత్తి విద్య
 - కనీసం 5 వ తరగతి వరకు మాతృభాష లేదా
ప్రాంతీయ భాషలో బోధన
 - ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో జిఇఆర్ ను 2035 నాటికి
50 శాతానికి పెంపు,
 - ఉన్నత విద్యలో 3.5 కోట్ల సీట్ల అదనపు సీట్ల
జోడింపు
 - దేశంలో బలమైన పరిశోధన సంస్కృతికి వీలు
కల్పిస్తూ నేషనల్ రిసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు
 - 15 సంవత్సరాలలో అఫిలియేషన్ వ్యవస్థ
తొలగింపు, కళాశాలలకు గ్రేడెడ్ అటానమీ
 - నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ ఫోరమ్ ను
ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
 - నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఫర్ పాలి, పర్మియన్,
పాక్రొటి , ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్
లేషన్, ఇంటర్ ప్రిటేషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు

ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ జాతీయ విద్యా విధానం -2020ని ఈ రోజు ఆమోదించింది. పాఠశాల, ఉన్నత విద్యా రంగంలో పెద్ద ఎత్తున పరివర్తనతో కూడిన సంస్కరణలకు మార్గం సుగమం చేస్తూ ఈ నూతన విద్యా విధానాన్ని ఆమోదించారు. ఇది 21వ శతాబ్దపు తొలి విద్యా విధానం. 34 సంవత్సరాల క్రితం నాటి జాతీయ విద్యా విధానం 1986 స్థానంలో ఇది రూపుదిద్దుకుంది. అందుబాటులో విద్య, అందరికీ విద్య, నాణ్యమైన విద్య, అందుబాటులో విద్య, జవాబుదారిత్వం వంటి ప్రధాన అంశాలపై ఇది రూపుదిద్దుకుంది. ఇది 2030 సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంది. పాఠశాల, కళాశాల విద్యను సమగ్రమైనదిగా తీర్చిదిద్దడం, 21 వ శతాబ్దపు అవసరాలకు అనువైనదిగా తీర్చిదిద్దడం, ప్రతి విద్యార్థిలోని ప్రత్యేక సామర్థ్యాలను వెలికితీయడం ద్వారా ఇండియాను ఒక శక్తివంతమైన జ్ఞాన సమాజంగా, ప్రపంచ విజ్ఞాన మహాశక్తిగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రీ స్కూలు నుంచి సెకండరీ స్థాయి వరకు అన్ని స్థాయిలలోనూ పాఠశాల విద్యను సార్వత్రికంగా అందుబాటులో ఉండేలా ఎన్.ఇ.పి 2020 కట్టుబడి ఉంది. వినూత్న విద్యా కేంద్రాలు, మౌలిక సదుపాయాల మద్దతుతో మధ్యలోనే బడి మానేసిన వారు తిరిగి ప్రధాన ప్రవంతిలోకి రానున్నారు. ఎన్.ఇ.పి 2020 కింద బడి వెలుపల ఉన్న సుమారు 2 కోట్ల మందిని తిరిగి విద్యారంగ ప్రధాన ప్రవంతిలోకి ఎన్.ఇ.పి 2020 తీసుకురానున్నది.

పూర్వ ప్రాథమిక విద్యపై దృష్టిపెడుతూ 10+2 విద్య స్థానంలో 5+3+3+4 సంవత్సరాల విద్యను తీసుకురానున్నారు. ఇవి 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 సంవత్సరాల విద్యార్థులు దీని పరిధిలోకి వస్తారు. ఇక ముందు 3-6 సంవత్సరాల వయసుగల వారు పాఠశాల విద్యా ప్రణాళిక కిందికి వస్తారు. అంతర్జాతీయంగా ఇది కీలకమైన , పిల్లల మానసిక వికాసానికి అనువైన దశ అని గుర్తించడం జరిగింది. కొత్త విధానంలో మూడు సంవత్సరాలు అంగన్ వాడీ లేదా ప్రీ స్కూల్ తో మొత్తం 12 సంవత్సరాల పాఠశాల విద్య ఉంటుంది.

పాఠశాల స్థాయి పాఠ్యాంశాలు, బోధనలో అభ్యసించేవారి సమగ్ర వికాసాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారని 21 వ శతాబ్దపు నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. కీలక ఆలోచన స్థాయిని పెంచేందుకు, కీలక అంశాలను నేర్చుకునేందుకు పాఠ్యాంశాలను తగ్గిస్తారు. ప్రయోగాత్మక అభ్యాసానికి వీలు కల్పించి దానిపై దృష్టిపెడతారు. సబ్జెక్టుల ఎంపికలో విద్యార్థులకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఆర్ట్స్, సైన్సు మధ్య కఠిన విభజన ఏదీ ఉండదు. వృత్తి విద్యను 6వ గ్రేడ్ నుంచే ఇంటర్నల్ పిప్ తో పాటుగా ప్రారంభిస్తారు.

కొత్త సమగ్రమైన నేషనల్ కరికులమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్- NCFSE 2020-21ని ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి అభివృద్ధి చేయనుంది.

భాష శక్తి:

జాతీయ విద్యావిధానం-2020 మాతృభాష, స్థానిక భాష, ప్రాంతీయభాషను బోధన మాధ్యమంగా కనీసం 5 వ గ్రేడ్ వరకు ఉంచాలని, గ్రేడ్ 8 ఆ పై వరకూ దీనిని కొనసాగించవచ్చని చెప్పింది. సంస్కృతాన్ని పాఠశాలలోని అన్ని స్థాయిలలో విద్యార్థులు ఐచ్ఛికంగా మూడు భాషల విధానంలో భాగంగా ఎంచుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాచీన భాషలు, సాహిత్యం కూడా విద్యార్థులు ఎంపిక చేసుకోవడానికి వీలుండాలని ఈ నూతన విధానం స్పష్టం చేసింది. 6-8 గ్రేడ్ ల మధ్య 'ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట భారత్' కార్యక్రమం కింద పలు విదేశీభాషలు సెకండరీ విద్యాస్థాయిలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది.

భారతీయ సంజ్ఞా భాషలను దేశవ్యాప్తంగా ప్రామాణీకరిస్తారు. ఇందుకు వినికీడి లోపం కల విద్యార్థులకు దేశ, రాష్ట్రస్థాయి పాఠ్యపుణాళికను అభివృద్ధి చేస్తారు.

పుట్టుకవల్ల కానీ తన నేపథ్యం వల్ల కానీ ఏ విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి, రాణించడానికి అవకాశం కోల్పోరాదన్నది ఎన్.ఇ.పి 2020 లక్ష్యం. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా అణగారిన వర్గాల వారిపై ఈ విధానంలో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. వెనుకబడిన ప్రాంతాలు, గ్రామాలకు స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ జోన్ లు జెండర్ ఇంక్లూజన్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దివ్యాంగులైన పిల్లలు రెగ్యులర్ పాఠశాల ప్రక్రియలో ఫౌండేషన్ స్థాయినుంచి ఉన్నత విద్య వరకు పూర్తి స్థాయిలో పాల్గొనేందుకు వీలు కల్పిస్తారు. ఇందుకు బోధకుల మద్దతు, రిసోర్సు సెంటర్లు, తగిన వసతి, సహాయక ఉపకరణాలు, తగిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోకూడిన ఉపకరణాలు ఇలా వారి అవసరాలకు తగినట్టు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రం, జిల్లా బాలభవన్ లు ఏర్పాటుచేసేందుకు ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. ఇవి పగటిపూట బోర్డింగ్ స్కూళ్లుగా ఉంటాయి. కళలు, ఆటలు వంటివి నేర్పడానికి వీటిని వినియోగిస్తారు. పాఠశాల అనంతరం ఈ సదుపాయాలను సామాజిక చేతన కేంద్రాలుగా వాడుకోవచ్చు.

పారదర్శక విధానంలో ఉపాధ్యాయ రిక్యూట్ మెంట్

ఉపాధ్యాయ నియామకాలను పటిష్టమైన, పారదర్శక ప్రక్రియ ద్వారా చేపడతారు. ప్రమోషన్లు మెరిట్ ఆధారితంగా ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు వారి పనితీరును అంచనావేసే బహుళ మార్గ సమాచార సేకరణ ద్వారా దీనిని చేపడతారు. ఉపాధ్యాయులకు ఉమ్మడి జాతీయ వృత్తి ప్రమాణాలను (ఎన్.పి.ఎస్.టి) నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ -ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి, ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి, ఉపాధ్యాయులు, వివిధ ప్రాంతాలు వివిధ స్థాయిలలోని నిపుణుల సంస్థలతో సంప్రదించి 2022 నాటికి అభివృద్ధి చేస్తుంది.

పాఠశాలలను కాంప్లెక్సులుగా లేదా క్లస్టర్లుగా ఏర్పాటుచేసి, దానిని పాఠశాల పాలనకు మౌలిక యూనిట్‌గా పరిగణిస్తారు. దీనికి మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యాపరమైన లైబ్రరీలు, బలమైన టీచర్ల వ్యవస్థ కల్పిస్తారు.

పాఠశాల విద్యకు ప్రమాణాలు:

ఎన్.ఇ.పి 2020 విద్యా సంబంధ, నిర్వహణా పరమైన, నియంత్రణ పరమైన, విధాన నిర్ణయాలకు సంబంధించి స్పష్టమైన ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండాలని సంకల్పిస్తోంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన రాష్ట్ర పాఠశాల ప్రమాణాల అధారిటీ (ఎస్.ఎస్.ఎస్.ఎ)ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. ఎస్.సి.ఇ.ఆర్.టి పాఠశాల నాణ్యతా అంచనా , అక్రిడిటేషన్ ప్రీమ్ వర్గ్ (ఎస్.క్యూ.ఎ.ఎఫ్)ను సంబంధిత భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలసి చర్చించి అభివృద్ధి చేస్తుంది.

2035 నాటికి 50 శాతానికి జిఇఆర్:

ఉన్నత విద్యలో దేశంలో స్థూల ఎన్రోల్‌మెంట్ నిష్పత్తి (జిఇఆర్)ని 26.3 శాతం (2018) నుంచి 2035 నాటికి 50 శాతానికి చేర్చాలని జాతీయ విద్యా విధానం 2020 లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది. ఉన్న విద్యా సంస్థలకు 3.5 కోట్ల సీట్లను జత చేయనున్నారు.

మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ రిసెర్చ్ యూనివర్సిటీలు (ఎం.ఇ.ఆర్.యు)లను ఐఐటిలు, ఐఐఎం లతో సమానంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దేశంలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అత్యుత్తమ మల్టీ డిసిప్లినరీ విద్యకు నమూనాగా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నేషనల్ రిసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ను ఉన్నతస్థాయి సంస్థగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో పరిశోధన సామర్థ్యాన్ని, పరిశోధన సంస్కృతిని పెంచడానికి దీనిని ఏర్పాటు చేస్తారు.

నియంత్రణ:

మొత్తం ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థకు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (హెచ్‌ఇసిఐ) ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వైద్య విద్య, న్యాయ విద్య మాత్రం దీనినుంచి మినహాయింపు. హెచ్.ఇ.సి.ఐ కి నాలుగు స్వతంత్ర విభాగాలు ఉంటాయి. అవి నేషనల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేటరీ కౌన్సిల్ (ఎన్.హెచ్.ఇ.ఆర్.సి) అనేది రెగ్యులేషన్ కోసం, ప్రమాణాలను నిర్దేశించడం కొసం జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ (జిఇసి), ఫండింగ్ కు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రాంట్స్ కౌన్సిల్ (హెచ్.ఇ.జి.సి), అక్రిడిటేషన్ కు నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ కౌన్సిల్ (ఎన్.ఎ.సి) ఏర్పాటు అవుతాయి. రెగ్యులేషన్, అక్రిడిటేషన్, అకడమిక్ ప్రమాణాలకు సంబంధించి పబ్లిక్, ప్రైవేట్ ఉన్నత విద్యా సంస్థలన్నింటికీ ఒకే రకమైన నిబంధనలు వర్తింపజేస్తారు.

కళాశాలల అనుబంధాన్ని 15 సంవత్సరాలలో దశలవారీగా తొలగించాలని, కళాశాలలకు గ్రేడెడ్ స్వయంప్రతిపత్తిని ఇవ్వడానికి దశల వారీ యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఈ జాతీయ విద్యా విధానం 2020 పేర్కొంది. కొంతకాలానికి ప్రతి కాలేజీ ఒక స్వతంత్ర డిగ్రీలు మంజూరుచేసే కాలేజీగా లేదా యూనివర్సిటీ భాగస్వామ్య కళాశాలగా తయారయ్యేట్లు చూస్తారు.

ఉపాధ్యాయ విద్య:

ఉపాధ్యాయ విద్యకు సంబంధించి, సమగ్రమైన నూతన జాతీయ కరికులమ్ ప్రైమ్ వర్క్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ , ఎన్.సి.ఎఫ్.టి.ఇ 2021 ని ఎన్.సి.టి.ఇ రూపొందించనుంది. ఎన్.సి.ఇ.ఆర్.టి తో సంప్రదించి దీనిని రూపొందిస్తుంది. 2030 నాటికి బోధనకు కనీస డిగ్రీ అర్హత, నాలుగు సంవత్సరాల బిఇడి డిగ్రీ కానున్నది. నాసిరకం ఉపాధ్యాయ విద్యా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.

ప్రతిభ గల ఎన్.సి., ఎన్.టి, ఒబిసి ఇతర ఎస్.ఇ.డి.జి విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు. నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ ను విస్తరింపచేసి స్కాలర్షిప్ పొందిన విద్యార్థుల ప్రగతిని గమనిస్తారు. ప్రైవేటు ఉన్నత విద్యాసంస్థలు వీలైనన్ని ఎక్కువ ప్రీషిప్, స్కాలర్ షిప్ లను తమ విద్యార్థులకు అందించేందుకు ప్రోత్సహించనున్నారు.

ఆన్లైన్, డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్:

ఇటీవలి మహమ్మారి నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ నాణ్యమైన విద్యా విధానాలను అనుసరించేందుకు వీలుగా ఆన్ లైన్ విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు సమగ్ర సిఫార్సులను పొందుపరిచారు. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు, డిజిటల్ కంటెంట్, సామర్థ్యాల నిర్మాణానికి ఎం.హెచ్.ఆర్.డి లో ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది పాఠశాల, ఉన్నతవిద్య స్థాయిలో ఈ - విద్య అవసరాలను తీర్చునుంది.

ఆర్థిక వనరులు:

కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడిగా విద్యారంగంలో పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ను వీలైనంత త్వరగా జిడిపి లో ఆరు శాతానికి చేర్చేందుకు కృషి చేస్తాయి.

పెద్ద ఎత్తున సంప్రదింపులు:

జాతీయ విద్యా విధానం 2020, మున్నెన్నడూ లేనంత రీతిలో పెద్ద ఎత్తున సంప్రదింపుల ద్వారా రూపుదిద్దుకున్నది. 2.5 లక్షల గ్రామ పంచాయతీలు, 6600 బ్లాకులు, 6000 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, 676 జిల్లాల నుంచి 2 లక్షలకు పైగా సూచనలు వచ్చాయి. 2015 జనవరి నుంచి మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ మున్నెన్నడూ లేనంతగా సమగ్ర , ఉన్నతస్థాయి సంప్రదింపుల ప్రక్రియను చేపట్టింది. 2016 మే నెలలో మాజీ కేంద్ర కేబినెట్ కార్యదర్శి, దివంగత శ్రీ టి.ఎస్.ఆర్ సుబ్రమణియన్ నేతృత్వంలో, కమిటీ ఫర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తన నివేదికను సమర్పించింది. దాని ఆధారంగా మంత్రిత్వశాఖ ముసాయిదా జాతీయ విద్యావిధానం- 2016 కొన్ని అంశాలను రూపొందించింది. 2017 జూన్ లో, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త పద్మవిభూషణ్ డాక్టర్ కె. కస్తూరి రంగన్ నేతృత్వంలో కమిటీ ఫర్ ద డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ ముసాయిదా జాతీయ విద్యా విధానం 2019ని కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రికి 2019 మే 31న అందజేసింది. ఈ ముసాయిదా జాతీయ విద్యా విధానం 2019 ను ఎం.హెచ్.ఆర్.డి వెబ్ సైట్ లో, మై గవ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫోర్ రీజల్ లో అప్ లోడ్ చేసి ప్రజలు భాగస్వామ్య పక్షాలు నిపుణుల నుంచి సలహాలు, సూచనలు, వ్యాఖ్యలను ఆహ్వానించింది.

(Release ID: 1642093) Visitor Counter : 94

Read this release in: Punjabi , English , Urdu , Hindi , Assamese , Bengali , Manipuri , Gujarati , Odia , Tamil



सत्यमेव जयते

National Education Policy 2020

Ministry of Human
Resource Development

Government of India

Introduction

Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country.

The global education development agenda reflected in the Goal 4 (SDG4) of the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by India in 2015 - seeks to "ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" by 2030. Such a lofty goal will require the entire education system to be reconfigured to support and foster learning, so that all of the critical targets and goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development can be achieved.

The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. With various dramatic scientific and technological advances, such as the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities, will be increasingly in greater demand. With climate change, increasing pollution, and depleting natural resources, there will be a sizeable shift in how we meet the world's energy, water, food, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labour, particularly in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. The growing emergence of epidemics and pandemics will also call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines and the resultant social issues heightens the need for multidisciplinary learning. There will be a growing demand for humanities and art, as India moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world.

Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn. Education thus, must move towards less content, and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capabilities of learners; and make education more well-rounded, useful, and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment.

The gap between the current state of learning outcomes and what is required must be bridged through undertaking major reforms that bring the highest quality, equity, and integrity into the system, from early childhood care and education through higher education.

The aim must be for India to have an education system by 2040 that is second to none, with equitable access to the highest-quality education for all learners regardless of social or economic background.

This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India's traditions and value systems. The National

Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities - both the 'foundational capacities' of literacy and numeracy and 'higher-order' cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving - but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions.

The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this Policy. The pursuit of knowledge (*Jnan*), wisdom (*Pragyaa*), and truth (*Satya*) was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world, or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. World-class institutions of ancient India such as Takshashila, Nalanda, Vikramshila, Vallabhi, set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. The Indian education system produced great scholars such as Charaka, Susruta, Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Sankardev, Maitreyi, Gargi and Thiruvalluvar, among numerous others, who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts, chess, and more. Indian culture and philosophy have had a strong influence on the world. These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced, and put to new uses through our education system.

The teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers, at all levels, as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. It must do everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. The new education policy must help recruit the very best and brightest to enter the teaching profession at all levels, by ensuring livelihood, respect, dignity, and autonomy, while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability.

The new education policy must provide to all students, irrespective of their place of residence, a quality education system, with particular focus on historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion, and equality. Initiatives must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system.

These elements must be incorporated taking into account the local and global needs of the country, and with a respect for and deference to its rich diversity and culture. Instilling knowledge of India and its varied social, cultural, and technological needs, its inimitable artistic, language, and knowledge traditions, and its strong ethics in India's young people is considered critical for purposes of national pride, self-confidence, self-knowledge, cooperation, and integration.

Previous Policies

The implementation of previous policies on education has focused largely on issues of access and equity. The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986, modified in 1992 (NPE 1986/92), is appropriately dealt with in this Policy. A major development since the last Policy of 1986/92 has been the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 which laid down legal underpinnings for achieving universal elementary education.

Principles of this Policy

The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and

creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.

A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education.

The fundamental principles that will guide both the education system at large, as well as the individual institutions within it are:

- **recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student**, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student’s holistic development in both academic and non-academic spheres;
- **according the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy** by all students by Grade 3;
- **flexibility**, so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programmes, and thereby choose their own paths in life according to their talents and interests;
- **no hard separations** between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning;
- **multidisciplinarity** and a **holistic education** across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge;
- **emphasis on conceptual understanding** rather than rote learning and learning-for-exams;
- **creativity and critical thinking** to encourage logical decision-making and innovation;
- **ethics and human & Constitutional values** like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice;
- **promoting multilingualism and the power of language** in teaching and learning;
- **life skills** such as communication, cooperation, teamwork, and resilience;
- **focus on regular formative assessment for learning** rather than the summative assessment that encourages today’s ‘coaching culture’;
- **extensive use of technology** in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for *Divyang* students, and educational planning and management;
- **respect for diversity and respect for the local context** in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject;
- **full equity and inclusion** as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system;
- **synergy in curriculum across all levels of education** from early childhood care and education to school education to higher education;
- **teachers and faculty as the heart of the learning process** – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions;
- a **‘light but tight’ regulatory framework** to ensure **integrity, transparency, and resource efficiency** of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through **autonomy, good governance, and empowerment**;
- **outstanding research** as a corequisite for outstanding education and development;
- **continuous review** of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts;


- **a rootedness and pride in India**, and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge systems and traditions;
- **education is a public service**; access to quality education must be considered a basic right of every child;
- **substantial investment in a strong, vibrant public education system** as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private and community participation.

The Vision of this Policy

This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one’s country, and a conscious awareness of one’s roles and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.

Part I. SCHOOL EDUCATION

This policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3-18 as shown in the representative figure and elaborated in detail later under Chapter 4.



Currently, children in the age group of 3-6 are not covered in the 10+2 structure as Class 1 begins at age 6. In the new 5+3+3+4 structure, a strong base of Early Childhood Care and Education (ECCE) from age 3 is also included, which is aimed at promoting better overall learning, development, and well-being.

1. Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning

Over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Presently, quality ECCE is not available to crores of young children, particularly children from socio-economically disadvantaged backgrounds. Strong investment in ECCE has the potential to give all young children such access, enabling them to participate and flourish in the educational system throughout their lives. Universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must thus be achieved as soon as possible, and no later than 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school ready.

ECCE ideally consists of flexible, multi-faceted, multi-level, play-based, activity-based, and inquiry-based learning, comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colours, shapes, indoor and outdoor play, puzzles and logical thinking, problem-solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, music and movement. It also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behaviour, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation. The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcomes in the domains of: physical and motor development, cognitive development, socio-emotional-ethical development, cultural/artistic development, and the development of communication and early language, literacy, and numeracy.

A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to the age of 8 will be developed by NCERT in two parts, namely, a sub-framework for 0-3 year-olds, and a sub-framework for 3-8 year-olds, aligned with the above guidelines, the latest research on ECCE, and national and international best practices. In particular, the numerous rich local traditions of India developed over millennia in ECCE involving art, stories, poetry, games, songs, and more, will also be suitably incorporated. The framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutions.

The overarching goal will be to ensure universal access to high-quality ECCE across the country in a phased manner. Special attention and priority will be given to districts and locations that are particularly socio-economically disadvantaged. ECCE shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early-childhood education institutions consisting of (a) stand-alone Anganwadis; (b) Anganwadis co-located with primary schools; (c) pre-primary schools/sections covering at least age 5 to 6 years co-located with existing primary schools; and (d) stand-alone pre-schools - all of which would recruit workers/teachers specially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE.

For universal access to ECCE, Anganwadi Centres will be strengthened with high-quality infrastructure, play equipment, and well-trained Anganwadi workers/teachers. Every Anganwadi will have a well-ventilated, well-designed, child-friendly and well-constructed building with an enriched learning environment. Children in Anganwadi Centres shall take activity-filled tours - and meet the teachers and students of their local primary schools, in order to make the transition from Anganwadi Centres to primary schools a smooth one. Anganwadis shall be fully integrated into school complexes/clusters, and Anganwadi children, parents, and teachers will be invited to attend and participate in school/school complex programmes and vice versa.

It is envisaged that prior to the age of 5 every child will move to a "Preparatory Class" or "Balavatika" (that is, before Class 1), which has an ECCE-qualified teacher. The learning in the Preparatory Class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective, and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The mid-

day meal programme shall also be extended to the Preparatory Classes in primary schools. Health check-ups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to Preparatory Class students of Anganwadi as well as of primary schools.

To prepare an initial cadre of high-quality ECCE teachers in Anganwadis, current Anganwadi workers/teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular/pedagogical framework developed by NCERT. Anganwadi workers/teachers with qualifications of 10+2 and above shall be given a 6-month certificate programme in ECCE; and those with lower educational qualifications shall be given a one-year diploma programme covering early literacy, numeracy, and other relevant aspects of ECCE. These programmes may be run through digital/distance mode using DTH channels as well as smartphones, allowing teachers to acquire ECCE qualifications with minimal disruption to their current work. The ECCE training of Anganwadi workers/teachers will be mentored by the Cluster Resource Centres of the School Education Department which shall hold at least one monthly contact class for continuous assessment. In the longer term, State Governments shall prepare cadres of professionally qualified educators for early childhood care and education, through stage-specific professional training, mentoring mechanisms, and career mapping. Necessary facilities will also be created for the initial professional preparation of these educators and their Continuous Professional Development (CPD).

ECCE will also be introduced in Ashramshalas in tribal-dominated areas and in all formats of alternative schooling in a phased manner. The process for integration and implementation of ECCE in Ashramshalas and alternative schooling will be similar to that detailed above.

The responsibility for ECCE curriculum and pedagogy will lie with MHRD to ensure its continuity from pre-primary school through primary school, and to ensure due attention to the foundational aspects of education. The planning and implementation of early childhood care and education curriculum will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs. A special joint task force will be constituted for continuous guidance of the smooth integration of early childhood care and education into school education.

2. Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & Necessary Prerequisite to Learning

The ability to read and write, and perform basic operations with numbers, is a necessary foundation and an indispensable prerequisite for all future schooling and lifelong learning. However, various governmental, as well as non-governmental surveys, indicate that we are currently in a learning crisis: a large proportion of students currently in elementary school - estimated to be over 5 crore in number - have not attained foundational literacy and numeracy, i.e., the ability to read and comprehend basic text and the ability to carry out basic addition and subtraction with Indian numerals.

Attaining foundational literacy and numeracy for all children will thus become an urgent national mission, with immediate measures to be taken on many fronts and with clear goals that will be attained in the short term (including that every student will attain foundational literacy and numeracy by Grade 3). The highest priority of the education system will be to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. The rest of this Policy will become relevant for our students only if this most basic learning requirement (i.e., reading, writing, and arithmetic at the foundational level) is first achieved. To this end, a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy will be set up by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) on priority. Accordingly, all State/UT governments will immediately prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools, identifying stage-wise targets and goals to be achieved by 2025, and closely tracking and monitoring progress of the same.

First, teacher vacancies will be filled at the earliest, in a time-bound manner - especially in disadvantaged areas and areas with large pupil-to-teacher ratios or high rates of illiteracy. Special

attention will be given to employing local teachers or those with familiarity with local languages. A pupil-teacher ratio (PTR) of under 30:1 will be ensured at the level of each school; areas having large numbers of socio-economically disadvantaged students will aim for a PTR of under 25:1. Teachers will be trained, encouraged, and supported - with continuous professional development - to impart foundational literacy and numeracy.

On the curricular side, there will be an increased focus on foundational literacy and numeracy - and generally, on reading, writing, speaking, counting, arithmetic, and mathematical thinking - throughout the preparatory and middle school curriculum, with a robust system of continuous formative/adaptive assessment to track and thereby individualize and ensure each student's learning. Specific hours daily - and regular events over the year-on activities involving these subjects will be dedicated to encourage and enthuse students. Teacher education and the early grade curriculum will be redesigned to have a renewed emphasis on foundational literacy and numeracy.

Currently, with the lack of universal access to ECCE, a large proportion of children already fall behind within the first few weeks of Grade 1. Thus, to ensure that all students are school ready, an interim 3-month play-based 'school preparation module' for all Grade 1 students, consisting of activities and workbooks around the learning of alphabets, sounds, words, colours, shapes, and numbers, and involving collaborations with peers and parents, will be developed by NCERT and SCERTs.

A national repository of high-quality resources on foundational literacy and numeracy will be made available on the Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA). Technological interventions to serve as aids to teachers and to help bridge any language barriers that may exist between teachers and students, will be piloted and implemented

Due to the scale of the current learning crisis, all viable methods will be explored to support teachers in the mission of attaining universal foundational literacy and numeracy. Studies around the world show one-on-one peer tutoring to be extremely effective for learning not just for the learner, but also for the tutor. Thus, peer tutoring can be taken up as a voluntary and joyful activity for fellow students under the supervision of trained teachers and by taking due care of safety aspects. Additionally, it will also be made far easier for trained volunteers - from both the local community and beyond - to participate in this large-scale mission. Every literate member of the community could commit to teaching one student/person how to read, it would change the country's landscape very quickly. States may consider establishing innovative models to foster such peer-tutoring and volunteer activities, as well as launch other programmes to support learners, in this nationwide mission to promote foundational literacy and numeracy.

Enjoyable and inspirational books for students at all levels will be developed, including through high-quality translation (technology assisted as needed) in all local and Indian languages, and will be made available extensively in both school and local public libraries. Public and school libraries will be significantly expanded to build a culture of reading across the country. Digital libraries will also be established. School libraries will be set up - particularly in villages - to serve the community during non-school hours, and book clubs may meet in public/school libraries to further facilitate and promote widespread reading. A National Book Promotion Policy will be formulated, and extensive initiatives will be undertaken to ensure the availability, accessibility, quality, and readership of books across geographies, languages, levels, and genres.

Children are unable to learn optimally when they are undernourished or unwell. Hence, the nutrition and health (including mental health) of children will be addressed, through healthy meals and the introduction of well-trained social workers, counsellors, and community involvement into the schooling system. Furthermore, research shows that the morning hours after a nutritious breakfast can be particularly productive for the study of cognitively more demanding subjects and hence these hours may be leveraged by providing a simple but energizing breakfast in addition to midday meals. In locations where hot meals are not possible, a simple but nutritious meal, e.g., groundnuts/chana mixed with jaggery and/or local fruits may be provided. All school children shall undergo regular

health check-ups especially for 100% immunization in schools and health cards will be issued to monitor the same.

3. Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels

One of the primary goals of the schooling system must be to ensure that children are enrolled in and are attending school. Through initiatives such as the Sarva Shiksha Abhiyan (now the Samagra Shiksha) and the Right to Education Act, India has made remarkable strides in recent years in attaining near-universal enrolment in elementary education. However, the data for later grades indicates some serious issues in retaining children in the schooling system. The GER for Grades 6-8 was 90.9%, while for Grades 9-10 and 11-12 it was only 79.3% and 56.5%, respectively - indicating that a significant proportion of enrolled students drop out after Grade 5 and especially after Grade 8. As per the 75th round household survey by NSSO in 2017-18, the number of out of school children in the age group of 6 to 17 years is 3.22 crore. It will be a top priority to bring these children back into the educational fold as early as possible, and to prevent further students from dropping out, with a goal to achieve 100% Gross Enrolment Ratio in preschool to secondary level by 2030. A concerted national effort will be made to ensure universal access and afford opportunity to all children of the country to obtain quality holistic education—including vocational education - from pre-school to Grade 12.

There are two overall initiatives that will be undertaken to bring children who have dropped out back to school and to prevent further children from dropping out. The first is to provide effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all levels from pre-primary school to Grade 12. Besides providing regular trained teachers at each stage, special care shall be taken to ensure that no school remains deficient on infrastructure support. The credibility of Government schools shall be re-established and this will be attained by upgrading and enlarging the schools that already exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and providing safe and practical conveyances and/or hostels, especially for the girl children, so that all children have the opportunity to attend a quality school and learn at the appropriate level. Alternative and innovative education centres will be put in place in cooperation with civil society to ensure that children of migrant labourers, and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream education.

The second is to achieve universal participation in school by carefully tracking students, as well as their learning levels, in order to ensure that they (a) are enrolled in and attending school, and (b) have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped out. For providing equitable and quality education from the Foundational Stage through Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place. Counsellors or well-trained social workers connected to schools/school complexes and teachers will continuously work with students and their parents and will travel through and engage with communities to ensure that all school-age children are attending and learning in school. Trained and qualified social workers from civil society organizations/departments of Social Justice and Empowerment and government functionaries dealing with empowerment of Persons with Disabilities at the State and district level, could be connected to schools, through various innovative mechanisms adopted by State/UT Governments, to help in carrying out this important work.

Once infrastructure and participation are in place, ensuring quality will be the key in retention of students, so that they (particularly, girls and students from other socio-economically disadvantaged groups) do not lose interest in attending school. This will require a system of incentives for deploying teachers with knowledge of the local language to areas with high dropout rates, as well as overhauling the curriculum to make it more engaging and useful.

To facilitate learning for all students, with special emphasis on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs), the scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes. Open and Distance Learning (ODL) Programmes offered by the National Institute of Open Schooling (NIOS)

and State Open Schools will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical school. NIOS and State Open Schools will offer the following programmes in addition to the present programmes: A, B and C levels that are equivalent to Grades 3, 5, and 8 of the formal school system; secondary education programmes that are equivalent to Grades 10 and 12; vocational education courses/programmes; and adult literacy and life-enrichment programmes. States will be encouraged to develop these offerings in regional languages by establishing new/strengthening existing State Institutes of Open Schooling (SIOS).

To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organizations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education, the requirements for schools will be made less restrictive. The focus will be to have less emphasis on input and greater emphasis on output potential concerning desired learning outcomes. Regulations on inputs will be limited to certain areas as enumerated in Chapter 8. Other models for schools will also be piloted, such as public-philanthropic partnerships.

Efforts will be made to involve community and alumni in volunteer efforts for enhancing learning by providing at schools: one-on-one tutoring; the teaching of literacy and holding of extra- help sessions; teaching support and guidance for educators; career guidance and mentoring to students; etc. In this regard, the support of active and healthy senior citizens, school alumni and local community members will be suitably garnered. Databases of literate volunteers, retired scientists/government/semi government employees, alumni, and educators will be created for this purpose.

4. Curriculum and Pedagogy in Schools: Learning Should be Holistic, Integrated, Enjoyable, and Engaging

Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design

The curricular and pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development, corresponding to the age ranges of 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years, respectively. The curricular and pedagogical structure and the curricular framework for school education will therefore be guided by a 5+3+3+4 design, consisting of the Foundational Stage (in two parts, that is, 3 years of Anganwadi/pre-school + 2 years in primary school in Grades 1-2; both together covering ages 3-8), Preparatory Stage (Grades 3-5, covering ages 8-11), Middle Stage (Grades 6-8, covering ages 11-14), and Secondary Stage (Grades 9-12 in two phases, i.e., 9 and 10 in the first and 11 and 12 in the second, covering ages 14-18).

The Foundational Stage will consist of five years of flexible, multilevel, play/activity-based learning and the curriculum and pedagogy of ECCE as mentioned in para 1.2. The Preparatory Stage will comprise three years of education building on the play, discovery, and activity-based pedagogical and curricular style of the Foundational Stage, and will also begin to incorporate some light text books as well as aspects of more formal but interactive classroom learning, in order to lay a solid groundwork across subjects, including reading, writing, speaking, physical education, art, languages, science, and mathematics. The Middle Stage will comprise three years of education, building on the pedagogical and curricular style of the Preparatory Stage, but with the introduction of subject teachers for learning and discussion of the more abstract concepts in each subject that students will be ready for at this stage across the sciences, mathematics, arts, social sciences, and humanities. Experiential learning within each subject, and explorations of relations among different subjects, will be encouraged and emphasized despite the introduction of more specialized subjects and subject teachers. The Secondary Stage will comprise of four years of multidisciplinary study, building on the subject-oriented pedagogical and curricular style of the Middle Stage, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations, and greater flexibility and student choice of subjects. In particular students would continue to have the option of exiting after Grade 10

and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other courses available in Grades 11-12, including at a more specialized school, if so desired.

The above-described stages are purely curricular and pedagogical, designed to optimize learning for students based on the cognitive development of children; they will inform the development of National and State curricula and teaching-learning strategies at each stage, but parallel changes to physical infrastructure will not be required.

Holistic development of learners

The key overall thrust of curriculum and pedagogy reform across all stages will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn - and away from the culture of rote learning as is largely present today. The aim of education will not only be cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. Ultimately, knowledge is a deep-seated treasure and education helps in its manifestation as the perfection which is already within an individual. All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped to attain these critical goals. Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning, from pre-school to higher education. Curriculum frameworks and transaction mechanisms will be developed for ensuring that these skills and values are imbibed through engaging processes of teaching and learning. NCERT will identify these required skill sets and include mechanisms for their transaction in the National Curriculum Framework for early childhood and school education.

Reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking

Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials, to make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based learning. The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications, and problem-solving. Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner; questions will be encouraged, and classroom sessions will regularly contain more fun, creative, collaborative, and exploratory activities for students for deeper and more experiential learning.

Experiential learning

In all stages, experiential learning will be adopted, including hands-on learning, arts-integrated and sports-integrated education, story-telling-based pedagogy, among others, as standard pedagogy within each subject, and with explorations of relations among different subjects. To close the gap in achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift, towards competency-based learning and education. The assessment tools (including assessment “as”, “of”, and “for” learning) will also be aligned with the learning outcomes, capabilities, and dispositions as specified for each subject of a given class.

Art-integration is a cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of concepts across subjects. As a part of the thrust on experiential learning, art-integrated education will be embedded in classroom transactions not only for creating joyful classrooms, but also for imbibing the Indian ethos through integration of Indian art and culture in the teaching and learning process at every level. This art-integrated approach will strengthen the linkages between education and culture.

Sports-integration is another cross-curricular pedagogical approach that utilizes physical activities including indigenous sports, in pedagogical practices to help in developing skills such as collaboration, self-initiative, self-direction, self-discipline, teamwork, responsibility, citizenship, etc. Sports-integrated learning will be undertaken in classroom transactions to help students adopt fitness as a lifelong attitude and to achieve the related life skills along with the levels of fitness as envisaged in the Fit India Movement. The need to integrate sports in education is well recognized as it serves to

foster holistic development by promoting physical and psychological well-being while also enhancing cognitive abilities.

Empower students through flexibility in course choices

Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school - including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills – so that they can design their own paths of study and life plans. Holistic development and a wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of secondary school education. There will be no hard separation among ‘curricular’, ‘extracurricular’, or ‘co-curricular’, among ‘arts’, ‘humanities’, and ‘sciences’, or between ‘vocational’ or ‘academic’ streams. Subjects such as physical education, the arts and crafts, and vocational skills, in addition to science, humanities, and mathematics, will be incorporated throughout the school curriculum, with a consideration for what is interesting and safe at each age.

Each of the four stages of school education, in accordance with what may be possible in different regions, may consider moving towards a semester or any other system that allows the inclusion of shorter modules, or courses that are taught on alternate days, in order to allow an exposure to more subjects and enable greater flexibility. States may look into innovative methods to achieve these aims of greater flexibility and exposure to and enjoyment of a wider range of subjects, including across the arts, sciences, humanities, languages, sports, and vocational subjects.

Multilingualism and the power of language

It is well understood that young children learn and grasp nontrivial concepts more quickly in their home language/mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue or that which is spoken by local communities. However, at times in multi-lingual families, there can be a home language spoken by other family members which may sometimes be different from mother tongue or local language. Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language. Thereafter, the home/local language shall continue to be taught as a language wherever possible. This will be followed by both public and private schools. High-quality textbooks, including in science, will be made available in home languages/mother tongue. All efforts will be made early on to ensure that any gaps that exist between the language spoken by the child and the medium of teaching are bridged. In cases where home language/mother tongue textbook material is not available, the language of transaction between teachers and students will still remain the home language/mother tongue wherever possible. Teachers will be encouraged to use a bilingual approach, including bilingual teaching-learning materials, with those students whose home language may be different from the medium of instruction. All languages will be taught with high quality to all students; a language does not need to be the medium of instruction for it to be taught and learned well.

As research clearly shows that children pick up languages extremely quickly between the ages of 2 and 8 and that multilingualism has great cognitive benefits to young students, children will be exposed to different languages early on (but with a particular emphasis on the mother tongue), starting from the Foundational Stage onwards. All languages will be taught in an enjoyable and interactive style, with plenty of interactive conversation, and with early reading and subsequently writing in the mother tongue in the early years, and with skills developed for reading and writing in other languages in Grade 3 and beyond. There will be a major effort from both the Central and State governments to invest in large numbers of language teachers in all regional languages around the country, and, in particular, for all languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India. States, especially States from different regions of India, may enter into bilateral agreements to hire teachers in large numbers from each other, to satisfy the three-language formula in their respective States, and also to encourage the study of Indian languages across the country. Extensive use of technology will be made for teaching and learning of different languages and to popularize language learning.

The three-language formula will continue to be implemented while keeping in mind the Constitutional provisions, aspirations of the people, regions, and the Union, and the need to promote multilingualism as well as promote national unity. However, there will be a greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State. The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India. In particular, students who wish to change one or more of the three languages they are studying may do so in Grade 6 or 7, as long as they are able to demonstrate basic proficiency in three languages (including one language of India at the literature level) by the end of secondary school.

All efforts will be made in preparing high-quality bilingual textbooks and teaching-learning materials for science and mathematics, so that students are enabled to think and speak about the two subjects both in their home language/mother tongue and in English.

As so many developed countries around the world have amply demonstrated, being well educated in one's language, culture, and traditions is not a detriment but indeed a huge benefit to educational, social, and technological advancement. India's languages are among the richest, most scientific, most beautiful, and most expressive in the world, with a huge body of ancient as well as modern literature (both prose and poetry), film, and music written in these languages that help form India's national identity and wealth. For purposes of cultural enrichment as well as national integration, all young Indians should be aware of the rich and vast array of languages of their country, and the treasures that they and their literatures contain.

Thus, every student in the country will participate in a fun project/activity on 'The Languages of India', sometime in Grades 6-8, such as, under the '*Ek Bharat Shrestha Bharat*' initiative. In this project/activity, students will learn about the remarkable unity of most of the major Indian languages, starting with their common phonetic and scientifically-arranged alphabets and scripts, their common grammatical structures, their origins and sources of vocabularies from Sanskrit and other classical languages, as well as their rich inter-influences and differences. They will also learn what geographical areas speak which languages, get a sense of the nature and structure of tribal languages, and learn to say commonly spoken phrases and sentences in every major language of India and also learn a bit about the rich and uplifting literature of each (through suitable translations as necessary). Such an activity would give them both a sense of the unity and the beautiful cultural heritage and diversity of India and would be a wonderful icebreaker their whole lives as they meet people from other parts of India. This project/activity would be a joyful activity and would not involve any form of assessment.

The importance, relevance, and beauty of the classical languages and literature of India also cannot be overlooked. Sanskrit, while also an important modern language mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India, possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin and Greek put together, containing vast treasures of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling, and more (known as 'Sanskrit Knowledge Systems'), written by people of various religions as well as non-religious people, and by people from all walks of life and a wide range of socio-economic backgrounds over thousands of years. Sanskrit will thus be offered at all levels of school and higher education as an important, enriching option for students, including as an option in the three-language formula. It will be taught in ways that are interesting and experiential as well as contemporarily relevant, including through the use of Sanskrit Knowledge Systems, and in particular through phonetics and pronunciation. Sanskrit textbooks at the foundational and middle school level may be written in Simple Standard Sanskrit (SSS) to teach Sanskrit through Sanskrit (STS) and make its study truly enjoyable.

India also has an extremely rich literature in other classical languages, including classical Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. In addition to these classical languages Pali, Persian, and Prakrit; and their works of literature too must be preserved for their richness and for the pleasure and enrichment of posterity. As India becomes a fully developed country, the next generation will want to

partake in and be enriched by India's extensive and beautiful classical literature. In addition to Sanskrit, other classical languages and literatures of India, including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian, and Prakrit, will also be widely available in schools as options for students, possibly as online modules, through experiential and innovative approaches, to ensure that these languages and literature stay alive and vibrant. Similar efforts will be made for all Indian languages having rich oral and written literatures, cultural traditions, and knowledge.

For the enrichment of the children, and for the preservation of these rich languages and their artistic treasures, all students in all schools, public or private, will have the option of learning at least two years of a classical language of India and its associated literature, through experiential and innovative approaches, including the integration of technology, in Grades 6-12, with the option to continue from the middle stage through the secondary stage and beyond.

In addition to high quality offerings in Indian languages and English, foreign languages, such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese, and Russian, will also be offered at the secondary level, for students to learn about the cultures of the world and to enrich their global knowledge and mobility according to their own interests and aspirations.

The teaching of all languages will be enhanced through innovative and experiential methods, including through gamification and apps, by weaving in the cultural aspects of the languages - such as films, theatre, storytelling, poetry, and music - and by drawing connections with various relevant subjects and with real-life experiences. Thus, the teaching of languages will also be based on experiential-learning pedagogy.

Indian Sign Language (ISL) will be standardized across the country, and National and State curriculum materials developed, for use by students with hearing impairment. Local sign languages will be respected and taught as well, where possible and relevant.

Curricular Integration of Essential Subjects, Skills, and Capacities

While students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects, skills, and capacities should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. In addition to proficiency in languages, these skills include: scientific temper and evidence-based thinking; creativity and innovativeness; sense of aesthetics and art; oral and written communication; health and nutrition; physical education, fitness, wellness, and sports; collaboration and teamwork; problem solving and logical reasoning; vocational exposure and skills; digital literacy, coding, and computational thinking; ethical and moral reasoning; knowledge and practice of human and Constitutional values; gender sensitivity; Fundamental Duties; citizenship skills and values; knowledge of India; environmental awareness including water and resource conservation, sanitation and hygiene; and current affairs and knowledge of critical issues facing local communities, States, the country, and the world.

Concerted curricular and pedagogical initiatives, including the introduction of contemporary subjects such as Artificial Intelligence, Design Thinking, Holistic Health, Organic Living, Environmental Education, Global Citizenship Education (GCED), etc. at relevant stages will be undertaken to develop these various important skills in students at all levels.

It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future and India's leadership role in the numerous upcoming fields and professions that will involve artificial intelligence, machine learning, and data science, etc. Thus, mathematics and computational thinking will be given increased emphasis throughout the school years, starting with the foundational stage, through a variety of innovative methods, including the regular use of puzzles and games that make mathematical thinking more enjoyable and engaging. Activities involving coding will be introduced in Middle Stage.

Every student will take a fun course, during Grades 6-8, that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational crafts, such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc., as decided by States and local communities and as mapped by local skilling needs. A practice-based curriculum for Grades 6-8 will be appropriately designed by NCERT while framing the NCFSE 2020-21. All students will participate in a 10-day bagless period sometime during Grades 6-8 where they intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, artists, etc. Similar internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout Grades 6-12, including holiday periods. Vocational courses through online mode will also be made available. Bagless days will be encouraged throughout the year for various types of enrichment activities involving arts, quizzes, sports, and vocational crafts. Children will be given periodic exposure to activities outside school through visits to places/monuments of historical, cultural and tourist importance, meeting local artists and craftsmen and visits higher educational institutions in their village/Tehsil/District/State.

“Knowledge of India” will include knowledge from ancient India and its contributions to modern India and its successes and challenges, and a clear sense of India’s future aspirations with regard to education, health, environment, etc. These elements will be incorporated in an accurate and scientific manner throughout the school curriculum wherever relevant; in particular, Indian Knowledge Systems, including tribal knowledge and indigenous and traditional ways of learning, will be covered and included in mathematics, astronomy, philosophy, yoga, architecture, medicine, agriculture, engineering, linguistics, literature, sports, games, as well as in governance, polity, conservation. Specific courses in tribal ethno-medicinal practices, forest management, traditional (organic) crop cultivation, natural farming, etc. will also be made available. An engaging course on Indian Knowledge Systems will also be available to students in secondary school as an elective. Competitions may be held in schools for learning various topics and subjects through fun and indigenous games. Video documentaries on inspirational luminaries of India, ancient and modern, in science and beyond, will be shown at appropriate points throughout the school curriculum. Students will be encouraged to visit different States as part of cultural exchange programmes.

Students will be taught at a young age the importance of “doing what's right”, and will be given a logical framework for making ethical decisions. In later years, this would then be expanded along themes of cheating, violence, plagiarism, littering, tolerance, equality, empathy, etc., with a view to enabling children to embrace moral/ethical values in conducting one's life, formulate a position/argument about an ethical issue from multiple perspectives, and use ethical practices in all work. As consequences of such basic ethical reasoning, traditional Indian values and all basic human and Constitutional values (such as *seva*, *ahimsa*, *swachchhata*, *satya*, *nishkam karma*, *shanti*, sacrifice, tolerance, diversity, pluralism, righteous conduct, gender sensitivity, respect for elders, respect for all people and their inherent capabilities regardless of background, respect for environment, helpfulness, courtesy, patience, forgiveness, empathy, compassion, patriotism, democratic outlook, integrity, responsibility, justice, liberty, equality, and fraternity) will be developed in all students. Children will have the opportunity to read and learn from the original stories of the Panchatantra, Jataka, Hitopadesh, and other fun fables and inspiring tales from the Indian tradition and learn about their influences on global literature. Excerpts from the Indian Constitution will also be considered essential reading for all students. Basic training in health, including preventive health, mental health, good nutrition, personal and public hygiene, disaster response and first-aid will also be included in the curriculum, as well as scientific explanations of the detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco, and other drugs.

All curriculum and pedagogy, from the foundational stage onwards, will be redesigned to be strongly rooted in the Indian and local context and ethos in terms of culture, traditions, heritage, customs, language, philosophy, geography, ancient and contemporary knowledge, societal and scientific needs, indigenous and traditional ways of learning etc. – in order to ensure that education is maximally relatable, relevant, interesting, and effective for our students. Stories, arts, games, sports, examples, problems, etc. will be chosen as much as possible to be rooted in the Indian and local geographic context. Ideas, abstractions, and creativity will indeed best flourish when learning is thus rooted.

National Curriculum Framework for School Education (NCFSE)

The formulation of a new and comprehensive National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21, will be undertaken by the NCERT - based on the principles of this National Education Policy 2020, frontline curriculum needs, and after discussions with all stakeholders including State Governments, Ministries, relevant Departments of the Central Government, and other expert bodies, and will be made available in all regional languages. The NCFSE document shall henceforth be revisited and updated once every 5-10 years, taking into account frontline curriculum.

National Textbooks with Local Content and Flavour

The reduction in content and increased flexibility of school curriculum - and the renewed emphasis on constructive rather than rote learning - must be accompanied by parallel changes in school textbooks. All textbooks shall aim to contain the essential core material (together with discussion, analysis, examples, and applications) deemed important on a national level, but at the same time contain any desired nuances and supplementary material as per local contexts and needs. Where possible, schools and teachers will also have choices in the textbooks they employ - from among a set of textbooks that contain the requisite national and local material - so that they may teach in a manner that is best suited to their own pedagogical styles as well as to their students and communities' needs.

The aim will be to provide such quality textbooks at the lowest possible cost -namely, at the cost of production/printing - in order to mitigate the burden of textbook prices on the students and on the educational system. This may be accomplished by using high-quality textbook materials developed by NCERT in conjunction with the SCERTs; additional textbook materials could be funded by public-philanthropic partnerships and crowd sourcing that incentivize experts to write such high-quality textbooks at cost price. States will prepare their own curricula (which may be based on the NCFSE prepared by NCERT to the extent possible) and prepare textbooks (which may be based on the NCERT textbook materials to the extent possible), incorporating State flavour and material as needed. While doing so, it must be borne in mind that NCERT curriculum would be taken as the nationally acceptable criterion. The availability of such textbooks in all regional languages will be a top priority so that all students have access to high-quality learning. All efforts will be made to ensure timely availability of textbooks in schools. Access to downloadable and printable versions of all textbooks will be provided by all States/UTs and NCERT to help conserve the environment and reduce the logistical burden.

Concerted efforts, through suitable changes in curriculum and pedagogy, will be made by NCERT, SCERTs, schools, and educators to significantly reduce the weight of school bags and textbooks.

Transforming Assessment for Student Development

The aim of assessment in the culture of our schooling system will shift from one that is summative and primarily tests rote memorization skills to one that is more regular and formative, is more competency-based, promotes learning and development for our students, and tests higher-order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity. The primary purpose of assessment will indeed be for learning; it will help the teacher and student, and the entire schooling system, continuously revise teaching-learning processes to optimize learning and development for all students. This will be the underlying principle for assessment at all levels of education.

The progress card of all students for school-based assessment, which is communicated by schools to parents, will be completely redesigned by States/UTs under guidance from the proposed National Assessment Centre, NCERT, and SCERTs. The progress card will be a holistic, 360-degree, multidimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each

learner in the cognitive, affective, and psychomotor domains. It will include self-assessment and peer assessment, and progress of the child in project-based and inquiry-based learning, quizzes, role plays, group work, portfolios, etc., along with teacher assessment. The holistic progress card will form an important link between home and school and will be accompanied by parent-teacher meetings in order to actively involve parents in their children's holistic education and development. The progress card would also provide teachers and parents with valuable information on how to support each student in and out of the classroom. AI-based software could be developed and used by students to help track their growth through their school years based on learning data and interactive questionnaires for parents, students, and teachers, in order to provide students with valuable information on their strengths, areas of interest, and needed areas of focus, and to thereby help them make optimal career choices.

The current nature of secondary school exams, including Board exams and entrance exams - and the resulting coaching culture of today - are doing much harm, especially at the secondary school level, replacing valuable time for true learning with excessive exam coaching and preparation. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future.

While the Board exams for Grades 10 and 12 will be continued, the existing system of Board and entrance examinations shall be reformed to eliminate the need for undertaking coaching classes. To reverse these harmful effects of the current assessment system, Board exams will be redesigned to encourage holistic development; students will be able to choose many of the subjects in which they take Board exams, depending on their individualized interests. Board exams will also be made 'easier', in the sense that they will test primarily core capacities/competencies rather than months of coaching and memorization; any student who has been going to and making a basic effort in a school class will be able to pass and do well in the corresponding subject Board Exam without much additional effort. To further eliminate the 'high stakes' aspect of Board Exams, all students will be allowed to take Board Exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement, if desired.

In addition to introducing greater flexibility, student choice, and best-of-two attempts, assessments that primarily test core capacities must be the immediate key reforms to all Board exams. Boards may over time also develop further viable models of Board Exams that reduce pressure and the coaching culture. Some possibilities include: a system of annual/semester/modular Board Exams could be developed - that each test far less material, and are taken immediately after the corresponding course is taken in school - so that the pressure from exams is better distributed, less intense, and less high-stakes across the Secondary Stage; all subjects and corresponding assessments, beginning with mathematics, could be offered at two levels, with students doing some of their subjects at the standard level and some at a higher level; and Board exams in certain subjects could be redesigned to have two parts - one part of an objective type with multiple-choice questions and the other of a descriptive type.

With regard to all of the above, guidelines will be prepared by NCERT, in consultation with major stakeholders, such as SCERTs, Boards of Assessment (BoAs), the proposed new National Assessment Centre etc., and teachers prepared, for a transformation in the assessment system by the 2022-23 academic session, to align with the NCFSE 2020-21.

To track progress throughout the school years, and not just at the end of Grades 10 and 12 - for the benefit of students, parents, teachers, principals, and the entire schooling system in planning improvements to schools and teaching-learning processes - all students will take school examinations in Grades 3, 5, and 8 which will be conducted by the appropriate authority. These examinations would test achievement of basic learning outcomes, through assessment of core concepts and knowledge from the national and local curricula, along with relevant higher-order skills and application of knowledge in real-life situations, rather than rote memorization. The Grade 3 examination, in particular, would test basic literacy, numeracy, and other foundational skills. The results of school examinations will be used only for developmental purposes of the school education

system, including for public disclosure by schools of their overall (anonymized) student outcomes, and for continuous monitoring and improvement of the schooling system.

It is proposed to set up a National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development), as a standard-setting body under MHRD that fulfils the basic objectives of setting norms, standards, and guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India, guiding the State Achievement Survey (SAS) and undertaking the National Achievement Survey (NAS), monitoring achievement of learning outcomes in the country, and encouraging and helping school boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirements of the 21st century in consonance with the stated objectives of this Policy. This Centre will also advise school boards regarding new assessment patterns and latest researches, promote collaborations between school boards. It will also become an instrument for the sharing of best practices among school boards, and for ensuring equivalence of academic standards among learners across all school boards.

The principles for university entrance exams will be similar. The National Testing Agency (NTA) will work to offer a high-quality common aptitude test, as well as specialized common subject exams in the sciences, humanities, languages, arts, and vocational subjects, at least twice every year. These exams shall test conceptual understanding and the ability to apply knowledge and shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Students will be able to choose the subjects for taking the test, and each university will be able to see each student's individual subject portfolio and admit students into their programmes based on individual interests and talents. The NTA will serve as a premier, expert, autonomous testing organization to conduct entrance examinations for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institutions. The high quality, range, and flexibility of the NTA testing services will enable most universities to use these common entrance exams - rather than having hundreds of universities each devising their own entrance exams - thereby drastically reducing the burden on students, universities and colleges, and the entire education system. It will be left up to individual universities and colleges to use NTA assessments for their admissions.

Support for Gifted Students/Students with Special Talents

There are innate talents in every student, which must be discovered, nurtured, fostered, and developed. These talents may express themselves in the form of varying interests, dispositions, and capacities. Those students that show particularly strong interests and capacities in a given realm must be encouraged to pursue that realm beyond the general school curriculum. Teacher education will include methods for the recognition and fostering of such student talents and interests. The NCERT and NCTE will develop guidelines for the education of gifted children. B.Ed. programmes may also allow a specialization in the education of gifted children.

Teachers will aim to encourage students with singular interests and/or talents in the classroom by giving them supplementary enrichment material and guidance and encouragement. Topic-centered and Project-based Clubs and Circles will be encouraged and supported at the levels of schools, school complexes, districts, and beyond. Examples include Science Circles, Math Circles, Music & Dance Performance Circles, Chess Circles, Poetry Circles, Language Circles, Drama Circles, Debate Circles, Sports Circles, Eco-Clubs, Health & Well-being Clubs/ Yoga Clubs and so on. Along these lines, high-quality national residential summer programmes for secondary school students in various subjects will also be encouraged, with a rigorous merit-based but equitable admission process to attract the very best students and teachers from across the country including from socio-economically disadvantaged groups.

Olympiads and competitions in various subjects will be conducted across the country, with clear coordination and progression from school to local to state to national levels, to ensure that all students may participate at all levels for which they qualify. Efforts will be made to make these available in rural areas and in regional languages to ensure widespread participation. Public and private universities, including premier institutions like the IITs and NITs, would be encouraged to use merit-

based results from National, and International Olympiads, and results from other relevant national programmes, as part of the criteria for admissions into their undergraduate programmes.

Once internet-connected smart phones or tablets are available in all homes and/or schools, online apps with quizzes, competitions, assessments, enrichment materials, and online communities for shared interests will be developed, and will work to enhance all the aforementioned initiatives, as group activities for students with appropriate supervision of parents and teachers. Schools will develop smart classrooms, in a phased manner, for using digital pedagogy and thereby enriching the teaching-learning process with online resources and collaborations.

5. Teachers

Teachers truly shape the future of our children - and, therefore, the future of our nation. It is because of this noblest role that the teacher in India was the most respected member of society. Only the very best and most learned became teachers. Society gave teachers, or gurus, what they needed to pass on their knowledge, skills, and ethics optimally to students. The quality of teacher education, recruitment, deployment, service conditions, and empowerment of teachers is not where it should be, and consequently the quality and motivation of teachers does not reach the desired standards. The high respect for teachers and the high status of the teaching profession must be restored so as to inspire the best to enter the teaching profession. The motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for our children and our nation.

Recruitment and Deployment

To ensure that outstanding students enter the teaching profession - especially from rural areas - a large number of merit-based scholarships shall be instituted across the country for studying quality 4-year integrated B.Ed. programmes. In rural areas, special merit-based scholarships will be established that also include preferential employment in their local areas upon successful completion of their B.Ed. programmes. Such scholarships will provide local job opportunities to local students, especially female students, so that these students serve as local-area role models and as highly qualified teachers who speak the local language. Incentives will be provided for teachers to take up teaching jobs in rural areas, especially in areas that are currently facing acute shortage of quality teachers. A key incentive for teaching in rural schools will be the provision of local housing near or on the school premises or increased housing allowances.

The harmful practice of excessive teacher transfers will be halted, so that students have continuity in their role models and educational environments. Transfers will occur in very special circumstances, as suitably laid down in a structured manner by State/UT governments. Furthermore, transfers will be conducted through an online computerized system that ensures transparency.

Teacher Eligibility Tests (TETs) will be strengthened to inculcate better test material, both in terms of content and pedagogy. The TETs will also be extended to cover teachers across all stages (Foundational, Preparatory, Middle and Secondary) of school education. For subject teachers, suitable TET or NTA test scores in the corresponding subjects will also be taken into account for recruitment. To gauge passion and motivation for teaching, a classroom demonstration or interview will become an integral part of teacher hiring at schools and school complexes. These interviews would also be used to assess comfort and proficiency in teaching in the local language, so that every school/school complex has at least some teachers who can converse with students in the local language and other prevalent home languages of students. Teachers in private schools also must have qualified similarly through TET, a demonstration/interview, and knowledge of local language(s).

To ensure an adequate number of teachers across subjects - particularly in subjects such as art, physical education, vocational education, and languages - teachers could be recruited to a school or school complex and the sharing of teachers across schools could be considered in accordance with the grouping-of-schools adopted by State/UT governments.

Schools/school complexes will be encouraged to hire local eminent persons or experts as ‘master instructors’ in various subjects, such as in traditional local arts, vocational crafts, entrepreneurship, agriculture, or any other subject where local expertise exists, to benefit students and help preserve and promote local knowledge and professions.

A technology-based comprehensive teacher-requirement planning forecasting exercise will be conducted by each State to assess expected subject-wise teacher vacancies over the next two decades. The above described initiatives in recruitment and deployment will be scaled as needed over time, to fill all vacancies with qualified teachers, including local teachers, with suitable incentives for career management and progression as described below. Teacher education programmes and offerings will also align with the vacancies thus projected.

Service Environment and Culture

The primary goal of overhauling the service environment and culture of schools will be to maximize the ability of teachers to do their jobs effectively, and to ensure that they are part of vibrant, caring, and inclusive communities of teachers, students, parents, principals, and other support staff, all of whom share a common goal: to ensure that our children are learning.

The first requirement in this direction will be to ensure decent and pleasant service conditions at schools. Adequate and safe infrastructure, including working toilets, clean drinking water, clean and attractive spaces, electricity, computing devices, internet, libraries, and sports and recreational resources will be provided to all schools to ensure that teachers and students, including children of all genders and children with disabilities, receive a safe, inclusive, and effective learning environment and are comfortable and inspired to teach and learn in their schools. In-service training will have inputs on safety, health and environment at workplace in schools to ensure that all teachers are sensitized to these requirements.

State/UT Governments may adopt innovative formats, such as school complex, rationalization of schools, without in any way reducing accessibility, for effective school governance, resource sharing, and community building. The creation of school complexes could go a long way towards building vibrant teacher communities. The hiring of teachers to school complexes could automatically create relationships among schools across the school complex; it would also help ensure excellent subject-wise distribution of teachers, creating a more vibrant teacher knowledge base. Teachers at very small schools will not remain isolated any longer and may become part of and work with larger school complex communities, sharing best practices with each other and working collaboratively to ensure that all children are learning. School complexes could also share counsellors, trained social workers, technical and maintenance staff, etc. to further support teachers and help create an effective learning environment.

In collaboration with parents and other key local stakeholders, teachers will also be more involved in the governance of schools/school complexes, including as members of the School Management Committees/School Complex Management Committees.

To prevent the large amounts of time spent currently by teachers on non-teaching activities, teachers will not be engaged any longer in work that is not directly related to teaching; in particular, teachers will not be involved in strenuous administrative tasks and more than a rationalized minimum time for mid-day meal related work, so that they may fully concentrate on their teaching-learning duties.

To help ensure that schools have positive learning environments, the role expectations of principals and teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools, for effective learning and the benefit of all stakeholders.

Teachers will be given more autonomy in choosing aspects of pedagogy, so that they may teach in the manner they find most effective for the students in their classrooms. Teachers will also focus

on socio-emotional learning - a critical aspect of any student's holistic development. Teachers will be recognized for novel approaches to teaching that improve learning outcomes in their classrooms.

Continuous Professional Development (CPD)

Teachers will be given continuous opportunities for self-improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions. These will be offered in multiple modes, including in the form of local, regional, state, national, and international workshops as well as online teacher development modules. Platforms (especially online platforms) will be developed so that teachers may share ideas and best practices. Each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development, driven by their own interests. CPD opportunities will, in particular, systematically cover the latest pedagogies regarding foundational literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency-based learning, and related pedagogies, such as experiential learning, arts-integrated, sports-integrated, and storytelling-based approaches, etc.

School Principals and school complex leaders will have similar modular leadership/management workshops and online development opportunities and platforms to continuously improve their own leadership and management skills, and so that they too may share best practices with each other. Such leaders will also be expected to participate in 50 hours or more of CPD modules per year, covering leadership and management, as well as content and pedagogy with a focus on preparing and implementing pedagogical plans based on competency-based education.

Career Management and Progression (CMP)

Teachers doing outstanding work must be recognized and promoted, and given salary raises, to incentivize all teachers to do their best work. Therefore, a robust merit-based structure of tenure, promotion, and salary structure will be developed, with multiple levels within each teacher stage, that incentivizes and recognizes outstanding teachers. A system of multiple parameters for proper assessment of performance will be developed for the same by State/UT Governments that is based on peer reviews, attendance, commitment, hours of CPD, and other forms of service to the school and the community or based on NPST given in Para 5.20. In this Policy, in the context of careers, 'tenure' refers to confirmation for permanent employment, after due assessment of performance and contribution, while 'tenure track' refers to the period of probation preceding tenure.

Further, it will be ensured that career growth (in terms of tenure, promotions, salary increases, etc.) is available to teachers within a single school stage (i.e., Foundational, Preparatory, Middle, or Secondary), and that there is no career progression-related incentive to move from being teachers in early stages to later stages or vice versa (though such career moves across stages will be allowed, provided the teacher has the desire and qualifications for such a move). This is to support the fact that all stages of school education will require the highest-quality teachers, and no stage will be considered more important than any other.

Vertical mobility of teachers based on merit will also be paramount; outstanding teachers with demonstrated leadership and management skills would be trained over time to take on academic leadership positions in schools, school complexes, BRCs, CRCs, BITEs, DIETs as well as relevant government departments.

Professional Standards for Teachers

A common guiding set of National Professional Standards for Teachers (NPST) will be developed by 2022, by the National Council for Teacher Education in its restructured new form as a Professional Standard Setting Body (PSSB) under the General Education Council (GEC), in consultation with NCERT, SCERTs, teachers from across levels and regions, expert organizations in teacher preparation and development, expert bodies in vocational education, and higher education institutions. The standards would cover expectations of the role of the teacher at different levels of expertise/stage, and the competencies required for that stage. It will also comprise standards for

performance appraisal, for each stage, that would be carried out on a periodic basis. The NPST will also inform the design of pre-service teacher education programmes. This could be then adopted by States and determine all aspects of teacher career management, including tenure, professional development efforts, salary increases, promotions, and other recognitions. Promotions and salary increases will not occur based on the length of tenure or seniority, but only on the basis of such appraisal. The professional standards will be reviewed and revised in 2030, and thereafter every ten years, on the basis of rigorous empirical analysis of the efficacy of the system.

Special educators

There is an urgent need for additional special educators for certain areas of school education. Some examples of such specialist requirements include subject teaching for children with disabilities/*Divyang* children at the Middle and Secondary school level, including teaching for specific learning disabilities. Such teachers would require not only subject-teaching knowledge and understanding of subject-related aims of education, but also the relevant skills for understanding of special requirements of children. Therefore, such areas could be developed as secondary specializations for subject teachers or generalist teachers, during or after pre-service teacher preparation. They will be offered as certificate courses, in the pre-service as well as in-service mode, either full time or as part-time/blended courses - again, necessarily, at multidisciplinary colleges or universities. Greater synergy will be enabled between the course curriculum of NCTE and RCI to ensure adequate availability of qualified special educators who can handle subject teaching as well.

Approach to Teacher Education

Recognizing that the teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy, teacher education will gradually be moved by 2030 into multidisciplinary colleges and universities. As colleges and universities all move towards becoming multidisciplinary, they will also aim to house outstanding education departments that offer B.Ed., M.Ed., and Ph.D. degrees in education.

By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy and includes strong practicum training in the form of student-teaching at local schools. The 2-year B.Ed. programmes will also be offered, by the same multidisciplinary institutions offering the 4-year integrated B.Ed., and will be intended only for those who have already obtained Bachelor's Degrees in other specialized subjects. These B.Ed. programmes may also be suitably adapted as 1-year B.Ed. programmes, and will be offered only to those who have completed the equivalent of 4-year multidisciplinary Bachelor's Degrees or who have obtained a Master's degree in a specialty and wish to become a subject teacher in that specialty. All such B.Ed. degrees would be offered only by accredited multidisciplinary higher education institutions offering 4-year integrated B.Ed. programmes. Multidisciplinary higher education institutions offering the 4-year in-class integrated B.Ed. programme and having accreditation for ODL may also offer high-quality B.Ed. programmes in blended or ODL mode to students in remote or difficult-to-access locations and also to in-service teachers who are aiming to enhance their qualification, with suitable robust arrangements for mentoring and for the practicum- training and student-teaching components of the programme.

All B.Ed. programmes will include training in time-tested as well as the most recent techniques in pedagogy, including pedagogy with respect to foundational literacy and numeracy, multi-level teaching and evaluation, teaching children with disabilities, teaching children with special interests or talents, use of educational technology, and learner-centered and collaborative learning. All B.Ed. programmes will include strong practicum training in the form of in-classroom teaching at local schools. All B.Ed. programmes will also emphasize the practice of the Fundamental Duties (Article 51A) of the Indian Constitution along with other Constitutional provisions while teaching any subject or performing any activity. It will also appropriately integrate environmental awareness and sensitivity towards its conservation and sustainable development, so that environment education becomes an integral part of school curricula.

Special shorter local teacher education programmes will also be available at BITEs, DIETs, or at school complexes themselves for eminent local persons who can be hired to teach at schools or school complexes as ‘master instructors’, for the purpose of promoting local professions, knowledge, and skills, e.g., local art, music, agriculture, business, sports, carpentry, and other vocational crafts.

Shorter post-B.Ed. certification courses will also be made widely available, at multidisciplinary colleges and universities, to teachers who may wish to move into more specialized areas of teaching, such as the teaching of students with disabilities, or into leadership and management positions in the schooling system, or to move from one stage to another between foundational, preparatory, middle, and secondary stages.

It is recognized that there may be several pedagogical approaches internationally for teaching particular subjects; NCERT will study, research, document, and compile the varied international pedagogical approaches for teaching different subjects and make recommendations on what can be learnt and assimilated from these approaches into the pedagogies being practiced in India.

By 2021, a new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT, based on the principles of this National Education Policy 2020. The framework will be developed after discussions with all stakeholders including State Governments, relevant Ministries/Departments of Central Government and various expert bodies, and will be made available in all regional languages. The NCFTE 2021 will also factor in the requirements of teacher education curricula for vocational education. The NCFTE will thereafter be revised once every 5-10 years by reflecting the changes in revised NCFs as well as emerging needs in teacher education.

Finally, in order to fully restore the integrity of the teacher education system, stringent action will be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs) running in the country, including shutting them down, if required.

6. Equitable and Inclusive Education: Learning for All

Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education - while indeed an essential goal in its own right - is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. The education system must aim to benefit India’s children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. This Policy reaffirms that bridging the social category gaps in access, participation, and learning outcomes in school education will continue to be one of the major goals of all education sector development programmes. This Chapter may be read in conjunction with Chapter 14 which discusses analogous issues of Equity and Inclusion in Higher Education.

While the Indian education system and successive government policies have made steady progress towards bridging gender and social category gaps in all levels of school education, large disparities still remain - especially at the secondary level - particularly for socio-economically disadvantaged groups that have been historically underrepresented in education. Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) can be broadly categorized based on gender identities (particularly female and transgender individuals), socio-cultural identities (such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and minorities), geographical identities (such as students from villages, small towns, and aspirational districts), disabilities (including learning disabilities), and socio-economic conditions (such as migrant communities, low income households, children in vulnerable situations, victims of or children of victims of trafficking, orphans including child beggars in urban areas, and the urban poor). While overall enrolments in schools decline steadily from Grade 1 to Grade 12, this decline in enrolments is significantly more pronounced for many of these SEDGs, with even greater declines for female students within each of these SEDGs and often even steeper in higher education. A brief status overview of the SEDGs that come within socio-cultural identities is given in following sub-sections.

According to U-DISE 2016-17 data, about 19.6% of students belong to Scheduled Castes at the primary level, but this fraction falls to 17.3% at the higher secondary level. These enrolment drop-offs are more severe for Scheduled Tribes students (10.6% to 6.8%), and differently-abled children (1.1% to 0.25%), with even greater declines for female students within each of these categories. The decline in enrolment in higher education is even steeper.

A multiplicity of factors, including lack of access to quality schools, poverty, social mores & customs, and language have had a detrimental effect on rates of enrolment and retention among the Scheduled Castes. Bridging these gaps in access, participation, and learning outcomes of children belonging to Scheduled Castes will continue to be one of the major goals. Also, the Other Backward Classes (OBCs) which have been identified on the basis of historically being socially and educationally backward also need special focus.

Tribal communities and children from Scheduled Tribes also face disadvantages at multiple levels due to various historical and geographical factors. Children from tribal communities often find their school education irrelevant and foreign to their lives, both culturally and academically. While several programmatic interventions to uplift children from tribal communities are currently in place, and will continue to be pursued, special mechanisms need to be made to ensure that children belonging to tribal communities receive the benefits of these interventions.

Minorities are also relatively underrepresented in school and higher education. The Policy acknowledges the importance of interventions to promote education of children belonging to all minority communities, and particularly those communities that are educationally underrepresented.

The Policy also recognizes the importance of creating enabling mechanisms for providing Children With Special Needs (CWSN) or *Divyang*, the same opportunities of obtaining quality education as any other child.

Separate strategies will be formulated for focused attention on reducing the social category gaps in school education as outlined in the following sub-sections.

The critical problems and recommendations regarding ECCE, foundational literacy and numeracy, access, enrolment and attendance discussed in Chapters 1–3, are particularly relevant and important for underrepresented and disadvantaged groups. Therefore, the measures from Chapters 1– 3 will be targeted in a concerted way for SEDGs.

In addition, there have been various successful policies and schemes such as targeted scholarships, conditional cash transfers to incentivize parents to send their children to school, providing bicycles for transport, etc., that have significantly increased participation of SEDGs in the schooling system in certain areas. These successful policies and schemes must be significantly strengthened across the country.

It will also be essential to take into account research that ascertains which measures are particularly effective for certain SEDGs. For example, providing bicycles and organizing cycling and walking groups to provide access to school have been shown to be particularly powerful methods in increasing participation of female students - even at lesser distances - because of the safety benefits and comfort to parents that they provide. One-on-one teachers and tutors, peer tutoring, open schooling, appropriate infrastructure, and suitable technological interventions to ensure access can be particularly effective for certain children with disabilities. Schools providing quality ECCE reap the greatest dividends for children who come from families that are economically disadvantaged. Meanwhile, counsellors and/or well-trained social workers that work with and connect with students, parents, schools, and teachers in order to improve attendance and learning outcomes have been found to be especially effective for children in urban poor areas.

Data shows that certain geographical areas contain significantly larger proportions of SEDGs. Also, there are geographical locations that have been identified as Aspirational Districts which require special interventions for promoting their educational development. Hence, it is recommended that regions of the country with large populations from educationally-disadvantaged SEDGs should be declared Special Education Zones (SEZs), where all the schemes and policies are implemented to the maximum through additional concerted efforts, in order to truly change their educational landscape.

It must be noted that women cut across all underrepresented groups, making up about half of all SEDGs. Unfortunately, the exclusion and inequity that SEDGs face is only amplified for the women in these SEDGs. The policy additionally recognizes the special and critical role that women play in society and in shaping social mores; therefore, providing a quality education to girls is the best way to increase the education levels for these SEDGs, not just in the present but also in future generations. The policy thus recommends that the policies and schemes designed to include students from SEDGs should be especially targeted towards girls in these SEDGs.

In addition, the Government of India will constitute a ‘Gender-Inclusion Fund’ to build the nation’s capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. The fund will be available to States to implement priorities determined by the Central government critical for assisting female and transgender children in gaining access to education (such as the provisions of sanitation and toilets, bicycles, conditional cash transfers, etc.); funds will also enable States to support and scale effective community-based interventions that address local context-specific barriers to female and transgender children’s access to and participation in education. Similar ‘Inclusion Fund’ schemes shall also be developed to address analogous access issues for other SEDGs. In essence, this Policy aims to eliminate any remaining disparity in access to education (including vocational education) for children from any gender or other socio-economically disadvantaged group.

Free boarding facilities will be built - matching the standard of Jawahar Navodaya Vidyalayas - in school locations where students may have to come from far, and particularly for students who from socio-economically disadvantaged backgrounds, with suitable arrangements for the safety of all children, especially girls. Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas will be strengthened and expanded to increase the participation in quality schools (up to Grade 12) of girls from socio-economically disadvantaged backgrounds. Additional Jawahar Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas will be built around the country, especially in aspirational districts, Special Education Zones, and other disadvantaged areas, to increase high-quality educational opportunities. Pre-school sections covering at least one year of early childhood care and education will be added to Kendriya Vidyalayas and other primary schools around the nation, particularly in disadvantaged areas.

Ensuring the inclusion and equal participation of children with disabilities in ECCE and the schooling system will also be accorded the highest priority. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the Foundational Stage to higher education. The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act 2016 defines inclusive education as a ‘system of education wherein students with and without disabilities learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities’. This Policy is in complete consonance with the provisions of the RPWD Act 2016 and endorses all its recommendations with regard to school education. While preparing the National Curriculum Framework, NCERT will ensure that consultations are held with expert bodies such as National Institutes of DEPwD.

To this end, schools/school complexes will be provided resources for the integration of children with disabilities, recruitment of special educators with cross-disability training, and for the establishment of resource centres, wherever needed, especially for children with severe or multiple disabilities. Barrier free access for all children with disabilities will be enabled as per the RPWD Act. Different categories of children with disabilities have differing needs. Schools and school complexes will work and be supported for providing all children with disabilities accommodations and support

mechanisms tailored to suit their needs and to ensure their full participation and inclusion in the classroom. In particular, assistive devices and appropriate technology-based tools, as well as adequate and language-appropriate teaching-learning materials (e.g., textbooks in accessible formats such as large print and Braille) will be made available to help children with disabilities integrate more easily into classrooms and engage with teachers and their peers. This will apply to all school activities including arts, sports, and vocational education. NIOS will develop high-quality modules to teach Indian Sign Language, and to teach other basic subjects using Indian Sign Language. Adequate attention will be paid to the safety and security of children with disabilities.

As per the RPWD Act 2016, children with benchmark disabilities shall have the choice of regular or special schooling. Resource centres in conjunction with special educators will support the rehabilitation and educational needs of learners with severe or multiple disabilities and will assist parents/guardians in achieving high-quality home schooling and skilling for such students as needed. Home-based education will continue to be a choice available for children with severe and profound disabilities who are unable to go to schools. The children under home-based education must be treated as equal to any other child in the general system. There shall be an audit of home-based education for its efficiency and effectiveness using the principle of equity and equality of opportunity. Guidelines and standards for home-based schooling shall be developed based on this audit in line with the RPWD Act 2016. While it is clear that the education of all children with disabilities is the responsibility of the State, technology-based solutions will be used for the orientation of parents/caregivers along with wide-scale dissemination of learning materials to enable parents/caregivers to actively support their children's learning needs will be accorded priority.

Most classrooms have children with specific learning disabilities who need continuous support. Research is clear that the earlier such support begins, the better the chances of progress. Teachers must be helped to identify such learning disabilities early and plan specifically for their mitigation. Specific actions will include the use of appropriate technology allowing and enabling children to work at their own pace, with flexible curricula to leverage each child's strengths, and creating an ecosystem for appropriate assessment and certification. Assessment and certification agencies, including the proposed new National Assessment Centre, PARAKH, will formulate guidelines and recommend appropriate tools for conducting such assessment, from the foundational stage to higher education (including for entrance exams), in order to ensure equitable access and opportunities for all students with learning disabilities.

The awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities (including learning disabilities) will be an integral part of all teacher education programmes, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation.

Alternative forms of schools, will be encouraged to preserve their traditions or alternative pedagogical styles. At the same time, they will be supported to integrate the subject and learning areas prescribed by the NCFSE into their curricula in order to reduce and eventually eliminate the underrepresentation of children from these schools in higher education. In particular, financial assistance will be provided to introduce science, mathematics, social studies, Hindi, English, State languages, or other relevant subjects in the curriculum, as may be desired by these schools. This would enable children studying in these schools to attain the learning outcomes defined for Grades 1–12. Furthermore, students in such schools would be encouraged to appear for State or other Board examinations and assessments by the NTA, and thereby enroll in higher education institutions. Capacities of teachers in the teaching of science, mathematics, language, and social studies will be developed including orientation to new pedagogical practices. Libraries and laboratories will be strengthened and adequate reading materials like books, journals, etc., and other teaching-learning materials will be made available.

Within SEDGs, and with respect to all the above policy points, special attention will be given to reduce the disparities in the educational development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As a part of the efforts to enhance participation in school education, special hostels in dedicated regions, bridge courses, and financial assistance through fee waivers and scholarships will be offered to

talented and meritorious students from all SEDGs on a larger scale, especially at the secondary stage of education, to facilitate their entry into higher education.

Under the aegis of the Ministry of Defence, State Governments may encourage opening NCC wings in their secondary and higher secondary schools, including those located in tribal dominated areas. This will enable harnessing of the natural talent and unique potential of students, which in turn would help them to aspire to a successful career in the defence forces.

All scholarships and other opportunities and schemes available to students from SEDGs will be coordinated and announced by a single agency and website to ensure that all students are aware of, and may apply in a simplified manner on such a 'single window system', as per eligibility.

All the above policies and measures are absolutely critical to attaining full inclusion and equity for all SEDGs - but they are not sufficient. What is also required is a change in school culture. All participants in the school education system, including teachers, principals, administrators, counsellors, and students, will be sensitized to the requirements of all students, the notions of inclusion and equity, and the respect, dignity, and privacy of all persons. Such an educational culture will provide the best pathway to help students become empowered individuals who, in turn, will enable society to transform into one that is responsible towards its most vulnerable citizens. Inclusion and equity will become a key aspect of teacher education (and training for all leadership, administrative, and other positions in schools); efforts will be made to recruit more high-quality teachers and leaders from SEDGs in order to bring in excellent role models for all students.

Students will be sensitized through this new school culture, brought in by teachers, trained social workers and counsellors as well as through corresponding changes to bring in an inclusive school curriculum. The school curriculum will include, early on, material on human values such as respect for all persons, empathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence, global citizenship, inclusion, and equity. It would also include more detailed knowledge of various cultures, religions, languages, gender identities, etc. to sensitize and develop respect for diversity. Any biases and stereotypes in school curriculum will be removed, and more material will be included that is relevant and relatable to all communities.

7. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters

While the establishment of primary schools in every habitation across the country-driven by the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), now subsumed under the Samagra Shiksha Scheme and other important efforts across the States - has helped to ensure near-universal access to primary schools, it has also led to the development of numerous very small schools. According to U-DISE 2016–17 data, nearly 28% of India's public primary schools and 14.8% of India's upper primary schools have less than 30 students. The average number of students per grade in the elementary schooling system (primary and upper primary, i.e., Grades 1–8) is about 14, with a notable proportion having below 6; during the year 2016–17, there were 1,08,017 single-teacher schools, the majority of them (85743) being primary schools serving Grades 1–5.

These small school sizes have rendered it economically suboptimal and operationally complex to run good schools, in terms of deployment of teachers as well as the provision of critical physical resources. Teachers often teach multiple grades at a time, and teach multiple subjects, including subjects in which they may have no prior background; key areas such as music, arts, and sports are too often simply not taught; and physical resources, such as lab and sports equipment and library books, are simply not available across schools.

The isolation of small schools also has a negative effect on education and the teaching-learning process. Teachers function best in communities and teams, and so do students. Small schools also present a systemic challenge for governance and management. The geographical dispersion, challenging access conditions, and the very large numbers of schools make it difficult to reach all schools equally. Administrative structures have not been aligned with the increases in the number of school or with the unified structure of the Samagra Shiksha Scheme.

Although consolidation of schools is an option that is often discussed, it must be carried out very judiciously, and only when it is ensured that there is no impact on access. Such measures are nevertheless likely to result only in limited consolidation, and would not solve the overall structural problem and challenges presented by the large numbers of small schools.

These challenges will, by 2025, be addressed by State/UT governments by adopting innovative mechanisms to group or rationalize schools. The objective behind this intervention would be to ensure that every school has: (a) adequate number of counsellors/trained social workers and teachers (shared or otherwise) for teaching all subjects including art, music science, sports, languages, vocational subjects, etc; (b) adequate resources (shared or otherwise), such as a library, science labs, computer labs, skill labs, playgrounds, sports equipment and facilities, etc.; (c) a sense of community is built to overcome the isolation of teachers, students, and schools, through joint professional development programmes, sharing of teaching-learning content, joint content development, holding joint activities such as art and science exhibitions, sports meets, quizzes and debates, and fairs; (d) cooperation and support across schools for the education of children with disabilities; and (e) improved governance of the schooling system by devolving all finer decisions, to Principals, teachers, and other stakeholders within each group of schools and treating such a group of schools, which range from the foundational stage through the secondary stage, as an integrated semi-autonomous unit.

One possible mechanism for accomplishing the above would be the establishment of a grouping structure called the school complex, consisting of one secondary school together with all other schools offering lower grades in its neighbourhood including Anganwadis, in a radius of five to ten kilometers. This suggestion was first made by the Education Commission (1964–66) but was left unimplemented. This Policy strongly endorses the idea of the school complex/cluster, wherever possible. The aim of the school complex/cluster will be greater resource efficiency and more effective functioning, coordination, leadership, governance, and management of schools in the cluster.

The establishment of school complexes/clusters and the sharing of resources across complexes will have a number of other benefits as a consequence, such as improved support for children with disabilities, more topic-centred clubs and academic/sports/arts/crafts events across school complexes, better incorporation of art, music, language, vocational subjects, physical education, and other subjects in the classroom through the sharing of teachers in these subjects including use of ICT tools to conduct virtual classes, better student support, enrolment, attendance, and performance through the sharing of social workers and counsellors, and School Complex Management Committees (rather than simply School Management Committees) for more robust and improved governance, monitoring, oversight, innovations, and initiatives by local stakeholders. Building such larger communities of schools, school leaders, teachers, students, supporting staff, parents, and local citizens would energize and empower the schooling system, and in a resource-efficient manner.

The governance of schools will also improve and become far more efficient with school complexes/clusters. First, the DSE will devolve authority to the school complex/cluster, which will act as a semi-autonomous unit. The District Education Officer (DEO) and the Block Education Officers (BEO) will interact primarily with each school complex/cluster as a single unit and facilitate its work. The complex itself will perform certain tasks delegated by the DSE and will deal with the individual schools within it. The school complex/cluster will be given significant autonomy by the DSE to innovate towards providing integrated education and to experiment with pedagogies, curriculum, etc., while adhering to the National Curricular Framework (NCF) and State Curricular Framework (SCF). Under this organization, schools will gain in strength, will be able to exercise greater freedom, and will contribute towards making the complex more innovative and responsive. Meanwhile, the DSE will be able to focus on the aggregate level goals that need to be achieved, improving overall system effectiveness.

The culture of working to a plan, both short-term and long-term ones, will be developed through such complexes/clusters. Schools will develop their plans (SDPs) with the involvement of their SMCs. These plans will then become the basis for the creation of School Complex/Cluster Development Plans (SCDPs). The SCDP will also involve the plans of all other institutions

associated with the school complex, such as vocational education institutions, and will be created by the principals and teachers of the school complex with the involvement of the SCMC and will be made available publicly. The plans will include human resources, learning resources, physical resources and infrastructure, improvement initiatives, financial resources, school culture initiatives, teacher development plans, and educational outcomes. It will detail the efforts to leverage the teachers and students across the school complex to develop vibrant learning communities. The SDP and SCDP will be the primary mechanism to align all stakeholders of the school, including the DSE. The SMC and SCMC will use the SDP and SCDP for oversight of the functioning and direction of the school and will assist in the execution of these plans. The DSE, through its relevant official, e.g., the BEO, will endorse and confirm the SCDP of each school complex. It will then provide the resources (financial, human, physical, etc.) necessary to achieve the SCDPs, both short-term (1-year) and long-term (3-5 years). It will also provide all other relevant support to the school complexes to achieve the educational outcomes. The DSE and the SCERT may share specific norms (e.g., financial, staffing, process) and frameworks for development of the SDP and SCDP with all schools, which may be revised periodically.

To further enhance cooperation and positive synergy among schools, including between public and private schools, the twinning/pairing of one public school with one private school will be adopted across the country, so that such paired schools may meet/interact with each other, learn from each other, and also share resources, if possible. Best practices of private schools will be documented, shared, and institutionalized in public schools, and vice versa, where possible.

Every State will be encouraged to strengthen existing or establish “Bal Bhavans” where children of all ages can visit once a week (e.g., on weekends) or more often, as a special daytime boarding school, to partake in art-related, career-related, and play-related activities. Such Bal Bhavans may be incorporated as a part of school complexes/clusters if possible.

The school should be a point of celebration and honour for the whole community. The dignity of the school as an institution should be restored and important dates, such as the foundation day of the school, will be celebrated along with the community and the list of important alumni may be displayed and honoured. Furthermore, the un-utilized capacity of school infrastructure could be used to promote social, intellectual, and volunteer activities for the community and to promote social cohesion during non-teaching / schooling hours and may be used as a “Samajik Chetna Kendra”.

8. Standard-setting and Accreditation for School Education

The goal of the school education regulatory system must be to continually improve educational outcomes; it must not overly restrict schools, prevent innovation, or demoralize teachers, principals, and students. All in all, regulation must aim to empower schools and teachers with trust, enabling them to strive for excellence and perform at their very best, while ensuring the integrity of the system through the enforcement of complete transparency and full public disclosure of all finances, procedures, and educational outcomes.

At present, all main functions of governance and regulation of the school education system - namely, the provision of public education, the regulation of education institutions, and policymaking - are handled by a single body, i.e., the Department of School Education or its arms. This leads to conflict of interests and excessive centralized concentration of power; it also leads to ineffective management of the school system, as efforts towards quality educational provision are often diluted by the focus on the other roles, particularly regulation, that the Departments of School Education also perform.

The current regulatory regime also has not been able to curb the commercialization and economic exploitation of parents by many for-profit private schools, yet at the same time it has all too often inadvertently discouraged public-spirited private/philanthropic schools. There has been far too much asymmetry between the regulatory approaches to public and private schools, even though the goals of both types of schools should be the same: to provide quality education.

The public education system is the foundation of a vibrant democratic society, and the way it is run must be transformed and invigorated in order to achieve the highest levels of educational outcomes for the nation. At the same time, the private/philanthropic school sector must also be encouraged and enabled to play a significant and beneficial role.

The key principles and recommendations of this Policy regarding the State school education system, the independent responsibilities within that system, and the approach to its regulation are as follows:

- (a) The Department of School Education, which is the apex state-level body in school education, will be responsible for overall monitoring and policymaking for continual improvement of the public education system; it will not be involved with the provision and operation of schools or with the regulation of schools, in order to ensure due focus on the improvement of public schools and to eliminate conflict of interests.
- (b) The educational operations and service provision for the public schooling system of the whole State will be handled by the Directorate of School Education (including the offices of the DEO and BEO, etc.); it will work independently to implement policies regarding educational operations and provision.
- (c) An effective quality self-regulation or accreditation system will be instituted for all stages of education including pre-school education - private, public, and philanthropic - to ensure compliance with essential quality standards. To ensure that all schools follow certain minimal professional and quality standards, States/UTs will set up an independent, State-wide, body called the State School Standards Authority (SSSA). The SSSA will establish a minimal set of standards based on basic parameters (namely, safety, security, basic infrastructure, number of teachers across subjects and grades, financial probity, and sound processes of governance), which shall be followed by all schools. The framework for these parameters will be created by the SCERT in consultation with various stakeholders, especially teachers and schools.

Transparent public self-disclosure of all the basic regulatory information, as laid down by the SSSA, will be used extensively for public oversight and accountability. The dimensions on which information has to be self-disclosed, and the format of disclosure will be decided by the SSSA in accordance with global best practices for standard-setting for schools. This information will have to be made available and kept updated and accurate by all schools, on the aforementioned public website maintained by the SSSA and on the schools' websites. Any complaints or grievances from stakeholders or others arising out of the information placed in the public domain shall be adjudicated by the SSSA. Feedback from randomly selected students will be solicited online to ensure valuable input at regular intervals. Technology will be employed suitably to ensure efficiency and transparency in all work of the SSSA. This will bring down significantly the heavy load of regulatory mandates currently borne by schools.

- (d) Academic matters, including academic standards and curricula in the State will be led by the SCERT (with close consultation and collaboration with the NCERT), which will be reinvigorated as an institution. The SCERT will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) through wide consultations with all stakeholders. The SCERT will also lead a "change management process" for the reinvigoration of CRCs, BRCs, and DIETs which must change the capacity and work culture of these institutions in 3 years, developing them into vibrant institutions of excellence. Meanwhile, certification of competencies of students at the school-leaving stage will be handled by the Boards of Assessment/Examination in each State.

The culture, structures, and systems that empower and provide adequate resources to schools, institutions, teachers, officials, communities, and other stakeholders, will also build concomitant accountability. Each stakeholder and participant of the education system will be accountable to perform their role with the highest level of integrity, full commitment, and exemplary work ethic.

Each role of the system will have explicitly articulated role expectations and rigorous assessment of their performance vis-à-vis these expectations. The assessment system will be objective and developmentally oriented, while ensuring accountability. It will have multiple sources of feedback and assessment, to ensure a full view of the performance (and will not just be linked simplistically, e.g., to ‘marks’ of students). The assessment will recognize that outcomes such as educational attainment of students have multiple intervening variables and extraneous influences. It will also recognize that education requires teamwork, particularly at the level of the school. Promotion, recognition, and accountability of all individuals will be based on such performance assessment. All functionaries will be responsible to ensure that this development, performance, and accountability system is run with high integrity, and systematically, within their span of control.

Public and private schools (except the schools that are managed/aided/controlled by the Central government) will be assessed and accredited on the same criteria, benchmarks, and processes, emphasizing online and offline public disclosure and transparency, so as to ensure that public-spirited private schools are encouraged and not stifled in any way. Private philanthropic efforts for quality education will be encouraged - thereby affirming the public-good nature of education - while protecting parents and communities from arbitrary increases in tuition fees. Public disclosure on the school website and on the SSSA website - for both public and private schools - would include (at the very least) information on the numbers of classrooms, students, and teachers, subjects taught, any fees, and overall student outcomes on standardized evaluations such as the NAS and SAS. For schools controlled/managed/aided by the Central government, the CBSE in consultation with the MHRD shall prepare a framework. All the education institutions will be held to similar standards of audit and disclosure as a 'not-for-profit' entity. Surpluses, if any, will be reinvested in the educational sector.

The standard-setting/regulatory framework and the facilitating systems for school regulation, accreditation, and governance shall be reviewed to enable improvements on the basis of the learnings and experiences gained in the last decade. This review will aim to ensure that all students, particularly students from underprivileged and disadvantaged sections, shall have universal, free and compulsory access to high-quality and equitable schooling from early childhood care and education (age 3 onwards) through higher secondary education (i.e., until Grade 12). The overemphasis on inputs, and the mechanistic nature of their specifications – physical and infrastructural – will be changed and requirements made more responsive to realities on the ground, e.g., regarding land areas and room sizes, practicalities of playgrounds in urban areas, etc. These mandates will be adjusted and loosened, leaving suitable flexibility for each school to make its own decisions based on local needs and constraints, while ensuring safety, security, and a pleasant and productive learning space. Educational outcomes and the transparent disclosure of all financial, academic, and operational matters will be given due importance and will be incorporated suitably in the assessment of schools. This will further improve India's progress towards achieving Sustainable Development Goal 4 (SDG4) of ensuring free, equitable, and quality primary and secondary education for all children.

The aim of the public-school education system will be to impart the highest quality education so that it becomes the most attractive option for parents from all walks of life for educating their children.

For a periodic ‘health check-up’ of the overall system, a sample-based National Achievement Survey (NAS) of student learning levels will be carried out by the proposed new National Assessment Centre, PARAKH with suitable cooperation with other governmental bodies- such as the NCERT– that may assist in assessment procedures as well as data analysis. The assessment will cover students across government as well as private schools. States will also be encouraged to conduct their own census-based State Assessment Survey (SAS), the results of which will be used only for developmental purposes, public disclosure by schools of their overall and anonymized student outcomes, and for continuous improvement of the school education system. Until the establishment of the proposed new National Assessment Centre, PARAKH, NCERT may continue to carry out NAS.

Finally, the children and adolescents enrolled in schools must not be forgotten in this whole process; after all, the school system is designed for them. Careful attention must be paid to their safety and rights- particularly girl children - and the various difficult issues faced by adolescents, such as substance or drug abuse and forms of discrimination and harassment including violence, with clear, safe, and efficient mechanisms for reporting and for due process on any infractions against children's/adolescents' rights or safety. The development of such mechanisms that are effective, timely, and well-known to all students will be accorded high priority.

Part II. HIGHER EDUCATION

9. Quality Universities and Colleges: A New and Forward-looking Vision for India's Higher Education System

Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being and in developing India as envisioned in its Constitution - a democratic, just, socially-conscious, cultured, and humane nation upholding liberty, equality, fraternity, and justice for all. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation. As India moves towards becoming a knowledge economy and society, more and more young Indians are likely to aspire for higher education.

Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded, and creative individuals. It must enable an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level, and also develop character, ethical and Constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, spirit of service, and 21st century capabilities across a range of disciplines including sciences, social sciences, arts, humanities, languages, as well as professional, technical, and vocational subjects. A quality higher education must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement, and productive contribution to the society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence.

For the purpose of developing holistic individuals, it is essential that an identified set of skills and values will be incorporated at each stage of learning, from pre-school to higher education.

At the societal level, higher education must enable the development of an enlightened, socially conscious, knowledgeable, and skilled nation that can find and implement robust solutions to its own problems. Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation thereby contributing to a growing national economy. The purpose of quality higher education is, therefore, more than the creation of greater opportunities for individual employment. It represents the key to more vibrant, socially engaged, cooperative communities and a happier, cohesive, cultured, productive, innovative, progressive, and prosperous nation.

Some of the major problems currently faced by the higher education system in India include:

- (a) a severely fragmented higher educational ecosystem;
- (b) less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes;
- (c) a rigid separation of disciplines, with early specialisation and streaming of students into narrow areas of study;
- (d) limited access particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few HEIs that teach in local languages
- (e) limited teacher and institutional autonomy;
- (f) inadequate mechanisms for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders;
- (g) lesser emphasis on research at most universities and colleges, and lack of competitive peer-reviewed research funding across disciplines;
- (h) suboptimal governance and leadership of HEIs;
- (i) an ineffective regulatory system; and
- (j) large affiliating universities resulting in low standards of undergraduate education.

This policy envisions a complete overhaul and re-energising of the higher education system to overcome these challenges and thereby deliver high-quality higher education, with equity and inclusion. The policy's vision includes the following key changes to the current system:

- (a) moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges, with at least one in or near every district, and with more HEIs across India that offer medium of instruction or programmes in local/Indian languages;
- (b) moving towards a more multidisciplinary undergraduate education;
- (c) moving towards faculty and institutional autonomy;
- (d) revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhanced student experiences;
- (e) reaffirming the integrity of faculty and institutional leadership positions through merit-appointments and career progression based on teaching, research, and service;
- (f) establishment of a National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges;
- (g) governance of HEIs by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy;
- (h) "light but tight" regulation by a single regulator for higher education;
- (i) increased access, equity, and inclusion through a range of measures, including greater opportunities for outstanding public education; scholarships by private/philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students; online education, and Open Distance Learning (ODL); and all infrastructure and learning materials accessible and available to learners with disabilities.

10. Institutional Restructuring and Consolidation

The main thrust of this policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and HEI clusters/Knowledge Hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students. This would help build vibrant communities of scholars and peers, break down harmful silos, enable students to become well-rounded across disciplines including artistic, creative, and analytic subjects as well as sports, develop active research communities across disciplines including cross-disciplinary research, and increase resource efficiency, both material and human, across higher education.

Moving to large multidisciplinary universities and HEI clusters is thus the highest recommendation of this policy regarding the structure of higher education. The ancient Indian universities Takshashila, Nalanda, Vallabhi, and Vikramshila, which had thousands of students from India and the world studying in vibrant multidisciplinary environments, amply demonstrated the type of great success that large multidisciplinary research and teaching universities could bring. India urgently needs to bring back this great Indian tradition to create well-rounded and innovative individuals, and which is already transforming other countries educationally and economically.

This vision of higher education will require, in particular, a new conceptual perception/understanding for what constitutes a higher education institution (HEI), i.e., a university or a college. A university will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programmes, with high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will thus allow a spectrum of institutions that range from those that place equal emphasis on teaching and research i.e., Research-intensive Universities, those that place greater emphasis on teaching but still conduct significant research i.e. Teaching-intensive Universities. Meanwhile, an Autonomous degree-granting College (AC) will refer to a large multidisciplinary institution of higher learning that grants undergraduate degrees and is primarily focused on undergraduate teaching though it would not be restricted to that and it need not be restricted to that and it would generally be smaller than a typical university.

A stage-wise mechanism for granting graded autonomy to colleges, through a transparent system of graded accreditation, will be established. Colleges will be encouraged, mentored, supported, and incentivized to gradually attain the minimum benchmarks required for each level of

accreditation. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university - in the latter case, it would be fully a part of the university. With appropriate accreditations, Autonomous degree-granting Colleges could evolve into Research-intensive or Teaching-intensive Universities, if they so aspire.

It must be clearly stated that these three broad types of institutions are not in any natural way a rigid, exclusionary categorization, but are along a continuum. HEIs will have the autonomy and freedom to move gradually from one category to another, based on their plans, actions, and effectiveness. The most salient marker for these categories of institutions will be the focus of their goals and work. The Accreditation System will develop and use appropriately different and relevant norms across this range of HEIs. However, the expectations of high quality of education, and of teaching-learning, across all HEIs will be the same.

In addition to teaching and research, HEIs will have other crucial responsibilities, which they will discharge through appropriate resourcing, incentives, and structures. These include supporting other HEIs in their development, community engagement and service, contribution to various fields of practice, faculty development for the higher education system, and support to school education.

By 2040, all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger student enrolments preferably in the thousands, for optimal use of infrastructure and resources, and for the creation of vibrant multidisciplinary communities. Since this process will take time, all HEIs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030, and then gradually increase student strength to the desired levels.

More HEIs shall be established and developed in underserved regions to ensure full access, equity, and inclusion. There shall, by 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. Steps shall be taken towards developing high-quality higher education institutions both public and private that have medium of instruction in local/Indian languages or bilingually. The aim will be to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. While a number of new institutions may be developed to attain these goals, a large part of the capacity creation will be achieved by consolidating, substantially expanding, and also improving existing HEIs.

Growth will be in both public and private institutions, with a strong emphasis on developing a large number of outstanding public institutions. There will be a fair and transparent system for determining increased levels of public funding support for public HEIs. This system will give an equitable opportunity for all public institutions to grow and develop, and will be based on transparent, pre-announced criteria from within the accreditation norms of the Accreditation System. HEIs delivering education of the highest quality as laid down in this Policy will be incentivized in expanding their capacity.

Institutions will have the option to run Open Distance Learning (ODL) and online programmes, provided they are accredited to do so, in order to enhance their offerings, improve access, increase GER, and provide opportunities for lifelong learning (SDG 4). All ODL programmes and their components leading to any diploma or degree will be of standards and quality equivalent to the highest quality programmes run by the HEIs on their campuses. Top institutions accredited for ODL will be encouraged and supported to develop high-quality online courses. Such quality online courses will be suitably integrated into curricula of HEIs, and blended mode will be preferred.

Single-stream HEIs will be phased out over time, and all will move towards becoming vibrant multidisciplinary institutions or parts of vibrant multidisciplinary HEI clusters, in order to enable and encourage high-quality multidisciplinary and cross-disciplinary teaching and research across fields. Single-stream HEIs will, in particular, add departments across different fields that would strengthen the single stream that they currently serve. Through the attainment of suitable accreditations, all HEIs will gradually move towards full autonomy - academic and administrative - in order to enable this vibrant culture. The autonomy of public institutions will be backed by adequate public financial

support and stability. Private institutions with a public-spirited commitment to high-quality equitable education will be encouraged.

The new regulatory system envisioned by this Policy will foster this overall culture of empowerment and autonomy to innovate, including by gradually phasing out the system of ‘affiliated colleges’ over a period of fifteen years through a system of graded autonomy, and to be carried out in a challenge mode. Each existing affiliating university will be responsible for mentoring its affiliated colleges so that they can develop their capabilities and achieve minimum benchmarks in academic and curricular matters; teaching and assessment; governance reforms; financial robustness; and administrative efficiency. All colleges currently affiliated to a university shall attain the required benchmarks over time to secure the prescribed accreditation benchmarks and eventually become autonomous degree-granting colleges. This will be achieved through a concerted national effort including suitable mentoring and governmental support for the same.

The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. This Policy and its approach will be equally applicable to all HEIs across all current streams, which would eventually merge into one coherent ecosystem of higher education.

University, worldwide, means a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate, graduate, and Ph.D programmes, and engages in high-quality teaching and research. The present complex nomenclature of HEIs in the country such as ‘deemed to be university’, ‘affiliating university’, ‘affiliating technical university’, ‘unitary university’ shall be replaced simply by ‘university’ on fulfilling the criteria as per norms.

11. Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education

India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning, from universities such as Takshashila and Nalanda, to the extensive literatures of India combining subjects across fields. Ancient Indian literary works such as Banabhatta’s *Kadambari* described a good education as knowledge of the 64 Kalaas or arts; and among these 64 ‘arts’ were not only subjects, such as singing and painting, but also ‘scientific’ fields, such as chemistry and mathematics, ‘vocational’ fields such as carpentry and clothes-making, ‘professional’ fields, such as medicine and engineering, as well as ‘soft skills’ such as communication, discussion, and debate. The very idea that all branches of creative human endeavour, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered ‘arts’, has distinctly Indian origins. This notion of a ‘knowledge of many arts’ or what in modern times is often called the ‘liberal arts’ (i.e., a liberal notion of the arts) must be brought back to Indian education, as it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century.

Assessments of educational approaches in undergraduate education that integrate the humanities and arts with Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) have consistently showed positive learning outcomes, including increased creativity and innovation, critical thinking and higher-order thinking capacities, problem-solving abilities, teamwork, communication skills, more in-depth learning and mastery of curricula across fields, increases in social and moral awareness, etc., besides general engagement and enjoyment of learning. Research is also improved and enhanced through a holistic and multidisciplinary education approach.

A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings -intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields; an ethic of social engagement; soft skills, such as communication, discussion and debate; and rigorous specialization in a chosen field or fields. Such a holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programmes, including those in professional, technical, and vocational disciplines.

National Education Policy 2020

A holistic and multidisciplinary education, as described so beautifully in India's past, is indeed what is needed for the education of India to lead the country into the 21st century and the fourth industrial revolution. Even engineering institutions, such as IITs, will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Students of arts and humanities will aim to learn more science and all will make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills.

Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combinations of disciplines for study, and would offer multiple entry and exit points, thus, removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for life-long learning. Graduate-level, master's and doctoral education in large multidisciplinary universities, while providing rigorous research-based specialization, would also provide opportunities for multidisciplinary work, including in academia, government, and industry.

Large multidisciplinary universities and colleges will facilitate the move towards high-quality holistic and multidisciplinary education. Flexibility in curriculum and novel and engaging course options will be on offer to students, in addition to rigorous specialization in a subject or subjects. This will be encouraged by increased faculty and institutional autonomy in setting curricula. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research, and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking.

Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation and Interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all HEIs. Credits will be given in all Bachelor's Degree programmes for these subjects if they are done from such departments or through ODL mode when they are not offered in-class at the HEI.

Towards the attainment of such a holistic and multidisciplinary education, the flexible and innovative curricula of all HEIs shall include credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, and value-based education. Environment education will include areas such as climate change, pollution, waste management, sanitation, conservation of biological diversity, management of biological resources and biodiversity, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living. Value-based education will include the development of humanistic, ethical, Constitutional, and universal human values of truth (*satya*), righteous conduct (*dharma*), peace (*shanti*), love (*prem*), nonviolence (*ahimsa*), scientific temper, citizenship values, and also life-skills; lessons in *seva*/service and participation in community service programmes will be considered an integral part of a holistic education. As the world is becoming increasingly interconnected, Global Citizenship Education (GCED), a response to contemporary global challenges, will be provided to empower learners to become aware of and understand global issues and to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure, and sustainable societies. Finally, as part of a holistic education, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions, so that students may actively engage with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student. An Academic Bank of Credit (ABC) shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned. The 4-year programme may also lead to a degree 'with

Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the HEI.

HEIs will have the flexibility to offer different designs of Master's programmes: (a) there may be a 2-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme; (b) for students completing a 4-year Bachelor's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme; and (c) there may be an integrated 5-year Bachelor's/Master's programme. Undertaking a Ph.D. shall require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research. The M.Phil. programme shall be discontinued.

Model public universities for holistic and multidisciplinary education, at par with IITs, IIMs, etc., called MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities) will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education. They will also help set the highest standards for multidisciplinary education across India.

HEIs will focus on research and innovation by setting up start-up incubation centres; technology development centres; centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and interdisciplinary research including humanities and social sciences research. Given the scenario of epidemics and pandemics, it is critical that HEIs take the lead to undertake research in areas of infectious diseases, epidemiology, virology, diagnostics, instrumentation, vaccinology and other relevant areas. HEIs will develop specific hand holding mechanisms and competitions for promoting innovation among student communities. The NRF will function to help enable and support such a vibrant research and innovation culture across HEIs, research labs, and other research organizations.

12. Optimal Learning Environments and Support for Students

Effective learning requires a comprehensive approach that involves appropriate curriculum, engaging pedagogy, continuous formative assessment, and adequate student support. The curriculum must be interesting and relevant, and updated regularly to align with the latest knowledge requirements and to meet specified learning outcomes. High-quality pedagogy is then necessary to successfully impart the curricular material to students; pedagogical practices determine the learning experiences that are provided to students, thus directly influencing learning outcomes. The assessment methods must be scientific, designed to continuously improve learning and test the application of knowledge. Last but not least, the development of capacities that promote student wellness such as fitness, good health, psycho-social well-being, and sound ethical grounding are also critical for high-quality learning.

Thus, curriculum, pedagogy, continuous assessment, and student support are the cornerstones for quality learning. Along with providing suitable resources and infrastructure, such as quality libraries, classrooms, labs, technology, sports/recreation areas, student discussion spaces, and dining areas, a number of initiatives will be required to ensure that learning environments are engaging and supportive, and enable all students to succeed.

First, in order to promote creativity, institutions and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy, and assessment within a broad framework of higher education qualifications that ensures consistency across institutions and programmes and across the ODL, online, and traditional 'in-class' modes. Accordingly, curriculum and pedagogy will be designed by institutions and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience for all students, and continuous formative assessment will be used to further the goals of each programme. All assessment systems shall also be decided by the HEI, including those that lead to final certification. The Choice Based Credit System (CBCS) will be revised for instilling innovation and flexibility. HEIs shall move to a criterion-based grading system that assesses student achievement based on the learning goals for each programme, making the system fairer and outcomes more comparable. HEIs shall also move away from high-stakes examinations towards more continuous and comprehensive evaluation.

Second, each institution will integrate its academic plans ranging from curricular improvement to quality of classroom transaction - into its larger Institutional Development Plan (IDP). Each institution will be committed to the holistic development of students and create strong internal systems for supporting diverse student cohorts in academic and social domains both inside and outside formal academic interactions in the classroom. For example, all HEIs will have mechanisms and opportunities for funding of topic-centred clubs and activities organized by students with the help of faculty and other experts as needed, such as clubs and events dedicated to science, mathematics, poetry, language, literature, debate, music, sports, etc. Over time, such activities could be incorporated into the curriculum once appropriate faculty expertise and campus student demand is developed. Faculty will have the capacity and training to be able to approach students not just as teachers, but also as mentors and guides.

Third, students from socio-economically disadvantaged backgrounds require encouragement and support to make a successful transition to higher education. Universities and colleges will thus be required to set up high-quality support centres and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively. There will also be professional academic and career counselling available to all students, as well as counsellors to ensure physical, psychological and emotional well-being.

Fourth, ODL and online education provide a natural path to increase access to quality higher education. In order to leverage its potential completely, ODL will be renewed through concerted, evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly articulated standards of quality. ODL programmes will aim to be equivalent to the highest quality in-class programmes available. Norms, standards, and guidelines for systemic development, regulation, and accreditation of ODL will be prepared, and a framework for quality of ODL that will be recommendatory for all HEIs will be developed.

Finally, all programmes, courses, curricula, and pedagogy across subjects, including those in- class, online, and in ODL modes as well as student support will aim to achieve global standards of quality.

Internationalization

The various initiatives mentioned above will also help in having larger numbers of international students studying in India, and provide greater mobility to students in India who may wish to visit, study at, transfer credits to, or carry out research at institutions abroad, and vice versa. Courses and programmes in subjects, such as Indology, Indian languages, AYUSH systems of medicine, yoga, arts, music, history, culture, and modern India, internationally relevant curricula in the sciences, social sciences, and beyond, meaningful opportunities for social engagement, quality residential facilities and on-campus support, etc. will be fostered to attain this goal of global quality standards, attract greater numbers of international students, and achieve the goal of ‘internationalization at home’.

India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable costs thereby helping to restore its role as a Vishwa Guru. An International Students Office at each HEI hosting foreign students will be set up to coordinate all matters relating to welcoming and supporting students arriving from abroad. Research/teaching collaborations and faculty/student exchanges with high-quality foreign institutions will be facilitated, and relevant mutually beneficial MOUs with foreign countries will be signed. High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries, and similarly, selected universities e.g., those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India. A legislative framework facilitating such entry will be put in place, and such universities will be given special dispensation regarding regulatory, governance, and content norms on par with other autonomous institutions of India. Furthermore, research collaboration and student exchanges between Indian institutions and global institutions will be promoted through special efforts. Credits acquired in foreign universities will be permitted, where appropriate as per the requirements of each HEI, to be counted for the award of a degree.

Student Activity and Participation

Students are the prime stakeholders in the education system. Vibrant campus life is essential for high-quality teaching-learning processes. Towards this end, students will be given plenty of opportunities for participation in sports, culture/arts clubs, eco-clubs, activity clubs, community service projects, etc. In every education institution, there shall be counselling systems for handling stress and emotional adjustments. Furthermore, a systematized arrangement shall be created to provide the requisite support to students from rural backgrounds, including increasing hostel facilities as needed. All HEIs will ensure quality medical facilities for all students in their institutions.

Financial support for students

Financial assistance to students shall be made available through various measures. Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.

13. Motivated, Energized, and Capable Faculty

The most important factor in the success of higher education institutions is the quality and engagement of its faculty. Acknowledging the criticality of faculty in achieving the goals of higher education, various initiatives have been introduced in the past several years to systematize recruitment and career progression, and to ensure equitable representation from various groups in the hiring of faculty. Compensation levels of permanent faculty in public institutions have also been increased substantially. Various initiatives have also been taken towards providing faculty with professional development opportunities. However, despite these various improvements in the status of the academic profession, faculty motivation in terms of teaching, research, and service in HEIs remains far lower than the desired level. The various factors that lie behind low faculty motivation levels must be addressed to ensure that each faculty member is happy, enthusiastic, engaged, and motivated towards advancing her/his students, institution, and profession. To this end, the policy recommends the following initiatives to achieve the best, motivated, and capable faculty in HEIs.

As the most basic step, all HEIs will be equipped with the basic infrastructure and facilities, including clean drinking water, clean working toilets, blackboards, offices, teaching supplies, libraries, labs, and pleasant classroom spaces and campuses. Every classroom shall have access to the latest educational technology that enables better learning experiences.

Teaching duties also will not be excessive, and student-teacher ratios not too high, so that the activity of teaching remains pleasant and there is adequate time for interaction with students, conducting research, and other university activities. Faculty will be appointed to individual institutions and generally not be transferable across institutions so that they may feel truly invested in, connected to, and committed to their institution and community.

Faculty will be given the freedom to design their own curricular and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook and reading material selections, assignments, and assessments. Empowering the faculty to conduct innovative teaching, research, and service as they see best will be a key motivator and enabler for them to do truly outstanding, creative work.

Excellence will be further incentivized through appropriate rewards, promotions, recognitions, and movement into institutional leadership. Meanwhile, faculty not delivering on basic norms will be held accountable.

In keeping with the vision of autonomous institutions empowered to drive excellence, HEIs will have clearly defined, independent, and transparent processes and criteria for faculty recruitment. Whereas the current recruitment process will be continued, a ‘tenure-track’ i.e., suitable probation period shall be put in place to further ensure excellence. There shall be a fast-track promotion system

for recognizing high impact research and contribution. A system of multiple parameters for proper performance assessment, for the purposes of ‘tenure’ i.e., confirmed employment after probation, promotion, salary increases, recognitions, etc., including peer and student reviews, innovations in teaching and pedagogy, quality and impact of research, professional development activities, and other forms of service to the institution and the community, shall be developed by each HEI and clearly enunciated in its Institutional Development Plan (IDP).

The presence of outstanding and enthusiastic institutional leaders that cultivate excellence and innovation is the need of the hour. Outstanding and effective institutional leadership is extremely important for the success of an institution and of its faculty. Excellent faculty with high academic and service credentials as well as demonstrated leadership and management skills will be identified early and trained through a ladder of leadership positions. Leadership positions shall not remain vacant, but rather an overlapping time period during transitions in leadership shall be the norm to ensure the smooth running of institutions. Institutional leaders will aim to create a culture of excellence that will motivate and incentivize outstanding and innovative teaching, research, institutional service, and community outreach from faculty members and all HEI leaders.

14. Equity and Inclusion in Higher Education

Entry into quality higher education can open a vast array of possibilities that can lift both individuals as well as communities out of the cycles of disadvantage. For this reason, making quality higher education opportunities available to all individuals must be among the highest priorities. This Policy envisions ensuring equitable access to quality education to all students, with a special emphasis on SEDGs.

The dynamics and also many of the reasons for exclusion of SEDGs from the education system are common across school and higher education sectors. Therefore, the approach to equity and inclusion must be common across school and higher education. Furthermore, there must be continuity across the stages to ensure sustainable reform. Thus, the policy initiatives required to meet the goals of equity and inclusion in higher education must be read in conjunction with those for school education.

There are certain facets of exclusion, that are particular to or substantially more intense in higher education. These must be addressed specifically, and include lack of knowledge of higher education opportunities, economic opportunity cost of pursuing higher education, financial constraints, admission processes, geographical and language barriers, poor employability potential of many higher education programmes, and lack of appropriate student support mechanisms.

For this purpose, additional actions that are specific to higher education shall be adopted by all Governments and HEIs:

Steps to be taken by Governments

- (a) Earmark suitable Government funds for the education of SEDGs
- (b) Set clear targets for higher GER for SEDGs
- (c) Enhance gender balance in admissions to HEIs
- (d) Enhance access by establishing more high-quality HEIs in aspirational districts and Special Education Zones containing larger numbers of SEDGs
- (e) Develop and support high-quality HEIs that teach in local/Indian languages or bilingually
- (f) Provide more financial assistance and scholarships to SEDGs in both public and private HEIs
- (g) Conduct outreach programmes on higher education opportunities and scholarships among SEDGs
- (h) Develop and support technology tools for better participation and learning outcomes.

Steps to be taken by all HEIs

- (a) Mitigate opportunity costs and fees for pursuing higher education
- (b) Provide more financial assistance and scholarships to socio-economically disadvantaged students
- (c) Conduct outreach on higher education opportunities and scholarships
- (d) Make admissions processes more inclusive
- (e) Make curriculum more inclusive
- (f) Increase employability potential of higher education programmes
- (g) Develop more degree courses taught in Indian languages and bilingually
- (h) Ensure all buildings and facilities are wheelchair-accessible and disabled-friendly
- (i) Develop bridge courses for students that come from disadvantaged educational backgrounds
- (j) Provide socio-emotional and academic support and mentoring for all such students through suitable counselling and mentoring programmes
- (k) Ensure sensitization of faculty, counsellor, and students on gender-identity issue and its inclusion in all aspects of the HEI, including curricula
- (l) Strictly enforce all no-discrimination and anti-harassment rules
- (m) Develop Institutional Development Plans that contain specific plans for action on increasing participation from SEDGs, including but not limited to the above items.

15. Teacher Education

Teacher education is vital in creating a pool of schoolteachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentors. Teachers must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, and traditions including tribal traditions, while also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy.

According to the Justice J. S. Verma Commission (2012) constituted by the Supreme Court, a majority of stand-alone TEIs - over 10,000 in number are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degrees for a price. Regulatory efforts so far have neither been able to curb the malpractices in the system, nor enforce basic standards for quality, and in fact have had the negative effect of curbing the growth of excellence and innovation in the sector. The sector and its regulatory system are, therefore, in urgent need of revitalization through radical action, in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy, and high quality to the teacher education system.

In order to improve and reach the levels of integrity and credibility required to restore the prestige of the teaching profession, the Regulatory System shall be empowered to take stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institutions (TEIs) that do not meet basic educational criteria, after giving one year for remedy of the breaches. By 2030, only educationally sound, multidisciplinary, and integrated teacher education programmes shall be in force.

As teacher education requires multidisciplinary inputs, and education in high-quality content as well as pedagogy, all teacher education programmes must be conducted within composite multidisciplinary institutions. To this end, all multidisciplinary universities and colleges - will aim to establish, education departments which, besides carrying out cutting-edge research in various aspects of education, will also run B.Ed. programmes, in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, neuroscience, Indian languages, arts, music, history, literature, physical education, science and mathematics. Moreover, all stand-alone TEIs will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030, since they will have to offer the 4-year integrated teacher preparation programme.

The 4-year integrated B.Ed. offered by such multidisciplinary HEIs will, by 2030, become the minimal degree qualification for school teachers. The 4-year integrated B.Ed. will be a dual-major holistic Bachelor's degree, in Education as well as a specialized subject such as a language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical education, etc. Beyond

the teaching of cutting-edge pedagogy, the teacher education will include grounding in sociology, history, science, psychology, early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, knowledge of India and its values/ethos/art/traditions, and more. The HEI offering the 4-year integrated B.Ed. may also run a 2-year B.Ed., for students who have already received a Bachelor's degree in a specialized subject. A 1-year B.Ed. may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. Scholarships for meritorious students will be established for the purpose of attracting outstanding candidates to the 4-year, 2-year, and 1-year B.Ed. programmes.

HEIs offering teacher education programmes will ensure the availability of a range of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects. Each higher education institution will have a network of government and private schools to work closely with, where potential teachers will student-teach along with participating in other activities such as community service, adult and vocational education, etc.

In order to maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre-service teacher preparation programmes shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by the National Testing Agency, and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country.

The faculty profile in Departments of Education will necessarily aim to be diverse and but teaching/field/research experience will be highly valued. Faculty with training in areas of social sciences that are directly relevant to school education e.g., psychology, child development, linguistics, sociology, philosophy, economics, and political science as well as from science education, mathematics education, social science education, and language education programmes will be attracted and retained in teacher education institutions, to strengthen multidisciplinary education of teachers and provide rigour in conceptual development.

All fresh Ph.D. entrants, irrespective of discipline, will be required to take credit-based courses in teaching/education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D subject during their doctoral training period. Exposure to pedagogical practices, designing curriculum, credible evaluation systems, communication, and so on will be ensured since many research scholars will go on to become faculty or public representatives/communicators of their chosen disciplines. Ph.D students will also have a minimum number of hours of actual teaching experience gathered through teaching assistantships and other means. Ph.D. programmes at universities around the country will be re-oriented for this purpose.

In-service continuous professional development for college and university teachers will continue through the existing institutional arrangements and ongoing initiatives; these will be strengthened and substantially expanded to meet the needs of enriched teaching-learning processes for quality education. The use of technology platforms such as SWAYAM/DIKSHA for online training of teachers will be encouraged, so that standardized training programmes can be administered to large numbers of teachers within a short span of time.

A National Mission for Mentoring shall be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty – including those with the ability to teach in Indian languages – who would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.

16. Reimagining Vocational Education

The 12th Five-Year Plan (2012–2017) estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group of 19–24 (less than 5%) received formal vocational education Whereas in countries such as the USA the number is 52%, in Germany 75%, and South Korea it is as high as 96%. These numbers only underline the urgency of the need to hasten the spread of vocational education in India.

One of the primary reasons for the small numbers of students receiving vocational education is the fact that vocational education has in the past focused largely on Grades 11–12 and on dropouts in Grade 8 and upwards. Moreover, students passing out from Grades 11–12 with vocational subjects often did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocations in higher education. The admission criteria for general higher education were also not designed to provide openings to students who had vocational education qualifications, leaving them at a disadvantage relative to their compatriots from ‘mainstream’ or ‘academic’ education. This led to a complete lack of vertical mobility for students from the vocational education stream, an issue that has only been addressed recently through the announcement of the National Skills Qualifications Framework (NSQF) in 2013.

Vocational education is perceived to be inferior to mainstream education and meant largely for students who are unable to cope with the latter. This is a perception that affects the choices students make. It is a serious concern that can only be dealt with by a complete re-imagination of how vocational education is offered to students in the future.

This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education and requires integration of vocational education programmes into mainstream education in all education institutions in a phased manner. Beginning with vocational exposure at early ages in middle and secondary school, quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more. This would lead to emphasizing the dignity of labour and importance of various vocations involving /Indian arts and artisanship.

By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed. This is in alignment with Sustainable Development Goal 4.4 and will help to realize the full potential of India’s demographic dividend. The number of students in vocational education will be considered while arriving at the GER targets. The development of vocational capacities will go hand-in-hand with the development of ‘academic’ or other capacities. Vocational education will be integrated in the educational offerings of all secondary schools in a phased manner over the next decade. Towards this, secondary schools will also collaborate with ITIs, polytechnics, local industry, etc. Skill labs will also be set up and created in the schools in a hub and spoke model which will allow other schools to use the facility. Higher education institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs. The B.Voc. degrees introduced in 2013 will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in all other Bachelor’s degree programmes, including the 4-year multidisciplinary Bachelor’s programmes. HEIs will also be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills including soft skills. ‘Lok Vidya’, i.e., important vocational knowledge developed in India, will be made accessible to students through integration into vocational education courses. The possibility of offering vocational courses through ODL mode will also be explored.

Vocational education will be integrated into all school and higher education institutions in a phased manner over the next decade. Focus areas for vocational education will be chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities. MHRD will constitute a National Committee for the Integration of Vocational Education (NCIVE), consisting of experts in vocational education and representatives from across Ministries, in collaboration with industry, to oversee this effort.

Individual institutions that are early adopters must innovate to find models and practices that work and then share these with other institutions through mechanisms set up by NCIVE, so as to help extend the reach of vocational education. Different models of vocational education, and apprenticeships, will also be experimented by higher education institutions. Incubation centres will be set up in higher education institutions in partnership with industries.

The National Skills Qualifications Framework will be detailed further for each discipline vocation and profession. Further, Indian standards will be aligned with the International Standard Classification of Occupations maintained by the International Labour Organization. This Framework will provide the basis for Recognition of Prior Learning. Through this, dropouts from the formal

system will be reintegrated by aligning their practical experience with the relevant level of the Framework. The credit-based Framework will also facilitate mobility across 'general' and vocational education.

17. Catalysing Quality Academic Research in All Fields through a new National Research Foundation

Knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society, and continuously inspiring a nation to achieve even greater heights. Indeed, some of the most prosperous civilizations (such as India, Mesopotamia, Egypt, and Greece) to the modern era (such as the United States, Germany, Israel, South Korea, and Japan), were/are strong knowledge societies that attained intellectual and material wealth in large part through celebrated and fundamental contributions to new knowledge in the realm of science as well as art, language, and culture that enhanced and uplifted not only their own civilizations but others around the globe.

A robust ecosystem of research is perhaps more important than ever with the rapid changes occurring in the world today, e.g., in the realm of climate change, population dynamics and management, biotechnology, an expanding digital marketplace, and the rise of machine learning and artificial intelligence. If India is to become a leader in these disparate areas, and truly achieve the potential of its vast talent pool to again become a leading knowledge society in the coming years and decades, the nation will require a significant expansion of its research capabilities and output across disciplines. Today, the criticality of research is more than ever before, for the economic, intellectual, societal, environmental, and technological health and progress of a nation.

Despite this critical importance of research, the research and innovation investment in India is, at the current time, only 0.69% of GDP as compared to 2.8% in the United States of America, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea.

The societal challenges that India needs to address today, such as access for all its citizens to clean drinking water and sanitation, quality education and healthcare, improved transportation, air quality, energy, and infrastructure, will require the implementation of approaches and solutions that are not only informed by top-notch science and technology but are also rooted in a deep understanding of the social sciences and humanities and the various socio-cultural and environmental dimensions of the nation. Facing and addressing these challenges will require high-quality interdisciplinary research across fields that must be done in India and cannot simply be imported; the ability to conduct one's own research also enables a country to much more easily import and adapt relevant research from abroad.

Furthermore, in addition to their value in solutions to societal problems, any country's identity, upliftment, spiritual/intellectual satisfaction and creativity is also attained in a major way through its history, art, language, and culture. Research in the arts and humanities, along with innovations in the sciences and social sciences, are, therefore, extremely important for the progress and enlightened nature of a nation.

Research and innovation at education institutions in India, particularly those that are engaged in higher education, is critical. Evidence from the world's best universities throughout history shows that the best teaching and learning processes at the higher education level occur in environments where there is also a strong culture of research and knowledge creation; conversely, much of the very best research in the world has occurred in multidisciplinary university settings.

India has a long historical tradition of research and knowledge creation, in disciplines ranging from science and mathematics to art and literature to phonetics and languages to medicine and agriculture. This needs to be further strengthened to make India lead research and innovation in the

21st century, as a strong and enlightened knowledge society and one of the three largest economies in the world.

Thus, this Policy envisions a comprehensive approach to transforming the quality and quantity of research in India. This includes definitive shifts in school education to a more play and discovery-based style of learning with emphasis on the scientific method and critical thinking. This includes career counselling in schools towards identifying student interests and talents, promoting research in universities, the multidisciplinary nature of all HEIs and the emphasis on holistic education, the inclusion of research and internships in the undergraduate curriculum, faculty career management systems that give due weightage to research, and the governance and regulatory changes that encourage an environment of research and innovation. All of these aspects are extremely critical for developing a research mindset in the country.

To build on these various elements in a synergistic manner, and to thereby truly grow and catalyze quality research in the nation, this policy envisions the establishment of a National Research Foundation (NRF). The overarching goal of the NRF will be to enable a culture of research to permeate through our universities. In particular, the NRF will provide a reliable base of merit-based but equitable peer-reviewed research funding, helping to develop a culture of research in the country through suitable incentives for and recognition of outstanding research, and by undertaking major initiatives to seed and grow research at State Universities and other public institutions where research capability is currently limited. The NRF will competitively fund research in all disciplines. Successful research will be recognized, and where relevant, implemented through close linkages with governmental agencies as well as with industry and private/philanthropic organizations.

Institutions that currently fund research at some level, such as the Department of Science and Technology (DST), Department of Atomic Energy (DAE), Department of Bio-Technology (DBT), Indian Council of Agriculture Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Indian Council of Historical Research (ICHR), and University Grants Commission (UGC), as well as various private and philanthropic organizations, will continue to independently fund research according to their priorities and needs. However, NRF will carefully coordinate with other funding agencies and will work with science, engineering, and other academies to ensure synergy of purpose and avoid duplication of efforts. The NRF will be governed, independently of the government, by a rotating Board of Governors consisting of the very best researchers and innovators across fields.

The primary activities of the NRF will be to:

- (a) fund competitive, peer-reviewed grant proposals of all types and across all disciplines;
- (b) seed, grow, and facilitate research at academic institutions, particularly at universities and colleges where research is currently in a nascent stage, through mentoring of such institutions;
- (c) act as a liaison between researchers and relevant branches of government as well as industry, so that research scholars are constantly made aware of the most urgent national research issues, and so that policymakers are constantly made aware of the latest research breakthroughs; so as to allow breakthroughs to be optimally brought into policy and/or implementation; and
- (d) recognise outstanding research and progress

18. Transforming the Regulatory System of Higher Education

Regulation of higher education has been too heavy-handed for decades; too much has been attempted to be regulated with too little effect. The mechanistic and disempowering nature of the regulatory system has been rife with very basic problems, such as heavy concentrations of power within a few bodies, conflicts of interest among these bodies, and a resulting lack of accountability. The regulatory system is in need of a complete overhaul in order to re-energize the higher education sector and enable it to thrive.

To address the above-mentioned issues, the regulatory system of higher education will ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard setting will be performed by distinct, independent, and empowered bodies. This is considered essential to create checks-and-balances in the system, minimize conflicts of interest, and eliminate concentrations of power. To ensure that the four institutional structures carrying out these four essential functions work independently yet at the same time and work in synergy towards common goals. These four structures will be set up as four independent verticals within one umbrella institution, the Higher Education Commission of India (HECI).

The first vertical of HECI will be the National Higher Education Regulatory Council (NHERC). It will function as the common, single point regulator for the higher education sector including teacher education and excluding medical and legal education, thus eliminating the duplication and disjunction of regulatory efforts by the multiple regulatory agencies that exist at the current time. It will require a relook and repealing of existing Acts and restructuring of various existing regulatory bodies to enable this single point regulation. NHERC will be set up to regulate in a 'light but tight' and facilitative manner, meaning that a few important matters particularly financial probity, good governance, and the full online and offline public self-disclosure of all finances, audits, procedures, infrastructure, faculty/staff, courses, and educational outcomes will be very effectively regulated. This information will have to be made available and kept updated and accurate by all higher education institutions on a public website maintained by NHERC and on the institutions' websites. Any complaints or grievances from stakeholders and others arising out of the information placed in public domain shall be adjudicated by NHERC. Feedback from randomly selected students including differently-abled students at each HEI will be solicited online to ensure valuable input at regular intervals.

The primary mechanism to enable such regulation will be accreditation. The second vertical of HECI will, therefore, be a 'meta-accrediting body', called the National Accreditation Council (NAC). Accreditation of institutions will be based primarily on basic norms, public self-disclosure, good governance, and outcomes, and it will be carried out by an independent ecosystem of accrediting institutions supervised and overseen by NAC. The task to function as a recognized accreditor shall be awarded to an appropriate number of institutions by NAC. In the short term, a robust system of graded accreditation shall be established, which will specify phased benchmarks for all HEIs to achieve set levels of quality, self-governance, and autonomy. In turn, all HEIs will aim, through their Institutional Development Plans (IDPs), to attain the highest level of accreditation over the next 15 years, and thereby eventually aim to function as self-governing degree-granting institutions/clusters. In the long run, accreditation will become a binary process, as per the extant global practice.

The third vertical of HECI will be the Higher Education Grants Council (HEGC), which will carry out funding and financing of higher education based on transparent criteria, including the IDPs prepared by the institutions and the progress made on their implementation. HEGC will be entrusted with the disbursement of scholarships and developmental funds for launching new focus areas and expanding quality programme offerings at HEIs across disciplines and fields.

The fourth vertical of HECI will be the General Education Council (GEC), which will frame expected learning outcomes for higher education programmes, also referred to as 'graduate attributes'. A National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) will be formulated by the GEC and it shall be in sync with the National Skills Qualifications Framework (NSQF) to ease the integration of vocational education into higher education. Higher education qualifications leading to a degree/diploma/certificate shall be described by the NHEQF in terms of such learning outcomes. In addition, the GEC shall set up facilitative norms for issues, such as credit transfer, equivalence, etc., through the NHEQF. The GEC will be mandated to identify specific skills that students must acquire during their academic programmes, with the aim of preparing well-rounded learners with 21st century skills.

The professional councils, such as the Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Veterinary Council of India (VCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Council of Architecture (CoA), National Council for Vocational Education and Training (NCVET) etc., will act

as Professional Standard Setting Bodies (PSSBs). They will play a key role in the higher education system and will be invited to be members of the GEC. These bodies, after restructuring as PSSBs, will continue to draw the curricula, lay down academic standards and coordinate between teaching, research and extension of their domain/discipline, as members of the GEC. As members of the GEC, they would help in specifying the curriculum framework, within which HEIs may prepare their own curricula. Thus, PSSBs would also set the standards or expectations in particular fields of learning and practice while having no regulatory role. All HEIs will decide how their educational programmes respond to these standards, among other considerations, and would also be able to reach out for support from these standard-setting bodies or PSSBs, if needed.

Such a system architecture will ensure the principle of functional separation by eliminating conflicts of interests between different roles. It will also aim to empower HEIs, while ensuring that the few key essential matters are given due attention. Responsibility and accountability shall devolve to the HEIs concomitantly. No distinction in such expectations shall be made between public and private HEIs.

Such a transformation will require existing structures and institutions to reinvent themselves and undergo an evolution of sorts. The separation of functions would mean that each vertical within HECI would take on a new, single role which is relevant, meaningful, and important in the new regulatory scheme.

The functioning of all the independent verticals for Regulation (NHERC), Accreditation (NAC), Funding (HEGC), and Academic Standard Setting (GEC) and the overarching autonomous umbrella body (HECI) itself will be based on transparent public disclosure, and use technology extensively to reduce human interface to ensure efficiency and transparency in their work. The underlying principle will be that of a faceless and transparent regulatory intervention using technology. Strict compliance measures with stringent action, including penalties for false disclosure of mandated information, will be ensured so that Higher Education Institutions are conforming to the basic minimum norms and standards. HECI itself will be resolving disputes among the four verticals. Each vertical in HECI will be an independent body consisting of persons having high expertise in the relevant areas along with integrity, commitment, and a demonstrated track record of public service. HECI itself will be a small, independent body of eminent public-spirited experts in higher education, which will oversee and monitor the integrity and effective functioning of HECI. Suitable mechanisms will be created within HECI to carry out its functions, including adjudication.

Setting up new quality HEIs will also be made far easier by the regulatory regime, while ensuring with great effectiveness that these are set up with the spirit of public service and with due financial backing for long-term stability. HEIs performing exceptionally well will be helped by Central and State governments to expand their institutions, and thereby attain larger numbers of students and faculty as well as disciplines and programmes. Public Philanthropic Partnership models for HEIs may also be piloted with the aim to further expand access to high-quality higher education.

Curbing Commercialization of Education

Multiple mechanisms with checks and balances will combat and stop the commercialization of higher education. This will be a key priority of the regulatory system. All education institutions will be held to similar standards of audit and disclosure as a 'not for profit' entity. Surpluses, if any, will be reinvested in the educational sector. There will be transparent public disclosure of all these financial matters with recourse to grievance-handling mechanisms to the general public. The accreditation system developed by NAC will provide a complementary check on this system, and NHERC will consider this as one of the key dimensions of its regulatory objective.

All HEIs - public and private - shall be treated on par within this regulatory regime. The regulatory regime shall encourage private philanthropic efforts in education. There will be common national guidelines for all legislative Acts that will form private HEIs. These common minimal guidelines will enable all such Acts to establish private HEIs, thus enabling common standards for

private and public HEIs. These common guidelines will cover Good Governance, Financial Stability & Security, Educational Outcomes, and Transparency of Disclosures.

Private HEIs having a philanthropic and public-spirited intent will be encouraged through a progressive regime of fees determination. Transparent mechanisms for fixing of fees with an upper limit, for different types of institutions depending on their accreditation, will be developed so that individual institutions are not adversely affected. This will empower private HEIs to set fees for their programmes independently, though within the laid-out norms and the broad applicable regulatory mechanism. Private HEIs will be encouraged to offer freeships and scholarships in significant numbers to their students. All fees and charges set by private HEIs will be transparently and fully disclosed, and there shall be no arbitrary increases in these fees/charges during the period of enrolment of any student. This fee determining mechanism will ensure reasonable recovery of cost while ensuring that HEIs discharge their social obligations.

19. Effective Governance and Leadership for Higher Education Institutions

It is effective governance and leadership that enables the creation of a culture of excellence and innovation in higher education institutions. The common feature of all world-class institutions globally including India has indeed been the existence of strong self-governance and outstanding merit-based appointments of institutional leaders.

Through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy, and in a phased manner over a period of 15 years, all HEIs in India will aim to become independent self-governing institutions pursuing innovation and excellence. Measures will be taken at all HEIs to ensure leadership of the highest quality and promote an institutional culture of excellence. Upon receiving the appropriate graded accreditations that deem the institution ready for such a move, a Board of Governors (BoG) shall be established consisting of a group of highly qualified, competent, and dedicated individuals having proven capabilities and a strong sense of commitment to the institution. The BoG of an institution will be empowered to govern the institution free of any external interference, make all appointments including that of head of the institution, and take all decisions regarding governance. There shall be overarching legislation that will supersede any contravening provisions of other earlier legislation and would provide for constitution, appointment, modalities of functioning, rules and regulations, and the roles and responsibilities of the BoG. New members of the Board shall be identified by an expert committee appointed by the Board; and the selection of new members shall be carried out by the BoG itself. Equity considerations will also be taken care of while selecting the members. It is envisaged that all HEIs will be incentivized, supported, and mentored during this process, and shall aim to become autonomous and have such an empowered BoG by 2035.

The BoG shall be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of all relevant records. It will be responsible for meeting all regulatory guidelines mandated by HECI through the National Higher Education Regulatory Council (NHERC).

All leadership positions and Heads of institutions will be offered to persons with high academic qualifications and demonstrated administrative and leadership capabilities along with abilities to manage complex situations. Leaders of an HEI will demonstrate strong alignment to Constitutional values and the overall vision of the institution, along with attributes such as a strong social commitment, belief in teamwork, pluralism, ability to work with diverse people, and a positive outlook. The selection shall be carried out by the BoG through a rigorous, impartial, merit-based, and competency-based process led by an Eminent Expert Committee (EEC) constituted by the BoG. While stability of tenure is important to ensure the development of a suitable culture, at the same time leadership succession will be planned with care to ensure that good practices that define an institution's processes do not end due to a change in leadership; leadership changes will come with sufficient overlaps, and not remain vacant, in order to ensure smooth transitions. Outstanding leaders will be identified and developed early, working their way through a ladder of leadership positions.

While being provided with adequate funding, legislative enablement, and autonomy in a phased manner, all HEIs, in turn, will display commitment to institutional excellence, engagement with their

local communities, and the highest standards of financial probity and accountability. Each institution will make a strategic Institutional Development Plan on the basis of which institutions will develop initiatives, assess their own progress, and reach the goals set therein, which could then become the basis for further public funding. The IDP shall be prepared with the joint participation of Board members, institutional leaders, faculty, students, and staff.

Part III. OTHER KEY AREAS OF FOCUS

20. Professional Education

Preparation of professionals must involve an education in the ethic and importance of public purpose, an education in the discipline, and an education for practice. It must centrally involve critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research, and innovation. For this to be achieved, professional education should not take place in the isolation of one's specialty.

Professional education thus becomes an integral part of the overall higher education system. Stand-alone agricultural universities, legal universities, health science universities, technical universities, and stand-alone institutions in other fields, shall aim to become multidisciplinary institutions offering holistic and multidisciplinary education. All institutions offering either professional or general education will aim to organically evolve into institutions/clusters offering both seamlessly, and in an integrated manner by 2030.

Agricultural education with allied disciplines will be revived. Although Agricultural Universities comprise approximately 9% of all universities in the country, enrolment in agriculture and allied sciences is less than 1% of all enrolment in higher education. Both capacity and quality of agriculture and allied disciplines must be improved in order to increase agricultural productivity through better skilled graduates and technicians, innovative research, and market-based extension linked to technologies and practices. The preparation of professionals in agriculture and veterinary sciences through programmes integrated with general education will be increased sharply. The design of agricultural education will shift towards developing professionals with the ability to understand and use local knowledge, traditional knowledge, and emerging technologies while being cognizant of critical issues such as declining land productivity, climate change, food sufficiency for our growing population, etc. Institutions offering agricultural education must benefit the local community directly; one approach could be to set up Agricultural Technology Parks to promote technology incubation and dissemination and promote sustainable methodologies.

Legal education needs to be competitive globally, adopting best practices and embracing new technologies for wider access to and timely delivery of justice. At the same time, it must be informed and illuminated with Constitutional values of Justice - Social, Economic, and Political - and directed towards national reconstruction through instrumentation of democracy, rule of law, and human rights. The curricula for legal studies must reflect socio-cultural contexts along with, in an evidence-based manner, the history of legal thinking, principles of justice, the practice of jurisprudence, and other related content appropriately and adequately. State institutions offering law education must consider offering bilingual education for future lawyers and judges - in English and in the language of the State in which the institution is situated.

Healthcare education needs to be re-envisioned so that the duration, structure, and design of the educational programmes need to match the role requirements that graduates will play. Students will be assessed at regular intervals on well-defined parameters primarily required for working in primary care and in secondary hospitals. Given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative meaning thereby that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH), and vice versa. There shall also be a much greater emphasis on preventive healthcare and community medicine in all forms of healthcare education.

Technical education includes degree and diploma programmes in, engineering, technology, management, architecture, town planning, pharmacy, hotel management, catering technology etc., which are critical to India's overall development. There will not only be a greater demand for well-qualified manpower in these sectors, it will also require closer collaborations between industry and higher education institutions to drive innovation and research in these fields. Furthermore, influence of technology on human endeavours is expected to erode the silos between technical education and other disciplines too. Technical education will, thus, also aim to be offered within multidisciplinary education institutions and programmes and have a renewed focus on opportunities to engage deeply with other disciplines. India must also take the lead in preparing professionals in cutting-edge areas that are fast gaining prominence, such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, and machine learning, in addition to genomic studies, biotechnology, nanotechnology, neuroscience, with important applications to health, environment, and sustainable living that will be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

21. Adult Education and Lifelong Learning

The opportunity to attain foundational literacy, obtain an education, and pursue a livelihood must be viewed as basic rights of every citizen. Literacy and basic education open up whole new worlds of personal, civic, economic, and lifelong-learning opportunities for individuals that enable them to progress personally and professionally. At the level of society and the nation, literacy and basic education are powerful force multipliers which greatly enhance the success of all other developmental efforts. Worldwide data on nations indicate extremely high correlations between literacy rates and per capita GDP.

Meanwhile, being a non-literate member of a community, has innumerable disadvantages, including the inability to: carry out basic financial transactions; compare the quality/quantity of goods purchased against the price charged; fill out forms to apply for jobs, loans, services, etc.; comprehend public circulars and articles in the news media; use conventional and electronic mail to communicate and conduct business; make use of the internet and other technology to improve one's life and profession; comprehend directions and safety directives on the street, on medicines, etc.; help children with their education; be aware of one's basic rights and responsibilities as a citizen of India; appreciate works of literature; and pursue employment in medium or high-productivity sectors that require literacy. The abilities listed here are an illustrative list of outcomes to be achieved through adoption of innovative measures for Adult Education.

Extensive field studies and analyses, both in India and across the world, clearly demonstrate that volunteerism and community involvement and mobilization are key success factors of adult literacy programmes, in conjunction with political will, organizational structure, proper planning, adequate financial support, and high-quality capacity building of educators and volunteers. Successful literacy programmes result not only in the growth of literacy among adults, but also result in increased demand for education for all children in the community, as well as greater community contribution to positive social change. The National Literacy Mission, when it was launched in 1988, was largely based on the voluntary involvement and support of the people, and resulted in significant increases in national literacy during the period of 1991–2011, including among women, and also initiated dialogue and discussions on pertinent social issues of the day.

Strong and innovative government initiatives for adult education - in particular, to facilitate community involvement and the smooth and beneficial integration of technology - will be affected as soon as possible to expedite this all-important aim of achieving 100% literacy.

First, an outstanding adult education curriculum framework will be developed by a new and well-supported constituent body of the NCERT that is dedicated to adult education, so as to develop synergy with and build upon NCERT's existing expertise in establishing outstanding curricula for literacy, numeracy, basic education, vocational skills, and beyond. The curriculum framework for adult education will include at least five types of programmes, each with clearly defined outcomes: (a) foundational literacy and numeracy; (b) critical life skills (including financial literacy, digital literacy, commercial skills, health care and awareness, child care and education, and family welfare);

(c) vocational skills development (with a view towards obtaining local employment); (d) basic education (including preparatory, middle, and secondary stage equivalency); and (e) continuing education (including engaging holistic adult education courses in arts, sciences, technology, culture, sports, and recreation, as well as other topics of interest or use to local learners, such as more advanced material on critical life skills). The framework would keep in mind that adults in many cases will require rather different teaching-learning methods and materials than those designed for children.

Second, suitable infrastructure will be ensured so that all interested adults will have access to adult education and lifelong learning. A key initiative in this direction will be to use schools/ school complexes after school hours and on weekends and public library spaces for adult education courses which will be ICT-equipped when possible and for other community engagement and enrichment activities. The sharing of infrastructure for school, higher, adult, and vocational education, and for other community and volunteer activities, will be critical for ensuring efficient use of both physical and human resources as well as for creating synergy among these five types of education and beyond. For these reasons, Adult Education Centres (AECs) could also be included within other public institutions such as HEIs, vocational training centres, etc.

Third, the instructors/educators will be required to deliver the curriculum framework to mature learners for all five types of adult education as described in the Adult Education Curriculum Framework. These instructors will be trained by the National, State, and district level resource support institutions to organize and lead learning activities at Adult Education Centres, as well as coordinate with volunteer instructors. Qualified community members including from HEIs as part of each HEI's mission to engage with their local communities will be encouraged and welcomed to take a short training course and volunteer, as adult literacy instructors, or to serve as one-on-one volunteer tutors, and will be recognized for their critical service to the nation. States will also work with NGOs and other community organizations to enhance efforts towards literacy and adult education.

Fourth, all efforts will be undertaken to ensure the participation of community members in adult education. Social workers/counsellors travelling through their communities to track and ensure participation of non-enrolled students and dropouts will also be requested, during their travels, to gather data of parents, adolescents, and others interested in adult education opportunities both as learners and as teachers/tutors. The social workers/counsellors will then connect them with local Adult Education Centres (AECs). Opportunities for adult education will also be widely publicized, through advertisements and announcements and through events and initiatives of NGOs and other local organizations.

Fifth, improving the availability and accessibility of books is essential to inculcating the habit of reading within our communities and educational institutions. This Policy recommends that all communities and educational institutions - schools, colleges, universities and public libraries - will be strengthened and modernized to ensure an adequate supply of books that cater to the needs and interests of all students, including persons with disabilities and other differently-abled persons. The Central and State governments will take steps to ensure that books are made accessible and affordable to all across the country including socio-economically disadvantaged areas as well as those living in rural and remote areas. Both public and private sector agencies/institutions will devise strategies to improve the quality and attractiveness of books published in all Indian languages. Steps will be taken to enhance online accessibility of library books and further broad basing of digital libraries. For ensuring vibrant libraries in communities and educational institutions, it will be imperative to make available adequate library staff and also devise appropriate career pathways and CPD for them. Other steps will include strengthening all existing libraries, setting up rural libraries and reading rooms in disadvantaged regions, making widely available reading material in Indian languages, opening children's libraries and mobile libraries, establishing social book clubs across India and across subjects, and fostering greater collaborations between education institutions and libraries.

Finally, technology will be leveraged to strengthen and even undertake the above initiatives. Quality technology-based options for adult learning such as apps, online courses/modules, satellite-based TV channels, online books, and ICT-equipped libraries and Adult Education Centres, etc. will

be developed, through government and philanthropic initiatives as well as through crowd sourcing and competitions. In many cases, quality adult education could thereby be conducted in an online or blended mode.

22. Promotion of Indian Languages, Arts, and Culture

India is a treasure trove of culture, developed over thousands of years and manifested in the form of arts, works of literature, customs, traditions, linguistic expressions, artefacts, heritage sites, and more. Crores of people from around the world partake in, enjoy, and benefit from this cultural wealth daily, in the form of visiting India for tourism, experiencing Indian hospitality, purchasing India's handicrafts and handmade textiles, reading the classical literature of India, practicing yoga and meditation, being inspired by Indian philosophy, participating in India's unique festivals, appreciating India's diverse music and art, and watching Indian films, amongst many other aspects. It is this cultural and natural wealth that truly makes India, "Incredible India", as per India's tourism slogan. The preservation and promotion of India's cultural wealth must be considered a high priority for the country, as it is truly important for the nation's identity as well as for its economy.

The promotion of Indian arts and culture is important not only for the nation but also for the individual. Cultural awareness and expression are among the major competencies considered important to develop in children, in order to provide them with a sense of identity, belonging, as well as an appreciation of other cultures and identities. It is through the development of a strong sense and knowledge of their own cultural history, arts, languages, and traditions that children can build a positive cultural identity and self-esteem. Thus, cultural awareness and expression are important contributors both to individual as well as societal well-being.

The arts form a major medium for imparting culture. The arts - besides strengthening cultural identity, awareness, and uplifting societies - are well known to enhance cognitive and creative abilities in individuals and increase individual happiness. The happiness/well-being, cognitive development, and cultural identity of individuals are important reasons that Indian arts of all kinds must be offered to students at all levels of education, starting with early childhood care and education.

Language, of course, is inextricably linked to art and culture. Different languages 'see' the world differently, and the structure of a language, therefore, determines a native speaker's perception of experience. In particular, languages influence the way people of a given culture speak with others, including with family members, authority figures, peers, and strangers, and influence the tone of conversation. The tone, perception of experience, and familiarity/'*apnapan*' inherent in conversations among speakers of a common language are a reflection and record of a culture. Culture is, thus, encased in our languages. Art, in the form of literature, plays, music, film, etc. cannot be fully appreciated without language. In order to preserve and promote culture, one must preserve and promote a culture's languages.

Unfortunately, Indian languages have not received their due attention and care, with the country losing over 220 languages in the last 50 years alone. UNESCO has declared 197 Indian languages as 'endangered'. Various unscripted languages are particularly in danger of becoming extinct. When senior member(s) of a tribe or community that speak such languages pass away, these languages often perish with them; too often, no concerted actions or measures are taken to preserve or record these rich languages/expressions of culture.

Moreover, even those languages of India that are not officially on such endangered lists, such as the 22 languages of Eighth Schedule of the Constitution of India, are facing serious difficulties on many fronts. Teaching and learning of Indian languages need to be integrated with school and higher education at every level. For languages to remain relevant and vibrant, there must be a steady stream of high-quality learning and print materials in these languages including textbooks, workbooks, videos, plays, poems, novels, magazines, etc. Languages must also have consistent official updates to their vocabularies and dictionaries, widely disseminated, so that the most current issues and concepts can be effectively discussed in these languages. Enabling such learning materials, print materials, and

translations of important materials from world languages, and constantly updating vocabularies, are carried out by countries around the world for languages such as English, French, German, Hebrew, Korean, and Japanese. However, India has remained quite slow in producing such learning and print materials and dictionaries to help keep its languages optimally vibrant and current with integrity.

Additionally, there has been a severe scarcity of skilled language teachers in India, despite various measures being taken. Language-teaching too must be improved to be more experiential and to focus on the ability to converse and interact in the language and not just on the literature, vocabulary, and grammar of the language. Languages must be used more extensively for conversation and for teaching-learning.

A number of initiatives to foster languages, arts, and culture in school children have been discussed in Chapter 4, which include a greater emphasis on music, arts, and crafts throughout all levels of school; early implementation of the three-language formula to promote multilingualism; teaching in the home/local language wherever possible; conducting more experiential language learning; the hiring of outstanding local artists, writers, craftspersons, and other experts as master instructors in various subjects of local expertise; accurate inclusion of traditional Indian knowledge including tribal and other local knowledge throughout into the curriculum, across humanities, sciences, arts, crafts, and sports, whenever relevant; and a much greater flexibility in the curriculum, especially in secondary schools and in higher education, so that students can choose the ideal balance among courses for themselves to develop their own creative, artistic, cultural, and academic paths.

To enable the key latter initiatives, a number of further actions will be taken in tandem at the higher education level and beyond. First, to develop and teach many of the courses of the type mentioned above, an excellent team of teachers and faculty will have to be developed. Strong departments and programmes in Indian languages, comparative literature, creative writing, arts, music, philosophy, etc. will be launched and developed across the country, and degrees including 4- year B.Ed. dual degrees will be developed in these subjects. These departments and programmes will, in particular help to develop a large cadre of high-quality language teachers - as well as teachers of art, music, philosophy and writing - who will be needed around the country to carry out this Policy. The NRF will fund quality research in all these areas. Outstanding local artists and craftspersons will be hired as guest faculty to promote local music, art, languages, and handicraft, and to ensure that students are aware of the culture and local knowledge where they study. Every higher education institution and even every school or school complex will aim to have Artist(s)-in-Residence to expose students to art, creativity, and the rich treasures of the region/country.

More HEIs, and more programmes in higher education, will use the mother tongue/local language as a medium of instruction, and/or offer programmes bilingually, in order to increase access and GER and also to promote the strength, usage, and vibrancy of all Indian languages. Private HEIs too will be encouraged and incentivized to use Indian languages as medium of instruction and/or offer bilingual programmes. Four-year B.Ed. dual degree programmes offered bilingually will also help, e.g. in training cadres of science and mathematics teachers to teach science bilingually at schools across the country.

High-quality programmes and degrees in Translation and Interpretation, Art and Museum Administration, Archaeology, Artefact Conservation, Graphic Design, and Web Design within the higher education system will also be created. In order to preserve and promote its art and culture, develop high-quality materials in various Indian languages, conserve artefacts, develop highly qualified individuals to curate and run museums and heritage or tourist sites, thereby also vastly strengthening the tourism industry.

The Policy recognizes that the knowledge of the rich diversity of India should be imbibed first hand by learners. This would mean including simple activities, like touring by students to different parts of the country, which will not only give a boost to tourism but will also lead to an understanding and appreciation of diversity, culture, traditions and knowledge of different parts of India. Towards this direction under '*Ek Bharat Shrestha Bharat*', 100 tourist destinations in the country will be identified where educational institutions will send students to study these destinations and their

history, scientific contributions, traditions, indigenous literature and knowledge, etc., as a part of augmenting their knowledge about these areas.

Creating such programmes and degrees in higher education, across the arts, languages, and humanities, will also come with expanded high-quality opportunities for employment that can make effective use of these qualifications. There are already hundreds of Academies, museums, art galleries, and heritage sites in dire need of qualified individuals for their effective functioning. As positions are filled with suitably qualified candidates, and further artefacts are procured and conserved, additional museums, including virtual museums/e-museums, galleries, and heritage sites may contribute to the conservation of our heritage as well as to India's tourism industry.

India will also urgently expand its translation and interpretation efforts in order to make high-quality learning materials and other important written and spoken material available to the public in various Indian and foreign languages. For this, an Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI) will be established. Such an institute would provide a truly important service for the country, as well as employ numerous multilingual language and subject experts, and experts in translation and interpretation, which will help to promote all Indian languages. The IITI shall also make extensive use of technology to aid in its translation and interpretation efforts. The IITI could naturally grow with time, and be housed in multiple locations including in HEIs to facilitate collaborations with other research departments as demand and the number of qualified candidates grows.

Due to its vast and significant contributions and literature across genres and subjects, its cultural significance, and its scientific nature, rather than being restricted to single-stream Sanskrit Pathshalas and Universities, Sanskrit will be mainstreamed with strong offerings in school - including as one of the language options in the three-language formula - as well as in higher education. It will be taught not in isolation, but in interesting and innovative ways, and connected to other contemporary and relevant subjects such as mathematics, astronomy, philosophy, linguistics, dramatics, yoga, etc. Thus, in consonance with the rest of this policy, Sanskrit Universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions of higher learning. Departments of Sanskrit that conduct teaching and outstanding interdisciplinary research on Sanskrit and Sanskrit Knowledge Systems will be established/strengthened across the new multidisciplinary higher education system. Sanskrit will become a natural part of a holistic multidisciplinary higher education if a student so chooses. Sanskrit teachers in large numbers will be professionalized across the country in mission mode through the offering of 4-year integrated multidisciplinary B.Ed. dual degrees in education and Sanskrit.

India will similarly expand its institutes and universities studying all classical languages and literature, with strong efforts to collect, preserve, translate, and study the tens of thousands of manuscripts that have not yet received their due attention. Sanskrit and all Indian language institutes and departments across the country will be significantly strengthened, with adequate training given to large new batches of students to study, in particular, the large numbers of manuscripts and their interrelations with other subjects. Classical language institutes will aim to be merged with universities, while maintaining their autonomy, so that faculty may work, and students too may be trained as part of robust and rigorous multidisciplinary programmes. Universities dedicated to languages will become multidisciplinary, towards the same end; where relevant, they may then also offer B.Ed. dual degrees in education and a language, to develop outstanding language teachers in that language. Further, it is also proposed that a new institution for Languages will be established. National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit will also be set up within a university campus. Similar initiatives will be carried out for institutes and universities studying Indian arts, art history, and Indology. Research for outstanding work in all these areas will be supported by the NRF.

Efforts to preserve and promote all Indian languages including classical, tribal and endangered languages will be taken on with new vigour. Technology and crowdsourcing, with extensive participation of the people, will play a crucial role in these efforts.

For each of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India, Academies will be established consisting of some of the greatest scholars and native speakers to

determine simple yet accurate vocabulary for the latest concepts, and to release the latest dictionaries on a regular basis (analogous to the successful efforts for many other languages around the world). The Academies would also consult with each other, and in some cases take the best suggestions from the public, in order to construct these dictionaries attempting to adopt common words whenever possible. These dictionaries would be widely disseminated, for use in education, journalism, writing, speechmaking, and beyond, and would be available on the web as well as in book form. These Academies for Eighth Schedule languages will be established by the Central Government in consultation or collaboration with State Governments. Academies for other highly spoken Indian languages may also be similarly established by the Centre and/or States.

All languages in India, and their associated arts and culture will be documented through a web-based platform/portal/wiki, in order to preserve endangered and all Indian languages and their associated rich local arts and culture. The platform will contain videos, dictionaries, recordings, and more, of people (especially elders) speaking the language, telling stories, reciting poetry, and performing plays, folk songs and dances, and more. People from across the country will be invited to contribute to these efforts by adding relevant material onto these platforms/portals/wikis. Universities and their research teams will work with each other and with communities across the country towards enriching such platforms. These preservation efforts, and the associated research projects, e.g., in history, archaeology, linguistics, etc., will be funded by the NRF.

Scholarships for people of all ages to study Indian Languages, Arts, and Culture with local masters and/or within the higher education system will be established. The promotion of Indian languages is possible only if they are used regularly and if they are used for teaching and learning. Incentives, such as prizes for outstanding poetry and prose in Indian languages across categories, will be established to ensure vibrant poetry, novels, nonfiction books, textbooks, journalism, and other works in all Indian languages. Proficiency in Indian languages will be included as part of qualification parameters for employment opportunities.

23. Technology Use and Integration

India is a global leader in information and communication technology and in other cutting-edge domains, such as space. The Digital India Campaign is helping to transform the entire nation into a digitally empowered society and knowledge economy. While education will play a critical role in this transformation, technology itself will play an important role in the improvement of educational processes and outcomes; thus, the relationship between technology and education at all levels is bi-directional.

Given the explosive pace of technological development allied with the sheer creativity of tech-savvy teachers and entrepreneurs including student entrepreneurs, it is certain that technology will impact education in multiple ways, only some of which can be foreseen at the present time. New technologies involving artificial intelligence, machine learning, block chains, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational software and hardware will not just change what students learn in the classroom but how they learn, and thus these areas and beyond will require extensive research both on the technological as well as educational fronts.

Use and integration of technology to improve multiple aspects of education will be supported and adopted, provided these interventions are rigorously and transparently evaluated in relevant contexts before they are scaled up. An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, and so on, both for school and higher education. The aim of the NETF will be to facilitate decision making on the induction, deployment, and use of technology, by providing to the leadership of education institutions, State and Central governments, and other stakeholders, the latest knowledge and research as well as the opportunity to consult and share best practices. The NETF will have the following functions:

- a) provide independent evidence-based advice to Central and State Government agencies on technology-based interventions;
- b) build intellectual and institutional capacities in educational technology;
- c) envision strategic thrust areas in this domain; and
- d) articulate new directions for research and innovation.

To remain relevant in the fast-changing field of educational technology, the NETF will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources including educational technology innovators and practitioners and will engage with a diverse set of researchers to analyze the data. To support the development of a vibrant body of knowledge and practice, the NETF will organize multiple regional and national conferences, workshops, etc. to solicit inputs from national and international educational technology researchers, entrepreneurs, and practitioners.

The thrust of technological interventions will be for the purposes of improving teaching- learning and evaluation processes, supporting teacher preparation and professional development, enhancing educational access, and streamlining educational planning, management, and administration including processes related to admissions, attendance, assessments, etc.

A rich variety of educational software, for all the above purposes, will be developed and made available for students and teachers at all levels. All such software will be available in all major Indian languages and will be accessible to a wide range of users including students in remote areas and *Divyang* students. Teaching-learning e-content will continue to be developed by all States in all regional languages, as well as by the NCERT, CIET, CBSE, NIOS, and other bodies/institutions, and will be uploaded onto the DIKSHA platform. This platform may also be utilized for Teacher's Professional Development through e-content. CIET will be strengthened to promote and expand DIKSHA as well as other education technology initiatives. Suitable equipment will be made available to teachers at schools so that teachers can suitably integrate e-contents into teaching-learning practices. Technology-based education platforms, such as DIKSHA/SWAYAM, will be better integrated across school and higher education, and will include ratings/reviews by users, so as to enable content developers create user friendly and qualitative content.

Particular attention will need to be paid to emerging disruptive technologies that will necessarily transform the education system. When the 1986/1992 National Policy on Education was formulated, it was difficult to predict the disruptive effect that the internet would have brought. Our present education system's inability to cope with these rapid and disruptive changes places us individually and nationally at a perilous disadvantage in an increasingly competitive world. For example, while computers have largely surpassed humans in leveraging factual and procedural knowledge, our education at all levels excessively burdens students with such knowledge at the expense of developing their higher-order competencies.

This policy has been formulated at a time when an unquestionably disruptive technology - Artificial Intelligence (AI) 3D/7D Virtual Reality - has emerged. As the cost of AI-based prediction falls, AI will be able to match or outperform and, therefore, be a valuable aid to even skilled professionals such as doctors in certain predictive tasks. AI's disruptive potential in the workplace is clear, and the education system must be poised to respond quickly. One of the permanent tasks of the NETF will be to categorize emergent technologies based on their potential and estimated timeframe for disruption, and to periodically present this analysis to MHRD. Based on these inputs, MHRD will formally identify those technologies whose emergence demands responses from the education system.

In response to MHRD's formal recognition of a new disruptive technology, the National Research Foundation will initiate or expand research efforts in the technology. In the context of AI, NRF may consider a three-pronged approach: (a) advancing core AI research, (b) developing and deploying application-based research, and (c) advancing international research efforts to address global challenges in areas such as healthcare, agriculture, and climate change using AI.

HEIs will play an active role not only in conducting research on disruptive technologies but also in creating initial versions of instructional materials and courses including online courses in cutting-edge domains and assessing their impact on specific areas such as professional education. Once the technology has attained a level of maturity, HEIs with thousands of students will be ideally placed to scale these teaching and skilling efforts, which will include targeted training for job readiness. Disruptive technologies will make certain jobs redundant, and hence approaches to skilling and deskilling that are both efficient and ensure quality will be of increasing importance to create and sustain employment. Institutions will have autonomy to approve institutional and non-institutional partners to deliver such training, which will be integrated with skills and higher education frameworks.

Universities will aim to offer Ph.D. and Masters programmes in core areas such as Machine Learning as well as multidisciplinary fields “AI + X” and professional areas like health care, agriculture, and law. They may also develop and disseminate courses in these areas via platforms, such as SWAYAM. For rapid adoption, HEIs may blend these online courses with traditional teaching in undergraduate and vocational programmes. HEIs may also offer targeted training in low- expertise tasks for supporting the AI value chain such as data annotation, image classification, and speech transcription. Efforts to teach languages to school students will be dovetailed with efforts to enhance Natural Language Processing for India’s diverse languages.

As disruptive technologies emerge, schooling and continuing education will assist in raising the general populace’s awareness of their potential disruptive effects and will also address related issues. This awareness is necessary to have informed public consent on matters related to these technologies. In school, the study of current affairs and ethical issues will include a discussion on disruptive technologies such as those identified by NETF/MHRD. Appropriate instructional and discussion materials will also be prepared for continuing education.

Data is a key fuel for AI-based technologies, and it is critical to raise awareness on issues of privacy, laws, and standards associated with data handling and data protection, etc. It is also necessary to highlight ethical issues surrounding the development and deployment of AI-based technologies. Education will play a key role in these awareness raising efforts. Other disruptive technologies that are expected to change the way we live, and, therefore, change the way we educate students, include those relating to clean and renewable energy, water conservation, sustainable farming, environmental preservation, and other green initiatives; these will also receive prioritized attention in education.

24. Online and Digital Education: Ensuring Equitable Use of Technology

New circumstances and realities require new initiatives. The recent rise in epidemics and pandemics necessitates that we are ready with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible. In this regard, the National Education Policy 2020 recognizes the importance of leveraging the advantages of technology while acknowledging its potential risks and dangers. It calls for carefully designed and appropriately scaled pilot studies to determine how the benefits of online/digital education can be reaped while addressing or mitigating the downsides. In the meantime, the existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be optimized and expanded to meet the current and future challenges in providing quality education for all.

However, the benefits of online/digital education cannot be leveraged unless the digital divide is eliminated through concerted efforts, such as the Digital India campaign and the availability of affordable computing devices. It is important that the use of technology for online and digital education adequately addresses concerns of equity.

Teachers require suitable training and development to be effective online educators. It cannot be assumed that a good teacher in a traditional classroom will automatically be a good teacher in an online classroom. Aside from changes required in pedagogy, online assessments also require a

different approach. There are numerous challenges to conducting online examinations at scale, including limitations on the types of questions that can be asked in an online environment, handling network and power disruptions, and preventing unethical practices. Certain types of courses/subjects, such as performing arts and science practical have limitations in the online/digital education space, which can be overcome to a partial extent with innovative measures. Further, unless online education is blended with experiential and activity-based learning, it will tend to become a screen-based education with limited focus on the social, affective and psychomotor dimensions of learning.

Given the emergence of digital technologies and the emerging importance of leveraging technology for teaching-learning at all levels from school to higher education, this Policy recommends the following key initiatives:

- (a) **Pilot studies for online education:** Appropriate agencies, such as the NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs, etc. will be identified to conduct a series of pilot studies, in parallel, to evaluate the benefits of integrating education with online education while mitigating the downsides and also to study related areas, such as, student device addiction, most preferred formats of e-content, etc. The results of these pilot studies will be publicly communicated and used for continuous improvement.
- (b) **Digital infrastructure:** There is a need to invest in creation of open, interoperable, evolvable, public digital infrastructure in the education sector that can be used by multiple platforms and point solutions, to solve for India's scale, diversity, complexity and device penetration. This will ensure that the technology-based solutions do not become outdated with the rapid advances in technology.
- (c) **Online teaching platform and tools:** Appropriate existing e-learning platforms such as SWAYAM, DIKSHA, will be extended to provide teachers with a structured, user-friendly, rich set of assistive tools for monitoring progress of learners. Tools, such as, two-way video and two-way-audio interface for holding online classes are a real necessity as the present pandemic has shown.
- (d) **Content creation, digital repository, and dissemination:** A digital repository of content including creation of coursework, Learning Games & Simulations, Augmented Reality and Virtual Reality will be developed, with a clear public system for ratings by users on effectiveness and quality. For fun based learning student-appropriate tools like apps, gamification of Indian art and culture, in multiple languages, with clear operating instructions, will also be created. A reliable backup mechanism for disseminating e-content to students will be provided.
- (e) **Addressing the digital divide:** Given the fact that there still persists a substantial section of the population whose digital access is highly limited, the existing mass media, such as television, radio, and community radio will be extensively used for telecast and broadcasts. Such educational programmes will be made available 24/7 in different languages to cater to the varying needs of the student population. A special focus on content in all Indian languages will be emphasized and required; digital content will need to reach the teachers and students in their medium of instruction as far as possible.
- (f) **Virtual Labs:** Existing e-learning platforms such as DIKSHA, SWAYAM and SWAYAMPRAKASH will also be leveraged for creating virtual labs so that all students have equal access to quality practical and hands-on experiment-based learning experiences. The possibility of providing adequate access to SEDG students and teachers through suitable digital devices, such as tablets with pre-loaded content, will be considered and developed.
- (g) **Training and incentives for teachers:** Teachers will undergo rigorous training in learner-centric pedagogy and on how to become high-quality online content creators themselves using online teaching platforms and tools. There will be emphasis on the teacher's role in facilitating active student engagement with the content and with each other.

- (h) **Online assessment and examinations:** Appropriate bodies, such as the proposed National Assessment Centre or PARAKH, School Boards, NTA, and other identified bodies will design and implement assessment frameworks encompassing design of competencies, portfolio, rubrics, standardized assessments, and assessment analytics. Studies will be undertaken to pilot new ways of assessment using education technologies focusing on 21st century skills.
- (i) **Blended models of learning:** While promoting digital learning and education, the importance of face-to-face in-person learning is fully recognized. Accordingly, different effective models of blended learning will be identified for appropriate replication for different subjects.
- (j) **Laying down standards:** As research on online/digital education emerges, NETF and other appropriate bodies shall set up standards of content, technology, and pedagogy for online/digital teaching-learning. These standards will help to formulate guidelines for e-learning by States, Boards, schools and school complexes, HEIs, etc.

24.5 Creating a Dedicated Unit for Building of World Class, Digital Infrastructure, Educational Digital Content and Capacity

Technology in education is a journey and not a destination and capacity will be needed to orchestrate the various ecosystem players to implement policy objectives. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the Ministry to look after the e-education needs of both school and higher education. Since technology is rapidly evolving, and needs specialists to deliver high quality e-learning, a vibrant ecosystem has to be encouraged to create solutions that not only solve India's challenges of scale, diversity, equity, but also evolve in keeping with the rapid changes in technology, whose half-life reduces with each passing year. This centre will, therefore, consist of experts drawn from the field of administration, education, educational technology, digital pedagogy and assessment, e-governance, etc.

Part IV. MAKING IT HAPPEN

25. Strengthening the Central Advisory Board of Education

Achieving successful implementation of this policy demands a long-term vision, availability of expertise on a sustained basis, and concerted action from all concerned encompassing National, State, institutional, and individual levels. In this context, the Policy recommends strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education (CABE) which will have a much greater mandate and not only a forum for widespread consultation and examination of issues relating to educational and cultural development. The remodeled and rejuvenated CABE shall also be responsible for developing, articulating, evaluating, and revising the vision of education in the country on a continuous basis, in close collaboration with MHRD and the corresponding apex bodies of States. It shall also create and continuously review the institutional frameworks that shall help attain this vision.

To bring the focus back on education and learning, it is desirable that the Ministry of Human Resource Development (MHRD) be re-designated as the Ministry of Education (MoE).

26. Financing: Affordable and Quality Education for All

The Policy commits to significantly raising educational investment, as there is no better investment towards a society's future than the high-quality education of our young people. Unfortunately, public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986, and which was further reaffirmed in the 1992 review of the Policy. The current public (Government - Centre and States) expenditure on education in India has been around 4.43% of GDP (Analysis of Budgeted

Expenditure 2017-18) and only around 10% of the total Government spending towards education (Economic Survey 2017-18). These numbers are far smaller than most developed and developing countries.

In order to attain the goal of education with excellence and the corresponding multitude of benefits to this Nation and its economy, this Policy unequivocally endorses and envisions a substantial increase in public investment in education by both the Central government and all State Governments. The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest. This is considered extremely critical for achieving the high-quality and equitable public education system that is truly needed for India's future economic, social, cultural, intellectual, and technological progress and growth.

In particular, financial support will be provided to various critical elements and components of education, such as ensuring universal access, learning resources, nutritional support, matters of student safety and well-being, adequate numbers of teachers and staff, teacher development, and support for all key initiatives towards equitable high-quality education for underprivileged and socio-economically disadvantaged groups.

In addition to one-time expenditures, primarily related to infrastructure and resources, this Policy identifies the following key long-term thrust areas for financing to cultivate an education system: (a) universal provisioning of quality early childhood care education; (b) ensuring foundational literacy and numeracy; (c) providing adequate and appropriate resourcing of school complexes/clusters; (d) providing food and nutrition (breakfast and midday meals); (e) investing in teacher education and continuing professional development of teachers; (f) revamping colleges and universities to foster excellence; (g) cultivating research; and (h) extensive use of technology and online education.

Even the low level of funding on education in India, is frequently not spent in a timely manner at the District/institution level, hampering the achievement of the intended targets of those funds. Hence, the need is to increase efficiency in use of available budget by suitable policy changes. Financial governance and management will focus on the smooth, timely, and appropriate flow of funds, and their usage with probity; administrative processes will be suitably amended and streamlined so that the disbursement mechanism may not lead to a high volume of unspent balances. The provisions of GFR, PFMS and 'Just in Time' release to implementing agencies will be followed for efficient use of government resources and avoiding parking of funds. Mechanism of performance-based funding to States / HEIs may be devised. Similarly, efficient mechanism will be ensured for the optimal allocation and utilization of funds earmarked for SEDGs. The new suggested regulatory regime, with clear separations of roles and transparent self-disclosures, empowerment and autonomy to institutions, and the appointment of outstanding and qualified experts to leadership positions will help to enable a far smoother, quicker, and more transparent flow of funds.

The Policy also calls for the rejuvenation, active promotion, and support for private philanthropic activity in the education sector. In particular, over and above the public budgetary support which would have been otherwise provided to them, any public institution can take initiatives towards raising private philanthropic funds to enhance educational experiences.

The matter of commercialization of education has been dealt with by the Policy through multiple relevant fronts, including: the 'light but tight' regulatory approach that mandates full public self-disclosure of finances, procedures, course and programme offerings, and educational outcomes; the substantial investment in public education; and mechanisms for good governance of all institutions, public and private. Similarly, opportunities for higher cost recovery without affecting the needy or deserving sections will also be explored.

27. Implementation

Any policy's effectiveness depends on its implementation. Such implementation will require multiple initiatives and actions, which will have to be taken by multiple bodies in a synchronized and

systematic manner. Therefore, the implementation of this Policy will be led by various bodies including MHRD, CAGE, Union and State Governments, education-related Ministries, State Departments of Education, Boards, NTA, the regulatory bodies of school and higher education, NCERT, SCERTs, schools, and HEIs along with timelines and a plan for review, in order to ensure that the policy is implemented in its spirit and intent, through coherence in planning and synergy across all these bodies involved in education.

Implementation will be guided by the following principles. First, implementation of the spirit and intent of the Policy will be the most critical matter. Second, it is important to implement the policy initiatives in a phased manner, as each policy point has several steps, each of which requires the previous step to be implemented successfully. Third, prioritization will be important in ensuring optimal sequencing of policy points, and that the most critical and urgent actions are taken up first, thereby enabling a strong base. Fourth, comprehensiveness in implementation will be key; as this Policy is interconnected and holistic, only a full-fledged implementation, and not a piecemeal one, will ensure that the desired objectives are achieved. Fifth, since education is a concurrent subject, it will need careful planning, joint monitoring, and collaborative implementation between the Centre and States. Sixth, timely infusion of requisite resources - human, infrastructural, and financial - at the Central and State levels will be crucial for the satisfactory execution of the Policy. Finally, careful analysis and review of the linkages between multiple parallel implementation steps will be necessary in order to ensure effective dovetailing of all initiatives. This will also include early investment in some of the specific actions (such as the setting up of early childhood care and education infrastructure) that will be imperative to ensuring a strong base and a smooth progression for all subsequent programmes and actions.

Subject-wise implementation committees of experts in cooperation and consultation with other relevant Ministries will be set up at both the Central and State levels to develop detailed implementation plans for each aspect of this Policy in accordance with the above principles to achieve the goals of the Policy in a clear and phased manner. Yearly joint reviews of the progress of implementation of the policy, in accordance with the targets set for each action, will be conducted by designated teams constituted by MHRD and the States, and reviews will be shared with CAGE. In the decade of 2030-40, the entire policy will be in an operational mode, following which another comprehensive review will be undertaken.

Abbreviations

ABC	Academic Bank of Credit
AI	Artificial Intelligence
AC	Autonomous degree-granting College
AEC	Adult Education Centre
API	Application Programming Interface
AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
B.Ed.	Bachelor of Education
BEO	Block Education Officer
BITE	Block Institute of Teacher Education
BoA	Board of Assessment
BoG	Board of Governors
BRC	Block Resource Centre
B.Voc	Bachelor of Vocational Education
CABE	Central Advisory Board of Education
CBCS	Choice Based Credit System
CBSE	Central Board of Secondary Education
CIET	Central Institute of Educational Technology
CMP	Career Management and Progression
CoA	Council of Architecture
CPD	Continuous Professional Development
CRC	Cluster Resource Centre
CWSN	Children With Special Needs
DAE	Department of Atomic Energy
DBT	Department of Biotechnology
DEO	District Education Officer
DIET	District Institute of Education and Training
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
DSE	Directorate of School Education
DST	Department of Science and Technology
ECCE	Early Childhood Care and Education
EEC	Eminent Expert Committee
GCED	Global Citizenship Education
GDP	Gross Domestic Product
GEC	General Education Council
GER	Gross Enrolment Ratio
GFR	General Financial Rule
HECI	Higher Education Commission of India
HEGC	Higher Education Grants Council
HEI	Higher Education Institutions
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
ICHR	Indian Council of Historical Research
ICMR	Indian Council of Medical Research
ICT	Information and Communication Technology
IDP	Institutional Development Plan
IGNOU	Indira Gandhi National Open University
IIM	Indian Institute of Management
IIT	Indian Institute of Technology
IITI	Indian Institute of Translation and Interpretation
ISL	Indian Sign Language
ITI	Industrial Training Institute
M.Ed.	Master of Education
MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
MERU	Multidisciplinary Education and Research Universities
MHFW	Ministry of Health and Family Welfare

MHRD	Ministry of Human Resource Development
MoE	Ministry of Education
MOOC	Massive Open Online Course
MOU	Memorandum of Understanding
M. Phil	Master of Philosophy
MWCD	Ministry of Women and Child Development
NAC	National Accreditation Council
NAS	National Achievement Survey
NCC	National Cadet Corps
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NCF	National Curriculum Framework
NCFSE	National Curriculum Framework for School Education
NCFTE	National Curriculum Framework for Teacher Education
NCIVE	National Committee for the Integration of Vocational Education
NCPFECCE	National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education
NCTE	National Council for Teacher Education
NCVET	National Council for Vocational Education and Training
NETF	National Educational Technology Forum
NGO	Non-Governmental Organization
NHEQF	National Higher Education Qualifications Framework
NHERC	National Higher Education Regulatory Council
NIOS	National Institute of Open Schooling
NIT	National Institute of Technology
NITI	National Institution for Transforming India
NPE	National Policy on Education
NPST	National Professional Standards for Teachers
NRF	National Research Foundation
NSQF	National Skills Qualifications Framework
NSSO	National Sample Survey Office
NTA	National Testing Agency
OBC	Other Backward Classes
ODL	Open and Distance Learning
PARAKH	Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic development
PCI	Pharmacy Council of India
PFMS	Public Financial Management System
Ph.D	Doctor of Philosophy
PSSB	Professional Standard Setting Body
PTR	Pupil Teacher Ratio
R&I	Research and Innovation
RCI	Rehabilitation Council of India
RPWD	Rights of Persons with Disabilities
SAS	State Achievement Survey
SC	Scheduled Caste(s)
SCDP	School Complex/Cluster Development Plans
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SCF	State Curricular Framework
SCMC	School Complex Management Committee
SDG	Sustainable Development Goal
SDP	School Development Plan
SEDG	Socio-Economically Disadvantaged Group
SEZ	Special Education Zone
SIOS	State Institutes of Open Schooling
SMC	School Management Committee
SQAAF	School Quality Assessment and Accreditation Framework
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
SSS	Simple Standard Sanskrit

SSSA	State School Standards Authority
ST	Scheduled Tribe(s)
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
STS	Sanskrit Through Sanskrit
SWAYAM	Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
TEI	Teacher Education Institution
TET	Teacher Eligibility Test
U-DISE	Unified District Information System for Education
UGC	University Grants Commission
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UT	Union Territory
VCI	Veterinary Council of India



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

रोज़गार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे, जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत *सीखते रहने की कला* भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे

समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और, अवश्य ही, रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इकटि और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए।

2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। *ज्ञान, प्रज्ञा* और *सत्य* की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किये थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य,

ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में किये जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर, हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नयी शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान-मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होंगी।

नयी शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए, परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें।

इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अतिआवश्यक है।

पिछली नीतियाँ

शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 (एनपीई 1986/92) में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया।

इस नीति के आधार सिद्धांत

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है - जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जोकि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित - समावेशी, और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे।

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि, साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है।

मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे, ये हैं:

- ❖ **हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना** - शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें।
- ❖ **बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना** - जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्याज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें।
- ❖ **लचीलापन**, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर-तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें;
- ❖ कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच **कोई स्पष्ट अलगाव न हों**, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके;

- ❖ सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (multi-disciplinary) और समग्र शिक्षा का विकास
- ❖ अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई;
- ❖ रचनात्मकता और तार्किक सोच तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए;
- ❖ नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय;
- ❖ बहु-भाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन
- ❖ जीवन कौशल जैसे, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य, और लचीलापन;
- ❖ सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो जिससे कि आज की 'कोचिंग संस्कृति' को ही बढ़ावा मिलता है;
- ❖ तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर – अध्ययन-अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में;
- ❖ सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण-शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है;
- ❖ सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुँच और सामर्थ्य के दायरे में रखना – यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें;
- ❖ स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यवस्था देख-भाल तथा शिक्षा से;
- ❖ शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना - उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास, और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति;
- ❖ शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक 'हल्का, लेकिन प्रभावी' नियामक ढांचा – साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन, और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना;
- ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध;
- ❖ शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा;
- ❖ भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना;


- ❖ शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए;
- ❖ एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश - साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा।

इस नीति का विज़न

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विज़न भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विज़न छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

भाग I. स्कूल शिक्षा

यह नीति वर्तमान की 10 + 2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5 + 3 + 3 + 4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि यहाँ दी गयी आकृति में दिया गया है और अध्याय 4 में भी इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है।



वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10 + 2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : सीखने की नींव

1.1 बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईसीसीई में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ईसीसीई संभवतया, समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द, निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व, उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।

1.2 ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु-स्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, और खोज-आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईसीसीई का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

1.3 एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीसीई) विकसित किया जाएगा, अर्थात् 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3-8 साल के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, ईसीसीई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा। विशेष रूप से, उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वे स्थानीय परंपराओं में विकसित हुईं

हैं, जिनमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत, और बहुत कुछ शामिल हैं, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता-पिता दोनों के साथ-साथ आंगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

1.4 भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना वृहद लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्र तक पहुंचाना होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसमें (क) पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ख) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों, जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे, और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से (घ) अकेले चल रहे प्री-स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों/ शिक्षकों को भर्ती करेंगे।

1.5 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतरगुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे – और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसरों / समूहों, में पूरी तरह से एकीकृत किया जायेगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को स्कूल / स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर – भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

1.6 यह परिकल्पना की गई है की 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या "बालवाटिका" (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जायेगा जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक हैं तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के (मध्याह्न) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच-परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध हैं, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

1.7 ईसीसीई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/शिक्षण-शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 + 2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री / शिक्षक को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा; और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ईसीसीई के अन्य

प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल / दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ-साथ स्मार्ट फोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ईसीसीई योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / शिक्षकों के ईसीसीई प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में, राज्य सरकारों को चरण-विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिये आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

1.8 ईसीसीई को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ईसीसीई को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए विवरण के जैसी ही होगी।

1.9 ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण-विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू), और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा।

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान: सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त

2.1 सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन-भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्वशर्त भी है। हालांकि, विभिन्न सरकारी, साथ ही गैर-सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने - जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है- बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान भी नहीं सीखा है; अर्थात् ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है।

2.2 सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा जिसे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा (जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा-3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है)। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं (अर्थात्, मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित) को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। इसके लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान के लिए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें, 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरण-वार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी।

2.3 सर्वप्रथम, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा – विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में, जहाँ शिक्षक-बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम हो और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक – विद्यार्थियों का अनुपात (पीटीआर) 25:1 से कम हो। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.4 पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान, एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केन्द्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा।

2.5 वर्तमान समय में ईसीसीई की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा -1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले-आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल' बनाया जाएगा जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का

भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है।

2.6 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर उच्चतर-गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषायी बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं।

2.7 वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है, सभी के लिए साक्षरता और संख्या-ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक-दूसरे से सीखते-सिखाते हैं यह काफी प्रभावी होता है। इस प्रकार, प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पियर ट्यूटोरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वोलेंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जायगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए, तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन दिया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में, पियर ट्यूटोरिंग और वोलेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, साथ ही साथ शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं।

2.8 सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएँगी जिसके लिए आवश्यकतानुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी मदद से) भी करवाए जायेंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किये जायेंगे। गांवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा जो स्कूली समय के पश्चात् उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली/सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी।

2.9 जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा, पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी

विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है, इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है, यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प, जैसे गुड़ के साथ मूंगफली/गुड़ मिश्रित चना और/या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे।

3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना

3.1 स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छठी से आठवीं का जीईआर 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा, 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.3% और 56.5% है। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में एनएसएसओ के 75वें राउंड हाऊसहोल्ड सर्वे के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और भविष्य के छात्रों का ड्रॉपआउट दर भी कम करना होगा। पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा - व्यावसायिक शिक्षा सहित देश के सभी बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा।

3.2 कुल मिलाकर दो पहल की जाएंगी जिससे बच्चों का विद्यालय में वापसी और आगे के बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोका जा सके। पहला प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है ताकि सभी छात्रों को इसके माध्यम से प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तर पर नियमित प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने के अलावा विशेष देखभाल की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्कूल में अवस्थापना की कमी न हो। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जाएगी और ऐसा मौजूदा स्कूलों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ स्कूल नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता स्कूल बनाकर और छात्रावासों विशेषकर

बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है ताकि सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने और समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले। प्रवासी मज़दूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लाने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँगे।

3.3 दूसरा यह है कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थियों की ट्रेकिंग करनी होगी, साथ-साथ उनके सीखने के स्तर पर भी नज़र रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे (क) स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं (ख) ड्रॉपआउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी जिससे शिक्षक हमेशा छात्रों और उसके अभिभावक के साथ कार्य कर सकें। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं और सीख रहे हैं। राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से जुड़े सिविल सोसायटी संगठन/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से इस आवश्यक कार्य को करने में स्कूलों से जुड़े हो सकते हैं।

3.4 जब एक बार विद्यालय का अवसंरचनात्मक ढांचा और बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, तो कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि छात्र (विशेष रूप से लड़कियां और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता-पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएं। इसके लिए एक मजबूत चैनल और स्थानीय भाषा के ज्ञान के साथ उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएं जहाँ ड्रॉपआउट दरें विशेष रूप से अधिक हैं।

3.5 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना होगा ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। भारत के उन युवाओं के लिए जो किसी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग(ओडीएल) कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढीकरण किया जाएगा, ताकि ऐसे युवाओं की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एनआईओएस अपने वर्तमान कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी ऑफर करेगा : ए, बी और सी स्तरों की शिक्षा जो औपचारिक स्कूल प्रणाली के कक्षा 3, 5 और 8 के बराबर हैं; माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कक्षा 10 और 12 के बराबर हैं; व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम / कार्यक्रम; और वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम। एनआईओएस की तर्ज पर राज्य सरकारों को

प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एसआईओएस) को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम इन संस्थानों के जरिये चलाएं।

3.6. दोनों, सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं, के लिए विद्यालय के निर्माण को सरल करने के लिए; संस्कृति, भूगोल और सामाजिक-संरचना के आधार पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने, और शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए स्कूलों के निर्माण संबंधी नियमों को हल्का बनाया जाएगा। इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से संबंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केन्द्रित होगा। इनपुट्स संबंधित विनियम कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित होंगे जिनका अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है। स्कूलों के अन्य मॉडलों को भी पायलट किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक-फिलैंथ्रोपिक साझेदारियां शामिल हैं।

3.7 बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें शामिल हैं – स्कूलों में एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटोरिंग, साक्षरता शिक्षण और अन्य मदद हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना, शिक्षकों को शिक्षण में मार्गदर्शन और मदद उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ साक्षरता में सहयोग करना; आदि। इस दृष्टि से स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के स्वस्थ वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/ सरकारी / अर्ध सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र : अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए

5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्र को पुनर्गठित करना

4.1 स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज(दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल के 3 साल+प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6-8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) शामिल होगी।

4.2 फाउंडेशनल स्टेज में पांच वर्षीय लचीली, बहु-स्तरीय खेल / गतिविधि आधारित अध्ययन और जैसा पहले जिक्र किया गया कि ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र शामिल होंगे। इसमें अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक साफ़-सफाई/स्वच्छता, टीम वर्क और सहयोग इत्यादि पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रीप्रेटरी स्टेज तीन वर्ष की होगी जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल-खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण-शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के-फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जायेगा और इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिये अध्ययन-अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय-विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर सम्बन्ध देखने को प्रोत्साहित किया जायेगा। हाई स्कूल (या सेकेंडरी) स्टेज में चार साल के बहु-विषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय-उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से, यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसायिक या किसी विशेषज्ञताप्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।

4.3 उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक हैं, जिन्हें कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके; ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षाक्रमों और सीखने-सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा।

विद्यार्थियों का समग्र विकास

4.4 सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्रबिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं शताब्दी के मुख्य कौशल से सुसज्जित करना है। वास्तव में ज्ञान एक छुपा हुआ खज़ाना है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढाँचा और सम्पर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशल की

पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा।

अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को कम करना

4.5 पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र, खोज-आधारित, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित अधिगम पर ज़रूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय-वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या-समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा; सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा, और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियाँ होगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके।

प्रायोगिक अधिगम

4.6 सभी चरणों में, प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीजों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा, और कहानी-आधारित शिक्षण-शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण-शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान (लर्निंग आउटकम) और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे, जहाँ भी उचित होगा वहाँ इन्हें दक्षता-आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। आकलन के उपकरणों (जिसमें सीखने "के रूप में", "का" "के लिए" आकलन शामिल है) को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं और रुझानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा।

4.7 कला-समन्वय (आर्ट-इंटीग्रेशन) एक क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध-विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला-समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जायेगा जिससे न सिर्फ कक्षा ज्यादा आनंदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पायेगा। इस एप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

4.8 खेल-समन्वय एक और क्रॉस-करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व-अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता, आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों

को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ-साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएँ भी बढ़ती हैं।

कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना

4.9 विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे - इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे - ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशेषता होगी। 'पाठ्यक्रम', 'अतिरिक्त-पाठ्यक्रम' या 'सह-पाठ्यक्रम', 'कला', 'मानविकी' और 'विज्ञान', अथवा 'व्यावसायिक' या 'अकादमिक' धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प, और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को, यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

4.10 स्कूली शिक्षा के चार चरणों में से प्रत्येक, विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार, एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है, ताकि अधिक विषयों का एक्सपोज़र मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

4.11 यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर / स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृ-भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो

उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/मातृ-भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है।

4.12 जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ) एक्सपोज़र दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ - ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फॉर्मूले को अपनाने के लिए, और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्वि-पक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जायेगा।

4.13 संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालाँकि, तीन-भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों, और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम तीन में दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।

4.14 इस संबंध में, उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा/मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सकें।

4.15 जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और कविता दोनों) के विशाल भंडार हैं। इन भाषा में लिखी गयी फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भण्डार और इनके साहित्य के खज़ाने के बारे में जागरूक होना चाहिए।

4.16 इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' पर एक मजेदार प्रोजेक्ट / गतिविधि में भाग लेगा; उदाहरण के लिए, ग्रेड 6-8 में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल। इस प्रोजेक्ट / गतिविधि में, छात्र अधिकांशरूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूँढने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर-प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है। वे यह भी जानेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को समझेंगे, और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियाँ और प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में कुछ कहना सीखेंगे (आवश्यक अनुवाद के माध्यम से)। इस तरह की गतिविधि से उन्हें भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता दोनों का एहसास होगा और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने और घुलने-मिलने में सहज महसूस करेंगे। यह प्रोजेक्ट / गतिविधि एक रुचिकर और आनंददायी गतिविधि होगी और इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा।

4.17 भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संस्कृत, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी, इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें "संस्कृत ज्ञान प्रणालियों" के रूप में जाना जाता है), के विशाल खज़ाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ-साथ गैर-धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को, त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण, समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं, जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल है, और विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से। फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के

माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एसटीएस) और इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एसएसएस) में लिखा जा सकता है।

4.18 भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ओडिया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है; इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त, पालि, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। संस्कृत के अलावा, भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पालि, फारसी और प्राकृत शामिल हैं, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहें। सभी भारतीय भाषाओं, जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं, के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।

4.19 देश के बच्चों के संवर्धन के लिए, और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास, भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों, जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे, के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। मिडिल से सेकेंडरी स्तर तक और यहाँ तक कि इसके आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प उनके पास होगा।

4.20 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा, विदेशी भाषाएं, जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व-संस्कृतियों के बारे में जानें, और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें।

4.21 सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं - जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत - को जोड़ते हुए, और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित होगा।

4.22 भारतीय साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहाँ संभव और प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा।

अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण

4.23 हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी ज़रूरी है। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में शामिल हैं: वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच; रचनात्मकता और नवीनता; सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना; मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद; स्वास्थ्य और पोषण; शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल; सहयोग और टीम वर्क; समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन; व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल; डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिंतन; नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास; लिंग संवेदनशीलता; मौलिक कर्तव्य; नागरिकता कौशल और मूल्य; भारत का ज्ञान; पर्यावरण संबंधी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई शामिल हैं; और समसामयिक मामलों और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान।

4.24 प्रासंगिक चरणों में समसामयिक विषयों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी), आदि जैसे समसामयिक विषयों की शुरुआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे।

4.25 यह माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और डेटा साइंस शामिल हैं। इस प्रकार गणित और कम्प्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों, जिनमें पहलेलियाँ और गेम का नियमित उपयोग शामिल है जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियाँ शुरू की जाएँगी।

4.26 प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के

निर्माण, आदि का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6-8 के लिए एक अभ्यास-आधारित पाठ्यक्रम को एनसीएफएसई 2020-21 को तैयार करते हुए एनसीईआरटी द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक दस दिन के बस्ता-रहित पीरियड में भाग लेंगे जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों, जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक, छुट्टियों के दौरान भी, विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। वर्ष भर में ऐसे बस्ता-रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा। बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व के स्थानों/ स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव / तहसील / जिला/ राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोज़र दिया जाएगा।

4.27 "भारत का ज्ञान" में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी। इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो वहाँ वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा और गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ-साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण, आदि विषयों में शामिल किया जाएगा। जनजातीय एथनो-औषधीय प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। पूरे स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर वीडियो वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे। छात्रों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.28 विद्यार्थियों को कम उम्र में "सही को करने" के महत्व को सिखाया जाएगा, और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा। बाद के वर्षों में, इन मुद्दों को विभिन्न थीम जैसे धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाना, सहिष्णुता, समानता, समानुभूति इत्यादि की मदद से विस्तार दिया जाएगा, जिसमें बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक / नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए सक्षम बनाने; कई दृष्टिकोणों से एक नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क गढ़ने और निर्णय लेने; और सभी कार्यों में नैतिक आचरण को अपनाने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों (जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम-कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक-आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता,

बुजुर्गों के लिए सम्मान, सभी लोगों और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, मदद करना, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, समानुभूति, करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) को विद्यार्थियों में विकसित किया जा सकेगा। बच्चों को पंचतंत्र की मूल कहानियों, जातक, हितोपदेश, और अन्य मजेदार दंतकथाओं और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियों को पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा और वैश्विक साहित्य पर उनके प्रभावों के बारे में भी वे जानेंगे। भारतीय संविधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा। स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है के साथ ही साथ शराब, तम्बाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

4.29 फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक, पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ देने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जायेगा। इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएँ, विरासत, रीति-रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएँ, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्ष शामिल होंगे जिससे शिक्षा यथासंभव रूप से हमारे छात्रों के लिए अधिकतम भरोसेमंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। कहानियों, कला, खेलों, उदाहरणों और समस्याओं आदि का चयन जहाँ तक संभव हो भारतीय और स्थानीय भौगोलिक सन्दर्भों के आधार पर किया जायेगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मकता को निखरने का अवसर मिलेगा।

स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफएसई)

4.30 स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांतों, अग्रणी पाठ्यचर्या आवश्यकताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद एनसीएफएसई दस्तावेज की प्रत्येक 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा।

स्थानीय विषय-वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें

4.31 स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी, और बढ़े हुए लचीलेपन, और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर नए सिरे से जोर के साथ-साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव होने चाहिए। सभी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री (चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ) को शामिल करना होगा, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भों और

आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ संभव हो, शिक्षकों के पास भी तय पाठ्यपुस्तकों में अनेक विकल्प होंगे। उनके पास अब ऐसी पाठ्यपुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षित राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्री शामिल होगी। इसके चलते वे ऐसे तरीके से पढ़ा सकें जो उनकी अपनी शिक्षण-शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की एवं समुदायों की ज़रूरत के मुताबिक हो।

4.32 छात्रों को और शिक्षा व्यवस्था पर पाठ्यपुस्तक की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत - उत्पादन / मुद्रण की लागत- पर मुहैया करवाया जाएगा। यह उद्देश्य एससीईआरटी के संयोजन में एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है; अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक सामग्री को सार्वजनिक-परोपकारी भागीदारी और क्राउडसोर्सिंग द्वारा वित्तपोषित किया जा सकेगा जिसका इस्तेमाल विशेषज्ञों को ऐसी उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को लागत-मूल्य पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम (जो जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी द्वारा तैयार एनसीएफएसई पर आधारित हो सकते हैं) तैयार करेंगे और पाठ्यपुस्तकों (जो जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित हो सकते हैं) को तैयार करेंगे, जिसमें स्थानीय आस्वादों और सामग्री को ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जा सकेगा। ऐसा करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि सभी छात्रों को उच्चतर-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पर्यावरण को संरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोझ को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

4.33 पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाएंगे।

विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल-चूल परिवर्तन

4.34 हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक - जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जांचता है- से हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा - जो अधिक दक्षता-आधारित है, हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है, और उनकी उच्चतर-स्तरीय दक्षताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा - यह शिक्षक और विद्यार्थी और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा, सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास का अनुकूलन करने

के लिए, शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित करने में मदद करेगा। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा।

4.35 प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जायेगा। यह प्रगति कार्ड एक समग्र, 360-डिग्री, बहु-आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थी की विशिष्टताओं समेत दिया जायेगा। इसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज-आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा। यह समग्र प्रगति कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा और यह माता-पिता-शिक्षक बैठकों के साथ-साथ अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में माता-पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा। इस प्रगति कार्ड के द्वारा शिक्षकों और माता-पिता को बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी जिससे कक्षा में और कक्षा के बाहर विद्यार्थी को मदद उपलब्ध करायी जा सकेगी। छात्रों द्वारा एआई-आधारित सॉफ्टवेयर का विकास और उपयोग माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने के डेटा और इंटरैक्टिव प्रश्नावली के आधार पर उनके स्कूल के वर्षों के दौरान उनके विकास को ट्रैक करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है ताकि छात्रों को उनके सामर्थ्य, रुचि के क्षेत्रों, फोकस के आवश्यक क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जा सके जिससे उन्हें इष्टतम कैरियर विकल्प बनाने में मदद मिल सके।

4.36 बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति - और परिणामस्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति - विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान कर रही है। इनके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय सार्थक अधिगम की बजाए परीक्षाओं की तैयारी और अत्यधिक परीक्षा कोचिंग करने में खर्च कर रहे हैं। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों को चुनाव के विकल्पों में एक लचीलापन- जो कि भविष्य की व्यक्ति-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण होगा - देने के बजाय उन्हें किसी खास स्ट्रीम में बेहद संकुचित दायरे में ही तैयारी करने के लिए मजबूर करती हैं।

4.37 जबकि ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के इन हानिकारक प्रभावों को उलटने के लिए, बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा; छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर उन विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं जिनमें वे बोर्ड परीक्षा देते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को भी 'आसान' बनाया जाएगा, इस मायने में कि वे कोचिंग और रटने के बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं/योग्यताओं का ही आकलन करेगी। कोई भी छात्र जो स्कूल की कक्षा में जाता है और अपनी ओर से एक बुनियादी प्रयास करता है, वह आसानी से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के संबंधित विषय बोर्ड परीक्षा को पास कर सकेगा

और अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्चतर जोखिम' पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो एक सुधार के लिए।

4.38 अधिक लचीलेपन, विद्यार्थी के लिए चुनाव के विकल्प, और सर्वोत्तम-दो-प्रयास वाले आकलन जो मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं की ही जांच करते हैं- सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखे जाने चाहिए। इसी बीच बोर्ड अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अन्य समुचित मॉडल भी विकसित कर सकते हैं ताकि कोचिंग संस्कृति और परीक्षा दबावों को कम किया जा सके। ऐसी कुछ संभावनाओं में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं: वार्षिक / सेमेस्टर / मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जा सकती है - जिसमें काफी कम सामग्री से ही प्रत्येक टेस्ट लिया जाए, और स्कूल में संबंधित कोर्स के तुरंत बाद इसे लिया जाए ताकि माध्यमिक स्कूल स्तर में परीक्षा के दबाव बेहतर ढंग से वितरित हों, कम दबाव हो, और प्रत्येक परीक्षा पर बहुत कुछ दांव पर ना लगा हो, गणित से शुरू करके सभी विषय और संबंधित आकलन दो स्तरों पर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं- एक कक्षा के स्तर पर और कुछ उच्चतर स्तर पर; और कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को दो भागों में तैयार किया जा सकता है - एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।

4.39 उपरोक्त सभी के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों, जैसे एससीईआरटी, बोर्ड ऑफ़ असेसमेंट(बीओए), प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र(एनएसीएसई) आदि और शिक्षकों के साथ परामर्श के जरिये दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, ताकि 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक एनसीएफ 2020-21 के समनुरूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके।

4.40 सभी विद्यालयी वर्षों के दौरान, न कि केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में- प्रगति को ट्रैक करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाभ के लिए और स्कूलों और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्देश्य से - सभी विद्यार्थियों को, एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षाएँ रटकर याद करने की बजाए प्रासंगिक उच्चतर-क्रम के कौशलों और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय और स्थानीय पाठ्यक्रम से मूल अवधारणाओं और ज्ञान के मूल्यांकन के माध्यम से बुनियादी शिक्षण परिणामों की उपलब्धि का परीक्षण करेंगी। विशेष रूप से, ग्रेड 3 की परीक्षा बुनियादी साक्षरता, संख्या-ज्ञान और अन्य मूलभूत कौशलों का परीक्षण करेगी। स्कूल परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा- जिसमें स्कूलों द्वारा उनके समग्र छात्र परिणामों को (बिना विद्यार्थियों के नाम लिए) सार्वजनिक किया जाना, साथ ही स्कूली प्रणाली की सतत निगरानी और सुधार के लिए किया जाना शामिल है।

4.41 एमएचआरडी के तहत एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश बनाने जैसे कुछ मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा। साथ ही साथ यह, स्टेट अचीवमेंट सर्वे (एसएएस) का मार्गदर्शन और नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) का संचालन भी करेगा। इसके अलावा देश में सीखने के परिणामों की निगरानी करना, इस नीति के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप 21 वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों की मदद करना भी इसका उद्देश्य होगा। यह केंद्र नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोधों के बारे में स्कूल बोर्डों को भी सलाह देगा, स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। सभी स्कूल बोर्डों के बीच सर्वोत्तम प्रैक्टिस को साझा करने और शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल बोर्डों के लिए एक उपकरण बनेगा।

4.42 विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिद्धांत समान होंगे; राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर साल कम से कम दो बार विशिष्ट सामान्य विषय की परीक्षा लेने का काम करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जांच की जाएगी, और इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करने पर जोर रहेगा। विद्यार्थी उन विषयों का चुनाव कर पाएंगे जिनमें वे परीक्षा देने में रूचि रखते हैं, और प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो को देख पाएगा और विद्यार्थियों की रूचि और प्रतिभाओं के मुताबिक उन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रवेश दे पायेंगे। एनटीए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट में दाखिले और फैलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त टेस्टिंग संगठन के रूप में काम करेगा। एनटीए टेस्टिंग सेवाओं की उच्चतर गुणवत्ता, रेंज, और लचीलेपन से अधिकांश विश्वविद्यालय इन सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे- बजाय इसके कि सैकड़ों विश्वविद्यालय अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं तैयार करें- इसके चलते विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर बोझ को काफी कम किया जा सकेगा। यह निर्णय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाएगा की क्या वे अपने प्रवेश के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षाओं को अपनाएं या नहीं।

विशेष प्रतिभा वाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता

4.43 प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभाएँ होती हैं, जिन्हें खोजा जाना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। ये प्रतिभाएँ अलग-अलग रुचियों, प्रस्तावों और क्षमताओं के रूप में खुद को व्यक्त कर सकती हैं। जो छात्र किसी दिए गए दायरे में विशेष रूचि और क्षमताओं को दिखाते हैं, उन्हें उस दायरे को सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम से परे भी अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान और इन्हें बढ़ावा देने के तरीके शामिल होंगे। एनसीईआरटी और एनसीटीई, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशानिर्देश विकसित करेंगे। बी.एड. कार्यक्रमों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता अर्जित की जा सकेगी।

4.44 शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों को पूरक संवर्धन सामग्री और मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देकर कक्षा में उनके एकल हितों और/या प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होगा। विषय-केंद्रित और प्रोजेक्ट-आधारित क्लब और सर्कल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, जिलों और उससे आगे के स्तरों पर अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थित किये जाएंगे। साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक परफॉरमेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोएट्री सर्कल, लैंग्वेज सर्कल, ड्रामा सर्कल, डिबेट सर्कल, स्पोर्ट्स सर्कल, इको-क्लब, स्वास्थ्य और कल्याण क्लब / योग क्लब इत्यादि इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। इसी तर्ज पर, विभिन्न विषयों में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें पूरे देश से बहुत अच्छे छात्रों और शिक्षकों, जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी और शिक्षक भी शामिल हैं, को आकर्षित करने के लिए गहन मेरिट-आधारित लेकिन समान प्रवेश प्रक्रिया होगी।

4.45 देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा, जिनमें स्कूल से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी समन्वय के जरिये यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी छात्र सभी स्तरों पर जिनमें उन्होंने क्वालीफाई किया हो, उनमें भाग ले सकें। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं में ओलंपियाड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय, जिनमें आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं, को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के परिणामों और अन्य संगत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के परिणामों का उपयोग दाखिले संबंधी मानदंडों के भाग के रूप में उनके अवरस्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश देने में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.46 एक बार जब इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन या टैबलेट सभी घरों और / या स्कूलों में उपलब्ध होंगे, तो क्विज़, प्रतियोगिताओं, आकलन, संवर्धन सामग्री वाले ऑनलाइन ऐप और साझा हितों के लिए ऑनलाइन समुदाय विकसित किए जाएंगे, और सभी उपरोक्त चीजों को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे जैसे माता-पिता और शिक्षकों की उचित देखरेख में विद्यार्थियों के लिए समूह गतिविधियां। स्कूल चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कक्षाकक्ष विकसित करेंगे ताकि डिजिटल शिक्षणशास्त्र का उपयोग हो सके और उसके द्वारा ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सके।

5. शिक्षक

5.1 शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें, और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी

होनी चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

भर्ती और पदस्थापन

5.2 उत्कृष्ट विद्यार्थी ही- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से – शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4-वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्षीय बी. एड. डिग्री सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों (विशेषकर छात्राओं) के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी जिससे कि ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर-योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें जो स्थानीय भाषा बोलते हों। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन स्कूल परिसर में या उसके आस-पास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी।

5.3 शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिले सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगायी जाएगी। राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानान्तरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाये रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किये जायेंगे।

5.4 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सामग्री और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक) के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबन्धित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंको को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जाँचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना, स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल / स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य

प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सकें। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी, कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन / साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए।

5.5 विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए - विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में - शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है; स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग-ऑफ-स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है।

5.6 स्कूलों / स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि, या कोई अन्य विषय जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को 'विशेष प्रशिक्षक' के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.7 अगले दो दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक-आवश्यकता आयोजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। भर्ती और पदस्थापन में ऊपर बताई गई सभी नयी पहलों को समय के साथ जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों को नीचे वर्णित कैरियर प्रबंधन और प्रगति के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रोत्साहन सहित भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और ऑफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामंजस्य में होंगे।

सेवाकाल के दौरान कार्य-संस्कृति और वातावरण

5.8 स्कूलों के काम के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें; जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं।

5.9 इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य-स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र, सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित, एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में स्कूलों

में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

5.10 प्रभावशाली स्कूली प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानीकरण, स्कूलों तक पहुँच को कम किए बिना, जैसे उन्नतिशील प्रारूप अपना सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जीवंत शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। स्कूल परिसरों में शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं; यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषय-वार वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा, जिससे एक अधिक जीवंत शिक्षक-ज्ञान का आधार बनेगा। बहुत छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग-थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं और सर्वोत्तम व्यवहारों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से और सहयोगी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं।

5.11 अभिभावकों और अन्य प्रमुख स्थानीय हित-धारकों के साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल प्रबंधन समिति/स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे।

5.12 शिक्षकों का ज़्यादातर समय गैर-शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं है उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेंगे।

5.13 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थ एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

5.14 शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों। शिक्षक सामाजिक-भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक पक्ष है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।

सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी)

5.15 शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षणशास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षणशास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला-एकीकृत, खेल-एकीकृत, और कहानी-आधारित दृष्टिकोण, आदि को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

5.16. स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेंट कार्यशालाएँ और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से भी यह अपेक्षित है कि वे भी प्रति वर्ष 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें योग्यता और परिणाम-आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ-साथ विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

कॅरियर मैनेजमेंट और प्रगति (सीएमपी)

5.17 उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति, और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जो सहकर्मियों द्वारा की गयी समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सीपीडी के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गयी अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए एनपीएसटी पर आधारित है। इस नीति में, कॅरियर के संदर्भ में 'कार्यकाल' से आशय प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है जबकि 'कार्यकाल ट्रेक' से आशय स्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है।

5.18 इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॅरियर की वृद्धि (कार्यकाल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आदि के संदर्भ में) एक एकल स्कूल चरण (यानी, मूलभूत, प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक) के भीतर

शिक्षकों के लिए उपलब्ध है, और प्रारंभिक अवस्था से बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत (हालांकि चरणों में इस तरह के कैरियर संबंधी कदम उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते शिक्षक के पास इस तरह के कदम उठाने की इच्छा और योग्यता हो) कैरियर की प्रगति से संबंधित कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम-गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी, और किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा।

5.19. योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी; उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीई, डीआईटीई के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकेंगे।

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक

5.20 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद (जीईसी) के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी (पीएसएसबी) के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। मानकों में विशेषज्ञता / रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में किये गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे, जो कि समय-समय पर किए जायेंगे। एनपीएसटी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा। तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का कैरियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी। 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा।

विशिष्ट शिक्षक

5.21 स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग/दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल हैं। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय-शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। इसलिए इन

क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरूआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व-सेवाकालीन मोड में, पूर्णकालिक या अंशकालिक / मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे। योग्य विशेष शिक्षकों, जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों, की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई और आरसीआई के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

5.22 यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर-गुणवत्ता की सामग्री के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक-शिक्षा को धीरे-धीरे वर्ष 2030 तक बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे-जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहु-विषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री प्रदान करेंगे।

5.23 वर्ष 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र-शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहु-विषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बी.एड. कार्यक्रमों को एक वर्षीय बी. एड. कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परा-स्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हो। इस प्रकार की सभी बी.एड. डिग्रियाँ केवल चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान, जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) की मान्यता भी है, दूर-दराज और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ओडीएल मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले बी. एड. कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण और छात्र-शिक्षण घटक तथा मेंटॉरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे।

5.24 सभी बी.एड. कार्यक्रमों में शिक्षण-शास्त्र की जाँची-परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान के संबंध में शिक्षण-शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रूचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है।

सभी बी.एड. कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बी.एड. कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51 A) और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके।

5.25 कुछ विशेष अल्प-अवधि के स्थानीय शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम बीआईटीई,डीआईटी या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे; स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में 'मास्टर प्रशिक्षक' के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

5.26 बहु-विषयक कालेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बी.एड. के बाद कुछ अल्प-अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाए जायेंगे जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष-जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण, या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर, या बुनियादी, प्रारम्भिक, उच्चतर प्राथमिक और मध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं।

5.27 यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षा विधियाँ हो सकती हैं; एनसीईआरटी विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफ़ारिशें करेगा कि इनमें से क्या सीखकर भारत में व्यवहार में लायी जा रही विधियों में शामिल किया जा सकता है।

5.28 वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। एनसीएफटीई 2021 में व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात, संशोधित एनसीएफ में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए एनसीएफटीई में प्रत्येक 5-10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा।

5.29 अंततः, अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें यदि ज़रूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है।

6. समतामूलक और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम

6.1 शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र हित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हों। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पायें। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई है।

6.2 यद्यपि, भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती है - विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) इन समूहों को लिंग (विशेष रूप से महिला व ट्रांस जेंडर व्यक्ति), सामाजिक – सांस्कृतिक पहचान (जैसे - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे – गाँव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता (सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक – आर्थिक स्थिति (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल-तस्करी के शिकार बच्चे या बाल-तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में यह गिरावट सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में अधिक है और विशेषकर इन एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एसईडीजी के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले एसईडीजी की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है।

6.2.1 यू-डीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकनों में ये गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 6.8%), और दिव्यांग बच्चों (1.1% से 0.25%) के लिए अधिक गंभीर हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।

6.2.2 गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.2.3 विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले।

6.2.4 स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है।

6.2.5 यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है।

6.2.6 स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उप-भागों में उल्लेख किया गया है।

6.3 ईसीसीई, मूलभूत साक्षरता / संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुँच / नामांकन / उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याएं व सिफारिशें जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गयी है विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले और लाभवञ्चित समूहों के लिए महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। अतः एसईडीजी के सन्दर्भ में अध्याय 1-3 में दिए गए उपायों को दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा ।

6.4 इसके अतिरिक्त, लक्षित छात्रवृत्ति, माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना, आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियाँ और योजनाएँ चलाई गई हैं जिससे कुछ क्षेत्रों में एसईडीजी की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

6.5 यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाए कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ एसईडीजी के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुँचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के सन्दर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है - यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से और माता-पिता को मिलने वाले सुरक्षा-भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो कि छात्रों, अभिवावकों, स्कूलों व शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, को काम पर रखना उपस्थिति, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रभावी है।

6.6 आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एसईडीजी का काफी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा, ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) घोषित किया जाना चाहिए, जहाँ केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

6.7 हम देख सकते हैं कि अल्पप्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश, एसईडीजी के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार - विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि एसईडीजी की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को उपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है एसईडीजी विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनायीं जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केन्द्रित होना चाहिए।

6.8 इसके अलावा, भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर-समावेशी निधि' का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है (जैसे स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं,

साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण, आदि); यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने व और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा जो महिला व ट्रांस जेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य एसईडीजी की शिक्षा तक पहुँच से सम्बंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की 'समावेशी निधि' की व्यवस्था की जायेगी। संक्षेप में, इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा समेत) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है।

6.9 ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकंक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। कम से कम एक वर्ष की प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री-स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा।

6.10 ईसीसीई में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारम्भिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (आरपीडबल्यूडी अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

6.11 इसके लिए, दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जायेगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय व विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के

लिए गाँव / ब्लाक स्तर, जहाँ भी आवश्यकता हो पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा । आरपीडबल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भौतिक पहुँच बाधा-मुक्त संरचनाओं (भवन इत्यादि) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जायेगी ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए । कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे – बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जायेंगे । यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा । एनआईओएस भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर-गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा । साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ।

6.12 आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार, मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा । विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुर्नवास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने (होम स्कूलिंग) व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता / अभिवावकों को भी मदद करेंगे । स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा । गृह-आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जायेगा । गृह-आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। आरपीडबल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह-आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे । हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है इसके लिए माता – पिता / देखरेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिगम सामग्री के व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किये जायेंगे, जिनके माध्यम से माता – पिता / देखरेख करने वाले अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पायें।

6.13 अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है । शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे प्रगति की सम्भावना उतनी ही बेहतर नजर आती है । शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए । इसके लिए किये जाने वाले विशिष्ट कार्यों जिनमें उपयुक्त तकनीकी की मदद से किये जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे - बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना

तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना। परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां दिशानिर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं सहित) के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुँच और अवसरों सुनिश्चित किए जा सकें।

6.14 विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों (सीखने से सम्बंधित अक्षमताओं के साथ) को कैसे पढाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके।

6.15 स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण-शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जायेगी ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सके। ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथवा अन्य प्रासंगिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा वांछित हो सकता है। यह पारंपरिक सांस्कृतिक या धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1-12 के लिए परिभाषित किये गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा, ऐसे स्कूलों में छात्रों को एनटीए द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिला लिया जाएगा। विज्ञान, गणित, भाषा, और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं को नए शैक्षणिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा और पुस्तकों, पत्रिकाओं, आदि जैसे पर्याप्त पठन सामग्री और अन्य शिक्षण-शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

6.16 एसईडीजी के अंतर्गत और ऊपर वर्णित नीतिगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में अनूसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत, सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ़ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।

6.17. रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे छात्रों की

प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे।

6.18 एसईडीजी छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके स्थापित किये जायेंगे जैसे – किसी ऐसी एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं, छात्रवृत्ति अथवा अवसरों की पहुँच सुनिश्चित करे और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करे।

6.19 उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी एसईडीजी के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो हैं किन्तु पर्याप्त नहीं। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और छात्र भी शामिल हैं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगी, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और समता शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बन जाएगा (और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक और अन्य पदों के लिए प्रशिक्षण में भी); साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल लाने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा कि एसईडीजी में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक व नेतृत्वकर्ताओं का अधिक से अधिक चयन किया जाए।

6.20 छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों (जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता) इत्यादि द्वारा लायी गयी इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री, जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा, और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित है।

7. स्कूल कॉम्प्लेक्स/कलस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस

7.1 अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) और देशभर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आए हैं। यू-डाइज, 2016-17 के आंकड़े के अनुसार, भारत के 28% सरकारी प्राथमिक

स्कूलों और 14.8% उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत मात्र 6 से कम है। वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे। इनमें से अधिकांश (85743) कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे।

7.2 इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों के उपलब्धता की दृष्टि से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ-साथ व्यावहारिक नहीं है। शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती है, और कई विषयों को भी जिसमें वह विषय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें उनकी पहले से कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है; जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुख क्षेत्र बहुत बार सिखाए नहीं जाते हैं और भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं।

7.3 छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षण-शिक्षण प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं, और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं। छोटे स्कूल भी शासन और प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत चुनौती पेश करते हैं। भौगोलिक फैलाव, चुनौतीपूर्ण पहुंच की स्थिति और स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचना मुश्किल बना देती है। प्रशासनिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में वृद्धि या समग्र शिक्षा योजना के एकीकृत ढांचे में नहीं जोड़ा गया है।

7.4 हालांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है, इसे बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इसकी पहुँच पर कोई प्रभाव न पड़े। इस तरह के उपायों के परिणामस्वरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है, और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी संरचनात्मक समस्या और चुनौतियों का समाधान नहीं होगा।

7.5 इन चुनौतियों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि: (क) हर स्कूल में कला, संगीत विज्ञान, खेल, भाषा, व्यावसायिक विषय, आदि सहित सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शदाता (काउंसलर)/प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक (साझा या अन्यथा) मौजूद हों; (ख) हर स्कूल में पर्याप्त संसाधन (साझा या अन्यथा) हों, जैसे कि एक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं, आदि; (ग) शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाव को दूर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों, शिक्षण-अधिगम सामग्री के साझाकरण, संयुक्त सामग्री निर्माण, कला और विज्ञान प्रदर्शनियां, खेल गतिविधियां, क्रिज और डिबेट, और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना; और (घ) विकलांग

बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन; (ड.) स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान्वयन संबंधी बारीकियों के निर्णय स्कूली समूह के स्तर पर छोड़ दिए जाएँ जहाँ उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य हितधारकों द्वारा ही लिया जाये – और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समूह को एक एकीकृत अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाये।

7.6 उपरोक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र स्कूल परिसर नामक एक समूहन संरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय होगा जिसमें पांच से दस किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित अपने पड़ोस में निचले ग्रेड की पेशकश करने वाले अन्य सभी विद्यालय होंगे। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिया गया था लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। यह नीति जहाँ भी संभव हो, स्कूल परिसर / क्लस्टर के विचार का दृढ़ता से समर्थन करती है। स्कूल परिसर / क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन होगा।

7.7 स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर बनने से और कॉम्प्लेक्स में संसाधन के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग; ज्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक/खेल/कला/शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन; कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के साझे उपयोग से कक्षा में वर्चुअल कक्षाएं आयोजित करने के लिए आईसीटी टूल्स के उपयोग सहित इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश; सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों (काउंसलर) की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, और स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समितियों(केवल स्कूल प्रबंधन समितियों के बजाए) के माध्यम से बेहतर और मज़बूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले क़दम। स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ बनेगी।

7.8 स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर व्यवस्था से विद्यालयों का गवर्नेंस भी सुधरेगा और अधिक कुशल बनेगा। पहले, डीएसई स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा जो एक अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) और ब्लॉक शिक्षा अधिकार (बीईओ) हर स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स डीएसई द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभायेंगे और उसके तहत आने वाले प्रत्येक स्कूल समन्वय करेंगे। डीएसई द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर को काफी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी जिसके बल पर वे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ) और स्टेट पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एससीएफ) का अनुपालन करते हुए, समन्वित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठ्यचर्या, शिक्षण-शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो पायें। इस संगठन के तहत, स्कूल मजबूत होंगे, ज्यादा स्वायत्तता पूर्वक कार्य कर पाएंगे और

इससे कॉम्प्लेक्स अधिक नवाचारी और जिम्मेदार बनेंगे। इस दौरान, डीएसई बड़े स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दे पायेगा जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था की प्रभाविता में सुधार हो ।

7.9 इन कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक सन्दर्भ में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा। स्कूल एसएमसी की मदद से अपनी योजनायें (एसडीपी) बनायेंगे। स्कूलों के प्लान के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर विकास योजना (एससीडीपी) बनाये जायेंगे। एससीडीपी में कॉम्प्लेक्स से सम्बंधित अन्य सभी संस्थानों, जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, के प्लान शामिल होंगे और इसे कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक एससीएमसी की मदद से तैयार करेंगे और इस योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी किया जायेगा। इस योजना में शामिल होंगे – मानव संसाधन, शिक्षण-अधिगम संसाधन, भौतिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधार के लिए ली जाने वाली पहलें, वित्तीय संसाधन, स्कूल संस्कृति सम्बन्धी पहलें, शिक्षक क्षमता संवर्धन योजना और शैक्षणिक परिणामों सम्बन्धी लक्ष्य। उसमें कॉम्प्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह को एक जीवंत अधिगम केन्द्रित समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का ब्यौरा भी होगा। एसडीपी और एससीडीपी वे माध्यम होंगे जिनसे डीएसई समेत सभी हितधारक परस्पर जुड़ाव बनाये रखेंगे। एसएमसी और एससीएमसी, एसडीपी और एससीडीपी का उपयोग स्कूलों की कार्य प्रणाली और दिशा पर नज़र रखने के लिए करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। डीएसई, बीईओ जैसे उपयुक्त अधिकारी द्वारा हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के एससीडीपी को स्वीकृति देंगे। इसके उपरांत, डीएसई इन योजनाओं की सफलता के लिए, अल्पावधि (एक वर्ष) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) के लिए संसाधन (वित्तीय, मानव और भौतिक आदि) उपलब्ध कराएंगे। शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहयोग भी उनके द्वारा प्रदान किया जायेगा। डीएसई और एससीईआरटी सभी स्कूलों के साथ एसडीपी और एससीडीपी के विकास के लिए विशेष मानक (उदाहरण के लिए वित्तीय, स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी) और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

7.10 निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर सम्बद्ध किया जायेगा जिससे ऐसे सम्बद्ध स्कूल एक-दूसरे से मिल/ सीख सकें और संभव हो तो एक-दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें। जहाँ संभव हो, इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जायेगा, वितरण किया जायेगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जायेगा।

7.11 हर राज्य/जिले को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहाँ हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार (उदाहरण के लिए सप्ताहांत में) जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। ऐसे बाल भवन जहाँ संभव हो स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं।

7.12 स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में न आने वाले समय अथवा दिनों में स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए जिससे स्कूल एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में भी भूमिका निभाये।

8. स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन

8.1 स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा; यह स्कूलों, नवाचारों को सीमित दायरे में नहीं रखेगा, या शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कुल मिलाकर, विनियमन को स्कूलों और शिक्षकों को विश्वास के साथ सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना होगा, जिससे वे उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और सभी वित्त, प्रक्रियाओं, और शैक्षिक परिणामों को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किये जाने के माध्यम से प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करेंगे।

8.2 वर्तमान में स्कूली शिक्षण प्रणाली में, सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान, समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन, और नीतियों के निर्माण से संबंधित कार्यों को एकल निकाय अर्थात् स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसका परिणाम शक्ति के सशक्त केन्द्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। इसका एक और परिणाम स्कूल प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है क्योंकि शिक्षा प्रावधानों से संबंधित प्रयास, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक रूप से निर्भाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अन्य भूमिकाओं के कारण अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं।

8.3 वर्तमान नियामक व्यवस्था जहाँ एक तरफ लाभ के लिए खोले गए अधिकतर फॉर-प्रोफिट निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर नियंत्रण नहीं कर सका है, वहीं, दूसरी तरफ ये अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित निजी/परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोण के बीच बहुत अधिक विषमता रही है, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

8.4 सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतान्त्रिक समाज का आधार है, और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही निजी/ परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए।

8.5 स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित जिम्मेदारियाँ, और इसके विनियमन से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धांत और खास सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

क) स्कूल शिक्षा विभाग, जो स्कूल शिक्षा में सर्वोच्च राज्य-स्तरीय निकाय है, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा; यह सार्वजनिक स्कूलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और हितों के टकराव को कम करने के लिए स्कूलों के प्रावधान और संचालन के साथ या स्कूलों के विनियमन में शामिल नहीं होगा।

ख) संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के सेवा प्रावधान और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी (जिसमें डीईओ, बीईओ आदि भी शामिल हैं)। यह शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम स्वतंत्र रूप से करेगा।

ग) प्री-स्कूल शिक्षा - निजी, सार्वजनिक और परोपकारी - सहित आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। एसएसएसए कुछ बुनियादी मानकों (जैसे बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय इमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा। एससीईआरटी द्वारा विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदंडों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए एसएसएसए द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनियामक सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। जिन आयामों पर जानकारी का स्व-प्रकटीकरण किया जाना है, और प्रकटीकरण का प्रारूप एसएसएसए द्वारा स्कूलों के लिए मानक-तय करने की दुनियाँ भर में की जा रही बेहतरीन पहलों के अनुसार तय किया जाएगा। यह जानकारी सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की जाएगी और अपनी और सार्वजनिक वेबसाइटों जिन्हें एसएसएसए द्वारा संचालित किया जाता है, पर मुहैया करवानी होगी। सार्वजनिक डोमेन में उठायी गयी या फिर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हितधारकों या अन्य लोगों की किसी भी शिकायत को एसएसएसए द्वारा हल किया जाएगा। एक नियमित अंतराल पर, कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक मंगाए जाएंगे ताकि नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण सुझाव मिल सके। एसएसएसए के सभी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्कूलों द्वारा वर्तमान में वहन किए जाने वाले विनियामक जनादेशों में भारी कमी आएगी।

घ) राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले, एससीईआरटी (जो एनसीईआरटी के साथ परामर्श और सहयोग के लिए नज़दीक से जुड़ा होगा) के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएफ) तैयार करेगा। सीआरसी, बीआरसी और डीआईटी जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एससीईआरटी एक “परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया” के तहत काम करेगा, जो कि 3 वर्षों के अन्दर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य-संस्कृति को बदल कर इन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थान के रूप में स्थापित करेगा। इस बीच, स्कूल छोड़ने वाले स्तर पर छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणन को प्रत्येक राज्य में प्रमाणन / परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

8.6 स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने और इन्हें संसाधनों से परिपूर्ण बनाने का काम करने वाली संस्कृति, संरचनाएं, और व्यवस्थाएं इन सबकी जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक हितधारक और शिक्षा प्रणाली में भागीदार लोग उच्चतमस्तर की ईमानदारी, पूर्ण प्रतिबद्धता और अनुकरणीय कार्य नीति के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जवाबदेह होंगे। व्यवस्था की प्रत्येक भूमिका से क्या अपेक्षाएं हैं यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा और इन अपेक्षाओं के बरक्स हितधारकों के काम का मूल्यांकन गहन तरीके से होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली खुद को एक उद्देश्यपूर्ण और विकासोन्मुख प्रक्रिया के रूप में विकसित करेगी। इसमें प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के कई स्रोत होंगे, प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के लिए (और उदाहरण के लिए छात्रों के अंकों के साथ, केवल सरलीकृत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा)। मूल्यांकन से यह पता चलेगा कि छात्रों की शैक्षिक प्राप्ति जैसे परिणामों में कई हस्तक्षेप करने वाले चर और बाहरी प्रभाव होते हैं। यह भी मान्यता देगा कि शिक्षा के लिए विशेषकर स्कूल के स्तर पर टीमवर्क की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्तियों की पदोन्नति, मान्यता और जवाबदेही ऐसे प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित होगी। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि यह 'विकास, प्रदर्शन और जवाबदेही प्रणाली' उच्चतर अखंडता के साथ, और व्यवस्थित रूप से, उनके नियंत्रण में रहते हुए समुचित रूप से अपना काम करती रहे।

8.7 सार्वजनिक और निजी स्कूल (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित / सहायता प्राप्त / नियंत्रित किए जाने वाले स्कूलों को छोड़कर) का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड, बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक हित वाले निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा – जिससे कि शिक्षा जो सार्वजनिक सेवा है सभी को मुहैया हो सके एवं माता-पिता और समुदायों को ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि से सुरक्षित करने के प्रयास भी किये जायेंगे। स्कूल की वेबसाइट और एसएसएसए वेबसाइट पर - सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा – जिसमें (कम से कम) कक्षाओं, छात्रों, और शिक्षकों की संख्या की जानकारी, पढ़ाए जाने वाले विषय, कोई शुल्क, और एनएस और एसएस जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर

विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किये जाएँगे। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित / प्रबंधित / सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, सीबीएसई एमएचआरडी के परामर्श से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों को 'नॉट फॉर प्रोफिट' एंटीटी के रूप में लेखापरीक्षा और समान प्रकटीकरण मानकों के अनुसार माना जाएगा। अधिशेष, यदि कोई हो, तो शैक्षिक क्षेत्र में उसका पुनर्निवेश किया जाएगा।

8.8 स्कूल विनियमन, प्रमाणन और गवर्नेंस के लिए तय मानक / विनियामक ढाँचे और सुगम प्रणाली की समीक्षा की जाएगी ताकि पिछले दशक में प्राप्त की गई सीख और अनुभवों के आधार पर सुधार किया जा सके। इस समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित तबकों के छात्रों को उच्चतर- गुणवत्ता और समतापूर्ण स्कूली शिक्षा आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3 वर्ष की आयु) से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (अर्थात्, ग्रेड 12 तक) निशुल्क और अनिवार्य हो। इनपुट्स पर जोर देना, और उनके विनिर्देशों की यांत्रिकी प्रकृति - भौतिक और अवसंरचनात्मक - को बदल दिया जाएगा और आवश्यकताओं को जमीन पर वास्तविकताओं के लिए अधिक संवेदनशील बनाया गया है, उदाहरण के लिए, भूमि क्षेत्रों और कमरे के आकार, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की व्यावहारिकता आदि के बारे में। जनादेश को समायोजित और शिथिल किया जाएगा, जिससे संरक्षा, सुरक्षा और एक सुखद और उत्पादक अधिगम स्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को स्थानीय आवश्यकताओं और बाधाओं के आधार पर अपने निर्णय लेने के लिए उपयुक्त लचीलापन मिलेगा। शैक्षिक परिणाम और सभी वित्तीय, शैक्षणिक और परिचालन मामलों के पारदर्शी प्रकटीकरण को उचित महत्व दिया जाएगा और स्कूलों के मूल्यांकन में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। इससे सभी बच्चों के लिए निः शुल्क, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति में और सुधार होगा।

8.9 पब्लिक-स्कूल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होगा ताकि यह अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से माता-पिता के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बन जाए।

8.10 समय-समय पर समग्र प्रणाली की आवधिक जांच-पड़ताल के लिए, छात्रों के सीखने के स्तरों का एक नमूना-आधारित नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एनएएस) प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख द्वारा अन्य सरकारी निकायों जैसे कि एनसीईआरटी के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ किया जाएगा जो अनेकों कार्यों जैसे डेटा विश्लेषण के साथ-साथ मूल्यांकन प्रक्रियाओं में भी सहायता कर सकता है। मूल्यांकन में सरकारी के साथ-साथ निजी स्कूलों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना-आधारित 'राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण' (एसएस) का संचालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके परिणामों का उपयोग केवल विकास के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए उनके समग्र और विद्यार्थियों की पहचान उजागर किये बिना उनके परिणामों को स्कूलों द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। प्रस्तावित नए मूल्यांकन केंद्र, परख की स्थापना तक एनसीईआरटी एनएस को जारी रख सकता है।

8.11 अंत में, स्कूलों में नामांकित बच्चों और किशोरों को इस पूरी प्रक्रिया में नहीं भूलना चाहिए; आखिरकार, स्कूल प्रणाली उनके लिए डिज़ाइन की गई है। उनकी सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान देना - विशेष रूप से बालिकाओं - और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों, जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन और कई प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्टिंग, बच्चों / किशोरों के अधिकारों या सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सुरक्षित और कुशल तंत्र के साथ प्रणाली द्वारा सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे तंत्रों का विकास जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी, सामयिक और सर्वविदित हों, उच्चतर प्राथमिकता वाले होंगे।

भाग II. उच्चतर शिक्षा

9. गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण

9.1 उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहाँ सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे-जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर-शिक्षा की ओर बढ़ेंगे।

9.1.1 इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का ज़रूरी उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21 वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए।

9.1.2 व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व-विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक, सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा।

9.1.3 सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढकर लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोज़गार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है।

9.2 वर्तमान में, भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कुछेक प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र;
- ख. संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल;
- ग. विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना;
- घ. सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं;
- ङ. सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता;
- च. योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र;
- छ. अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी-समीक्षा शोध निधियों की कमी;
- ज. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव;
- झ. एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली; और
- ञ. बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक।

9.3 यह नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है। जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

- क. ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचईआई ऐसे ही हो, जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों;
- ख. और अधिक बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना;
- ग. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना;

- घ. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण-शास्त्र , मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल-चूल परिवर्तन करना;
- ङ. शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता-नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना;
- च. सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;
- छ. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर-योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा एचईआई का गवर्नेंस;
- ज. व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा "लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन;
- झ. उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच, समता और समावेशन में वृद्धि: इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर; वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी / परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि; ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच।

10. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

10.1 उच्चतर शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई क्लस्टरों/ नॉलेज हबों में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा। यह पूरी उच्चतर शिक्षा में छात्रों के सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय निर्माण, विषयों की बीच उपजी खाईयों को पाटने, छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चहुमुखी (कलात्मक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और खेल) विकास करने में सक्षम, सक्रिय अनुसंधान समुदायों अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान सहित को विकसित करने, और संसाधनों, सामग्री और मनुष्य, की कार्य कुशलता की बढ़ोत्तरी में मदद करेगी।

10.2 उच्चतर शिक्षा के ढाँचे के बारे में, यह नीति सबसे बड़ी अनुशांसा बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) क्लस्टरों के संबंध में करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला जिनमें भारत और अन्य देशों के हजारों छात्र जीवंत एवं बहु-विषयक परिवेश में शिक्षा ले रहे थे, ने बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया जो इस तरह के बड़े एवं बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परम्परा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिससे कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं।

10.3 उच्चतर शिक्षा के इस विज्ञान के लिए खासकर एक नई वैचारिक धारणा / समझ की ज़रूरत होगी जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अर्थात एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय से अभिप्राय एक ऐसा बहु-विषयक संस्थान, जो उच्चतर स्तरीय अधिगम (लर्निंग) के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षण, शोध और समुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय को परिभाषित करें तो कई तरह के संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे जैसे शोध गहन विश्वविद्यालय और ऐसे संस्थान जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर अधिक बल देने वाले होंगे परंतु महत्वपूर्ण अनुसन्धान का संचालन करने वाले होंगे जैसे शिक्षक गहन विश्वविद्यालय। प्राथमिक तौर पर, एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज (एसी) उच्चतर शिक्षा के एक बड़े बहु-विषयक संस्थान को संदर्भित करेगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है, हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा और इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा।

10.4 श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर ज़रूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, सहायता, और प्रेरित किया जाएगा। कालांतर में धीरे-धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे, या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे; विश्वविद्यालय के अंग के रूप में वे पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। अगर वो चाहें तो उपयुक्त मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज अनुसंधान-गहन या शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं।

10.5 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन तीन प्रकारों के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट, और अलग-अलग श्रेणियां नहीं है, बल्कि एक निरंतरता के साथ है। एचईआई को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। इन संस्थाओं को चिह्नित करने के लिए सबसे प्रमुख कार्य उनके लक्ष्यों तथा काम का फोकस होगा। प्रत्यायन प्रणाली इस प्रकार के संस्थानों (एचईआई) के लिए उचित रूप से भिन्न और प्रासंगिक मापदंडों का विकास और उपयोग करेगी। हालांकि, सभी प्रकार के संस्थानों (एचईआई) में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण-अधिगम अपेक्षाएं समान होंगी।

10.6 शिक्षण और शोध के अलावा, उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (एचईआई) अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, जैसे- अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्रध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान, जिन्हें वे उपयुक्त संसाधनों, प्रोत्साहनों और संरचनाओं को मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगे।

10.7 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का उद्देश्य अपने आपको बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, और जीवंत बहु-विषयक समुदायों के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में छात्र नामांकन होंगे। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान सबसे पहले 2030 तक बहु-विषयक संस्थान बनने की योजना बनायेंगे, और फिर धीरे-धीरे छात्रों की नामांकन संख्या वांछित स्तर तक बढ़ायेंगे।

10.8 वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जायेंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) होगा। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा एचईआई को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.9 बड़ी संख्या में उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास में जोर देने के साथ, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों का विकास होगा। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सभी सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समान अवसर देगी। यह प्रत्यायन प्रणाली, प्रत्यायन नियमों जैसे पारदर्शिता और पूर्व-प्रचारित मानदंडों पर आधारित होगी। इस नीति के नियमों के अनुसार जो उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाएगा।

10.10 संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने (एसडीजी4) हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (और उनके घटक) के किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के मानक और गुणवत्ता, एचईआई के परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के समतुल्य होंगे। ओडीएल के लिए मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्चतर-गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सहायता की जाएगी। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को एचईआई के पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जाएगी।

10.11 एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों (एचईआई) को समय के साथ जीवंत बहु-विषयक संस्थानों या बहु-विषयक एचईआई क्लस्टर का अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। जिन्हें उच्चतर गुणवत्ता बहु-विषयक और अंतर-विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया

जायेगा। एक स्ट्रीम वाले एचईआई में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जायेगा जिससे वे मजबूत होंगे। उपयुक्त प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) उपलब्धि के माध्यम से, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) धीरे-धीरे पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्ता की तरफ बढ़ेंगे ताकि ऐसी जीवंत संस्कृति का निर्माण हो। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्ता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व और मजबूती मिलेगी। निजी संस्थान जो सार्वजनिक हित के लिए उच्चतर गुणवत्ता, समतापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

10.12 इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनोमी के जरिये और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी। और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे-धीरे संबद्ध (एफिलिएटेड) कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें तथा अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मानदंड; शिक्षण और मूल्यांकन; गवर्नेंस सुधार; वित्तीय मजबूती; और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय-अवधि में प्राप्त करेंगे; इसे उचित मेंटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.13 समूचे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बनना होगा - जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। यह नीति और इसका दृष्टिकोण वर्तमान में एचईआई के सभी स्ट्रीम्स पर समान रूप से लागू होंगे जो अंततः उच्चतर शिक्षा के एक अनुकूल पारिस्थितिकी में विलय हो जाएंगे।

10.14 व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच-डी कार्यक्रम चलाता है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में एचईआई का जटिल नामकरण 'समवत विश्वविद्यालय', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' है जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल 'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर

11.1 भारत में समग्र एवं बहु-विषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की *कादंबरी* शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित / वर्णित करती है; और इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े

सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियांत्रिकी और साथ ही साथ सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी शामिल हैं। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र (जिसमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं) को 'कलाओं' के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न 'कलाओं के ज्ञान के इस विचार, या जैसा कि आधुनिक युग में जिसे 'लिबरल आर्ट्स (कलाओं का एक उदार नजरिया)' कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूँकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी।

11.2 आकलन से पता चलता है की, स्नातक शिक्षा के दौरान, ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो एसटीईएम (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित) के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती हैं, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, समूह कार्य में दक्षता, सम्प्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और साथ ही, समग्र और बहु-विषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोत्तरी हुई है।

11.3 एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं- बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक तथा नैतिक- को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास: कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21 वीं सदी की क्षमता; सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता; व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स), जैसे सम्प्रेषण, चर्चा, वाद-विवाद; और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी। इस तरह की एक समग्र शिक्षा, लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रमों का दृष्टिकोण होगा।

11.4 एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, जो कि भारत के इतिहास में सुन्दर ढंग से वर्णित की गई है - वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम इक्कीसवीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे आई. आई. टी, कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, कोशिश यही होगी की सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को हासिल करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी।

11.5 कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगी, और कई प्रवेश और निकास बिन्दुओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर (मास्टर और डॉक्टरेट) की शिक्षा, कठोर अनुसंधान-आधारित

विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ अकादमिक (शिक्षा जगत), सरकार और उद्योग सहित, बहु-विषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा।

11.6 बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर-गुणवत्ता की समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा, छात्रों को पाठ्यचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेस के विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षाशास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस-डिसिप्लिनरी और अंतःविषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा।

11.7 देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत-विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु-विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मज़बूत किया जाएगा। इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों से या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं, जब उन्हें एचईआई की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

11.8 ऐसी समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए, सभी एचईआई के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत विकास तथा रहने जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं: मानवीय, नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, नेक आचरण (dharma), शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन-कौशल; सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे-जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा (जीसीईडी), समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। अंततः समग्र शिक्षा के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा / शोध संस्थानों में इंटरशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जैसे- स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटरशिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ, शोध इंटरशिप ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ जुड़ें और साथ ही साथ, स्वयं के रोज़गार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें।

11.9 डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाणपत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर

सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम, जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहु-विषयक शिक्षा का अनुभव लेने के अवसर प्रदान करता है। एक अकादेमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र एचईआई द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र (क्षेत्रों) में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय कार्यक्रम में 'शोध सहित' डिग्री भी दी जा सकती है।

11.10 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मुहैया कराने की छूट होगी (क) ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो, उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केन्द्रित हो; (ख) वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है, उनके लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है; और (ग) 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। पीएच-डी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम.फिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा।

11.11 समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि की तर्ज पर, मेरू (बहु-विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहु-विषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे।

11.12 उच्चतर शिक्षण संस्थान स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग-अकादेमिक जुड़ाव, और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर-विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करे। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंडहोल्डिंग तंत्र विकसित करेगा। एनआरएफ, उच्चतर शिक्षण संस्थानों अनुसंधान प्रयोगशालाओं, और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा।

12. सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग

12.1 प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए जिसे समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो छात्रों की बेहतर के लिए आवश्यक हैं जैसे – फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अतः पाठ्यक्रम, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला हैं। इन आवश्यक बिन्दुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा, संसाधन (जैसे बेहतरीन पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, प्रौद्योगिकी, खेल/मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान, और भोजन के लिए स्थान) आदि प्रदान करने के साथ-साथ, इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी जिससे सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

12.2 पहला, उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढाँचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्षा-कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई-स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे।

12.3 दूसरा, प्रत्येक संस्थान अपनी वृहद संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में शैक्षणिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा-कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान-प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान

छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा, इसके लिए एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाएगा जो कि विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक अकादेमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जायेगा। उदाहरण के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेषज्ञों की मदद से विषय आधारित क्लब और गतिविधियों जैसे कि विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद-विवाद, संगीत, खेल आदि के लिए समर्पित क्लब व कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवसर व वित्त की व्यवस्था होगी। समय के साथ – साथ जब इन गतिविधियों के लिए छात्रों की मांग व संकाय की दक्षता हासिल हो जाए तो इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षण व क्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में छात्रों से जुड़ सकें।

12.4 तीसरा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक अकादमिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा, साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे।

12.5 चौथा, ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस, साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा, साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ओडीएल कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन-क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ओडीएल के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक, और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे, और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी।

12.6 अंत में सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन-क्लास, ऑनलाइन, ओडीएल और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएँ।

अंतर्राष्ट्रीयकरण

12.7 उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने, या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं। और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास,

संस्कृति, और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएँ, कैम्पस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और 'देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

12.8 भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए, विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान / शिक्षण सहयोग और संकाय / छात्र आदान-प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, चुनिंदा विश्वविद्यालयों (जैसे, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा, भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान-प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किये गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे, और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा।

छात्र गतिविधि और भागीदारी

12.9 छात्र, शिक्षा-प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं। उच्चतर गुणवत्तायुक्त शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैम्पस आवश्यक है। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति / कला क्लब, पर्यावरण-क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकतानुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

12.10 छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

13. प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय

13.1 उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ कार्यरत संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और संलग्नता है। उच्चतर शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इनकी भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये कदम भर्ती और सेवा काल के दौरान कार्यस्थल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने, और संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर से न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबन्धित हैं। सार्वजनिक संस्थानों के स्थायी संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गयी है। संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से संबन्धित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। अकादमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी, उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने तथा अपेक्षित उच्चतमस्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का प्रदर्शन शिक्षण, अनुसंधान और सेवा काल के मामले में, औसत से बहुत कम है। संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगति के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नतापूर्वक जुड़े हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अपनी ओर से निम्न कदमों की अनुशंसा करती है।

13.2 सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैकबोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियाँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।

13.3 शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, छात्र – शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बनी रहे, छात्रों से चर्चा करने, शोध करने, और विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की

जाएगी और विभिन्न संस्थानों में इनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जिससे कि वे अपने संस्थान और वहाँ के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सकें।

13.4 संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्यपुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतन्त्रता दी जाएगी। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण, शोध, और उनके अपने अनुसार बेहतर कार्य के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा।

13.5 उत्कृष्ट कार्यों को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे।

13.6 उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएँ और मानदंड स्पष्ट रूप से पारिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखते हुए भी उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक 'कार्यकाल-ट्रैक' प्रणाली यानि कि उपयुक्त प्रोबेशन अवधि को जोड़ा जाएगा। अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों और योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। कार्यों के उचित मूल्यांकन, 'कार्यकाल' (यानी परिवीक्षा के बाद स्थायी नियुक्ति) निर्धारण, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, मान्यता आदि सहित, सहकर्मियों द्वारा समीक्षा, छात्र समीक्षा, शिक्षण और शिक्षण-शास्त्र में नवाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधियाँ और संस्थान तथा समाज से संबन्धित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों के उचित आकलन के लिए मापदण्डों को समाहित करती प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा और इन्हें संस्थानों की संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

13.7 उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतर अकादेमिक और सेवा क्रेडेंशियल्स के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी, और फिर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्थानों में नेतृत्व से जुड़े पद रिक्त नहीं रहेंगे, बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए, जिससे कि संस्थानों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करे।

14. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

14.1 उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। यह नीति एसईडीजी पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है।

14.2 डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से एसईडीजी के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समान हैं। इसलिए, विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए। अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए।

14.3 इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों हैं और उच्चतर शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाएँ, प्रवेश प्रक्रियाएँ, भौगोलिक बाधाएँ, भाषायी अवरोध, बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यकर्मों की सीमित रोजगार क्षमता और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

14.4 इस प्रयोजनार्थ, सभी सरकारों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा विशिष्ट अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार हैं:

14.4.1 सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम :

- क. एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण;
- ख. उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण;
- ग. उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर-संतुलन को बढ़ावा देना;
- घ. विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना;

- ड. उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएं;
- च. सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- छ. एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना;
- ज. बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

14.4.2 सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

- क. उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना;
- ख. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना;
- ग. उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार करना
- घ. प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना;
- ड. पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना;
- च. उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना;
- छ. भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना;
- ज. यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों;
- झ. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज-कोर्स निर्मित करना;
- ञ. ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और अकादेमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना;
- ट. पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर-पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना;
- ठ. भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना;
- ड. एसईडीजी से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिन्दु शामिल हों लेकिन इन्हीं तक सीमित न हो।

15. अध्यापक शिक्षा

15.1 अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ ही साथ, बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ

ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, और परंपराओं जनजातीय परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक रहें।

15.2 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा आयोग (2012) के अनुसार, स्टैंड-अलोन टीईआई, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दिशा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक पाए हैं, और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हैं, बल्कि इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे कि गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

15.3 शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात, कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2030 तक, केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।

15.4 चूंकि, अध्यापक शिक्षा के लिए बहु-विषयक / बहु-विषयक इनपुट के साथ ही साथ उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अतः इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बड़े बहु-विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें, जो कि शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अंजाम देने के साथ ही साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिकाविज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें भी 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा।

15.5 वर्ष 2030 तक बहु-विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। यह 4-वर्षीय

एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायनविज्ञान, अर्थशास्त्र, आदि में एक समग्र ड्युअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक-शिक्षा में समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों / लोकाचार / कला / परंपराएं और भी बहुत कुछ शामिल होगा। 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, के लिए अपने परिसर में 2-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, के लिए 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4-वर्षीय, 2-वर्षीय और 1-वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना की जाएगी।

15.6 अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान, शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयों में विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा, जहाँ भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा, आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।

15.7 शिक्षक शिक्षा के लिए एकसमान मानकों को बनाए रखने के लिए, पूर्व-सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा, और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

15.8 शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफ़ाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। हर किसी के लिए पीएच-डी. धारक होना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन शिक्षण/फील्ड / शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी। सीधे सीधे विद्यालयी शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों (जैसे, मनोविज्ञान, बालविकास, भाषाविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान) के साथ ही साथ साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों की बहु-विषयी शिक्षा को और उनके अवधारणात्मक विकास को मज़बूती प्रदान की जा सके।

15.9 सभी नए पीएच-डी. प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी भी विषय में प्रवेश लें, से अपेक्षित होगा कि वे अपनी डोक्टोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गए पीएच-डी विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/ अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लें। उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम निर्माण, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली, और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा, क्योंकि संभव है कि इनमें से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय सदस्य

या सार्वजनिक प्रतिनिधि / संचारक बनेंगे। पीएच-डी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय होंगे। देशभर के विश्वविद्यालयों में संचालित पीएच-डी. कार्यक्रमों का इस उद्देश्य के लिए पुनरुन्मुखीकरण किया जाएगा।

15.10 कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा; हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक समृद्ध शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका सुदृढीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम/दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके।

15.11 सलाह (मेंटरिंग) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ / सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा, इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगे जिनमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय / कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श / व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

16. व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन

16.1 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अनुमान के अनुसार 19-24 आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5% से कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की; जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% पर यह संख्या काफी अधिक है। ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती हैं।

16.2 व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से कक्षा 11-12 और कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉपआउट्स पर केंद्रित थी। इसके अलावा, व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं-12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यवसाय क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिज़ाइन नहीं किए गए थे, फलस्वरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष 'मुख्य धारा की शिक्षा' या 'अकादेमिक शिक्षा' से वंचित रह जा रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे-सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंद ही कर दिया, और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

16.3 व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो आज भी जस की तस बनी हुई है, और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इससे निपटने के इस तथ्य को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है।

16.4 इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है, और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान, जैसे - स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें, और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो जो कि फिर सुचारु रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक, कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा।

16.5 वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। यह सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते है, और भारत के जनसंख्या-रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। जीईआर के लक्ष्यों को तय करते वक़्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और 'अकादेमिक' या अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए, माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों आदि से साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं भी स्थापित और सृजित की जाएंगी, जहाँ अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री बी.वोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल रहेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी अनुमति होगी। 'लोक विद्या', अर्थात् भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहाँ भी संभव हो, ओडीएल मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी।

16.6 अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण (स्किल गैप एनालिसिस) और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआईवीई) का गठन करेगा।

16.7 सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और फिर उन्हें एनसीआईवीई द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें, ताकि व्यावसायिक शिक्षा की पहुँच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

16.8 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को प्रत्येक विषय व्यवसाय / रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकता के लिए आधार प्रदान करेगा। इसके माध्यम से, ड्रॉपआउट हो चुके बच्चों के व्यावहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क, छात्रों को 'सामान्य' से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा।

17. नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना

17.1 एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने में ज्ञान सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में इससे प्रेरणा मिलती है। निःसंदेह, पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यताओं (जैसे भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीस) से लेकर आधुनिक सभ्यताओं (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इजरायल, दक्षिण कोरिया और जापान) तक, ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात एवं आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है- जैसे विज्ञान के साथ-साथ कला, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में -जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनियाभर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है।

17.2 अनुसंधान का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि, इस तरह के परिवर्तन हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पूल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है तो आने वाले वर्षों और दशकों में, राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं—संभावनाओं को सभी विषयों (डिसिप्लेन्स) में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। आज, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कई अधिक है।

17.3 इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद, भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% की तुलना में जीडीपी का केवल 0.69% है।

17.4 आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन-गुणवत्ता वायु, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुँच आदि। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरूरत होगी जो न केवल शीर्ष-विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हों बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हों। इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर-विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का होना महत्वपूर्ण होगा। स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधानों को आयात करने और उनमें से अनुकूल शोध को अपनाने के योग्य बनाता है।

17.5 इसके अतिरिक्त, सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज़ से मूल्यवान होने के साथ-साथ, किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ-साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु अति महत्वपूर्ण है।

17.6 भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहाँ अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है; इसके साथ ही, दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान बहु-विषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं।

17.7 भारत में विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान-समाज के रूप में अपनी खोयी हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करे और मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21 वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे।

17.8 अतः यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल हैं जैसे सीखने की खोज और खोज-आधारित शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल इनमें शामिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दें, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहु-विषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटरनैशियल का समावेश, संकाय करियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की और संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हों। ऊपर बताए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

17.9 इन विभिन्न तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना को प्रस्तावित करती है जिससे राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। विशेष रूप से, एनआरएफ योग्यता-आधारित एवं पियर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा जहाँ अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित ह। एनआरएफ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहु-विषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ उद्योग और निजी / परोपकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

17.10 ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीई), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ-साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र

रूप से निधिगत अनुसंधान जारी रखेंगे। हालांकि, एनआरएफ सघन रूप से अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग, और अन्य सक्षम अकादेमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एनआरएफ स्वतंत्र रूप से सरकार के एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कर्ता शामिल होंगे।

17.11 एनआरएफ की प्राथमिक गतिविधियां इस प्रकार रहेंगी :

(क) सभी प्रकार के और विभिन्न विषयों में, प्रतिस्पर्धी और पियर रिव्यू किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना

(ख) शिक्षा संस्थानों में विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहाँ अभी अनुसंधान शैशवावस्था में हैं, इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना

(ग) शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने एवं समन्वयन का काम करना, जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और जिससे नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति और/अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा

(घ) उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पहचानना ।

18. उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन

18.1 दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है; जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है— जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीयकरण, इन निकायों के बीच स्व-हितों का टकराव होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है।

18.2 उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य, विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं/व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक-एंड-बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हितों में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण को खत्म करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ-साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था,

भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा।

18.3 एचईसीआई का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एनएचईआरसी) होगा - यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा जिसमें शिक्षक शिक्षा शामिल है किन्तु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है, और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के भीतर वर्तमान में अनेकों विनियामक संस्थान उपस्थित हैं। इस एकल बिंदु विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूदा अधिनियमों की पुनर्संरचना और निरसन और विभिन्न मौजूदा नियामक निकायों के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। एनएचईआरसी को 'लचीले लेकिन सख्त' और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले - विशेष रूप से वित्तीय इमानदारी, सुशासन और सभी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन वित्त संबंधी मसलों का स्व-प्रकटीकरण, ऑडिट, प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय / कर्मचारी, पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चतर-शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर और सार्वजनिक वेबसाइटों जो कि एनएचईआरसी द्वारा संचालित की जाती हैं, पर मुहैया करवाई जाएंगी और समय-समय पर इन सूचनाओं को अद्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक की गयी सूचनाओं से संबंधित हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को एनएचईआरसी द्वारा सुना जाएगा और इसका हल किया जाएगा। एक निश्चित समय-अंतराल पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने गए छात्रों के मूल्यवान फीडबैक ऑनलाइन लिए जाएंगे।

18.4 ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यायन होगी। इसलिए, एचईसीआई का दूसरा अंग एक 'मेटा-अक्क्रेडिटिंग' निकाय होगा, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) के नाम से जाना जाएगा। संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम-कायदों, सार्वजनिक स्व-प्रकटन, मजबूत गवर्नेंस, और परिणामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी और एनएसी द्वारा इस सबकी निगरानी की जाएगी और इसका संचालन किया जाएगा। एनएसी द्वारा एक समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने के अधिकार हेतु कार्य किये जाएंगे। कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा, जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्व-प्रशासन, और गुणवत्ता के तय मानकों को हासिल करने के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क तय करेगी। परिणामस्वरूप, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी-अपनी संस्थान विकास योजना (आईडीपी) के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतमस्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्व-संचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों/क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध बनेंगे। आगे चलकर यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगी।

18.5 एचईसीआई का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) का गठन किया जाएगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्तपोषण का कार्य करेगा जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित आईडीपी और इनके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। एचईजीसी को छात्रवृत्ति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने और बहु-विषयी क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों का कार्य भार सौंपा जाएगा।

18.6 एचईसीआई का चौथा विभाग सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी) होगा, यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें ' स्नातक परिणामों ' के नाम से जाना जाएगा। जीईसी द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) तैयार किया जाएगा जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से संगत होगा ताकि व्यवसायिक शिक्षा को उच्चतर-शिक्षा आसानी से समन्वित किये जाने में आसानी हो। इस तरह के सीखने के परिणामों के संदर्भ में एनएचईक्यू एफ द्वारा अग्रणी उच्चतर शिक्षा योग्यता का निर्देशन किया जाएगा जो एक डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र के रूप में होगा। इसके अलावा, जीईसी, एनएचईक्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, समानक आदि मुद्दों के लिए समानुरूप और सुविधाजनक मानदंड स्थापित करेगा। जीईसी उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21 वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए।

18.7 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), वेटेरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), आर्किटेक्चर काउंसिल (सीओए), फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों (पीएसएसबी) के रूप में किया जाएगा; वे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें जीईसी के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये निकाय, पीएसएसबी के रूप में पुनर्गठन के बाद, जीईसी के सदस्यों के रूप में पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और उनके डोमेन / अध्ययन के विषय के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय करना जारी रखेंगे। जीईसी के सदस्यों के रूप में, वे पाठ्यक्रम के ढांचे को निर्दिष्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार उच्चतर शिक्षा संस्थान अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार, पीएसएसबी बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेष क्षेत्रों में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह तय करेंगे कि उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अन्य विचारों के बीच किस तरह से तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो वे पीएसएसबी/मानक-सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे।

18.8 इस तरह की संरचना विभिन्न भूमिकाओं के बीच आपसी हितों के टकराव को समाप्त करते हुए; प्रत्येक की भूमिका एवं कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के सिद्धांत को कायम करेगी। इसका उद्देश्य कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना भी है। इससे जुड़ी

जिम्मेदारियां और जवाबदेही उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुरूप होगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अपेक्षानुरूप किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा।

18.9 इस तरह के परिवर्तन के लिए मौजूदा संरचनाओं और संस्थानों के लिए यह आवश्यकता होगी कि वे खुद को सुदृढ़ कर सकें और तरह-तरह की विकास क्रमिकता से गुजर सकें। कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि एचईसीआई के तहत प्रत्येक अंग को एक नई एकल भूमिका पर ले जाया जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है।

18.10 विनियमन के लिए सभी स्वतंत्र संरचनाओं का कार्यकरण नियमन (एनएचईआरए) मान्यता (एनएसी), निधियन (एचईजीसी) और अकादेमिक मान्यता (जीईसी) एक वृहद और स्वायत्त निकाय (एचईसीआई) सार्वजनिक प्रकटीकरण नीति पर आधारित होगा और अपने कार्यों दक्षता, और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और मानव इंटरफेस कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी सिद्धांत यह होगा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से पहचान-मुक्त और पारदर्शी नियामक हस्तक्षेप किया जा सके। कड़े कदम के साथ कठोर अनुपालन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य जानकारी के गलत प्रकटीकरण के लिए दंड की सिफारिश भी शामिल है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम मानदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। एचईसीआई खुद इसके चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करेगा। एचईसीआई एक स्वतंत्र निकाय होगा जिनमें प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्ध उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। एचईसीआई का भी खुद का अपना एक छोटा, स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो एचईसीआई की सत्यनिष्ठा और प्रभावी कार्यकुशलता को संचालित करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे। एचईसीआई के भीतर कार्य निष्पादन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिनिर्णय भी शामिल है।

18.11 नए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जन सेवा के भाव से दीर्घावधि के लिए वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को अपने संस्थानों का विस्तार करने के लिए मदद मिलेगी, और इससे बड़ी संख्या में छात्रों और संकायों के साथ-साथ विषयों और कार्यक्रमों का विस्तार हो सकेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतर—शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके लिए सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी मॉडल भी शुरू किए जा सकते हैं।

शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना

18.12 नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र, उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोक पाएंगे। यह नियामक अभिकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी। सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं संस्था पर लागू लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत-निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। एनएसी द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है, और एनएचईआरसी इसे अपने नियामक उद्देश्य के प्रमुख आयाम के रूप में देखेगा।

18.13 सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सामान्य न्यूनतम दिशानिर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएँगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे। इन सामान्य दिशानिर्देशों में सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी।

18.14 परोपकार और जन हितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए, उनके प्रत्यायन के आधार पर, फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और वृहद् नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में, अधिकाधिक छात्रों को फ्रीशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से और पूरी तरह से बताए जाएंगे, और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस/शुल्कों में कोई मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की ये व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

19. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व

19.1 यह प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व ही है जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति के निर्माण में सक्षम बनाता है। भारत सहित दुनियाभर में सभी विश्वस्तरीय संस्थानों की सामान्य विशेषता वास्तव में मजबूत स्वशासन और संस्थागत लीडरों की उत्कृष्ट योग्यता आधारित नियुक्ति रही है, जिन्होंने ऐसी संस्कृति के निर्माण और पोषण को संभव बनाया।

19.2 ग्रेडेड प्रत्यायन और ग्रेडेड स्वायत्तता की एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से, 15 वर्षों में एक चरणबद्ध तरीके से, भारत के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य नवप्रवर्तन और उत्कृष्टता का अनुशीलन करने वाले स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनना होगा। उच्चतमगुणवत्ता का नेतृत्व सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता की संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उपाय किए जाएंगे। इस तरह के कदम के लिए तैयार संस्था को उपयुक्त ग्रेडेड प्रत्यायन प्राप्त होने पर योग्य, सक्षम और समर्पित व्यक्तियों जिनमें सिद्ध क्षमताएं और प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना होगी, के समूह से मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) स्थापित किया जाएगा। किसी संस्था के बीओजी को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त संस्था को संचालित करने, संस्था के प्रमुख सहित सभी नियुक्तियां करने और शासन के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। ऐसे व्यापक विधान होंगे जो पहले के अन्य विधान के किसी भी उल्लंघनकारी प्रावधानों को बदल देंगे जिसमें बीओजी के गठन, नियुक्ति, कामकाज के नियमों, नियमों और विनियमों और बीओजी की भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्यों की पहचान बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी; और नए सदस्यों का चयन बीओजी द्वारा ही किया जाएगा। सदस्यों का चयन करते समय इच्छिटी के विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और सलाह दी जाएगी और इनका उद्देश्य वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनना तथा ऐसे सशक्त बीओजी का गठन करना होगा।

19.3 बीओजी सभी संगत रिकॉर्ड के पारदर्शी स्व-प्रकटन के माध्यम से हितधारकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) के माध्यम से एचईसीआई द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

19.4 संस्थानों में सभी नेतृत्वपदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने के साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया हो। किसी भी उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रमुख में संवैधानिक मूल्यों और संस्था की समग्र दृष्टि के साथ-साथ एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीमवर्क में विश्वास, विविधता, विभिन्न लोगों के साथ काम करने की क्षमता, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। बीओजी द्वारा गठित एक कुशल विशेषज्ञ समिति (ईईसी) के नेतृत्व में एक कठोर, निष्पक्ष, योग्यता आधारित और क्षमता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चयन बीओजी द्वारा किया जाएगा। एक उपयुक्त संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की स्थिरता महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ नेतृत्व के उत्तराधिकार की योजना बनाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संस्था की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाले अच्छे व्यवहार नेतृत्व में बदलाव के कारण समाप्त न हों; नेतृत्व में परिवर्तन पर्याप्त ओवर लैप के साथ किये जाएंगे, और सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पद खाली नहीं रहेंगे। उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्दी तैयार किया जाएगा, जो नेतृत्व की भूमिका में एक सीढ़ी-दर-सीढ़ी आगे बढ़ेंगे।

19.5 चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्रदान किए जाने के साथ, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थागत उत्कृष्टता, अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव और वित्तीय इमानदारी और जवाबदेही के उच्चतममानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक संस्थान एक कार्यनीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे, अपनी प्रगति का आकलन करेंगे और उसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, जो आगे की सार्वजनिक निधियन के लिए आधार बन सकते हैं। आईडीपी, बोर्ड के सदस्यों, संस्थागत लीडरों, संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा।

भाग III. अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे

20. व्यावसायिक शिक्षा

20.1 पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठ्यक्रम में नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो, और इसके साथ ही साथ उस विषय विशेष की शिक्षा और व्यावहारिक अभ्यास की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विषयों की तरह ही इसके केंद्र में भी तार्किक और अंतःविषयी सोच, विमर्श, चर्चा, अनुसंधान और नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यावसायिक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकी विषयों से कटी या अलग-थलग ना रहे।

20.2 इस प्रकार व्यावसायिक विकास की शिक्षा समग्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। स्टैंड-अलोन कृषि विश्वविद्यालयों, विधि विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य-विषयों के स्टैंड-अलोन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य अपने आप को एक बहु-विषयक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए जो कि एक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा मुहैया करवाए। व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान वर्ष 2030 तक समेकित रूप से दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान या संस्थान-समूह बनने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे।

20.3 कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत 9 है लेकिन कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों में नामांकन उच्चतर शिक्षा के कुल नामांकन के 1% से भी कम है। कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और तकनीकी तथा कार्य प्रक्रियाओं से जुड़े बाज़ार आधारित विस्तार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बेहतर किया जाय। सामान्य शिक्षा के साथ जुड़ते कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों की तैयारी में तेजी से वृद्धि की जाएगी। कृषि शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो कि स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, और उभरती हुई तकनीकों को समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें, और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि भूमि की गिरती

उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन, हमारी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता, आदि को लेकर जागरूक हों। यह आवश्यक है कि कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से स्थानीय समुदाय सीधे-सीधे लाभान्वित हों, इसका एक तरीका हो सकता है कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना ताकि प्रौद्योगिकीय-इन्क्यूबेशन और इसके प्रसार और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिल सके।

20.4 विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र से संबन्धित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नयी तकनीकों को अपनाया जाएगा जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतन्त्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित तरीके से, विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित है।

20.5 स्वास्थ्य शिक्षा को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना और डिजाइन, स्नातकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अनुरूप हो सकें। प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक अस्पतालों में काम करने के लिए मुख्य रूप से अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों पर छात्रों का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह देखते हुए कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा में बहुलतावादी विकल्पों का प्रयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत होना चाहिए – जिसका अर्थ है कि, एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) की बुनियादी समझ होनी चाहिए, और ऐसा ही अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा से संबन्धित विद्यार्थियों के विषय में भी लागू होगा। सभी प्रकार की हेल्थकेयर शिक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल (प्रीवेंटिव हेल्थकेयर) और सामुदायिक चिकित्सा (कम्यूनिटी मेडिसिन) पर अधिक जोर दिया जाएगा।

20.6 तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं, उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग आदि जो भारत के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में न केवल कई दशकों तक पूरी तरह से योग्य व्यक्तियों की मांग जारी रहेगी, बल्कि इन क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उद्योगों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी अधिक आवश्यकता होगी। इसके अलावा, समस्त मानवीय उद्यमों और प्रयासों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से तकनीकी शिक्षा और अन्य विषयों के बीच अंतर समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस प्रकार, तकनीकी शिक्षा भी बहु-विषयक शिक्षण संस्थानों

और कार्यक्रमों के भीतर पेश की जाएगी और अन्य विषयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी। भारत को स्वास्थ्य, पर्यावरण और दीर्घकालिक स्वस्थ जीवन में इनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ, जिन्हें युवाओं के लिए रोजगार संवर्धन हेतु अवर स्नातक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, अत्याधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि जीनोमिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, न्यूरोसाइंस के साथ ही साथ तेजी से प्रमुखता हासिल कर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई), 3-डी मशीनिंग, बड़े डेटा विश्लेषण, और मशीन लर्निंग क्षेत्रों में पेशेवरों को तैयार करने में भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

21. प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना

21.1 बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है।

21.2 साथ ही, एक समुदाय का गैर-साक्षर होने के कारण असंख्य नुकसान हैं, जिनमें बुनियादी वित्तीय लेनदेन न कर पाना; प्रभारित मूल्य पर खरीदे गए माल की गुणवत्ता /मात्रा की तुलना करना ; नौकरियों, ऋण, सेवाओं, आदि के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म भरना ; समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझना ; व्यापार को संप्रेषित और संचालित करने के लिए पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करना ; अपने जीवन और पेशे को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ; दवाइयों, सड़क आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना ; बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना ; भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होने; साहित्य के कार्यों की सराहना करने; और साक्षरता की आवश्यकता से जुड़े मध्यम या उच्चतर उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है। यहाँ सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

21.3 भारत एवं विश्वभर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ-साथ स्वयंसेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्कजनों की साक्षरता में वृद्धि होती

है बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी बढ़ती है। साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है। वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप देश में 1991-2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित सम्पूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ।

21.4 प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलकदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारु और लाभकारी एकीकरण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100% साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके।

21.5 सबसे पहले एनसीईआरटी के एक नए और सु-समर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा जो प्रोदा शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षरता, संख्यात्मकता बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल आदि के लिए उत्कृष्ट पाठ्यचर्या बनाने में एनसीईआरटी की मौजूदा विशेषज्ञता के प्रति अनुरूपता विकसित और उससे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या ढांचा तैयार होगा। इस पाठ्यचर्यात्मक ढाँचे में कम से कम निम्न पांच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जाएंगे (क) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (ख) महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण), (ग) व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्ति के मद्देनज़र), (घ) बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष) एवं (ङ) सतत शिक्षा (जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रूचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री, पर प्रौढ़ शिक्षा कोर्स)। ऐसा करते हुए यह ध्यान भी रखा जायेगा कि कई मामलों में वयस्कों को, बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों और सामग्री की जगह, भिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होगी।

21.6 दूसरा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल / स्कूल परिसरों का उपयोग, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय स्थान, जो जहाँ तक संभव हो आईसीटी से सुसज्जित होंगे और अन्य सामुदायिक भागीदारी और संवर्धन गतिविधियों के लिए किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए और अन्य सामुदायिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के लिए अवसंरचना का साझाकरण, भौतिक और मानव, दोनों संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन चार प्रकार की शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन कारणों से, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक

प्रशिक्षण केन्द्रों आदि जैसे , आदि अन्य सार्वजनिक संस्थानों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

21.7 तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी पांच प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों / शिक्षकों / प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ-साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों और ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय-, राज्य- और जिला-स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय से योग्य सदस्यों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समुदाय से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी, को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और स्वैच्छिक कार्यकर्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक/ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए की गयी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा। राज्य, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे।

21.8 चौथा, समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में जा कर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, उनसे भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जायेगा जो प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों (शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक /ट्यूटर के बतौर) में रूचि रखते हों; इसके उपरांत सामाजिक/ परामर्शदाता कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापनों और घोषणाओं और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जायेगा।

21.9 पांचवां, समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है। यह नीति अनुशांसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान – विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों – जिसमें निशक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवं राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि पूरे देश में सभी की – जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं, पुस्तकों तक पहुँच हो व पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य के अन्दर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेंसियां / संस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता एवं आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेंगी। पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। समुदायों एवं शिक्षण संस्थानों में जीवंत पुस्तकालयों को बनाने एवं उनका सफल सञ्चालन सुनिश्चित करने के लिए, यथोचित संख्या में

पुस्तकालय स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसायिक विकास के लिए उचित करियर मार्ग बनाने एवं करियर प्रबंधन डिजाइन करने की आवश्यकता है। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे – विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना।

21.10 अंततः उपरोक्त सभी पहलों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। सरकारी और परोपकारी पहलों के साथ-साथ क्राउडसोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स/मॉड्यूल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे। कई मामलों में, गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है।

22. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

22.1 भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में “अतुल्य ! भारत” बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

22.2 भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना ज़रूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।

22.3 संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला- सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। व्यक्तियों की प्रसन्नता/कल्याण, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक पहचान वह महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से आरम्भ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।

22.4 भाषा, निःसंदेह, कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएँ, दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए, मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से, किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर-तरीकों को भी प्रभावित करती है। लहज़ा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिम्ब और दस्तावेज़ हैं। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फ़िल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

22.5 दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के, उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है; और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।

22.6 इसके अलावा, वे भारतीय भाषाएँ भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं- जैसे आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए – जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएँ आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देशों द्वारा – अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है

तथा शब्दभंडार को लगातार अद्यतन किया जाता है। परंतु, अपनी भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है।

22.7 इसके अतिरिक्त, कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अन्तःक्रिया करने की क्षमता पर केन्द्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्दभंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

22.8 स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कई पहलों की चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है जिसमें – सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना; बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण ; उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना; पाठ्यचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेश करना, जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो; पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें जिससे वे स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सकें आदि शामिल है।

22.9 उच्चतर शिक्षा एवं उससे आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलों को संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाये जायेंगे। पहला, ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण, शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा, साथ ही इन विषयों में (दोहरी डिग्री चार वर्षीय बी. एड. सहित) डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम, विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा, साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शनशास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएफ इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैया कराया जाएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त-शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहाँ अध्ययन कर रहे हों वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल और स्कूल

कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र/देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।

22.10 अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और / या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोत्तरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके; मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/ या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। चार वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम को दो भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी, जैसे कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान को दो भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण में।

22.11 उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफ़िक डिजाईन एवं वेब डिजाईन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सृजन भी किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफी मजबूती मिल सके।

22.12 यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहाँ शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे।

22.13 उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार के ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पायेंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमियां, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हैं जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा, एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त संग्रहालय (जिनमें आभासी (वर्चुअल) संग्रहालय / ई-संग्रहालयों सहित), वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएँगी।

22.14 भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओंमें उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा साथ ही अनेक बहु-भाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद मिलेगी। आईआईटीआई को अपने अनुवाद और व्याख्या करने के प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। आईआईटीआई समय के साथ स्वाभाविक रूप से उन्नति करेंगे और जैसे जैसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मांग बढ़ेगी, संस्थान को उच्चतर शिक्षण संस्थानों सहित, देश भर के विभिन्न स्थानों में खोला जा सकेगा ताकि अनुसंधान विभाग के साथ सहभागिता सुगम हो सके।

22.15 संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा - स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी। इसे पृथक रूप से नहीं पढाया जाएगा बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए, संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे; वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं उन्हें सम्पूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित / मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहु-विषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

22.16 भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा, और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी

बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी, एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

22.17 शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी एवं क्राउडसोर्सिंग, लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

22.18 भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जायेगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके (विश्व में कई भाषाओं अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सदृश)। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए ये अकादमियां एक दुसरे से परामर्श लेंगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो, साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोष व्यापक रूप से प्रसारित किये जायेंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हों। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादमियों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जायेंगी।

22.19 सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफार्म पर विडियो, शब्दकोष, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना (विशेषकर बुजुर्गों द्वारा), कहानियां सुनाना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना, लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे वो इन प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेंगी ताकि इन प्लेटफार्म को और समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजनाओं, उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि को एनआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी।

22.20 स्थानीय मास्टर्स तथा / या उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जायेगी। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए तथा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में, विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाये जायेंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कवितायें, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, कथेतर साहित्य का निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किये जा सकें। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा।

23. प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण

23.1 भारत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार, सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश संबंध है।

23.2 तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक व उद्यमियों, जिनमें छात्र उद्यमी भी शामिल हैं की वास्तविक रचनात्मकता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर को देखते हुए यह निश्चित है कि प्रौद्योगिकी, शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ कुछ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग, और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है वरन यह भी परिवर्तन होगा कि वो कैसे सीखता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भविष्य में भी प्रौद्योगिकी एवं शैक्षिक दोनों दृष्टि से व्यापक शोध की आवश्यकता होगी।

23.3 शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वृहद् स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक सन्दर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आकलन किया गया हो। विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण किया जाएगा। एनईटीएफ का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबन्धित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। एनईटीएफ यह कार्य, शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों को, नवीनतम ज्ञान व अनुसन्धान के साथ ही साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक-दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करके करेगा। एनईटीएफ के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- क. प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना;
- ख. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण;
- ग. इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना; और
- घ. अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना ।

23.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए एनईटीएफ विविध स्रोतों से, जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार को और उस प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने वाले लोग सम्मिलित हैं, से प्राप्त प्रमाणिक डेटा के नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा और शोधकर्ताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेषण करेगा। ज्ञान एवं उसके प्रयोग तथा इस दिशा में सतत नए सृजन को बढ़ावा देने के लिए, एनईटीएफ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करेगा।

23.5 प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं।

23.6 उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध करवाये जायेंगे। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों, तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। सभी राज्यों तथा एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस एवं अन्य निकायों / संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई-कंटेंट दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाएगा। इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध ई-कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के व्यावसाय सम्बन्धी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु सीआईईटी को मजबूत बनाया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि शिक्षक अपने शिक्षण-अधिगम अभ्यासों में ई-सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म, जैसे दीक्षा/ स्वयम, सम्पूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किये जाएंगे, और इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग / समीक्षाएं शामिल होंगी, ताकि कंटेन्ट विकासकर्ता प्रयोक्ता अनुकूल और गुणवत्ता पूर्ण कंटेन्ट बना सकें।

23.7 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्यतः रूप से रूपांतरित करने में तेज़ी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 1986/1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गयी

थी, तब इंटरनेट के वर्तमान क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन तीव्र और युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें (व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में) खतरनाक और हानिकारक स्थिति की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए, आज जब कंप्यूटर ने तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के मामले में मनुष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है, तब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, उच्चतर स्तर की दक्षताओं के विकास के स्थान पर, अपने विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों पर ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती रहती है।

23.8 इस नीति को ऐसे समय में तैयार किया गया है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) 3डी/7डी वर्चुअल रिएल्टी जैसी निश्चित परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का विकास रहा है। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पूर्वानुमानों की लागत कम होती जाएगी, वैसे-वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुशल पेशेवरों की बराबरी करने लगेगी व उनसे भी आगे निकल जाएगी और डॉक्टर जैसे अन्य पेशेवरों के लिए, पूर्वानुमान लगाने के कामों में मूल्यवान सहायक सिद्ध होगी। एआई की परिवर्तन ला पाने की क्षमता स्पष्ट है जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए शिक्षा व्यवस्था को तैयार रहना होगा। एनईटीएफ के स्थायी कार्यों में से एक, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता व परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना और समय-समय पर इन विश्लेषणों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय औपचारिक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी को चिह्नित करेगा जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया आवश्यक होगी।

23.9 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिक्रियास्वरूप, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारम्भ या विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संदर्भ में, एनआरएफ ट्रि-आयामी दृष्टिकोण अपना सकता है: (क) कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना, (ख) एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग, तथा (ग) स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना।

23.10 उच्चतर शिक्षण संस्थान न सिर्फ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम (ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित) भी तैयार करने के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके प्रभाव का आकलन भी करेंगे। जब प्रौद्योगिकी एक स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेगी, हजारों छात्रों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल निर्माण के कामों को बढ़ाने के लिए आदर्श स्थिति में होंगे, जिसमें रोजगारपरक तैयारी के लिए लक्षित प्रशिक्षण के प्रयास भी शामिल होंगे। परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, अतः रोजगार पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किलिंग और डि-स्किलिंग के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। संस्थानों को कौशल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किये जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत

भागीदारों को मंजूरी देने की स्वायत्तता होगी, जिसे कौशल और उच्चतर शिक्षण संबंधी रूपरेखाओं के साथ एकीकृत किया जाएगा।

23.11 विश्वविद्यालयों का उद्देश्य मशीन लर्निंग जैसे मूल क्षेत्रों/ कोर एरिया, बहु-विषयक क्षेत्रों “कृत्रिम बुद्धिमत्ता + X” और व्यावसायिक क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य, कृषि, विधि) में पीएचडी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करना होगा। ये स्वयं जैसे मंचों की सहायता से इन क्षेत्रों में आधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान आरंभ में इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पारंपरिक शिक्षण के स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करने के लिए कम विशेषज्ञता की मांग वाले क्षेत्रों, जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन, में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा।

23.12 जैसे जैसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं, स्कूली और अग्रिम शिक्षा इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभावों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने में सहायता करेगी और इसके साथ ही इससे संबंधित मुद्दों को भी हल करेगी। इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर एक सुविचारित सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए यह जागरूकता आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर अध्ययन हेतु चर्चा नैतिक व समसामयिक मुद्दों में एनईटीएफ़ /एमएचआरडी द्वारा चिह्नित अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को भी शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी।

23.13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के लिए डाटा एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है, और गोपनीयता के मुद्दों पर, डाटा-संधारण, डाटा-संरक्षण आदि से जुड़ी सुरक्षा, कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अति आवश्यक है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। शिक्षा इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती, पर्यावरण संरक्षण और अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा।

24. ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा - प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना

24.1 नई परिस्थितियाँ और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक माहामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह ज़रूरी हो गया है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार

हों। इस संबंध में, नई शिक्षा नीति, 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही, सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी-आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा।

24.2 तथापि, ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।

24.3 प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल हैं। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम / विषय, जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यावहारिक ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा, जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी।

24.4 डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण-अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए - यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलों की सिफारिश करती है:

क. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन : ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई-कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अद्यायन संचालित करने के लिए एनईटीएफ़, सीआईईटी, एनआईओएस, इग्रू, आईआईटी, एनआईटी आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा।

- ख. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर:** भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं।
- ग. ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण:** शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयम, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो-तरफ़ा वीडियो और दो-तरफ़ा-ऑडियो इंटरफ़ेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।
- घ. सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार:** कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा।
- ड. डिजिटल अंतर को कम करना:** इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में 24/7 उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुंचे।
- च. वर्चुअल लैब्स:** वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयम और स्वयमप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग-आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा।

छ. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन: शिक्षकों को शिक्षार्थी-केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई-सामग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।

ज. ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं: उपयुक्त निकाय, जैसे कि प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अथवा 'परख', स्कूल बोर्ड, एनटीए, और अन्य चिह्नित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यान्वित करेंगे, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण के डिजाइन शामिल होंगे। 21 वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा।

झ. सीखने के मिश्रित मॉडल: डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही, परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल, उपयुक्त प्रतिकृति के लिए चिह्नित किए जाएंगे।

ञ. मानकों को पूरा करना: जैसे जैसे ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, एनईटीएफ़ और अन्य उपयुक्त निकाय ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षण-शिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक स्थापित करेंगे। ये मानक राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, आदि द्वारा ई-लर्निंग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेंगे।

24.5 विश्व स्तरीय डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक समर्पित इकाई का सृजन - शिक्षा में प्रौद्योगिकी कोई गंतव्य न होकर एक यात्रा के समान है और नीतिगत उद्देश्यों को लागू करने के लिए विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु क्षमता की आवश्यकता होगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी। चूंकि प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग को वितरित करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है, इसलिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को ऐसे समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है जो न केवल भारत के आकार, विविधता, इकटि की चुनौतियों को हल करें, बल्कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाए, जिसका कुछ भाग प्रत्येक बीतने वाले वर्ष के साथ पुराना होता जाता है। अतः इस केंद्र में प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस, आदि के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

भाग IV. क्रियान्वयन की रणनीति

25. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण

25.1 इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विज्ञान, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, यह नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है जो कि ना केवल शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक परामर्श और समीक्षा के लिए एक फोरम प्रदान करता है बल्कि इसके कहीं अधिक वृहद् उद्देश्य हैं। एक पुनर्कल्पित और पुनर्जीवित केब मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य स्तर पर सदृश इकाइयों/निकायों के साथ मिलकर देश में शिक्षा के विज्ञान को लगातार अनवरत रूप से विकसित करने, सुस्पष्टता लाने, उसका आंकलन करने और उसको संशोधित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। इसे ऐसी संस्थागत रूपरेखाओं को भी लगातार तैयार एवं उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए जो इस विज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होंगी।

25.2 अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केन्द्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय(एमओई) के रूप में पुनःनामित किया जाए।

26. वित्त पोषण: सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

26.1 यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय कभी भी सरकारी खर्च कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नहीं पहुँच पाया जिसकि 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा कि गयी थी और जिसको 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में नीति समीक्षा में दोहराया गया था। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा) जीडीपी (बजटीय व्यय आवंटन 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार) के 4.43% के आस पास है और सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर किया जाता है (इकनोमिक सर्वे 2017-18), यह आंकड़ा अधिकाँश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है।

26.2 भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए तथा देश एवं अर्थव्यवस्था के लिए से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति, केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा, शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत के भावी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी उन्नति एवं विकास के लिए ज़रूरी, उच्चतर गुणवत्तापूर्ण एवं समतापूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा पर इतना निवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

26.3 विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संघटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जैसे- सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना, सीखने के संसाधन, पोषण सहायता, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, शिक्षकों का विकास तथा पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए समतापूर्ण उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए किये जाने वाले सभी प्रमुख प्रयास।

26.4 मुख्यतः बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधन सम्बन्धी एकमुश्त खर्चों के अलावा यह नीति एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षेत्रों की पहचान करती है, जिन पर जोर दिया जाना चाहिए: क) गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान; ख) पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता सुनिश्चित करना, ग) सभी स्कूल काम्प्लेक्सों/क्लस्टरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त संसाधन, घ) भोजन एवं पोषण मुहैया कराना (नाश्ता एवं मध्याह्न भोजन), ङ.) शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश, च) उत्कृष्टता को पोषित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुधार, छ) शोध का विकास और ज) प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग।

26.5 शिक्षा के क्षेत्र के लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध वित्त भी अमूमन जिला/संस्थान के स्तर पर समय पर व्यय नहीं किया जाता, जिससे उस राशि के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः आवश्यकता उपयुक्त नीतिगत परिवर्तनों द्वारा उपलब्ध बजट के उपयोग में दक्षता बढ़ाने की है। वित्तीय प्रशासन एवं प्रबंधन इस बात पर ध्यान देगा कि निधियाँ आसानी से, समय पर एवं उचित मात्रा में उपलब्ध हों और उसका व्यय ईमानदारी से किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित और सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि संवितरण तंत्र के कारण अधिक मात्रा में अव्ययित शेष न रह सके। सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग और धन की पार्किंग से बचने के लिए जीएफआर, पीएफएमएस एवं 'सही समय पर' आवंटन से संबंधित प्रावधान को लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए जारी किया जाएगा। राज्य / उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण का तंत्र तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार एसईडीजी के लिए निर्धारित धन के इष्टतम आवंटन और उपयोग के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नवीन नियामक व्यवस्था, जिसमें भूमिकाओं का विभाजन एवं पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण, संस्थानों का सशक्तिकरण एवं स्वायत्तता, उत्कृष्ट एवं योग्य विशेषज्ञों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति आदि शामिल है, से वित्त के आसान, त्वरित एवं पारदर्शी प्रवाह में मदद मिलेगी। ।

26.6 यह नीति शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन करने की अनुशंसा करती है। विशेष रूप से, बजटीय समर्थन के अतिरिक्त जो अन्यथा उन्हें प्रदान किया गया होता है। कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है।

26.7 इस नीति में शिक्षा के व्यावसायीकरण के मुद्दे से कई मोर्चों पर निपटने का प्रयास किया गया है, जिसमें 'सरल किन्तु कठोर' नियमन दृष्टिकोण भी शामिल है, जो वित्त, प्रक्रियाओं, कार्यपद्धति, उपलब्ध पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में पूरी पारदर्शिता के साथ स्व-प्रकटीकरण; सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश, सरकारी तथा निजी सभी संस्थानों में अच्छे प्रशासन और तंत्र पर जोर देता है। इसी तरह, जरूरतमंद अथवा योग्य वर्गों को प्रभावित किए बिना उच्चतर लागत वसूली के अवसरों का भी पता लगाया जाएगा।

27. क्रियान्वयन

27.1 किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए, कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत सी पहल करनी होंगी और कई कदम उठाने की जरूरत होगी। इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन को कई निकायों, जिनमें एमएचआरडी, केब, केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा सम्बन्धी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, एनटीए, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल हैं, द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वयन व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवम प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जायेगा।

27.2 क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे : पहला, नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा, नीतिगत पहलों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नीति के हर बिंदु में कई कदम हैं और प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। तीसरा, प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति-आवश्यक कार्य पहले किए जाएँ ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। चौथा, क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी; यह नीति एक व्यापक नज़रिया, समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, अतः टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से ही वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। पाँचवाँ, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी। छठा, संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव, संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना अहम बिंदु है। आखिर में, क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलों के एक-दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इसमें कुछ ऐसे कार्यों में निवेश शामिल है (उदाहरण के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा का बुनियादी ढाँचा) जो ना सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी हैं बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधारहित संचालन के लिए भी आवश्यक हैं।

27.3 सम्बद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट

रूप से प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों द्वारा निर्दिष्ट टीमों के द्वारा प्रत्येक क्रियान्वयन बिंदु के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार नीति की प्रति वर्ष संयुक्त समीक्षा की जायेगी और केब के साथ साझा की जाएगी। 2030-40 के दशक तक सम्पूर्ण नीति क्रियान्वयन अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।

प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

एबीसी	अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एआई	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एसी	ऑटोनोमस डिग्री ग्रान्टिंग कॉलेज
एईसी	प्रौढ़ शिक्षा केंद्र
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस
आयुष	आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी
बीएड	बैचलर ऑफ एजुकेशन
बीईओ	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
बीआईटीई	ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन
बीओए	बोर्ड ऑफ असेसमेंट
बीओजी	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केंद्र
बी.वोक.	बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन
सीएबीई	सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन
सीबीसीएस	चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीआईईटी	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
सीएमपी	कॅरियर प्रबंधन और प्रगति
सीओए	वास्तुकला परिषद
सीपीडी	सतत व्यावसायिक विकास
सीआरसी	क्लस्टर संसाधन केंद्र
सीडब्ल्यूएसएन	चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स
डीईई	परमाणु ऊर्जा विभाग
डीबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग

डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
दीक्षा	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
डीएसई	स्कूल शिक्षा निदेशालय
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
ईसीसीई	अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
ईईसी	प्रख्यात विशेषज्ञ समिति
जीसीईडी	ग्लोबल सिटिजनशिप एजुकेशन
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईसी	सामान्य शिक्षा परिषद
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
एचईसीआई	भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग
एचईजीसी	उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद
एचईआई	उच्चतर शिक्षा संस्थान
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीएचआर	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीपी	संस्थागत विकास योजना
इमू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीआई	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
आईएसएल	भारतीय सांकेतिक भाषा
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एमएड	मास्टर ऑफ एजुकेशन

एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी
एमईआरयू	बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय
एमएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एमओओसी	मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एम फिल	मास्टर ऑफ़ फिलोसोफी
एमडब्ल्यूसीडी	महिला और बाल विकास मंत्रालय
एनएसी	राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद
एनएस	नेशनल अचीवमेंट सर्वे
एनसीसी	नेशनल कैडेट कोर
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ़	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनसीएफ़एसई	स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनसीआईवीई	व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति
एनसीपीएफ़ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्र
एनसीटीई	नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन
एनसीवीईटी	नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
एनईटीएफ	राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचईक्यूएफ	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क
एनएचईआरसी	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

एनपीई	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनपीएसटी	शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एनआरएफ	नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
एनएसक्यूएफ़	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एनटीए	नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओडीएल	ओपन और डिस्टेंस लर्निंग
परख (PARAKH)	समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण
पीसीआई	फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया
पीएफ़एमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएचडी	डॉक्टर ऑफ़ फिलोसोफी
पीएसएसबी	प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड
पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात
आर एंड आई	रिसर्च एंड इनोवेशन
आरसीआई	भारतीय पुनर्वास परिषद
आरपीडब्ल्यूडी	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
एसएसएस	स्टेट अचीवमेंट सर्वे
एससी	अनुसूचित जाति
एससीडीपी	स्कूल परिसर / क्लस्टर विकास योजनाएं
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एससीएफ	राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क
एससीएमसी	स्कूल परिसर प्रबंधन समिति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीपी	स्कूल विकास योजना
एसईडीजी	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह,
एसईजेड	स्पेशल एजुकेशन जोन

एसआईओएस	राज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एसएमसी	स्कूल प्रबंधन समिति
एसक्यूएएफ	स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसएस	सरल मानक संस्कृत
एसएसएसए	राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीएस	संस्कृत के माध्यम से संस्कृत
स्वयम	स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
टीईआई	शिक्षक शिक्षा संस्थान
टीईटी	शिक्षक पात्रता परीक्षा
यू-डीआईएसई	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीसीआई	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

National Education Policy 2020

Infographics

National Education Policy 2020

EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

Universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must be achieved by 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school ready



National Education Policy 2020

A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to the age of 8 will be developed by NCERT



National Education Policy 2020

Achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025

- A pupil-teacher ratio (PTR) of under 30:1 will be ensured in each school
- Increased focus on reading, writing, speaking, counting, arithmetic, and mathematical thinking
- A national repository of high-quality resources will be made available on **DIKSHA**

National Education Policy 2020

**Achieve 100% Gross Enrolment Ratio
in preschool to secondary level by 2030**



National Education Policy 2020

PROMOTING MULTILINGUALISM

High-quality textbooks will be made
available in home languages/mother tongue



National Education Policy 2020

EQUITABLE AND INCLUSIVE EDUCATION: LEARNING FOR ALL

A 'Gender-Inclusion Fund' to be constituted by the Government of India to provide equitable quality education for all girls and transgender students



National Education Policy 2020

EQUITABLE AND INCLUSIVE EDUCATION

- Equal opportunities to Children With Special Needs (CWSN) or Divyang
- Separate strategies for focused attention on reducing the social category gaps in school education



National Education Policy 2020

SCHOOL COMPLEXES/CLUSTERS BY 2030

- Sharing of Infrastructure and Human Resource
- Integrating Education Across All Levels
- Vibrant Communities of Teachers & Students
- Joint Events of Arts, Science & Sports
- Effective Governance



Under Graduation to be 3 to 4 years with Multiple Entry and Exit option

1 Year
Certificate

2 Years
Advance Diploma

3 Years
Bachelor's Degree

4 Years
Bachelor's Degree
with Research



National Education Policy 2020

National Education Policy 2020

Setting Up of New **National Educational Technology Forum (NETF)**

To Provide end to end Support on EdTech Implementation



Recruitment of Teachers through a Transparent Robust Process



Motivated, Energised &
Capable Faculty



Recruitment Based on Merit



Academic



Teaching



Research



Public Service



National Education Policy 2020

National Education Policy 2020

Three-language formula
will continue to be implemented with greater
flexibility - no language will be imposed on
any State.



National Education Policy 2020

**Achieve an Equitable and Inclusive
Education System by 2030**

Special Education Zones in Disadvantaged Regions

- Scholarships for Students from Disadvantaged groups
- Gender Inclusion Fund
- Availability and Capacity Development of Teachers



Promoting Indian Knowledge Systems, Languages, Culture & Values



Strengthening National Institutes for promotion of Classical Languages & Literature



Focus on Literature & Scientific Vocabulary of Indian Languages



Cultural awareness of our Ancient Knowledge Systems



Promoting Traditional Arts



National Education Policy 2020

Equitable and Inclusive Education

for Socially & Economically Disadvantaged Groups



National Education Policy 2020

National Education Policy 2020

Gross Enrollment Ratio
for Higher Education to be
50% by 2035



Holistic & Multidisciplinary Higher Education

Rigorous Specialization | Creative Combinations of Disciplines

Credit Transfer | Imaginative & Flexible Curricula



Global Citizenship Education

Rooted in Indian Ethos & Values

National Education Policy 2020

National Education Policy 2020



- **High-Quality Multidisciplinary Holistic Education**
- **Imaginative, Flexible Combinations**
- **Multiple Entry & Exit Options**

Flexibility to offer Master's Programme

- 2 year Master's Degree after 3 year Bachelor's Degree – with 2nd year devoted to Research
- 1 year Master's Degree after 4 year Bachelor's Degree
- Integrated 5 year Bachelor's + Master's programme



Ph.D Degrees

4 year Bachelor's Degree (with Honours) eligible for Ph.D

Encouraging Inter disciplinary Research in Doctoral Programme

Ph.D candidate to take courses in Teaching & Communication

National Education Policy 2020

National Research Foundation(NRF)



Multidisciplinary Research



Competitive Funding for Research Grants



Build Research Capacity at Academic Institutions



Recognize Outstanding Research



Provide Doctoral and Postdoctoral Fellowships

Start-ups



Patents

Incubation Centre

Research Parks

National Education Policy 2020

Equitable and Inclusive Education

for Socially & Economically Disadvantaged Groups

Special Education Zones

Financial Assistance

Counselling: socio-emotional & academic

Mentoring

Gender Inclusion Fund


Scholarships



National Education Policy 2020

Culture of Empowerment & Autonomy

Academic | Financial | Administrative



- Phasing out Affiliation System
- University to mentor Colleges -> College to attain Accreditation -> Accredited Colleges to achieve Graded Autonomy
- Accredited HEIs to have independent Board of Governors

National Education Policy 2020

Promoting Indian Knowledge Systems, Languages, Culture & Values



Strengthening National Institutes for promotion of Classical Languages & Literature




Focus on Literature & Scientific Vocabulary of Indian Languages



Cultural awareness of our Ancient Knowledge Systems



Promoting Traditional Arts



National Education Policy 2020

National Education Policy 2020

Adult Education and Lifelong Learning

The Central and State governments will take steps to ensure that books are made accessible and affordable to all across the country including socio-economically disadvantaged areas, those living in rural and remote areas

